सर्वे
भवन्तु सुखिनः

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
भारत

वार्षिक रिपोर्ट 2008-2009

सर्वे
भवन्तु सुखिनः

विषय – वस्तु

अध्याय–1 परिचय 1

अध्याय–2 मुख्य बिन्दुः 2008–2009 5

अध्याय–3 रा.मा.अ. आयोगः संगठन के मामले 11

अध्याय–4 मानव अधिकार उल्लंघन के मामले 17

क. शिकायतों की संख्या एवं उसकी प्रकृति 17

ख. 2008–2009 के दृष्टान्त मामले 21

अ) हिरासत में मौत 21

1. विचाराधीन कैदी मोमिन की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में न्यायिक हिरासत में मौत (मामला सं. 2098/30/2004–2005–सी.डी.) 21
2. विचाराधीन कैदी राधाकृष्णन की उप जेल, पल्लाकड़, केरल में मौत (मामला सं. 295/11/2000–2001–सी.डी.) 21
3. विचाराधीन कैदी तकला की जिला जेल, बालासौर, उड़ीसा में मृत्यु (मामला सं. 494/18/1/2007–2008–सी.डी.) 22
4. राजकीय निरीक्षण गृह रूद्रपुर, उत्तराखण्ड में किशोर की मृत्यु (मामला सं. 43/35/12/2007–2008–सी.डी.) 22
5. तिरूचिरापल्ली में चिकित्सकीय देखभाल में लापरवाही के कारण पुलिस हिरासत में बालाकृष्णन की मौत (मामला सं. 124/22/2004–2005–सी.डी.) 22
6. शादी की एक पार्टी में पुलिस द्वारा भोजन चुराते हुए पकड़े गए एक बच्चे की मौत (मामला सं. 952/19/2002–2003–सी.डी.) 23
7. आगरा जेल में जन्मे एक बच्चे की न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं के अभाव में मृत्यु (मामला सं. 24687/24/2006–2007–) 23
8. मयूरभंज जिला, उड़ीसा के बारीपदा जेल में अनुचित भोजन के कारण विचाराधीन कैदी मंगल सिंह की मृत्यु (मामला सं. 502/18/2004–2005–सी.डी.) 24

ब.) अवैध निरोध एवं उत्पीड़न 24

9. उत्तर प्रदेश के प्रतापढ़ जिले में पुलिस द्वारा अवैध निरोध एवं उत्पीड़न (मामला सं. 5055/24/2004–2005) 24
10. उत्तर प्रदेश के बुलन्द शहर जिले में दौराला पुलिस स्टेशन में शिकायतकर्त्ता के पिता का अवैध निरोध (मामला सं. 42104/24/2006–2007) 25
11. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पुलिस द्वारा सुरेंद्र सिंह को यातना एवं उसका अवैध निरोध (मामला सं. 1508/30/2003–2004) 26

12. पुलिस द्वारा यातना के कारण विजेन्द्र की मौत (मामला सं. 19671/24/1998–1999) 26

स. सर्वोच्च न्यायालय परिहार मामले 27

13. छत्तीसगढ़ में सलवा जूडम तथा नक्सलियों द्वारा मानव अधिकारों को घोर उल्लंघन (मामला सं. 57/33/2006–2007) 27

द. पुलिस की दादागीरी, गोलीबारी एवं मुठभेड़ 29

14. उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सैफाई गाँव में छात्रों पर पुलिस की दादागीरी। (मामला सं0 50920/24/0/2007–2008–डब्ल्यू सी संबंधित फाईल सं0 47231/24/23/2007–2008) 29

15. ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण में भूमि अधिग्रहण के विरूद्ध प्रदर्शन के दौरान पुलिस गोलीबारी में किसानों की हत्या (मामला सं 19866/24/30/2008–2009) 31

16. इंदौर, मध्यप्रदेश में फर्जी मुठभेड़ में योगेश की हत्या (मामला सं 1247/12/2002–2003) 32

च. सैन्य अथवा अर्द्धसैनिक बलों द्वारा अवैध निरोध, उत्पीड़न तथा गोलीबारी 32

17. जम्मू एवं कश्मीर में सेना के कर्मचारियों द्वारा जावेद अहमद मेग्रेरे की हिरासत में मृत्यु (मामला सं 22/9/2003–2004) 32

छ. साम्प्रदायिक हिंसा 33

18. कर्नाटक के सात जिलों में ईसाइयों के विरूद्ध हिस्सा यह (मामला सं 336/10/1/2008–2009) 33

ज. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारों का हनन 34

19. मेडिकल कॉलेज, झाँसी के पैथोलोजी विभाग के अध्यक्ष द्वारा दी गई यातना के कारण तीसरे वर्ष पढ़ाई कर रहे दलित छात्र द्वारा आत्म हत्या (मामला सं. 20640/24/2003–2004) 34

झ. महिलाओं एवं बच्चों पर अत्याचार 34

20. आन्ध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में एक पुलिस अधिकारी द्वारा एक लाचार महिला का यौन शोषण (मामला सं 284/1/2004–2005) 34

21. मूक एवं बधिर स्कूल में एक लड़की का उसके सहपाठी द्वारा यौन शोषण (मामला सं. 3118/8/2001–2002) 35

22. जसपुर जिला, छत्तीसगढ़ के समाहर्ता द्वारा एक महिला पर यौन आक्रमण (मामला सं. 123/33/2003–2004) 35

ञ. बंधुआ मजदूरी 36

23. ग्राम धार, गौतम बुद्ध नगर जिला, उत्तर प्रदेश में ईंट भट्ठों में मजदूरों को बंदी रखना। (मामला 44697/24/30/2007–2008) 36

24. रायसेन जिला, मध्य प्रदेश में संजय साहू की खान में कार्यरत् बँधुआ मजदूर (मामला संख्या 1314/12/33/2007–2008) 37

25. हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 38 ईंट–भट्ठों से बंधुआ मजदूरों की मुक्ति (मामला सं. 365/7/2006–2007) 37

ट. स्वास्थ्य का अधिकार 38

26. राजस्थान में चिकित्सा अधिकारी की लापरवाही से मौत (मामला सं. 1618/20/2000–2001) 38

27. अस्पताल में उचित चिकित्सीय देखभाल की कमी के कारण बैतूल जिला मध्य प्रदेश की आदिवासी महिला की मौत (मामला सं. 743/12/2001–2002) 39

28. कोलकाता, पश्चिम बंगाल में अस्पताल कर्मचारियों की लापरवाही के कारण सुष्मिता विश्वास की मौत (मामला सं. 556/25/2003–2004) 39

29. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के अस्पतालों में सफाई की बदतर स्थिति का आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान (मामला सं. 2539/30/2004–2005) 40

30. दिल्ली में मानसिक रूप से बीमार लोगों के गृह में रोगियों का अमानवीय उपचार (मामला सं. 450/30/2005–2006) 41

31. डॉक्टरों की लापरवाही के कारण ऑपरेशन के दौरान महिला के पेट में सर्जीकल कैंची छूटी (मामला सं. 202/18/3/2007–2008) 42

ठ. बिजली का करंट लगने का मामला 42

32. उत्तराखण्ड विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा नियुक्त सुरेश चन्द्र की मौत (मामला सं. 921/35/2003–2004) 42

ड. अन्य मामले 42

33. 34 वर्षों से एक व्यक्ति राजस्थान के कारागार में बंद (मामला सं. 55/20/26/2008–2009 और मामला सं. 2978/20/26/2007–2008) 42

34. उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में आदमखोर द्वारा 100 बच्चों का शिकार (मामला सं. 28667/24/2004–2005) 43

35. दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों की लापरवाही के कारण मनोज कुमार की मौत (मामला सं0 1671/30/1999–2000) 44

36. गोवा में दमनगंगा पार पुल के गिरने से 28 बच्चों और 2 वयस्कों की मौत (मामला सं0 4/29/2003–2004) 44

37. अध्यापक द्वारा की गई पिटाई से नूतन कुमारी की मौत (मामला सं. 1633/4/2005–2006) 45

38. संबलपुर, उड़ीसा में जल निस्यन्दन संयत्र से क्लोरीन गैस रिसने के कारण एक व्यक्ति की मौत एवं 100 अन्य व्यक्ति बीमार पड़े (मामला सं. 307/18/2005–2006) 45

ग. अनुवर्ती कार्रवाई 46

(क) 2004–2005 और 2005–2006 की वार्षिक रिपोर्टों में दिए गए मामलों पर की गई कार्रवाई 46

1. बागपत, उत्तर प्रदेश में पंचायत द्वारा मानव अधिकार का उल्लंघन (मामला सं. 16755/24/2005–2006–डब्ल्यू सी) 46

2. जलील अंदराबी, अधिवक्ता, जम्मू तथा कश्मीर का अभिकथित अपहरण और हत्या (मामला सं. 9/123/1995–एल डी) 46

3. किशनगंज जिला, बिहार में बी.एस.एफ. कैम्प के बाहर से एक अवयस्क लड़की का अपहरण (मामला सं. 2610/4/2005–2006–उब्ल्यू सी) 47

4. हरियाणा पुलिस द्वारा एक अवयस्क का गैर–कानूनी ढंग से निरोध और यातना दिया जाना। (मामला सं. 1453/7/2005–2006) 47

5. मेघालय पुलिस द्वारा निर्दोष व्यक्तियों की हत्या (मामला सं. 11/15/2005–2006) 47

6. सीवर में काम करते हुए दिल्ली जल बोर्ड के दो कर्मचारियों की मौत (मामला सं. 716/30/2005–2006) 47

7. उत्तर प्रदेश में विचाराधीन कैदी जगजीवन राम का लम्बे समय तक निरोध (मामला सं0 35741/24/2005–2006) 48

8. उन्नाव जेल, उत्तर प्रदेश में विचाराधीन कैदी शंकर दयाल का 44 वर्षों तक निरोध (मामला सं0 37484/24/2005–2006) 48

(ख) वर्ष 2006–2007 की वार्षिक रिपोर्ट में दर्ज मामलों पर की गई कार्रवाई 48

1. गलत पहचान के कथित मामले में चंड़ीगढ़ पुलिस द्वारा श्री संतोष का गैर–कानूनी निरोध (मामला सं0 72/27/2006–2007–डब्लू.सी.) 48

2. चब्बा, अमृतसर, पंजाब में किसानों पर पुलिस अत्याचार (मामला सं. 640/19/2006–2007) 48

3. आरा, बिहार में पुलिस की उपस्थिति में भीड़ द्वारा चार अनुसूचित जातियों की हत्या (मामला सं. 1099/4/2006–2007) 49

4. लक्खी सराय, बिहार में अनुसूचित जाति की चार महिलाओं से बलात्कार (मामला सं. 1375/4/2006–2007–डब्ल्यू सी) 49

5. उज्जैन, मध्य प्रदेश में विद्यार्थियों द्वारा की गई पिटाई से प्राध्यापक की मौत (मामला सं. 886/12/2006–2007) 49

6. पंजाब पुलिस द्वारा सामूहिक दाह संस्कार (मामला सं0 1/97/रा.मा.अ.आ) 49

7. कश्मीर में मानव अधिकार उल्लंघनों के कारण 76 सेना कर्मियों को सजा (मामला सं. 122/9/2006–2007 ए.एफ.) 50

8. अमृतसर, पंजाब में स्कूल अध्यापक द्वारा की गई पिटाई से बच्चे की मौत (मामला सं. 621/19/2006–2007 डब्ल्यू सी) 50

9. राजमुन्द्री, आंध्र प्रदेश में अभिभावकों द्वारा लड़कियों का बेचना (मामला सं. 658/1/2006–2007 डब्ल्यू सी) 50

(ग) वर्ष 2007–2008 की वार्षिक रिपोर्ट में दर्ज मामलों पर की गई कार्रवाई 50

1. जिला जेल, जूनागढ़, गुजरात में दोषसिद्ध कालूजी उर्फ कलियो भागूजी सोरथी की मृत्यु (मामला सं. 653/6/2002–2003–सी डी) 50

2. राजमुन्द्री, आंध्र प्रदेश में न्यायिक हिरासत में रिमान्ड में लिए गए कैदी चिन्ना पुरापु रमेश की मौत (मामला सं. 531/1/2005–2006–सी डी) 51

3. बीड, महाराष्ट्र में पुलिस हिरासत में चंद्रकांत की मौत (मामला सं. 1287/13/2002–2003 सी डी) 51

4. दिल्ली में पुलिस हिरासत में किशन सिंह की मौत (मामला सं. 5060/30/2004–2005–सी डी) 51

5. ईटानगर, अरूणाचल प्रदेश में पुलिस हिरासत में ओलिक त्येंग की मौत (मामला सं. 14/2/2003–2004–सी.डी.) 51

6. विशेष जेल, भुवनेश्वर, उड़ीसा में न्यायिक हिरासत में विचाराधीन कैदी अभिषेक साहू की उपचार न मिलने के कारण मौत (मामला सं. 42/18/2003–2004–सी.डी.) 51

7. सतना, मध्य प्रदेश में मुगलिया की अभिकथित न्यायिक हिरासत में मौत (मामला संख्या 1996/12/1999–2000) 52

8. जिला जेल, भागलपुर, बिहार में सिद्धदोष पदुम सोरन की मौत (मामला सं. 2848/4/2002–2003–सी.डी.) 52

9. मुम्बई महाराष्ट्र में पुलिस की अभिकथित पिटाई से शांति दशरथ नायक की अभिकथित हिरासतीय मौत (मामला सं. 2021/13/2000–2001–ए.डी.) 52

10. पुलिस स्टेशन सेहरामाऊ, जिला शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश में पुलिस हिरासत में राम चन्द्र की मौत (मामला सं. 12975/24/1999–2000) 52

11. केन्द्रीय जेल, बेंग्लूरू, कर्नाटक में एक विचाराधीन कैदी विशाल कष्ण माडेकर की मौत (मामला सं0 671/10/2001–2002–सी.डी) 52

12. गारीपुर सीमा चौकी, कामरूप, असम, में देवेन्द्रनाथ डेका की मौत (मामला सं. 25/3/2002–2003 सी.डी.) 52

13. गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश की पुलिस द्वारा सुशील कुमार और उसकी पत्नी की पिटाई (मामला सं. 28117/24/2006–2007) 53

14. जहानाबाद, उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा जसवंत सिंह पटेल को गैर–कानूनी निरोध एवं शारीरिक यातना। (मामला सं0 5782/24/2003–2004) 53

15. पुलिस स्टेशन, राजखेड़ा, धौलपुर, राजस्थान में रमेश, संतोष और राम गोपाल का अवैध निरोध (मामला सं0 1635/20/2002–2003) 53

16. डोमाना, जम्मू तथा कश्मीर में पुलिस गोली–बारी में निशु शर्मा की मौत तथा राकेश शर्मा को चोटें (मामला सं0 97/9/2005–2006) 53

17. पूर्वी चम्पारन, बिहार में पुलिस की अंधा–धुंध गोली–बारी में कमलेश्वर प्रसाद जैसवाल को गंभीर चोटें (मामला सं0 4112 /4/2000–2001) 53

18. तिंगूचिंगजिन, मणिपुर में सी.आर.पी.एफ. कर्मियों द्वारा गैर–कानूनी निरोध एवं यातना। (मामला सं0 38/14/1999–2000 ए.एफ.) 53

19. पुंछ, जम्मू तथा कश्मीर में सेना कर्मियों द्वारा तीन नागरिकों मोहम्मद खादम, मोहम्मद रयाज और मोहम्मद राशिद का अपहरण एवं कत्ल (मामला सं0 179/9/2002–2003 ए डी) 54

20. इन्डो–बंगला बार्डर, मालदा, पश्चिम बंगाल में सुरक्षा बलों द्वारा गोली–बारी के दौरान रंजन सिंह का कत्ल (मामला सं0 128/25/1998–1999 ए डी) 54

21. कंधमाल जिला उड़ीसा में ईसाइयों के विरूद्ध हिंसा (मामला सं0 825/18/26/2007–2008) (संलग्न मिसिल 923/18/26/2007–2008) 54

22. उत्तर गोधरा हिंसा पर ''आज तक'' पर ऑपरेशन कलंक कार्यक्रम का स्वतः संज्ञान (मामला सं0 426/6/18/2007–2008) 55

23. नंदीग्राम, पश्चिम बंगाल में पुलिस गोली–बारी के दौरान ग्रामीणों की हत्या और चोटें (मामला सं0 725/12/2007–2008) 55

24. पश्चिम बंगाल में उत्तरी सेयरसोल की खानों के सुरक्षा गार्ड के 12 बोर की बंदूक द्वारा शुभम दास (4 वर्षीय) को गंभीर चोटें (मामला सं0 589/25/2002–2003) 56

25. कस्बा पटौदी, गुड़गांव, हरियाणा में एक कुएँ से अधजले भ्रूण। (मामला सं0 795/7/5/2007–2008) 56

26. महबूबनगर आंध्र प्रदेश में मै. सालगुटी प्लास्टिक लिमिटेड में बाल मजदूर (मामला सं0 401/1/2006–2007) 56

27. मेरठ जिला, उत्तर प्रदेश में धर्मपाल और 28 अन्य को उनके परिवारों सहित उन्हें बंधुआ मजदूर रखना (मामला सं0 36851/24/2006–2007) 57

28. चिकित्सीय देखभाल न दिए जाने के कारण बैरे की मौत (मामला सं0 2272/30/2005–2006) 57

29. चिकित्सीय उपचार करने से मना करने के कारण तिरूवनंतपुरम, केरल में वेणुगोपाल नायर की मौत (मामला सं0 95/11/1999–2000) 57

30. सी.जी.एच.एस. डिस्पेंसरी, पुष्प विहार, दिल्ली द्वारा की गई लापरवाही से सुश्री सुनीता को हुई परेशानी। (मामला सं0 102/30/2005–2006) 57

31. तिरूवनंतपुरम केरल में श्री अवितम तिरूणल अस्पताल में बैक्टीरिया संक्रमण के कारण शिशु की मौत (मामला सं0 14/11/12/2007–2008) 57

32. आलमगंज, पटना, बिहार में बिजली का करंट लगने से रविकांत पुरी की मौत (मामला सं0 1902/4/2000–2001) 58

33. सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में पटाखों की फैक्टरी में विस्फोट से 11 कामगारों की मृत्यु (मामला सं0 33497/24/2004–2005) 58

34. उत्तरी–पूर्वी रेलवे, वाराणसी द्वारा रोके गए सेवानिवृत्ति लाभ की प्रतीक्षा करते हुए सोचन की मृत्यु (मामला सं0 37757/24/2000–2001) 58

(घ) मानव अधिकारों के उल्लंघन के पीड़ितों/मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों को प्रदान की गई आर्थिक राहत/ अनुशासनात्मक कार्रवाई/दोषी जन सेवकों के विरूद्ध अभियोजन के संबंध में आयोग की संस्तुतियाँ। 58

अध्याय 5 नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार 61

क. आतंकवाद एवं उग्रवाद 61

ख. हिरासतीय हिंसा एवं उत्पीड़न 61

– हिरासतीय मौतें 62

	ग.	जेलों की स्थिति	64
		– जेलों के दौरे	64
		– देश में विभिन्न जेलों में किए गए दौरों के संबंध में की गई संस्तुतियों/सुझावों का सार	68
		– जेल जनसंख्या का विश्लेषण	69
अध्याय	**6**	**आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार**	71
	क.	***स्वास्थ्य का अधिकार***	71
		– चिकित्सा देखरेख तथा मानव शक्ति की उपलब्धता	72
		– सिलिकोसिस	72
	ख.	***मानसिक स्वास्थ्य***	74
		– भौतिक संरचना एवं ढांचा	76
		– व्यावसायिकों एवं अन्य स्टॉफ की कमी	77
		– चिकित्सीय रिकॉर्ड	77
		– रोगमुक्त मानसिक रोगियों का बंदीकरण	77
	ग.	***भारत के चयनित 28 जिलों में मानव अधिकार जागरूकता तथा मानव अधिकारों का सरलीकृत मूल्यांकन एवं प्रवर्तन कार्यक्रम***	78
	घ.	***खाद्य सुरक्षा***	80
	ड.	***शिक्षा का अधिकार***	80
	(च)	***महिलाओं एवं बच्चों के अधिकार***	82
		– महिलाओं एवं बच्चों पर विशेष केन्द्रित मानव के अवैध व्यापार की रोकथाम एवं सामना करने के लिए एकीकृत कार्य योजना।	82
		– गुमशुदा बच्चों का मुद्दा	83
		– भारत में किशोर न्याय व्यवस्था की मॉनीटरिंग	84
अध्याय	**7**	**बंधुआ मजदूरी प्रथा एवं बाल मजदूरी का उन्मूलन**	85
	(क)	***बंधुआ मजदूरी प्रथा***	85
		राज्य समीक्षा	87
		– बिहार	87
	(ख)	***बाल मजदूरी प्रथा***	89
		राज्य समीक्षा	89
		– तमिलनाडु	90
		– उत्तर प्रदेश	92
		– महाराष्ट्र	95
	(ग)	***बंधुआ एवं बाल मजदूरी पर कार्यशाला***	97
अध्याय	**8**	**मानव अधिकार शिक्षा तथा जागरूकता**	99
		– निरोध पर कार्यशाला	99
		– स्कूल स्तर पर मानव अधिकार शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन	99
		– ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन अंतः शिक्षु कार्यक्रम	102
		– राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम	102
		– ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम	102
		– भारतीय विदेश सेवा के परीवीक्षार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	102
		– इन हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम	103

– भारत के विभिन्न कालेजों/विश्वविद्यालयों से आने वाले छात्रों/प्रशिक्षुओं के साथ परस्पर चर्चा 103
– विदेशी कूटनीतिज्ञों के साथ परस्पर चर्चा 103
– राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में हिंदी पखवाड़ा 103
– स्थापना दिवस समारोह 103
– मानव अधिकार दिवस पर समारोह 103
– कॉलेज के छात्रों के लिए अंतर–विद्यालय वाद–विवाद प्रतियोगिता 104
– स्कूली बच्चों की दौड़ प्रतियोगिता 104
– अंतर–संसदीय बल वाद–विवाद प्रतियोगिता 104
– चित्रकला प्रतियोगिता 104
– अध्यक्षों राज्य मानव अधिकार आयोगों के सचिवों, लोक पदाधिकारियों एवं गैर–सरकारी संगठनों का सम्मेलन 104

अध्याय 9 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग 105
– सार्वभौम आवधिक समीक्षा 105
– अंतरराष्ट्रीय बैठकों में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत की भागीदारी 105
– विदेशों में दौरे, संगोष्ठियाँ एवं कार्यशालाएँ 106
– राष्ट्रकुल मंच बैठक 107
– आदान–प्रदान और अन्य तालमेल 107

अध्याय 10 गैर–सरकारी संगठन 109

अध्याय 11 राज्य मानव अधिकार आयोग 111

अध्याय 12 मानव अधिकारों से संबंधित कानूनों, संधियों के कार्यान्वयन और अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रपत्रों की समीक्षा 113
– शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित कनवेंशन अधिसमय 1951 और 1969 का प्रोटोकॉल 113
– यंत्रणा, अमानवीय, अपमानजनक व्यवहार या सजा के विरूद्ध कनवेंशन, 1984 113
– 1949 के जिनेवा कनवेंशन के अतिरिक्त 1997 का प्रोटोकॉल 114

अध्याय 13 अनुसंधान अध्ययन और परियोजनाएँ 115
(क) पूर्ण अनुसंधान अध्ययन 115
– उत्तर प्रदेश के बुंदेलखण्ड और सोनभद्र क्षेत्र में भूमि, श्रम और मानव अधिकार उल्लंघन पर कार्रवाई अनुसंधान 115
– स्वतंत्रता बंधक और भविष्य परितयक्त : कर्नाटक सिल्क उघोग में बाल बंधुआ मजदूरी 115

(ख) वर्तमान में चल रहे अनुसंधान अध्ययन 115
– मुख्य राज्यों में गर्भधारण पूर्ण और प्रसवपूर्व नैदानिक तकनीक (लिंग जाँच निषेध) अधिनियम के कार्यान्वयन का अनुसंधान और समीक्षाः 115

अध्याय 14 प्रशासन और संभारिकी सहायता 117
क. कर्मचारी वर्ग 117
ख. विशेष सम्पर्ककर्त्ता 117
ग. कोर एवं विशेषज्ञ समूह 117

	घ.	राजभाषा का प्रयोग	118
	ड.	पुस्तकालय	118
	च.	सूचना का अधिकार	119
अध्याय	**15**	**मुख्य संस्तुतियों और टिप्पणियों का सार**	121
अनुलग्नक			131
	1.	1.4.2008 को लंबित राज्यवार / संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या दर्शाने वाला विवरण	133
	2.	1.4.2006 से 31.3.2009 तक लंबित मामलों की राजयवार / संघराज्य क्षेत्रवार संख्या दर्शानेवाला विवरण	134
	3.	2008–2009 के दौरान रा.मा.अ. आयोग द्वारा, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार निपटाए गए मामले	135
	4.	31.3.2009 के रा.मा.अ. आयोग के पास राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार लंबित मामलों की संख्या	136
	5.	2008–2009 के दौरान रा.मा.अ. आयोग द्वारा निपटाए गए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ओर श्रेणीवार रिपोर्ट मामले	137
	6.	2008–2009 के दौरान जिन मामलों में आयोग ने आर्थिक राहत / अनुषासनात्मक कार्रवाई/आयोजन चलाने की सिफारिश की, उनकी संख्या	140
	7.	2008–2009 के दौरान आर्थिक राहत की अदायगी, अनुशासनात्मक कार्रवाई/आयोजन के संबंध में रा.मा.अ. आयोग द्वारा की गई संस्तुतियों के लंबित अनुपालन संबंधी मामलों का विवरण	142
	8.	दोषी लोकसेवकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु वर्ष 2008–2009 के दौरान रा.मा.अ. आयोग की संस्तुतियों के अनुपालन के लिए लंबित मामलों का विवरण	153
	9.	दोषी लोक सेवक के अभियोजन हेतु वर्ष 2008–2009 के दौरान आयोग की संस्तुतियों के अनुपालन हेतु लंबित मामले का विवरण	154
	10.	वर्ष 1999–2000 से 2007–2008 के लिए वित्तीय राहत/अनुशासनात्मक कार्रवाई/अभियोजन हेतु आयोग की संस्तुतियों के अनुपालन हेतु लंबित मामलों का विवरण	155
	11.	आयोग द्वारा वर्ष 1993–1994 से 2008–2009 तक पंजीकृत पुलिस हिरासत में मौत तथा न्यायिक हिरासत में मौत के मामलों (प्रकृतिक एवं अप्राकृतिक) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार तथा वर्षवार विवरण	160
	12.	निरोध पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की कार्यशाला की सिफारिशें	162
	13.	रा.मा.अ. आयोग द्वारा वर्ष 2008–2009 के दौरान आयोजित मानव अधिकार प्रशिक्षण कार्यक्रम	166
चार्ट एवं ग्राफ			173
	1.	गत तीन वर्षों के दौरान रा.मा.अ. आयोग में पंजीकृत मामलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार सूची	175
	2.	वर्ष 2008–2009 के दौरान रा.मा.अ. आयोग में पंजीकृत मामलों की राज्य/संघ क्षेत्रवार संख्या	176

3. वर्ष 2008–2009 के दौरान हिरासतीय मौतों के संबंध में रा.मा.अ.आयोग में दर्ज राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार सूची 177

4. वर्ष 2008–2009 के दौरान रा.मा.अ. आयोग द्वारा निपटाए गए मामलों की प्रकृति एवं क्षेणी 178

5. वर्ष 2008–2009 के दौरान रा.मा.अ. आयोग द्वारा राज्य मानव अधिकार आयोगों को स्थानांतरित मामले 179

6. वर्ष 2008–2009 के दौरान रा.मा.अ. आयोग द्वारा निपटाए/आयोग के पास लंबित मामलो 180

7. वर्ष 2008–2009 के दौरान रा.मा.अ. आयोग द्वारा आरंभ में ही खारिज किए गए मामले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इसके खारिज किए जाने की दर 3 प्रतिशत रही 181

8. वर्ष 2008–2009 के दौरान आयोग द्वारा निर्देशों के साथ निपटाए गए मामले, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रो में खारिज दिए जाने की दर 3 प्रतिशत से अधिक रही। 182

संक्षिप्तिका 183

परिचय

अध्याय–1

1.1. यह राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की 16 वीं वार्षिक रिपोर्ट है। इसमें 1 अप्रैल, 2008 से 31 मार्च, 2009 की अवधि शामिल है।

1.2. 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च, 2008 की अवधि के लिए आयोग की 15 वीं वार्षिक रिपोर्ट 27 अगस्त 2009 को केंद्र सरकार को की गई कार्रवाई का ज्ञापन तैयार करने तथा उसे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 20(2) तथा सितम्बर, 2006 में इसके संशोधन के तहत् अभिकल्पित प्रक्रिया के अनुरूप संसद के प्रत्येक सदन में पेश किए जाने हेतु केंद्र सरकार को सौंपी गई थी।

1.3. समीक्षाधीन अवधि के दौरान न्यायमूर्ति श्री एस0 राजेन्द्र बाबू, भारत के सर्वोच्च न्यायाल्य के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, इसके पाँचवें अध्यक्ष के रूप में पद पर बने रहे। उन्होंने 2 अप्रैल, 2007 को रा0 मा0 अ0 आयोग में पदभार सँभाला था। न्यायमूर्ति श्री जी.पी. माथुर एवं न्यायमूर्ति श्री बी0 सी0 पटेल क्रमशः 15 अप्रैल एवं 23 जुलाई, 2008 को सदस्य के रूप में आयोग में शामिल हुए। इस वर्ष में तीन सदस्यों नामतः श्री वाई. भास्कर राव, श्री आर.एस. काल्हा एवं श्री पी.सी. शर्मा की विदाई हुई जिन्होंने आयोग में 5 वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद पद त्याग किया। भूतपूर्व दो सदस्यों ने क्रमशः 25 जून तथा 11 सितम्बर, 2008 को अपना कार्यकाल पूरा किया जबकि बाद के सदस्य ने 2 मार्च, 2009 को अपना कार्यकाल पूरा किया। 2 मार्च, 2009 को श्री सत्यब्रत पाल ने आयोग में एक नए सदस्य के रूप में पद ग्रहण किया। 1972 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी श्री पाल रा.मा.अ. आयोग में पद संभालने से पूर्व दक्षिण अफ्रीका एवं पाकिस्तान के उच्चायुक्त थे। 25 मार्च, 2009 को आयोग के सदस्यों की संख्या पूरी हो गई क्योंकि श्री पी.सी. शर्मा को दूसरे कार्यकाल के लिए आयोग के सदस्य के रूप में दुबारा नियुक्त किया गया।

1.4. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम (पी.एच.आर.ए.) की धारा 3(3) के अनुसार राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ0 गिरिजा व्यास, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री मोहम्मद शफी कुरैशी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष डॉ0 बूटा सिंह तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्रीमती उर्मिला सिंह पी.एच.आर.ए. की धारा 12 के खण्ड (बी) से (जे) में विशेष रूप से उल्लिखित दायित्वों के निर्वहन के लिए मानद् सदस्य बने रहे।

1.5. श्री अखिल कुमार जैन, आई.ए.एस. प.बं–73 समीक्षाधीन अवधि के दौरान आयोग के महासचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करते रहे जबकि श्री सुनील कृष्ण, आई.पी.एस. (उ0 प्र0 : 73) ने श्री दामोदर षडंगी, आई.पी.एस. (प.बं. – 72) की सेवानिवृत्ति के पश्चात् महानिदेशक के रूप में उनका स्थान लिया। श्री ए. के. गर्ग आयोग में रजिस्ट्रार (विधि) बने रहे।

1.6. मौजूदा वार्षिक रिपोर्ट में पी.एच.आर.ए. द्वारा आयोग को दिए गए अधिदेश को पूरा करने में आयोग के प्रयासों का वर्णन है जिसका उद्देश्य देश में मानव अधिकारों का बेहतर संरक्षण एवं संवर्द्धन सुनिश्चित करना है। इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि आयोग के कार्य का वस्तुपरक मूल्यांकन भारत की जनता द्वारा होना चाहिए जिनके पास यह संस्कृति के बाहुल्य एवं अलग–अलग परिस्थितियों के बीच पहुँचने की इच्छा रखता है तथा जिनके लिए यह काम करना चाहता है। आयोग द्वारा निपटाए गए मामलों के विस्तार एवं उससे संबंधित विभिन्न अपेक्षाओं को देखते हुए इसके समग्र दृष्टिकोण एवं कार्य प्रणाली के संबंध में अलग–अलग विचार व्यक्त किए गए हैं।

1.7. जनता से इस प्रकार की मिश्रित प्रतिक्रिया कुल मिलाकर औचित्यपूर्ण है। साथ ही, यह इस तथ्य का भी संकेत करता है कि एक ऐसा संस्थान जिससे 16 वर्ष पूर्व तक लोग अनजान थे, अब देश की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है तथा इसकी शासन–प्रणाली की गुणवत्ता के लिए महत्वपूर्ण है।

1.8. प्रतिदिन, हमारे सैकड़ों नागरिक मानव अधिकारों के उल्लंघन से उपजी अपनी तकलीफों के समाधान के लिए आयोग के हस्तक्षेप की गुहार करते हैं। इस तथ्य से निरपेक्ष कि वहाँ राज्य मानव अधिकार आयोग हैं अथवा नहीं वे देश के सभी भागों से होते हैं। यह पुनः इस बात का द्योतक है कि संविधान द्वारा प्रत्याभूत तथा अंतरराष्ट्रीय दस्तावेजों, जिसका भारत एक पक्षकार है, में शामिल अधिकारों के प्रति जागरूकता कई गुना बढ़ी है।

1.9. निर्विवाद रूप से, रा.मा.अ. आयोग ने पूरे देश में मानव अधिकारों की संस्कृति को बहाल करने तथा उसे बढ़ावा देने में मुख्य भूमिका निभाई है। इस अर्थ में, विश्वास के साथ यह कहा जा सकता है कि देश में प्रजातंत्र एवं कानून के शासन के अर्थ को गूढ़ करने में आयोग ने अत्यधिक योगदान किया है। इसने निरन्तर यह सुनिश्चित किया है कि मानव अधिकारों के लिए अधिकार एवं दायित्व दोनों आवश्यक हैं। अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय कानून के तहत राज्यों का यह दायित्व है कि वे मानव अधिकारों का सम्मान करें, उनकी रक्षा करें तथा इन अधिकारों की पूर्ति करें। सम्मान करने के दायित्व का अर्थ यह है कि राज्यों को मानव अधिकारों के उपभोग में हस्तक्षेप करने अथवा उसमें कटौती करने से बचना चाहिए। रक्षा करने की बाध्यता में राज्यों के लिए अपेक्षित है कि वे मानव अधिकारों के उल्लंघन से व्यक्तियों एवं समूहों की रक्षा करें। पूरा करने के दायित्व का अर्थ है कि राज्यों को मूलभूत मानव अधिकारों के उपभोग को आसान बनाने के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिए। व्यक्तिगत स्तर पर भी, जब हमें मानव अधिकारों का हक प्राप्त है, तो हमें दूसरों के मानव अधिकारों का भी सम्मान करना चाहिए ताकि देश की अधिक–से–अधिक भलाई के लिए मानव अधिकारों के लिए न्याय एवं सम्मान साथ–साथ हो।

1.10. वस्तुतः इन्हीं चिन्ताओं ने रा.मा.अ. आयोग को इस बात पर जोर देने के लिए प्रेरित किया कि मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए दोषी व्यक्ति, चाहे वह देश के किसी भाग में हो, को उसके कृत्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। जब यह साफ हो जाएगा कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, केवल तभी गंभीर अपराध करने वाले एवं मानव अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए प्रवृत व्यक्यिों को ऐसा करने से रोका जा सकता है।

1.11. पूर्व की भाँति, वर्ष 2008–2009 के दौरान रा.मा.अ. आयोग एक तरफ नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों के लिए कार्य करता रहा, दूसरी तरफ आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों के लिए। इन सभी मामलों पर आयोग के विचारों एवं उसकी कार्रवाईयों का विस्तार से वर्णन आगे आने वाले अध्यायों में किया गया है। इन अध्यायों में अन्य बातों के साथ–साथ आंतकवाद एवं उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में मानव अधिकारों की रक्षा; हिरासत में हिंसा एवं उत्पीड़न, जेलों

की स्थिति एवं कैदियों की संख्या का विश्लेषण, पुलिस का क्रमबद्ध सुधार तथा आपराधिक न्याय प्रणाली सहित नागरिक स्वतंत्रता के व्यापक क्षेत्रों को शामिल किया गया है। वे मानव अधिकारों की रक्षा के लिए संगत कानूनों एवं अंतरराष्ट्रीय प्रपत्रों, स्वास्थ्य, भोजन एवं शिक्षा के अधिकार; महिलाओं एवं बच्चों के अधिकार; बाल एवं बंधुआ मजदूरी सहित समाज के कमजोर वर्गों के अधिकार मानव अधिकार शिक्षा एवं कार्यक्रम शुरू करने के प्रयास; शोध परियोजनाएँ एवं कार्यक्रम शुरू करने तथा गैर–सरकारी संगठनों के प्रयासों को बढ़ावा देने से सरोकार रखते हैं। इसके अतिरिक्त वार्षिक रिपोर्ट में रा.मा.अ. आयोग को सौंपी गई शिकायतों पर उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने में आयोग द्वारा किए गए प्रयासों का वर्णन है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान हल किए गए कुछ मुख्य मामलों के सारांश उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

1.12. रा.मा.अ. आयोग इस वार्षिक रिपोर्ट को अधिनियम की धारा 20 के अनुसार संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु केंद्र सरकार को पेश करता है।

(के0 जी0 बालाकृष्णन)
अध्यक्ष

(जी0 पी0 माथुर)	**(बी0 सी0 पटेल)**	**(सत्यब्रत पाल)**	**(पी0 सी0 शर्मा)**
सदस्य	**सदस्य**	**सदस्य**	**सदस्य**

9 सितम्बर, 2010
नई दिल्ली

मुख्य बिन्दु : 2008–2009

अध्याय – 2

2.1. मानव अधिकारों की रक्षा करना वास्तव में मनुष्य की गरिमा की रक्षा करना है। इसी उद्देश्य से देश में 1993 में रा.मा.अ. आयोग की स्थापना की गई थी। यह एक ऐसा उद्देश्य है जिसकी उत्पति न केवल आयोग के कानून बल्कि स्वयं संविधान से हुई है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 21, जैसाकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्याख्या की गई है, का तात्पर्य यह है कि भारत में रहने वाले सभी व्यक्ति को मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है।

2.2. इस रिपोर्ट सहित रा.मा.अ. आयोग की वार्षिक रिपोर्ट में उस उद्देश्य – मनुष्य की निष्ठा के लिए सम्मान को हासिल करने में आयोग के प्रयासों का वर्णन है। इसने एक और अवलोकन का रास्ता दिखाया हैः आयोग के लिए आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करना भी उतना ही आवश्यक है जितना नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर। इन अधिकारों की अविभाज्यता एवं उनकी अंतर्संबंधी प्रकृति एक सच्चाई है तथा उनके बीच एक सहजीविता है।

2.3. आगामी परिच्छेदों में अप्रैल, 2008 से मार्च, 2009 की अवधि के दौरान रा.मा.अ. आयोग की कुछ मुख्य घटनाओं एवं गतिविधियों पर प्रकाश डाला गया है।

रा.मा.अ. आयोग की बैठकें

2.4. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, पूर्ण आयोग ने 102 बैठकों/कोर्ट सुनवाईयों में मानव अधिकार उल्लंघनों के विभिन्न मामलों पर विचार किया एवं निर्णय लिया। अन्य कार्यक्रम एवं प्रशासनिक कार्यसूची के मदों पर 28 बैठकों में विचार किया गया। वैधानिक पूर्ण आयोग, जिसमें मानद सदस्य शामिल हैं, की बैठक भी एक बार हुई।

नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार

मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों का निपटान

2.5. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 90,946 मामले दर्ज किए गए तथा 1,03,996 मामले आयोग द्वारा निपटाये गए। बाद के आँकड़ो में गत वर्ष के मामले भी शामिल हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा वर्ष 2006–2007 से 2008–2009 तक दर्ज किए गए कुल मामलों का विस्तृत विवरण अगले पृष्ठ के ग्राफ में दिया गया है।

हिरासत में हिंसा की रोकथाम

2.6. रा.मा.अ. आयोग ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान न्यायिक हिरासत में मौतों के 1523 मामले, पुलिस हिरासत में मौत के 127 मामले तथा अर्द्धसैनिक/रक्षा बलों की हिरासत में मौत के 4 मामले प्राप्त किए। इसने हिरासत में हिंसा के 2,349 मामले निपटाए – जिसमें न्यायिक हिरासत में मौत के 2,147 मामले, पुलिस हिरासत में मौत के 201 मामले तथा अर्द्धसैनिक रक्षा बलों की हिरासत में मौत का एक मामला शामिल है। इन आँकड़ों में पिछले वर्ष के मामले भी शामिल है (अगले पृष्ठ पर ग्राफ देखें)।

वार्षिक रिपोर्ट में न्यायिक हिरासत का अर्थ अदालत के आदेशानुसार जेलों में रहने वाले व्यक्तियों से है।

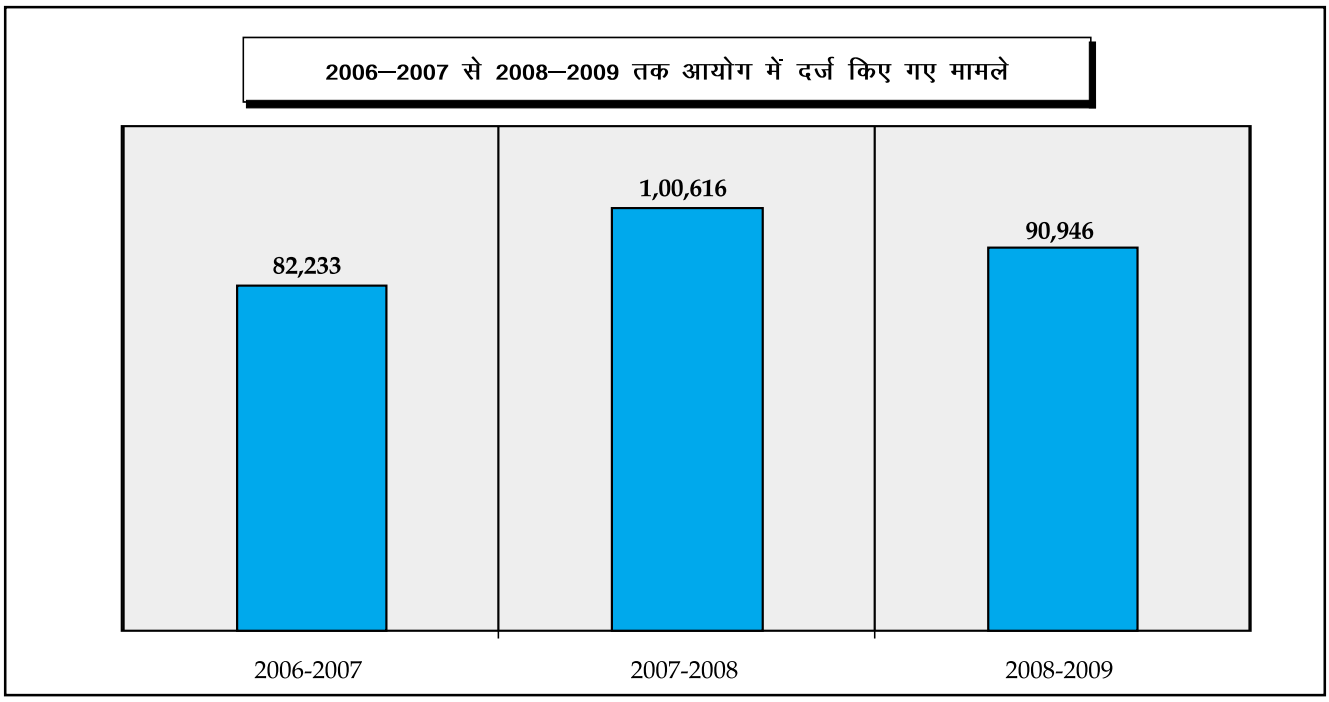

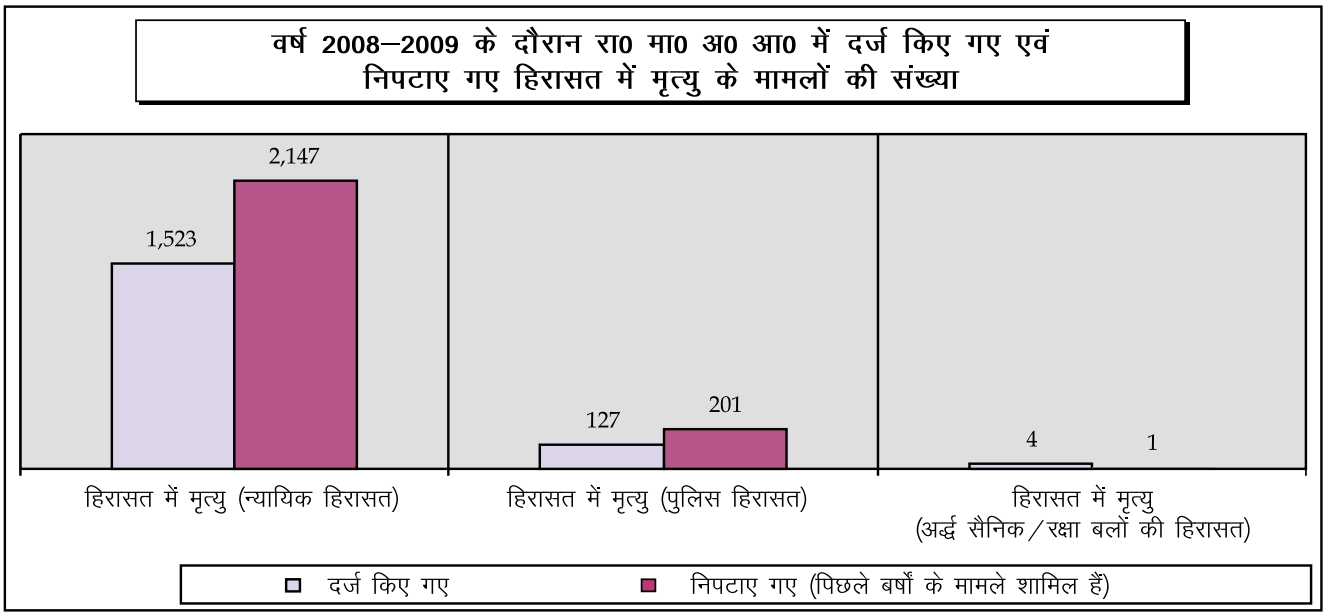

जेलों का निरीक्षण

2.7. आयोग के पाँच विशेष सम्पर्ककर्त्ताओं ने देश के विभिन्न राज्यों में स्थित 10 जेलों का दौरा किया। उनके द्वारा जिन जेलों का दौरा किया गया उनके नाम इस प्रकार हैं : मेघालय में शिलांग जिला जेल (जून एवं जुलाई 2008); चेन्नई में पुझल केन्द्रीय जेल I, II, एवं III, (जुलाई 2008); पुणे का यरवदा केंद्रीय कारागार (जुलाई 2008); मुंगेर जिला जेल तथा जमुई जेल, बिहार (अगस्त 2008); सिक्किम में रौंगयक केंद्रीय कारागार (सितम्बर 2008); खूँटी उपमण्डलीय जेल, झारखंड (सितम्बर, 2008); तेजपुर केंद्रीय जेल, असम (अक्तूबर 2008); अगौडा केंद्रीय जेल, गोवा (दिसम्बर, 2008); तथा

भवानीपटना जिला जेल, उड़ीसा। इन दौरों का मुख्य उद्देश्य इन जेलों की कार्य प्रणाली का निरीक्षण करने के साथ–साथ कैदियों के मानव अधिकारों की स्थिति का अध्ययन करना भी था।

आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार

स्वास्थ्य का अधिकार

2.8. ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी से निपटने के लिए एम.बी.बी.एस. के छात्रों के लिए एक वर्ष की ग्रामीण सेवा अनिवार्य करने के संबंध में आयोग के विचारों से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित सम्बासिव राव समिति को अवगत कराया गया था। सम्बसिवा राव समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह सुझाव दिया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्ति को आसान बनाने के लिए एम.बी.बी.एस. के छात्रों के लिए इन्टर्नशिप दूसरे वर्ष के लिए बढ़ाने की बजाए स्नातकोत्तर करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एक वर्ष तक गांव में काम करने को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। इस उद्देश्य हेतु छात्रों को संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अनुबंध के आधार पर एक वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा। इस बीच भारत सरकार ने भी रोजगार हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में एक वर्ष के लिए अनिवार्य रूप से तैनाती लागू करने का प्रस्ताव किया है।

मानसिक स्वास्थ्य

2.9. रा.मा.अ. आयोग ने देश में सम्मेलनों के आयोजन एवं मानसिक स्वास्थ्य अस्पतालों का दौरा कर मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के अधिकारों के संबंध में बेहतर समझ बनाने एवं जागरूकता फैलाने के प्रयासों को जारी रखा।

सिलिकोसिस का मुद्दा

2.10. 2008–2009 के दौरान सिलिकोसिस के मुद्दे पर अत्यधिक ध्यान दिया गया। रा.मा.अ. आयोग ने सिलिकोसिस की समस्या से संबंधित व्यक्तिगत शिकायतों की जाँच की तथा संघ सरकारों एवं राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को सिलिकोसिस की समस्या से संबंधित सूचना प्रदान करने तथा सिलिकोसिस से पीड़ित लोगों को उद्योगों/फैक्टरियों/खदानों/खानों द्वारा दिए जाने वाले मुआवजे सहित इस रोग के निदान एवं उपचार के लिए उनके द्वारा उठाए गए कदमों के संबंध में सूचना देने का निर्देश दिया।

मानव अधिकार जागरूकता एवं भारत के चयनित जिलों में मानव अधिकार कार्यक्रमों के प्रवर्तन के मूल्यांकन को सुकर बनाना

2.11. रा.मा.अ. आयोग ने भोजन, सुरक्षा, शिक्षा, हिरासत में न्याय, स्वास्थ्य, सफाई आदि जैसे मानव अधिकार के मुद्दों पर लोगों के बीच जागरूकता का प्रसार करने के लिए प्रत्येक राज्य से एक जिले को शामिल कर 28 पिछड़े जिलों का चयन किया। इस उद्देश्य से इसने स्कूलों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, अस्पतालों, पुलिस स्टेशनों, जेलों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत् कार्य कर रहे राशन की दुकानों का दौरा करने तथा बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा समाज के अन्य कमजोर वगों के सशक्तीकरण के लिए जिले में स्थित विभिन्न अन्य विभागों का क्षेत्र दौरा शुरू किया। साथ–साथ इसने ''मानव अधिकार जागरूकता तथा जिला स्तर प्रशासन पर मानव अधिकार कार्यक्रमों के प्रवर्तन के मूल्यांकन को आसान करने'' पर चिह्नित जिलों में सभी साझीदारों के साथ एक कार्यशाला का भी आयोजन किया।

2.12. समीक्षाधीन अवधि के दौरान, आयोग ने 9 जिलों का दौरा किया – चम्बा (हिमाचल प्रदेश), अम्बाला (हरियाणा), उत्तरी सिक्किम, जलपाईगुड़ी (पं0 बंगाल), धलिया (त्रिपुरा), दक्षिण गारो पहाड़ी (मेघालय), सोनभद्र (उत्तर प्रदेश), दंग (गुजरात) तथा दक्षिणी गोवा (गोवा)।

शिक्षा का अधिकार

2.13. 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 के कार्यान्वयन को आसान बनाने के लिए आयोग ने नई दिल्ली में 11–12 सितम्बर 2008 को शिक्षा के अधिकार पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया।

मानव अधिकार शिक्षा एवं जागरूकता

2.14. रा.मा.अ. आयोग द्वारा नई दिल्ली में 20 मार्च, 2009 को स्कूल स्तर पर मानव अधिकार शिक्षा पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य स्कूली पद्धति के मौजूदा शिक्षा पाठयक्रम में मानव अधिकार शिक्षा को शामिल करना था।

बच्चों एवं महिलाओं पर विशेष ध्यान सहित मनुष्य का अवैध व्यापार रोकने तथा उससे लड़ने के लिए एकीकृत कार्य योजना

2.15. आयोग ने बच्चों एवं महिलाओं पर विशेष ध्यान के साथ अवैध मानव व्यापार रोकने तथा उससे लड़ने के लिए एकीकृत कार्य योजना के मसौदे को अंतिम रूप दिया तथा उसे महिला एवं बाल विकास (एम.डब्ल्यू.सी.डी.) मंत्रालय, भारत सरकार को इस मामले में अपेक्षित कार्रवाई करने हेतु अग्रेषित किया। आई.एन.पी.ओ.ए. की एक कॉपी राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण आयोग (एन.सी.पी.सी.आर.) तथा श्रम मंत्रालय, भारत सरकार को भी उचित कार्रवाई करने हेतु भेजी गई।

बंधुआ मजदूरी तथा बाल मजदूरी प्रथा का उन्मूलन

2.16. आयोग देश में बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 तथा बाल श्रम (निषेध एवं नियमन) अधिनियम, 1986 के कार्यान्वयन की निगरानी करता रहा।

प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं कार्यशालाएँ

राष्ट्रीय

2.17. समीक्षाधीन अवधि के दौरान रा.मा.अ. आयोग द्वारा आयोजित किए गए कुछ मुख्य प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं कार्यशालाएँ इस प्रकार हैं : 'मानव अधिकारों पर मूलभूत प्रशिक्षण', 'मानव अधिकारों पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण', मानव अधिकारों पर उन्नत प्रशिक्षण', 'महिलाओं के मुद्दों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम' तथा 'अशक्तता एवं मानव अधिकार'। रा.मा.अ. आयोग ने भारतीय विदेश सेवा के परिवीक्षार्थियों के लिए दो दिवसीय संयोजन कार्यक्रम का भी संचालन किया। इसके अतिरिक्त आयोग में भर्ती किए गए नए अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए इन–हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के छात्रों के लिए एक–एक महीने की अवधि का ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन अंतर्शिक्षु कार्यक्रम तथा मानवाधिकारों के क्षेत्र में रूचि रखने वाले छात्रों के लिए अल्पावधि संयोजन कार्यक्रम का भी संचालन किया। समीक्षाधीन अवधि के दौरान आयोग के प्रशिक्षण प्रभाग द्वारा प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों, पुलिस प्रशिक्षण

संस्थानों, राज्य मानव अधिकार आयोगों, विश्वविद्यालयों, गैर सरकारी संगठनों तथा देश भर में अन्य संस्थानों के सहयोग से 114 प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाओं/संगोष्ठियो का आयोजन किया गया।

अंतरराष्ट्रीय

2.18. आयोग द्वारा संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त (ओ.एच.सी.एच.आर.) कार्यालय के सहयोग से 11–12 अक्तूबर, 2008 को नई दिल्ली में निरोध पर दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई।

अंतरराष्ट्रीय गतिविधियाँ

राष्ट्रीय संस्थानों की अंतरराष्ट्रीय समन्वय समिति की बैठक

2.19. आयोग ने 14 से 18 अप्रैल, 2008 तक जेनेवा में आयोजित मानव अधिकारों के संवर्द्धन एवं संरक्षण के लिए राष्ट्रीय संस्थानों की अंतरराष्ट्रीय समन्वय समिति के 20 वें सत्र में भाग लिया।

राष्ट्रीय संस्थानों का नवाँ अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन

2.20. अध्यक्ष की अध्यक्षता में भारत के रा.मा.अ. आयोग के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए राष्ट्रीय संस्थानों के नौवें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में 21–24 अक्तूबर, 2008 तक नैरोबी, केन्या में भाग लिया। इस सम्मेलन का विषय था 'एन.एच.आर.आई. तथा न्याय प्रबंध' जिसमें न्याय के प्रबन्ध में जबावदेही सुनिश्चित करने में एन.एच.आर.आई. की बढ़ती क्षमता पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इस सम्मेलन का आयोजन केन्या राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा ओ.एच.सी.एच.आर. तथा आई.सी.सी के सहयोग से किया गया था।

आई.सी.सी. का 22 वां सत्र

2.21. आई.सी.सी. का 22 वां सत्र 23 से 27 मार्च, 2009 तक जेनेवा में आयोजित किया गया था। भारत के रा.मा.अ. आयोग से एक तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल, जिसमें अध्यक्ष, महासचिव एवं निदेशक (अनुसंधान) शामिल थे, ने इसमें भाग लिया।

सार्वभौम आवधिक समीक्षा

2.22. 10 जून, 2008 को रा.मा.अ. आयोग की ओर से इसके संयुक्त सचिव द्वारा सार्वभौम आवधिक समीक्षा (यू.पी.आर.) के संबंध में भारत से संबंधित अंतिम निष्कर्ष को अंगीकार करने के संबंध में मानव अधिकार परिषद के 8 वें पूर्ण अधिवेशन में एक बयान दिया गया।

एन.एच.आर.आई. के एशिया प्रशांत मंच की वार्षिक बैठक

2.23. रा.मा.अ. आयोग भारत के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने कुवालालम्पुर में 28–31 जुलाई, 2008 तक हुए एन.एच.आर.आई. के प्रशांत मंच की 13 वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया।

राष्ट्रकुल मंच बैठक

2.24. आयोग के अध्यक्ष ने नैरौबी, केन्या में 20 अक्तूबर, 2008 को आयोजित राष्ट्रकुल मंच बैठक में भाग लिया।

*****

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग : संगठन और कार्य

अध्याय – 3

3.1 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एन एच आर सी) की स्थापना 12 अक्टूबर, 1993 को हुई। इसके कानून मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में निहित हैं जिसे मानव अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2006 के द्वारा संशोधित किया गया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन अक्टूबर, 1991 में मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन हेतु पेरिस में आयोजित की गई राष्ट्रीय संस्थानों की पहली अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला में अंगीकार किए गए तथा बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 20 दिसम्बर, 1993 के 48/134 संकल्प में पृष्ठांकित किये गए पेरिस सिद्धान्तों के अनुरूप है। आयोग मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के प्रति भारत की चिंता का मूर्त रूप है।

गठन

3.2 आयोग में एक अध्यक्ष और चार पूर्णकालिक सदस्य तथा चार मानद सदस्य होते हैं। कानून में आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए उच्च योग्यता निर्धारित की गई है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन

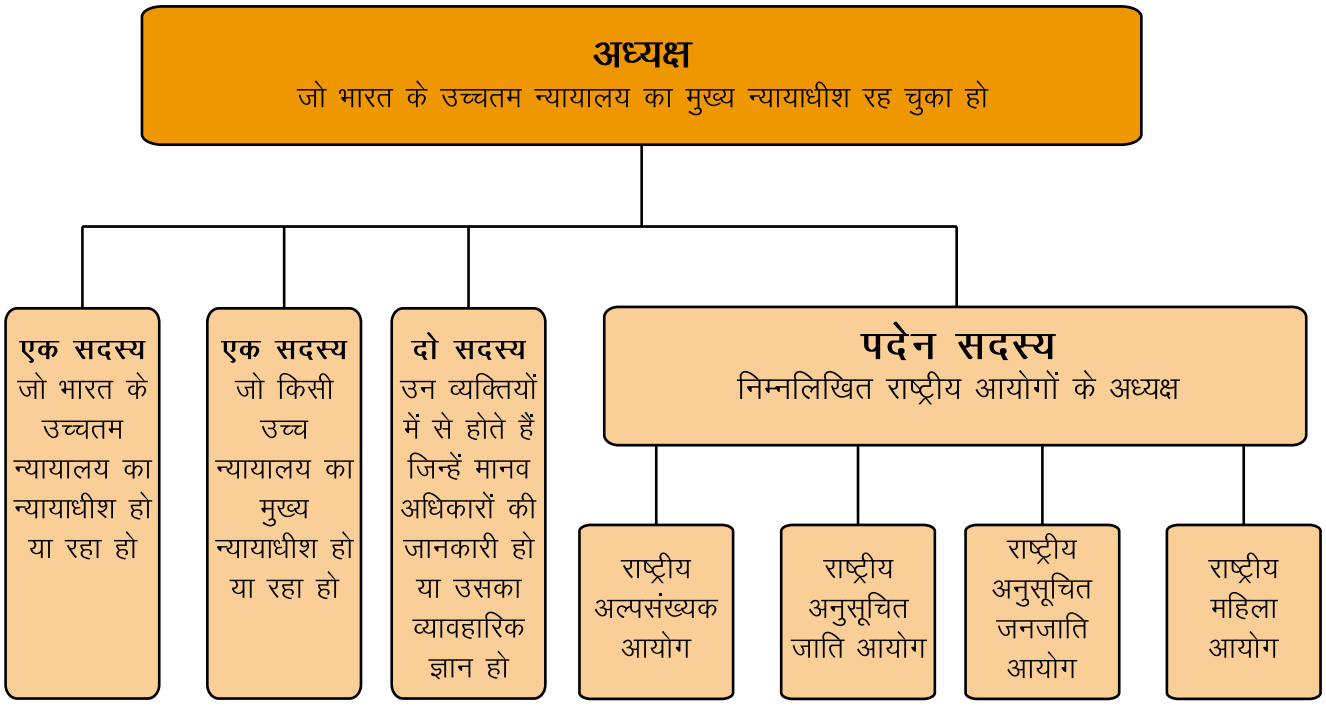

नियुक्तियाँ

3.3 आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों पर की जाती है जिसमें प्रधानमंत्री (अध्यक्ष के रूप में), लोकसभा के अध्यक्ष, भारत सरकार में गृह मंत्रालय के प्रभारी मंत्री, लोक सभा और राज्य सभा में विपक्ष के नेता और राज्य सभा के उप सभापति होते हैं।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हेतु चयन समिति

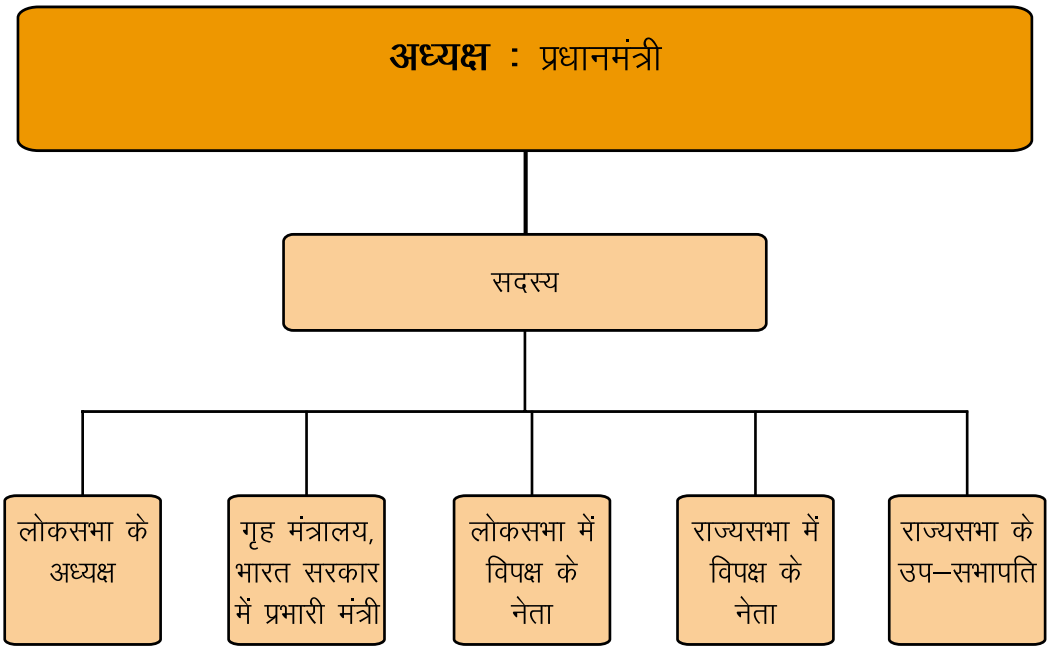

3.4 आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यता संबंधी निर्धारित किए गए वैधानिक अपेक्षाओं के साथ–साथ एक उच्चस्तरीय एवं राजनीतिक रूप से संतुलित समिति द्वारा उनके चयन से आयोग को स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है तथा इसकी कार्य–प्रणाली को एक उच्चस्तरीय विश्वसनीयता प्राप्त होती है।

3.5 आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी महासचिव होता है, जो भारत सरकार के सचिव स्तर का एक अधिकारी होता है। आयोग का सचिवालय महासचिव के व्यापक मार्गदर्शन के अधीन कार्य करता है।

3.6 आयोग में 6 प्रभाग हैं। वे हैं (i) विधि प्रभाग, (ii) अन्वेषण प्रभाग, (iii) नीतिगत अनुसंधान, परियोजना और कार्यक्रम प्रभाग, (पी.आर.पी. तथा पी. डिवीजन) (iv) प्रशिक्षण प्रभाग, (v) सूचना एवं जन संपर्क प्रभाग और (vi) प्रशासन प्रभाग है।

3.7 **विधि प्रभाग** मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों या स्वतः संज्ञान से पंजीकृत शिकायतों की प्राप्ति या प्राप्त सूचना के आधार पर मानव अधिकार हनन के मामलों का निपटान कर आयोग को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। **अन्वेषण प्रभाग** आयोग की ओर से पूरे देश में घटना स्थल पर जाकर जांच करता है। इसके अतिरिक्त यह शिकायतों की जाँच करने, पुलिस और अन्य अन्वेषण एजेंसियों से प्राप्त रिपोर्टों की छानबीन करने तथा हिरासत

में हिंसा या अन्य दुर्व्यवहार की रिपोर्टो की जाँच करने में आयोग की सहायता करता है। इसके अतिरिक्त, यह प्रभाग पुलिस मुठभेड़ में हुई मौतों सहित पुलिस एवं न्यायिक हिरासत में होने वाली मौतों के संबंध में राज्य प्राधिकारियों से प्राप्त सूचनाओं एवं रिपोर्टों का विश्लेषण करता है। यह पुलिस अथवा सशस्त्र बलों से संबंधित अन्य मामलों पर विशेषज्ञ सलाह भी देता है। इस प्रभाग ने तत्काल ध्यान दिए जाने तथा कार्रवाई किए जाने वाले शिकायतों के निवारण के लिए एक त्वरित कार्रवाई प्रकोष्ठ का गठन किया है। इसके अलावा, यह मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 12(एच) में परिकल्पित मानव अधिकार शिक्षा का प्रसार करने में प्रशिक्षण प्रभाग की सहायता करता है। नीतिगत अनुसंधान, परियोजना और कार्यक्रम प्रभाग मानव अधिकारों पर अनुसंधान कार्य करता है और उसे बढ़ावा देता है तथा मानव अधिकार संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों पर सम्मेलनों, संगोष्ठियों एवं कार्यशालाओं का आयोजन करता है। जब कभी आयोग अपनी सुनवाइयों, विचार–विमर्श के आधार पर या अन्यथा इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि कोई विशेष विषय महत्त्व का है तो उसे पी.आर.पी. एवं पी. प्रभाग द्वारा विचार किए जाने वाले परियोजना/कार्यक्रम में तब्दील कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, यह मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए प्रवृत नीतियों, कानूनों, संधियों एवं अन्य अन्तरराष्ट्रीय प्रसंविदाओं की समीक्षा करता है। यह केन्द्र और राज्य/संघ–राज्य क्षेत्रों के प्राधिकारियों द्वारा आयोग की संस्तुतियों पर किए गए कार्यान्वयन के अनुवीक्षण में भी सहायता करता है। **प्रशिक्षण प्रभाग** राज्य और इसके अभिकरणों के विभिन्न अधिकारियों, गैर–सरकारी संगठनों, विद्यार्थियों और सिविल समाज इत्यादि को मानव अधिकारों के संबंध में प्रशिक्षण देने और उसके प्रति उन्हें संवेदनशील बनाने हेतु कार्य करता है। **सूचना और जनसंपर्क विभाग** प्रिंट और इलक्ट्रानिक मीडिया के जरिए आयोग की गतिविधियों के संबंध में सूचना का प्रसार करता है । यह एक मासिक मानव अधिकार समाचार–पत्र और आयोग के अन्य प्रकाशनों को भी प्रकाशित करता है। इसके अतिरिक्त, यह सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत् प्राप्त आवेदनों एवं प्रार्थनाओं की जाँच भी करता है। **प्रशासन प्रभाग**, स्थापना, प्रशासन तथा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की जरूरतों का भी ध्यान रखता है। यह कार्मिक, (जिसमें संवर्ग मामले भी शामिल हैं), लेखा, पुस्तकालय तथा आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों की अन्य जरूरतों को भी देखता है।

3.8 विशेष सम्पर्ककर्त्ताओं की नियुक्ति और कोर एवं विशेषज्ञ समूहों के गठन से आयोग के विस्तार क्षेत्र में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। विशेष सम्पर्ककर्त्ता बहुत अधिक वरिष्ठ अधिकारी होते हैं जो अपनी सेवानिवृत्ति से पहले भारत सरकार के सचिव या पुलिस महानिदेशक के रूप में कार्य कर चुके होते हैं या जिन्होंने मानव अधिकार संबंधी क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य किए हों। इन्हें या तो विशिष्ट विषयों जैसे बंधुआ मजदूरी, बाल मजदूरी, हिरासतीय न्याय, अशक्तता इत्यादि से निपटने का कार्य दिया जाता है या राज्य समूहों से बने विशिष्ट अंचल सौंपे जाते हैं ताकि वे मानव अधिकार विषयों और उसके उल्लंघन के मामलों की जाँच कर सकें।

3.9 कोर/विशेषज्ञ समूह में विख्यात व्यक्ति या मानव अधिकार मामलों पर कार्य कर रहे निकायों के प्रतिनिधि होते हैं। ये समूह आयोग को विभिन्न मामलों पर विशेषज्ञ सलाह प्रदान करते हैं।

- स्वास्थ्य संबंधी कोर सलाहकार समूह
- मानसिक स्वास्थ्य पर कोर समूह
- अशक्तता संबंधी मामलों पर कोर समूह

- गैर–सरकारी संगठनों का कोर समूह
- विधिवक्ताओं का कोर समूह
- भोजन के अधिकार पर कोर समूह
- आपातकालीन चिकित्सा देखरेख संबंधी विशेषज्ञ समूह
- शरणार्थियों पर विशेषज्ञ समूह
- सिलिकोसिस संबंधी विशेषज्ञ समूह
- असुरक्षित दवाओं तथा चिकित्सा उपायों पर विशेषज्ञ समूह

कार्य

3.10 आयोग का शासनादेश काफी व्यापक है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 12 में निहित इसके कार्य इस प्रकार हैं :–

- (i) मानव अधिकारों के उल्लंघन या उसके दुष्प्रेरण की शिकायत या (ii) इस प्रकार के उल्लंघन को रोकने में सरकारी कर्मचारी द्वारा की गई उपेक्षा का स्वतः संज्ञान लेते हुए जाँच करना या पीड़ित व्यक्ति या उसकी तरफ से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत याचिका या किसी न्यायालय के निर्देश या आदेश पर जाँच करना।
- किसी न्यायालय के समक्ष लम्बित, मानव अधिकार के उल्लंघन से संबंधित किसी भी आरोप के संबंध में किसी प्रक्रिया में उस न्यायालय की अनुमति से हस्तक्षेप करना।
- मौजूदा समय में लागू किसी अन्य कानून में निहित किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी जेल या अन्य संस्थान, जहां पर व्यक्तियों को उपचार, सुधार या संरक्षण के लिए बंदी बनाकर रखा जाता है, में कैद व्यक्तियों की जीवन–यापन की स्थिति का अध्ययन करने एवं तत्पश्चात् सरकार को सिफारिश करने हेतु, जेल या संस्थान का दौरा करना।
- मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए, संविधान द्वारा अथवा मौजूदा समय में लागू किसी कानून के तहत उपबन्धित सुरक्षोपायों की समीक्षा करना और उनके प्रभावी कार्यान्वयन हेतु उपाय सुझाना।
- आतंकी कारनामों सहित अन्य कारकों, जिनसे मानव अधिकारों के उपभोग में बाधा पहुँचती है, की पुनरीक्षा करना और उचित सुधारात्मक उपाय सुझाना।
- मानव अधिकार संबंधी समझौतों और अन्य अंतरराष्ट्रीय दस्तावेजों का अध्ययन करना और उनके कारगर कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें करना।
- मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य करना और उसे बढ़ावा देना।
- प्रकाशनों, मीडिया, विचार गोष्ठियों और अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानव अधिकारों संबंधी शिक्षा का प्रसार करना और इन अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध सुरक्षोपायों के बारे में जानकारी को बढ़ावा देना।

- मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्यरत गैर–सरकारी संगठनों और संस्थाओं के प्रयासों को बढ़ावा देना।
- मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए, आवश्यक समझे जाने वाले ऐसे ही अन्य कार्य करना।

शक्तियाँ

3.11 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, के अंतर्गत शिकायतों की जाँच करते हुए आयोग को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत किसी वाद की जाँच कर रहे दीवानी न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्राप्त हैं।

विशिष्ट लक्षण

3.12 आयोग को वर्ष 1993 में राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंगीकार किए गए पेरिस सिद्धांतों के पूर्णतः अनुकूल बनाया गया है। इसका शासनादेश एवं कार्य क्षेत्र काफी व्यापक है। आयोग ने अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए पारदर्शी तरीके एवं प्रक्रियाएँ तैयार की है।

*****

मानव अधिकार उल्लंघन के मामले

अध्याय – 4

क. शिकायतों की संख्या एवं उनकी प्रकृति

4.1. रा.मा.अ. आयोग के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक स्वतः प्रेरणा पर अथवा किसी पीड़ित या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत याचिका पर अथवा किसी अदालत के आदेश या निर्देश पर, मानव अधिकार के उल्लंघन या उसके दुष्प्रेरण; अथवा किसी लोक सेवक द्वारा ऐसे उल्लंघन को रोकने में लापरवाही की शिकायत की जाँच करना है। आयोग ने शिकायतों को प्राप्त करने एवं उनसे निपटने के लिए एक सरल प्रक्रिया तैयार की है। रा.मा.अ. आयोग में कोई शिकायत डाक द्वारा अथवा फोन द्वारा या स्वयं आकर दर्ज कराई जा सकती है। 10 दिसम्बर, 2008 को मानव अधिकार दिवस समारोह के अवसर पर आयोग में इलेक्ट्रनिक फार्मेट में शिकायत दर्ज करने की प्रणाली भी शुरू की गई। रा. मा.अ. आयोग शिकायत दर्ज करने के लिए लोगों से कोई शुल्क नहीं लेता।

4.2. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान रा.मा.अ. आयोग के पास जाँच के लिए कुल 1,20,595 मामले थे। इनमें से 29,649 मामले (अनुलग्नक – 1) वैसे थे जो पिछले वर्षों से लिए गए थे। नए दर्ज किए गए मामलों की संख्या 90,946 (अनुलग्नक – 2) थी। इसने 1,03996 मामलों का निपटान किया (अनुलग्नक – 3)।

4.3. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान जो नए मामले दर्ज किए गए थे, उनमें 89,126 मामले कथित मानव अधिकार उल्लंघन की शिकायतें थी। 1,654 मामले हिरासत में हिंसा की सूचना से संबंधित थे तथा 121 मामले पुलिस मुठभेड़ से संबंधित थे। आयोग द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार पुलिस एवं न्यायिक हिरासत में होने वाली प्रत्येक मौत की रिपोर्ट इस तथ्य से निरपेक्ष कि ऐसी मौत स्वाभाविक परिस्थितियों में हुई है अथवा अन्यथा हुई है, मानव अधिकार के दृष्टिकोण से जाँच के लिए 24 घंटे के भीतर की जानी होती है। 2008–2009 के दौरान हिरासत में जिन मौतों की रिपोर्ट की गई थी, उनमें से 4 मौतें कथित रूप से रक्षा/अर्द्ध सैनिक बलों की हिरासत में, 127 मौतें पुलिस हिरासत में तथा 1,523 मौतें न्यायिक हिरासत में हुई थीं। न्यायिक हिरासत में होने वाली अधिकांश मौतें बीमारी से अथवा वृद्धावस्था के कारण हुई थीं।

4.4. वर्ष 2007–2008 के दौरान आयोग में दर्ज किए गए मामलों की संख्या की तुलना में वर्ष 2008–2009 के दौरान दर्ज किए गए मामलों की संख्या में सापेक्ष कमी हुई है। इसका मुख्य श्रेय रा.मा.अ. आयोग में शिकायत प्रबन्धन प्रणाली को सुदृढ़ करना एवं उसमें सुधार लाने को दिया जा सकता है जिसके कारण शिकायत दर्ज करने की पूरी प्रक्रिया व्यवस्थित हो गई है। इसका एक अन्य कारण दूसरे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य मानव अधिकार आयोगों की स्थापना हो सकता है। इन सकारात्मक प्रगतियों के बावजूद गत वर्षों की भाँति, सर्वाधिक शिकायतें – 53,492, उत्तर प्रदेश राज्य से दर्ज की गईं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली 5,433 शिकायतों के साथ दूसरे नम्बर पर था, जिसके बाद 4,321 शिकायतों के साथ महाराष्ट्र का स्थान था। रिपोर्ट की गई अवधि के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली का कोई राज्य मानव अधिकार आयोग नहीं था।

4.5. रिपोर्टिंग अवधि के अन्त में अर्थात् 31 मार्च, 2009 को रा.मा.अ. आयोग के समक्ष लंबित मामलों की कुल संख्या 18,146 थी। इनमें से 1,547 मामले वैसे थे जिन पर प्राथमिक विचार किया जाना था तथा 16,599 मामले वैसे थे जिसमें या तो संबंधित प्राधिकारियों से रिपोर्ट आना बाकी था अथवा जिन पर आयोग द्वारा आगे विचार किया जाना था (अनुलग्नक–4)।

4.6. 2008–2009 के दौरान निपटाए गए कुल 1,03,996 मामलों में से 63,160 को आरंभ में ही खारिज कर दिया गया, जबकि 17,587 मामलों का निपटान उचित प्राधिकारियों को सुधारात्मक उपाय करने के निर्देश के साथ किया गया। (अनुलग्नक–3)

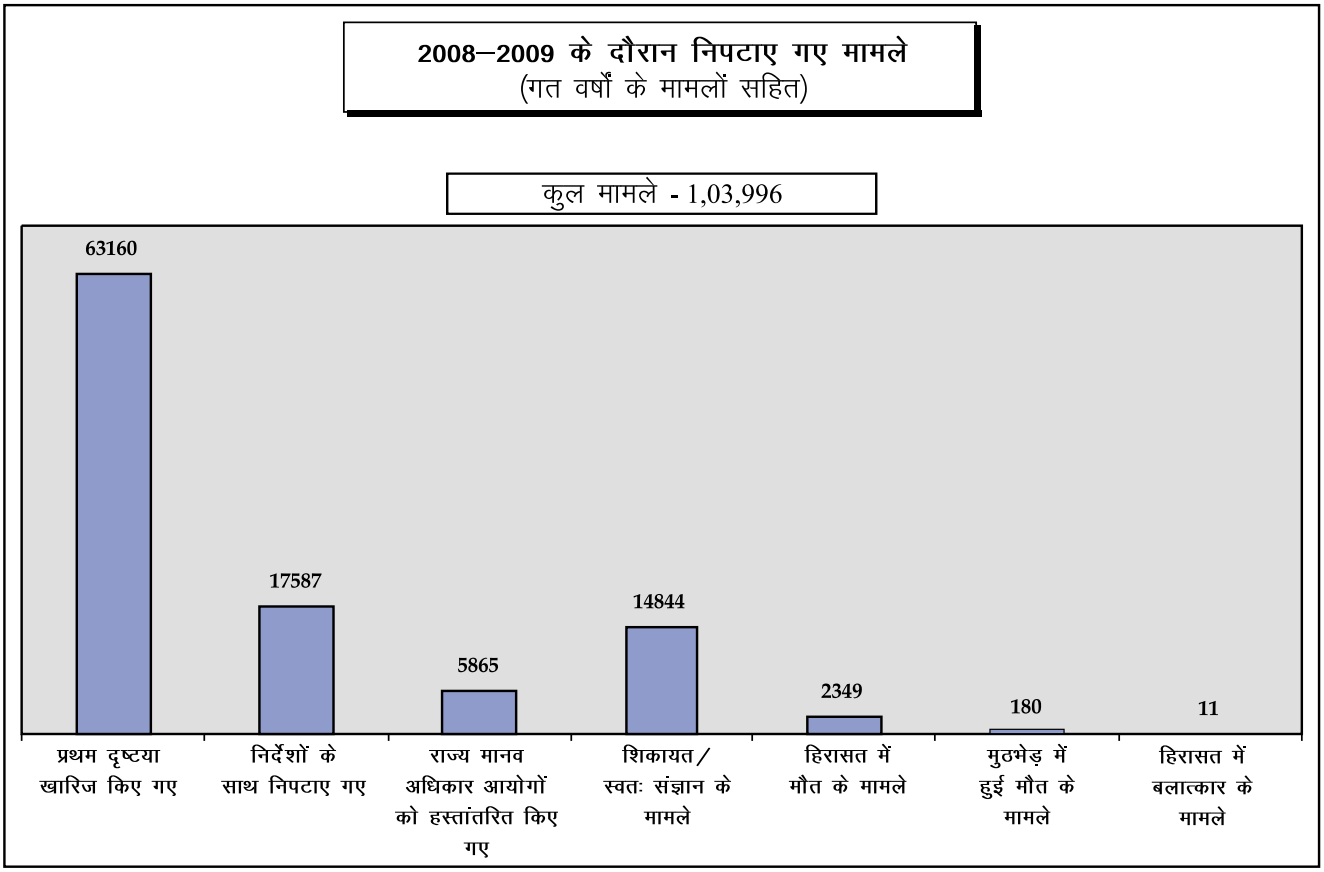

4.7. आयोग ने संबंधित प्राधिकारियों से रिपोर्ट माँगने के पश्चात् हिरासत में मौत से संबंधित 2,349 मामले, हिरासत में बलात्कार से संबंधित 11 मामले, मुठभेड़ में मौत के 180 मामले तथा 14,844 अन्य मामले भी निपटाए (नीचे ग्राफ देखें)। अन्य मामलों में कथित रूप से गायब होने (35), अवैध निरोध/अवैध गिरफ्तारी (2,527), कथित रूप से झूठे मामले में फँसाने (427), हिरासत में हिंसा (11), तथाकथित 'फर्जी मुठभेड़' (84) उचित कार्रवाई करने में विफल रहने (2,269) तथा पुलिस अत्याचार से संबंधित अन्य कथित शिकायतें (3823) शामिल थीं। राज्य/संघ शासित क्षेत्र वार ब्यौरा अनुलग्नक–5 में दिया गया है।

4.8. समीक्षाधीन अवधि के दौरान आयोग ने बड़ी संख्या में महिलाओं के अधिकारों से संबंधित शिकायतों का निपटान किया। इसने महिलाओं की गरिमा के हनन (100), यौन उत्पीड़न (82), अपहरण, बलात्कार तथा हत्या (420); दहेज हत्या

2008–2009 के दौरान पुलिस से संबंधित रिपोर्ट मामलों का निपटान
(श्रेणी वार) (इसमें पिछले वर्षों के मामले भी शामिल हैं)

कुल मामले - **9,176**

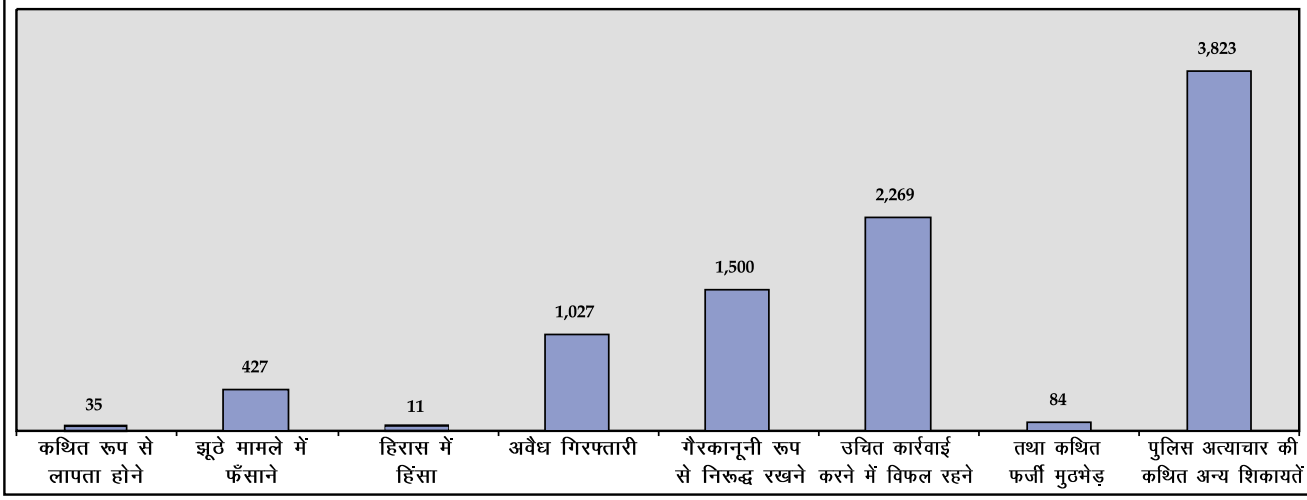

2008–2009 के दौरान महिलाओं से संबंधित रिपोर्ट मामलों का निपटान
(श्रेणी–वार) (इसमें पिछले वर्षों के मामले शामिल हैं)

कुल मामले - **1,365**

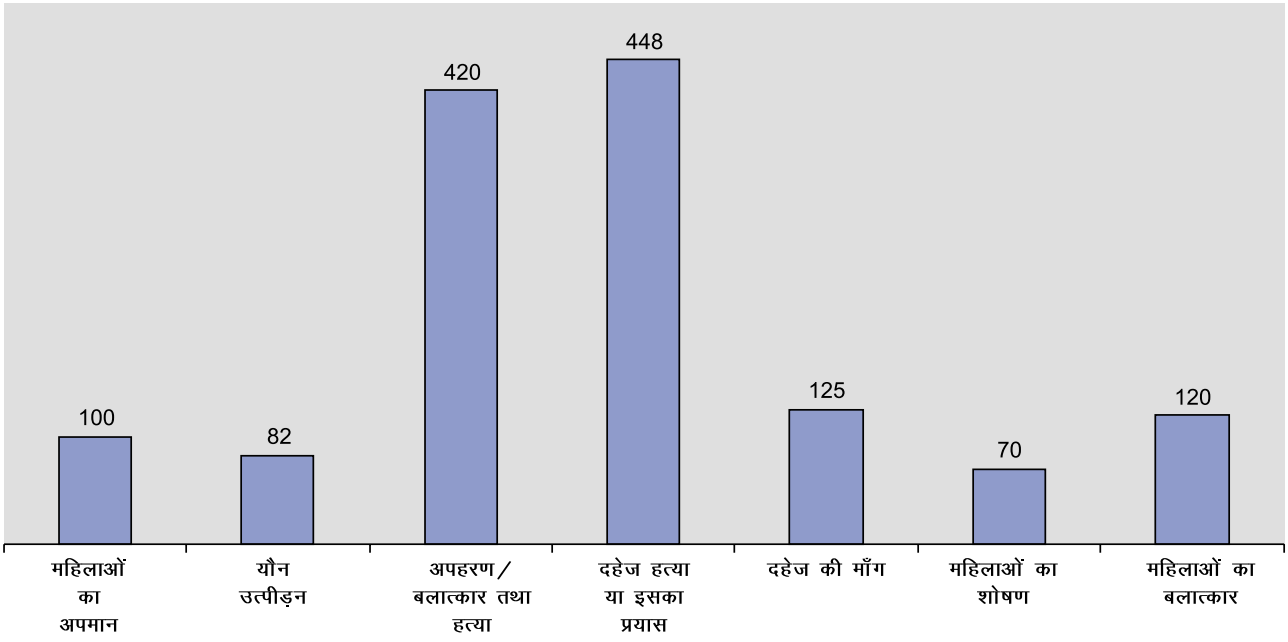

रिपोर्ट मामले वैसे मामले हैं जो आरंभ में ही खारिज किए गए अथवा निर्देश के साथ निपटाए गए अथवा राज्य मानव अधिकार आयोगों को स्थानांतरित किए गए मामलों से अलग हैं।

(448); दहेज की माँग (125); शोषण (70) तथा बलात्कार (120) के आरोपों से संबंधित मामलों का निपटान किया। विस्तृत जानकारी के लिए अनुलग्नक 5 देखें। आयोग ने बाल मजदूरी से संबंधित 30 मामलों, बाल विवाह से संबंधित 30 मामलों तथा बंधुआ मजदूरी से संबंधित 156 मामलों का भी निपटान किया। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार ब्यौरा अनुलग्नक–5 में दिया गया है। नीचे दिया गया ग्राफ भी देखिए।

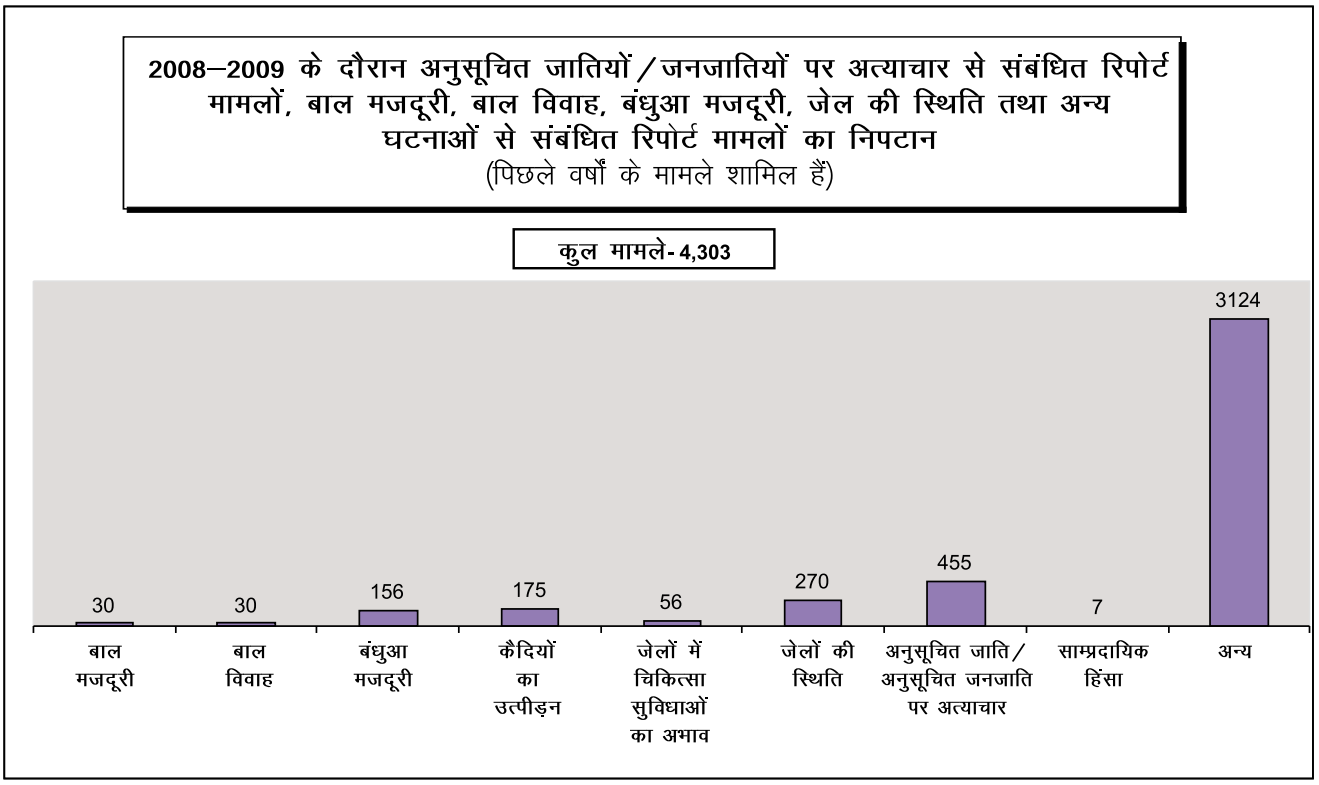

4.9. आयोग ने जेलों की स्थितियों से संबंधित शिकायतों पर भी विचार किया। इसने कैदियों के उत्पीड़न के आरोपों के 175 मामलों, जेलों में चिकित्सा सुविधाओं के अभाव के आरोपों के 56 मामलों तथा जेलों की स्थितियों के अन्य पहलुओं से संबंधित 270 मामलों का निपटान समुचित सिफारिश देने के साथ किया। विस्तृत विवरण के लिए अनुलग्नक–5 देखें।

4.10. उपरोक्त के अतिरिक्त, आयोग द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के प्रति अत्याचार के आरोपों के 455 मामलों के साथ–साथ साम्प्रदायिक हिंसा के 7 मामलों तथा अन्य घटनाओं से संबंधित 3,124 मामलों को भी निपटाया गया। विस्तृत विवरण के लिए अनुलग्नक–5 देखें।

4.11. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (पी.एच.आर.ए.) इस आधारवाक्य पर आधारित है कि केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों द्वारा रा.मा.अ. आयोग को पूरा सहयोग दिया जाएगा। अतः केंद्र एवं राज्य के लिए यह आवश्यक है कि वे मानव अधिकार उल्लंघन से संबंधित मामलों का निपटान शीघ्र एवं कार्यकुशल ढंग से करने के इसके प्रयासों में आयोग को सहयोग प्रदान करे ताकि अधिनियम के तहत् अभिकल्पित मानव अधिकारों का बेहतर संरक्षण सुनिश्चित हो सके। आयोग यह दोहराना चाहेगा कि रिपोर्ट के लिए इसके द्वारा किए गए अनुरोध पर केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा

शीघ्र उत्तर देना बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त अयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर उन्हें अविलम्ब कार्रवाई करने की जरूरत है ताकि लोगों का विश्वास कायम रह सके।

ख. 2008–2009 के दृष्टान्त मामले

(अ) हिरासत में हिंसा

1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में न्यायिक हिरासत में विचाराधीन कैदी मोमीन की मृत्यु (मामला सं0 2098/30/2004–2005–सी डी)

4.12. 16 अगस्त, 2004 को आयोग को एक विचाराधीन कैदी, 36 वर्षीय मोमीन, सुपुत्र बारिस अली की मौत के संबंध में जिला जेल सं. 4, तिहाड़, नई दिल्ली के अधीक्षक से सूचना प्राप्त हुई। इसने संबंधित अधिकारियों से पोस्ट मार्टम रिपोर्ट (पी.एम.आर.) तथा मजिस्टैरियल जाँच रिपोर्ट (एम.ई.आर) सहित आवश्यक रिपोर्टों की माँग की।

4.13. एम.ई.आर. में यह खुलासा हुआ कि 26 अक्तूबर, 2005 को आई.पी.सी. की धारा 302/201 के तहत् एक मामला दर्ज किया गया था। 4 जुलाई, 2008 को आयोग ने कहा कि संबंधित जेल अधिकारी प्रथम दृष्टया मोमिन के मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार थे जिसके कारण उसकी मौत हुई। इसने पी.एच.आर.ए. की धारा 18(सी) के तहत् मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को कारण बताने का अनुरोध करते हुए नोटिस जारी किया कि मृतक के नजदीकी रिश्तेदार को तत्काल वित्तीय राहत की सिफारिश क्यों न की जाए।

4.14. उप सचिव, गृह, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने उत्तर में कहा कि कथित मामले को आर्थिक राहत प्रदान करने के लिए उचित मामला नहीं माना जा सकता। गुरचरण कौर बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एवं अन्य से संबंधित रिट याचिका (दंड) सं0 980/2003 में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को उद्धृत करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा मुआवजा न दिए जाने के लिए जो कारण बताया गया वह यह था कि पीड़ित के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं हुआ था न ही यह हिरासत में यातना का मामला था।

4.15. आयोग ने कहा कि आसन्न मामले में, मजिस्ट्रेट ने अपनी जाँच रिपोर्ट में यह भी निष्कर्ष दिया था कि मोमिन के प्रति जेल अधिकारियों द्वारा हिंसक कार्रवाई की गई थी जिसके परिणामस्वरूप उसकी मौत हो गई। इस प्रकार यह एक ऐसा स्पष्ट मामला था जहाँ किसी व्यक्ति के मानव अधिकारों का हनन हुआ था तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा बताया गया कारण औचित्यपूर्ण नहीं था। 27 नवम्बर, 2008 को इस मामले पर विचार करते हुए आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से सिफारिश की कि वह मृतक के नजदीकी रिश्तेदार को 1,00,000 रू0 का भुगतान करे तथा भुगतान के प्रमाण सहित अनुपालन रिपोर्ट सौंपे।

4.16. उसका अनुपालन किया गया तथा इस मामले को बंद कर दिया गया ।

2. ओटपल्लम उप जेल, पल्लाकड, केरल में विचाराधीन कैदी राधाकृष्णन की मृत्यु (मामला सं 295 (11) 2000–2001–सी डी)

4.17. केरल के पल्लाकड़ जिले में ओटपल्लम उपजेल में बंदी विचाराधीन कैदी राधाकृष्णन को शराब की लत थी। एक दिन जब वह न्यायिक हिरासत में था तो उसमें बेहोशी के लक्षण दिखाई दिए तथा वह बेचैन हो गया। विचाराधीन कैदी को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से, जेल अधिकारियों ने उसे नियंत्रित करने के लिए बल का प्रयोग किया ताकि उसे इंजेक्शन दिया जा सके। इसके बाद हुई धींगामुश्ती में राधाकृष्णन की पसलियाँ टूट गई तथा उसकी मौत हो गई।

4.18. रा.मा.अ. आयोग ने कहा कि जेल अधिकारियों को कैदी को इंजेक्शन देने के लिए बल का प्रयोग आवश्यक लगा होगा किन्तु निर्मम तरीके से बर्ताव करने को किसी भी तरह न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता जिसके कारण उसकी मौत हो गई। विचाराधीन कैदी के साथ सावधानीपूर्वक बर्ताव किया जा सकता था। इस प्रकार मृतक के नजदीकी रिश्तेदार को रा.मा.अ. आयोग द्वारा 2,00,000 रू0 मुआवजा भुगतान करने की सिफारिश की गई।

3. जिला जेल, बालासोर, उड़ीसा में विचाराधीन कैदी तकला की मृत्यु
(मामला सं. 494/18/1/2007–2008–सी.डी.)

4.19. तकला नामक एक विचाराधीन कैदी को उड़ीसा के बालासोर, जिला जेल में रखा गया था। वह नशे का आदी था। नशामुक्ति से होने वाले परिणाम के कारण, उसने 27 अगस्त, 2007 को जेल में उच्छृंखल बर्ताव किया। विचाराधीन कैदी के उधमी व्यवहार को देखकर, डयूटी पर तैनात वार्डन ने उसके हाथों को पीछे बाँध दिया तथा उसे तीन घंटों तक खड़ा रखा। तकला उस तनाव को सह नहीं पाया तथा उसकी मृत्यु हो गई।

4.20. उसकी मौत की सूचना मिलने पर, आयोग ने राज्य सरकार से अपेक्षित रिपोर्ट माँगी। राज्य सरकार ने वार्डन की कार्रवाई का बचाव करते हुए दलील दी कि उसने बेकाबू कैदी को नियंत्रण में लाने के लिए सद्भावना से कार्य किया था। राज्य सरकार की दलील को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि कैदी से पेश आने के बेहतर तथा सभ्य तरीके भी थे। उदाहरण के लिए, किसी डॉक्टर को बुलाया जा सकता था तथा विचाराधीन कैदी को शांत करने की दवाई दी जा सकती थी। आयोग ने महसूस किया कि कैदी के हाथों को उसकी पीठ के पीछे बाँधना तथा उसे तीन घंटों से अधिक समय तक खड़ा रखना वार्डन के द्वारा किया गया निहायत अमानवीय कृत्य था। तीन घंटों से अधिक समय तक खड़े रहने से उपजी थकान तथा पीड़ा के कारण संभवतः उसे हृदयाघात हुआ होगा तथा इस वजह से विचाराधीन कैदी की मृत्यु हुई होगी। आयोग ने सिफारिश की कि मृतक के नजदीकी रिश्तेदार को 1,00,000 रु0 के आर्थिक मुआवजे का भुगतान किया जाए।

4.21. अनुपालन रिपोर्ट तथा भुगतान का प्रमाण प्राप्त हो चुका है। यह मामला आयोग द्वारा बन्द किया जा चुका है।

4. रूद्रपुर, उत्तराखंड में सरकारी निरीक्षण गृह में किशोर की मृत्यु
(मामला सं. 43/35/12/2007–2008–सी.डी.)

4.22. मूलचंद नामक एक किशोर को उत्तराखंड के, उद्यम सिंह नगर जिले के रूद्रपुर में राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे एक निरीक्षण गृह में भेजा गया था। वहाँ उसने सीलिंग फैन से लटक कर आत्महत्या कर ली। रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने पर आयोग ने कहा कि निरीक्षण गृह के सुरक्षा एवं वार्ड कर्मचारी लापरवाह थे तथा सतर्क नहीं थे। डयूटी पर तैनात गार्ड की लापरवाही के लिए रा.मा.अ. आयोग ने सिफारिश की कि राज्य सरकार को मृतक के नजदीकी रिश्तेदार को आर्थिक राहत के रूप में 1,00,000 रु0 का भुगतान करना चाहिए।

4.23. अनुपालन रिपोर्ट तथा भुगतान का प्रमाण प्राप्त हो चुका है। इस प्रकार यह मामला आयोग द्वारा बन्द कर दिया गया।

5. तिरूचिरापल्ली में चिकित्सीय देखभाल में लापरवाही के कारण पुलिस हिरासत में बालाकृष्णन की मौत
(मामला सं. 124/22/2004–2005–सी.डी.)

4.24. बालाकृष्णन शराब के गोरखधंधे में शामिल था। उसे 12 नवम्बर, 2006 को त्रिचरापल्ली जिले में स्थित उसके गाँव से पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। जब उसे पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा था, उसने पेट में दर्द की शिकायत

की। पुलिस उसे नजदीकी दवाखाना/स्वास्थ्य केंद्र ले जाने की बजाए के.एम.सी. अस्पताल ले गई जो 25 किलोमीटर की दूरी पर था। यह विलम्ब उस कैदी के लिए घातक सिद्ध हुआ क्योंकि इससे उसकी मौत हो गई। बालाकृष्णन को ले जाने वाले पुलिस अधिकारियों पर एम.ई.आर. में लापरवाही का आरोप लगाया गया। आयोग ने कहा कि कैदी को तत्काल चिकित्सीय सहायता देने में हुई चूक के कारण राज्य की यह जवाबदेही बन जाती है कि वह मृतक के नजदीकी रिश्तेदार को आर्थिक राहत दे। इस प्रकार आयोग द्वारा मृतक के नजदीकी रिश्तेदार को 1,00,000 रुपये के मुआवजे की सिफारिश की गई।

4.25. इस मामले में आयोग द्वारा निर्धारित सिद्धांत यह था कि किसी व्यक्ति को उसके मानव अधिकारों से सिर्फ इसलिए वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि उसे हिरासत में लिया गया है। हिरासत में रखे गए व्यक्ति को भी तत्काल एवं पर्याप्त चिकित्सीय देखभाल का उतना ही हक है जितना कि किसी स्वतंत्र व्यक्ति को।

6. पुलिस द्वारा शादी की एक पार्टी में खाना चुराते हुए पकड़े गए एक बच्चे की मृत्यु (मामला सं. 952/19/2002–2003–सी.डी)

4.26. 21 जनवरी, 2003 को जालंधर, पंजाब में शादी की एक पार्टी में दो किशोर खाना चुराते हुए पकड़े गए। उन्हें पुलिस पोस्ट, भार्गों पर पुलिस के हवाले किया गया। दोनों बच्चों की पुलिस पोस्ट पर बेरहमी से पिटाई की गई जिसके कारण एक बच्चे की मृत्यु हो गई। बच्चे के शव को सड़क पर फेंक दिया गया। उस पुलिस पोस्ट के प्रभारी तथा दो अन्य पुलिस अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया किन्तु उन सभी को बाद में छोड़ दिया गया क्योंकि इस मामले का गवाह अपने बयान से मुकर गया।

4.27. इस निर्णय पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् आयोग ने पाया कि इस मामले में भौतिक साक्ष्य की अनदेखी की गई थी। दोषी पुलिस अधिकारियों को संदेह का लाभ दिया गया क्योंकि गवाह अपने बयान से पलट गए। भौतिक साक्ष्य का अध्ययन करने के बाद आयोग ने पाया कि प्रथम दृष्ट्या बच्चों को पुलिस हिरासत में यातना दी गई थी। इस प्रकार इसने माना कि राज्य का यह सांविधानिक कर्त्तव्य है कि वह बच्चों को भोजन दे। यदि राज्य बच्चों को भोजन उपलब्ध नहीं करा सकता तो उनके प्रति कम–से–कम दया जरूर दिखानी चाहिए। शादी की किसी पार्टी में भोजन चुराने के आरोप पर बच्चों को यातना देना सर्वथा एक अमानवीय कृत्य है तथा ऐसा कृत्य करने वाले पुलिस कर्मचारी को सजा से छूट नहीं दी जानी चाहिए। आयोग ने राज्य सरकार को पुलिस बल को सभ्य बनाने के इसके कर्त्तव्य का भी स्मरण कराया।

4.28. आयोग ने 2 फरवरी, 2009 को सिफारिश की कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 18(अ)(i) के तहत मृतक बच्चे के परिवार को 3,00,000 रु0 के आर्थिक राहत का भुगतान किया जाए। इसने राज्य सरकार को दोषी पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई शुरू करने की सिफारिश भी की।

7. न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण आगरा जेल में जन्मे एक बच्चे की मौत (मामला सं0 24687/24/2006–2007)

4.29. बाबी नामक एक महिला कैदी को जिला जेल, आगरा में 20 जून, 2006 को भर्ती किया गया था। वह गर्भावस्था के अंतिम चरण में थी। उसने 23 अगस्त, 2006 को जेल में एक कन्या को जन्म दिया। 17 सितम्बर, 2006 को बच्चे की तबियत खराब हो गई तथा उसकी मृत्यु हो गई।

4.30. मजिस्टेरियल जाँच रिपोर्ट पर विचार करने पर आयोग ने पाया कि बच्चे का जन्म जेल के शौचालय में हुआ था तथा न तो माँ और न ही बच्चे को पोषक आहार दिया गया था। आयोग ने राज्य सरकार को सिफारिश की कि वह शोक संतप्त माता को 1,00,000 रु0 के आर्थिक राहत का भुगतान करे। इसने बच्चों के जन्म के साथ–साथ प्रसवपूर्व एवं प्रसव पश्चात् माँ एवं बच्चे को देखभाल उपलब्ध कराने के लिए जेलों में न्यूनतम बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने की जरूरत पर भी बल दिया।

4.31. अनुपालन रिपोर्ट तथा भुगतान के प्रमाण अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

8. उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बारीपदा जेल में अनुचित आहार के कारण विचाराधीन कैदी मंगल सिंह की मृत्यु (मामला सं0 502/18/2004–2005–सी.डी.)

4.32. यह मामला मंगल सिंह नामक एक विचाराधीन कैदी की न्यायिक हिरासत में मृत्यु से संबंधित है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, उसकी मृत्यु तपेदिक के कारण तीव्र उदर विकार के कारण हुई थी। हालाँकि इस मामले में की गई मजिस्टेरियल जाँच में किसी गड़बड़ी का संदेह नहीं था, फिर भी आयोग द्वारा यह टिप्पणी की गई कि जब डाक्टर द्वारा 29 जुलाई, 2004 को कैदी का वजन घटा हुआ पाया, गया तो उसे तत्काल विशेष उपचार के लिए जिला अस्पताल, बारीपदा में भर्ती किया जाना चाहिए था। आयोग द्वारा यह भी कहा गया कि बारीपदा जेल में विचाराधीन कैदियों के लिए 19 रु0 प्रतिदिन की दर से निर्धारित आहार का पैमाना नगण्य तथा अपर्याप्त था। इस निर्धारित अपर्याप्त राशि से तपेदिक के रोगी को संतुलित आहार उपलब्ध नहीं कराया जा सकता।

4.33. आयोग ने इस प्रकार राज्य जिला अस्पताल में विचाराधीन कैदी को ईलाज के लिए भेजने में हुए विलंब के कारणों के लिए एक विस्तृत जाँच का निर्देश दिया तथा राज्य सरकार को कैदियों के लिए आहार की मात्रा में बढ़ोतरी से संबंधित मामले की जाँच–पड़ताल करने को कहा।

4.34. जेल महानिरीक्षक, उड़ीसा ने दिनांक 22 जून, 2007 के अपने पत्राचार द्वारा आयोग को रिपोर्ट दी कि एक विस्तृत एवं सतर्क जाँच की गई थी तथा उसमें यह जाहिर हुआ कि जेल अथवा जिला अस्पताल के प्राधिकारियों की ओर से जानबूझकर कोई लापरवाही नहीं की गई थी। जहाँ तक कैदियों के आहार की मात्रा में बढ़ोतरी करने से संबंधित मामले का संबंध है, जेल महानिरीक्षक द्वारा यह सूचित किया गया था कि उस पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा चुका है तथा तदनुरूप आहार की मात्रा 19 रु0 से बढ़ाकर 34 रु0 प्रतिदिन कर दी गई है।

4.35. रिपोर्ट से संतुष्ट हो जाने पर कि विचाराधीन कैदी मंगल सिंह की मृत्यु स्वाभाविक मौत का मामला था, आयोग द्वारा इस मामले को बन्द कर दिया गया।

(ब.) अवैध निरोध एवं उत्पीड़न

9. उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पुलिस द्वारा अवैध निरोध एवं उत्पीड़न (मामला सं. 5055/24/2004–2005)

4.36. आयोग को दिनांक 6 मई, 2004 की एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें यह आरोप लगाया गया कि पुलिस सुरेश एवं सतीश नामक दो व्यक्तियों को पट्टी पुलिस स्टेशन ले गई जहाँ उनकी बुरी तरह पिटाई की गई जिससे उन्हें गहरी चोट आई।

4.37. प्रतापगढ़ जिले के पट्टी पुलिस थाने के सर्किल अधिकारी की जाँच रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि आरोपी पुलिस अधिकारी पीड़ितों को बंदी बनाने के दोषी थे क्योंकि उन्हें संदेह था कि वे अवैध शराब ले जा रहे थे। इस तथ्य की पुष्टि करने के पश्चात् कि शराब अवैध नहीं था, दोनों पीड़ितों को छोड़ दिया गया तथा पुलिस थाने की सामान्य डायरी में इस बात की प्रविष्टि भी की गई।

4.38. आयोग ने पुलिस रिपोर्ट के आधार पर दोनों शिकायतकर्त्ताओं की टिप्पणियाँ प्राप्त की। शिकायतकर्ताओं ने अपने आरोपों को दोहराया तथा जाँच रिपोर्ट की निष्पक्षता पर भी प्रश्न किए। आयोग ने फिर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश से सिफारिश की कि पट्टी पुलिस स्टेशन के तत्कालीन स्टेशन हाउस अधिकारी के साथ–साथ घटना के समय मौजूद अन्य पुलिस अधिकारियों के आचरण की सी.बी–सी.आई.डी. द्वारा जाँच के आदेश दें।

4.39. पुलिस अधीक्षक, सी.बी.–सी.आई.डी. से प्राप्त रिपोर्ट से यह पर्दाफाश हुआ कि दोषी पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 323/325 के तहत् एफ.आई.आर. अपराध सं. 152/07 दर्ज किया गया था। इसके अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 323/325 के तहत् दोषी पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध प्रथम दृष्टया आरोप भी सिद्ध हो चुके थे। इसके अतिरिक्त दागी पुलिस अधिकारियों के लोक सेवक होने के कारण कानूनी औपचारिकताओं की पूर्ति हो जाने पर अदालत में उनके खिलाफ आरोप पत्र पेश किया जाएगा।

4.40. मामले के विस्तृत पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् आयोग ने मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत् सुरेश एवं सतीश दोनों में से प्रत्येक को 25,000 रु0 की आर्थिक राहत प्रदान करने की सिफारिश की। भुगतान के प्रमाण सहित अनुपालन रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त हो गई है। यह मामला आयोग द्वारा बंद किया जा चुका है।

10. उत्तर प्रदेश के बुलन्दशहर जिले में दौराला पुलिस स्टेशन में शिकायतकर्त्ता के पिता को अवैध रूप से बंदी बनाना (मामला सं0 42104/24/2006–2007)

4.41. यह मामला किसी ब्रजेश कुमार से प्राप्त शिकायत से संबंधित है जिसने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में दौराला पुलिस स्टेशन में पुलिस द्वारा अपने पिता को नौ दिनों तक अवैध रूप से बंदी बनाकर रखने का आरोप लगाया है।

4.42. सर्किल अधिकारी, दौराला की जाँच रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ कि शिकायतकर्त्ता के भाई की एक लड़की के अपहरण के संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 363/366 के तहत् अपराध सं0 27/07 में तलाश थी। उसने 7 फरवरी, 2007 को अदालत में समर्पण कर दिया। रिपोर्ट में हालाँकि यह संकेत था कि संबंधित व्यक्ति को अभी गिरफ्तार नहीं किया गया था। फिर भी शिकायतकर्त्ता के पिता की गिरफ्तारी से संबंधित आरोपों को रिपोर्ट में खारिज कर दिया गया था।

4.43. आयोग ने पाया कि जाँच रिपोर्ट के तथ्य परस्पर विरोधाभासी थे तथा इस प्रकार पुलिस उप महानिरीक्षक, मेरठ को इस मामले में नए सिरे से जाँच का आदेश देने का निर्देश दिया।

4.44. आयोग को प्राप्त हुई बुलंदशहर सिटी के सर्किल अधिकारी की नई जाँच रिपोर्ट में यह प्रकट हुआ कि दौराला पुलिस स्टेशन के तत्कालीन स्टेशन हाउस अधिकारी, विनोद कुमार; उप निरीक्षक तेजपाल सिंह एवं फूल सिंह

शिकायतकर्त्ता के पिता को बंदी बनाने के दोषी पाए गए। आयोग ने कहा कि दोषी पुलिस कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई करने के संबंध में रिपोर्ट में कुछ नहीं कहा गया था।

4.45. आयोग ने पुनः मेरठ के पुलिस उप महानिरीक्षक को उपरोक्त दोषी पुलिस कर्मचारियों के विरूद्ध की गई कार्रवाई रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 18(अ)(i) के तहत् मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि पीड़ितों को क्यों न आर्थिक राहत की सिफारिश की जाए।

4.46. तत्पश्चात् आयोग को गृह सचिव (मानव अधिकार) उत्तर प्रदेश सरकार से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिससे यह जाहिर हुआ कि दोषी पुलिस कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही लंबित थी।

4.47. आयोग ने इस प्रकार मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार को पीड़ित को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 18(अ)(i) के तहत् 10,000 रु0 की अंतरिम राहत देने के साथ–साथ भुगतान का प्रमाण आयोग को चार हफ्तों के भीतर देने की संस्तुति की। भुगतान के प्रमाण सहित अनुपालन रिपोर्ट अभी आयोग को प्राप्त नहीं हुई है।

11. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में पुलिस द्वारा सुरेन्द्र सिंह का उत्पीड़न तथा अवैध निरोध (मामला सं0 1508/30/2003–2004)

4.48. सुरेन्द्र सिंह पालीस्टोन की मूर्तियाँ बनाकर अपनी जीविका चलाता था। उसका किसी पाल के साथ कोई लेन–देन था तथा दोनों के बीच पैसे को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। पाल के कहने पर, एक हेड कान्स्टेबल तथा एक हवलदार सुरेन्द्र सिंह की अनुपस्थिति में उसके घर गए तथा मूर्ति के कुछ साँचे उठा ले गए।

4.49. जाँच पर यह पता चला कि सुरेन्द्र सिंह के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया गया था तथा पुलिस बिना किसी प्रमाण के उसके घर गई थी। खैर, सुरेन्द्र सिंह के घर से जब्त सामान अवैध पाए गए थे। आयोग ने कहा कि पुलिस बल को कानून के अनुसार अपना आचरण करना चाहिए। यदि कोई पुलिस अधिकारी कार्यालय डयूटी के नाम पर कोई गैरकानूनी कार्य करता है तो पीड़ित को हर हाल में राज्य द्वारा क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए। इसने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली से सिफारिश की कि शिकायतकर्त्ता सुरेन्द्र सिंह को 1,00,000 रु0 आर्थिक राहत प्रदान करे।

12. पुलिस द्वारा यातना के कारण विजेन्द्र की मृत्यु (मामला सं. 19671/24/1998–1999)

4.50. 8 फरवरी 1999 को पुलिस पार्टी बदायूँ जिले में सूबेदार मेजर रूप सिंह के गाँव गई तथा उसके भतीजे विजेन्द्र को गिरफ्तार कर लिया। जब सूबेदार मेजर रूप सिंह ने गिरफ्तारी का विरोध किया तो पुलिस ने राइफल के बट से उसकी छाती पर प्रहार किया। वृद्ध व्यक्ति इस हमले को सह नहीं पाया और तुरंत उसकी मौत हो गई। सूबेदार मेजर सिंह के रिश्तेदारों ने रात में ही अधिकारियों से संपर्क किया जब यह घटना घटी किन्तु पुलिस द्वारा कोई एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की गई न ही पोस्टमार्टम के लिए कोई निर्देश दिया गया तथा शव को आनन–फानन में जला दिया गया। तत्पश्चात् सी.बी.सी.आई.डी. जाँच की गई। जाँच के दौरान यह पाया गया कि जब यह घटना घटी तो रात में एक पुलिस पार्टी मृतक के गाँव गई थी। यह भी सिद्ध हुआ कि मृतक सूबेदार मेजर रूप सिंह के रिश्तेदारों ने पुलिस पार्टी के विरूद्ध स्थानीय प्राधिकारियों से शिकायत की थी किन्तु कोई मामला दर्ज नहीं किया गया था। पुलिस अधिकारी डयूटी में लापरवाही के दोषी पाए गए किन्तु सी.बी.सी.आई.डी. को इस आरोप के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं मिला कि मृत्यु राइफल के बट से प्रहार के कारण हुई थी।

4.51. सभी रिपोर्टों पर विचार करने के पश्चात् आयोग ने कहा कि पोस्टमार्टम का आदेश देने में हुई चूक समझ से परे थी। यदि पोस्टमार्टम किया जाता तो मौत के कारण का पता चल जाता तथा सच्चाई सामने आ जाती। व्यापक संभावनाओं सहित मामले के सभी पहलूओं पर विचार करने के पश्चात् आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार को सिफारिश की कि मृतक सूबेदार मेजर रूप सिंह के परिजनों को आर्थिक राहत के रूप में 3,00,000 रु0 की राशि का भुगतान करे।

4.52. इस मामले में भुगतान का प्रमाण अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

(स) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भेजे गए मामले

13. छत्तीसगढ़ में सलवा जूडम तथा नक्सलियों द्वारा मानव अधिकारों का घोर उल्लंघन (मामला सं. 57/33/2006–2007)

4.53. 16 अप्रैल, 2008 को रिट याचिका सं. 250/07 नन्दिनी सुन्दर एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा दूसरी रिट याचिका (अपराध) सं. 119/07 – कर्तम जोगा एंव अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य की सुनवाई करते समय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सलवा जुडूम एवं नक्सलियों द्वारा मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित गंभीर आरोपों तथा शरणार्थी कॉलोनियों में रहने वाले लोगों की दयनीय जीवन दशाओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के लिए यह उचित होगा कि वह इन आरोपों की जाँच करे/सत्यापित करे।

4.54. तत्पश्चात् आयोग ने निर्देश दिया कि घटनास्थल पर जाँच करने के लिए अन्वेषण प्रभाग के अधिकारियों को शामिल कर एक तथ्यान्वेषी समिति गठित की जाए।

4.55. कैम्पों में जीवन दशाओं का आंकलन करने के लिए तथ्यान्वेषी समिति ने दंतेवाड़ा एवं बीजापुर जिलों में 23 में से 21 अस्थायी राहत शिविरों का दौरा किया। इसके अलावा तथ्यान्वेषी समिति ने अलग–अलग पुलिस स्टेशनों के क्षेत्राधिकार में स्थित कई गाँवों (36) का दौरा किया।

4.56. जाँच टीम के दो अधिकारियों ने आंध्र प्रदेश के वारंगल और खम्मम जिलों में वैसे जनजातियों से चर्चा करने के लिए कई गाँवों का दौरा किया जो सलवा जुडूम द्वारा किए गए उल्लंघनों के कारण छत्तीसगढ़ से बाहर जाने को विवश थे। खम्मम जिले में चेरला में एक लोक सुनवाई की गई थी, जबकि दंतेवाड़ा में याचिकाकर्त्ताओं द्वारा लाए गए ग्रामीणों से मिलने के लिए एक दिन निर्धारित किया गया था।

4.57. घटनास्थल जाँच दो चरणों में की गई जिसके दौरान तथ्यान्वेषी समिति ने याचिकाकर्त्ताओं द्वारा लगाए गए 168 विशेष आरोपों की जाँच की। समिति ने कठिन भौगोलिक परिस्थितियों, गाँवों तक पहुँचने में कठिनाई तथा नक्सलियों की शत्रुता के बावजूद जाँच पूरी की।

4.58. तथ्यान्वेषी समिति के निष्कर्षों से पता चला कि सलवा जुडूम का गठन नक्सलियों के हाथों उनके द्वारा सालों से सहे जा रहे अत्याचार एवं उत्पीड़न के विरूद्ध जनजातियों का स्वतः स्फूर्त विद्रोह था। जब से यह शुरू हुआ था, दंतेवाड़ा एवं बीजापुर दोनों जिलों में कई ऐसे क्षेत्र थे जहाँ नक्सलियों की मौजूदगी के कारण पूर्व में नहीं पहुँचा जा सकता था किन्तु अब वे स्थानीय पुलिस एवं सुरक्षा बलों के नियंत्रण में थे। स्थानीय पुलिस एवं सुरक्षा बल जनजातियों एवं नक्सलियों के बीच मौजूद तनाव को कम करने में सफल हुए थे।

4.59. चूँकि ग्रामीणों का समर्थन सलवा जुडूम को कायम रखने के लिए एक अनिवार्य तत्व था, नक्सली भी उन जनजातीय लोगों का दिल जीतने की भरपूर कोशिश कर रहे थे जो सलवा जुडूम में शामिल हो गए थे। पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा 17 तथा छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2000 की धारा 9 के तहत् भर्ती किए गए विशेष पुलिस अधिकारियों को भी बीजापुर एवं दंतेवाड़ा जिलों में नक्सलवाद के खतरे से निपटने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी थी। हालाँकि कुछ मामलों में सुरक्षा बल एवं स्टेशन पुलिस अधिकारी प्रथम दृष्टया न्यायेतर हत्याओं के लिए जिम्मेवार दिखाई दिए। रिपोर्ट में यह दर्शाया गया था कि ऐसे मामलों की जाँच की आवश्यकता थी क्योंकि राज्य की ओर से कार्य करने वाले लोगों को कानून की सीमा के भीतर कार्य करना चाहिए भले ही उन्हें कितना भी उकसाया जाए तथा जवाबदेह होना चाहिए। राज्य प्राधिकारी केवल सात मामलों के संबंध में सूचना दे पाए जिसमें स्टेशन पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। यह मालूम हुआ कि 1579 स्टेशन पुलिस अधिकारियों को अलग–अलग अपराधों के लिए सेवा से बरखास्त किया गया था।

4.60. यद्यपि याचिकाकर्त्ताओं ने हत्या, बलात्कार एवं अन्य अपराध के कई मामले सूचीबद्ध किए थे, तथाकथित मामलों में से किसी को याचिकाकर्त्ता स्वयं भी शायद ही सत्यापित कर पाए। इसके अतिरिक्त इनमें से कई आरोप सुनी–सुनाई बातों पर आधारित पाए गए। सलवा जुडूम के विरूद्ध याचिका में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया घरों को जलाने एवं सम्पत्ति को लूटने तक सत्य पाए गए। सलवा जुडूम के विरूद्ध बड़ी संख्या में हत्या के संबंध में लगाए गए आरोप सही नहीं पाए गए। कुछ विशिष्ट आरोपों की जाँच के दौरान तथ्यान्वेषी समिति को बलात्कार का ऐसा कोई मामला नहीं मिला जिसे साबित किया जा सकता।

4.61. दूसरी ओर यह अभिनिश्चित हो चुका था कि नक्सलियों ने न केवल चुन–चुन कर सलवा जुडूम नेताओं एवं समर्थकों की हत्या की थी, बल्कि कई आदिवासियों एवं सुरक्षा कर्मियों की अंधाधुंध हत्या के लिए भी वे जिम्मेवार थे। जाँच के दौरान यह भी पता चला कि कई गाँववाले लापता पाए गए। हालाँकि यह स्पष्ट नहीं था कि वे नक्सलियों में शामिल हो गए थे अथवा जंगल में छिपे हुए थे, या छत्तीसगढ से बाहर चले गए थे, या मारे जा चुके थे।

4.62. जाँच टीम को ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला जिससे यह पता चलता कि जिला प्रशासन ने जान बूझकर विकास की किसी गतिविधि या सेवा को किसी गाँव से वापस ले लिया क्योंकि ग्रामीणों ने सलवा जुडूम को सहयोग नहीं दिया। राज्य सरकार ने वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराने के बजाए कई मामलों में सुरक्षा बलों को स्कूल एवं आश्रम भवनों में रहने दिया जो कि विशेष तौर पर शिक्षा प्रदान करने के लिए बनाए गए थे। राज्य सरकार की इस प्रवृत्ति को रोकना है तथा तदनुरूप सुधारात्मक कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। कुछ विशिष्ट संख्याओं को छोड़कर अस्थायी राहत शिविरों में कुल मिलाकर स्थिति संतोषजनक पाई गई।

4.63. जब से सलवा जुडूम आंदोलन शुरू हुआ था बड़ी संख्या में नागरिक विस्थापित हो गए थे। कुछ नागरिकों ने बीजापुर एवं दंतेवाड़ा जिलों में विभिन्न शिविरों में अस्थायी रूप से शरण ली थी, जबकि कुछ आंध्र प्रदेश जाने को विवश हुए थे। कुल मिलाकर इन विस्थापनों के लिए केवल सलवा जुडूम के आंदोलन को जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता। इसके अलावा, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने जान बूझकर या सक्रिय रूप से नागरिकों के लिए विस्थापन की नीति अपनाई ऐसा नहीं कहा जा सकता। सब मिलाकर यह विस्थापन नक्सलियों का सामना करने में आदिवासियों द्वारा लिए गए निर्णय का नतीजा था।

4.64. इस आंदोलन के अहिंसक से बदलकर सशस्त्र विरोध का रूप लेने के पीछे बहुत हद तक सलवा जुडूम नेताओं तथा कार्यकर्त्ताओं की चुन–चुन कर हत्या तथा नक्सलियों द्वारा उन पर हो रहे हमले उत्तरदायी थे।

4.65. तथ्यान्वेषी समिति का यह कहना था कि सलवा जुडूम आंदोलन को प्रायोजित करने के लिए राज्य सरकार को जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता हालाँकि सलवा जुडूम के जुलूसों और उनकी बैठकों तथा अस्थायी राहत शिविरों के निवासियों को भी सुरक्षा प्रदान कर इसने निश्चित रूप से अपना सहयोग उसे दिया था।

4.66. जबकि नक्सली मानव अधिकारों के उल्लंघन में लिप्त थे, ऐसे उदाहरण भी हैं जिसमें सलवा जुडूम के कार्यकर्त्ता, एस.पी.ओ. तथा सुरक्षा कर्मचारी भी ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाए गए जिनके परिणाम स्वरूप मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ। वस्तुतः सुरक्षाबलों द्वारा किया गया उल्लंघन अत्यधिक गंभीर प्रकृति का था क्योंकि राज्य को गंभीर उकसावे की स्थिति में भी निर्धारित कानून के शासन के तहत कार्य करना चाहिए।

4.67. तथ्यान्वेषी समिति की रिपोर्ट आयोग को भेजी गई जिसमें अत्यधिक कठिन परिस्थितियों में अन्वेषण प्रभाग द्वारा किए गए प्रशंसनीय कार्य के लिए इसकी सराहना की गई। आयोग ने तत्पश्चात् तथ्यान्वेषी समिति की पूरी रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय को भेजी। सर्वोच्च न्यायालय ने भी आयोग के तथ्यान्वेषी समिति द्वारा किए गए सूक्ष्म काम के लिए इसकी सराहना की। सर्वोच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को रा.मा.अ. आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने का निर्देश दिया।

(घ) पुलिस की निरंकुशता, गोलीबारी एवं मुठभेड़

14. उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सैफाई गाँव में छात्रों पर पुलिस की दादागीरी। मामला सं0 50920/24/0/2007–2008–डब्ल्यू सी संबंधित फाइल सं0 47231/24/23/2007–2008

4.68. उत्तर प्रदेश की विपक्षी पार्टियों में से एक ने उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों एवं अन्य कार्यकर्त्ताओं द्वारा शक्तियों के दुरूपयोग तथा उनकी नीतियों के विरूद्ध शिकायत की। शिकायत में दो घटनाओं पर प्रकाश डाला गया, एक जो 8 जनवरी, 2008 को लखनऊ में के.के.सी. डिग्री महाविद्यालय में घटी थी; तथा दूसरी 9 जनवरी, 2008 को इटावा जिले के सैफाई गाँव में चौधरी चरण सिंह कॉलेज के सामने घटी थी।

4.69. 8 जनवरी, 2008 को के.के.सी. डिग्री कॉलेज में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें राज्य सरकार के दो मंत्रियों को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। उनके पहुँचने पर कुछ छात्र उत्तर प्रदेश के सभी कॉलेजों में छात्र संघ चुनावों को बहाल करने की माँग करते हुए नारे लगाने लगे जिस पर मौजूदा राज्य सरकार द्वारा रोक लगा दिया गया था। दोनों मंत्रियों द्वारा दिए गए आदेश पर पुलिस ने छात्रों को पीटना शुरू कर दिया, जिसमें से अधिकांश घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल छात्रों को सरकारी अस्पतालों में भर्ती किया गया किन्तु उनका समुचित उपचार किए बिना उन्हें पुलिस द्वारा जबरन जेल ले जाया गया। बाद में जब संबंधित राजनीतिक दल के वरिष्ठ नेता अपने समर्थकों के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पास इस अनुरोध के साथ गए कि घायल छात्रों का समुचित इलाज किया जाए तो पुलिस ने न केवल उन पर हमला किया बल्कि नेताओं के साथ बुरा सलूक भी किया।

4.70. अगले दिन अर्थात् 9 जनवरी, 2008 को सैफाई गाँव के लोगों द्वारा चौधरी चरण सिंह कॉलेज (हैनवरा कालेज) के सामने सड़क का घेराव किया गया। लोग 8 जनवरी, 2008 को लखनऊ में हुई घटना में राज्य सरकार की मनमानी

का विरोध करने के लिए एकत्रित हुए थे। कॉलेज परिसर के भीतर खड़े कुछ छात्र, कॉलेज गेट से जिसमें ताला लगा हुआ था, सड़क पर हो रही गतिविधियों को देख रहे थे। इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अपने दल के साथ घटनास्थल पर पहुँचे तथा शांतिपूर्ण घेराव में भाग ले रहे निर्दोष जनता पर लाठी चार्ज करने के साथ–साथ आँसू गैस के गोले छोड़ने के आदेश दिए। इस घटना के दौरान तीन छात्रों को गोली लगी जिसमें से मुकेश नामक एक छात्र सुपुत्र श्री राम सिंह, जो स्नातक की पढ़ाई कर रहा था, की गोली के घाव से मौत हो गई।

4.71. चौधरी चरण सिंह कॉलेज का आदेशपाल श्री राम गोपाल, इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं अन्य अधिकारियों के विरूद्ध एफ आई.आर. दर्ज करने के लिए सैफाई पुलिस स्टेशन गया। किन्तु सैफाई पुलिस स्टेशन में कोई एफ.आई. आर. दर्ज नहीं नहीं की गई। इसके विपरीत पुलिस ने प्रधानाध्यापक तथा चौधरी चरण सिंह कॉलेज (हैनवरा कॉलेज) के 500 छात्रों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज की।

4.72. आयोग के निर्देशो पर रा.मा.अ. आयोग के अन्वेषण प्रभाग के अधिकारियों के एक दल ने जाँच की तथा तत्पश्चात् अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की।

4.73. अन्वेषण प्रभाग द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् आयोग द्वारा निम्नलिखित बातें कही गई :

''रा.मा.अ. आयोग की अन्वेषण टीम ने पुलिस के इस बयान पर विश्वास नहीं किया है कि छात्र पत्थर फेंकने में लगे थे। जाँच रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में छः छात्र घायल हुए। उन्हें उपचार के लिए बलरामपुर अस्पताल ले जाया गया किन्तु उसी दिन पुलिस द्वारा जल्दबाजी में उन्हें छोड़ दिया गया तथा जेल में भर्ती किया गया। अन्वेषण प्रभाग की टीम ने एक वी.सी.डी. का भी जिक्र किया जिसमें एक हवलदार द्वारा एक राजनीतिक पार्टी के वरिष्ठ नेता को थप्पड़ मारते हुए दिखाया गया था।

जहाँ तक सैफाई में हुई घटना का संबंध है, स्थानीय पुलिस द्वारा आत्म रक्षा में गोलीबारी किए जाने की दलील पर भी अन्वेषण प्रभाग ने अपने द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट में अविश्वास जताया था। अन्वेषण प्रभाग ने इसके अतिरिक्त यह भी संकेत किया कि ए.सी.जे.एम., इटावा के निर्देश पर अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अनुसार सैफाई पुलिस थाने में इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा पाँच अन्य पुलिसकर्मियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147/148/149/302/307 के तहत् एफ. आई. आर. सं. 1(ब)/2008 दर्ज की गई। हालाँकि अगले दिन ही जाँच बन्द कर दी गई तथा अंतिम रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत की गई।

अन्वेषण प्रभाग की टीम द्वारा सौंपी गई जाँच रिपोर्ट की परीक्षा करने के पश्चात् आयोग के लिए यह विश्वास करना कठिन है कि ऐसे गंभीर अपराध की ईमानदार जाँच एफ.आई.आर. सं. 1(ब)/2008 में एक दिन के भीतर समाप्त हो सकती है। अतः यह वांछित है कि उस घटना जिसमें मुकेश नामक एक लड़के की जान गई तथा दूसरे लड़के अवनीश को गोली के घाव हुए, की जाँच एक स्वतंत्र एजेंसी से कराई जानी चाहिए ताकि स्वच्छ एवं निष्पक्ष जाँच सुनिश्चित हो सके। यह भी अपेक्षित है कि 9 जनवरी, 2008 को इटावा में तैनात वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का तबादला किसी और जगह किया जाना चाहिए।

घायल छात्र अवनीश तथा मृतक मुकेश के परिजनों को तत्काल अंतरिम राहत दी जानी चाहिए। आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18(सी) के तहत् उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करने का आदेश दिया।

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है कि 8 जनवरी, 2008 को ही बलरामपुर अस्पताल से छः घायल छात्रों को आनन–फानन में क्यों निकाला गया था। उन्हें आयोग को यह भी सूचित करने का निर्देश दिया जाता है कि 8 जनवरी, 2008 को वी.सी.डी. में एक राजनीतिक नेता को थप्पड़ मारते दिखाए गए हवलदार के विरूद्ध क्या कोई कार्रवाई की गई थी।

उत्तर प्रदेश सरकार को संबंधित अदालत से अनुमति लेने के पश्चात् आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 173(8) के तहत् सैफाई पुलिस स्टेशन के एफ.आई.आर. सं. 1(ब)/2008 की तत्काल जाँच का आदेश देने का निर्देश दिया जाता है। सरकार को यह भी निर्देश दिया जाता है कि निष्पक्ष जाँच सुनिश्चित करने के लिए इटावा के तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का तबादला करे।

उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक, तथा इटावा के जिला मजिस्ट्रेट एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी आयोग के अध्यक्ष द्वारा सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखी गई दिनांक 2 दिसम्बर, 2003 के पत्र द्वारा आयोग द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार मामले की जाँच के संबंध में उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है। उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुसार की गई कार्रवाई तथा अंतिम निष्कर्ष की चार हफ्तों के भीतर आयोग को रिपोर्ट की जाए। स्वतंत्र जाँच रिपोर्ट के साथ जिलाधिकारी जाँच रिपोर्ट, पोस्ट मार्टम रिपोर्ट छः हफ्तों के भीतर आयोग कों सौंपी जाए।

4.74. रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है तथा यह मामला आयोग के विचाराधीन है।

15. ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण में भूमि अधिग्रहण के विरूद्ध प्रदर्शन के दौरान पुलिस गोलीबारी में किसानों की हत्या
(मामला सं. 19866/24/30/2008–2009)

4.75. यह मामला किसान संघर्ष समिति की शिकायत से संबंधित है जिसमें ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश के कार्यालय के समीप पुलिस अत्याचार एवं गोलीबारी में किसानों की हत्या का आरोप लगाया गया था। यह आरोप था कि पुलिस ने उन किसानों पर अंधाधुंध लाठी चार्ज एवं गोलीबारी की तथा आँसू गैस के गोलों का सहारा लिया, जो अपनी भूमि के अधिग्रहण के विरूद्ध शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप 15 से 20 किसानों की मृत्यु हो गई तथा कई अन्य घायल हो गए।

4.76. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गौतम बुद्ध नगर से प्राप्त एक रिपोर्ट में कहा गया कि प्रदर्शन के दौरान संपत्ति को हुए नुकसान, पथराव एवं प्रदर्शनकारियों द्वारा गोलीबारी के कारण पुलिस ने शांति बनाए रखने के लिए आँसू गैस, एवं बल प्रयोग का सहारा लिया। इस कार्यवाही में कुछ पुलिस कर्मचारी एवं किसान भी घायल हो गए। कुल मिलाकर इस घटना के संबंध में 15 मामले दर्ज किए गए। आयोग ने जाँच रिपोर्ट, जिलाधिकारी जाँच रिपोर्ट की प्रति तथा कासना पुलिस स्टेशन में दर्ज आपराधिक मामलों 480/2008 तथा 481/2008 की स्थिति सहित मृतक के परिजनों को दिए गए मुआवजे के संबंध में सूचना देने की माँग की।

4.77. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गौतम बुद्ध नगर ने भी दादरी के पुलिस उपाधीक्षक की दिनांक 24 अक्तूबर, 2008 की जाँच रिपोर्ट सौंपी जिसमें कहा गया था कि 13 अगस्त, 2008 को ग्रेटर नोएडा में उत्तेजित किसानों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने अपने बचाव में गोलीबारी का सहारा लिया था जिससे पाँच व्यक्यिों की मौत हो गई। इस संबंध में कासना में दर्ज किए गए, दो मामले अपराध सं. 480/2008 तथा 481/2008 की जाँच हो रही थी। रिपोर्ट में साक्ष्यों

को नष्ट करने, पुलिस द्वारा किसानों को सताने, पीटने तथा उनकी हत्या करने के आरोपों से इंकार किया गया। पुलिस उप अधीक्षक द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट में यह भी उल्लेख था कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मृतक के परिवारों को अनुग्रह राशि के रूप में 2,00,000 रुपये दिए गए थे; ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा 8,00,000 रुपये, जे.पी. समूह द्वारा 9,00,000 रुपये, सुरेन्द्र नगर विधानसभा के एक सदस्य द्वारा 2,00,000 रुपये दिए गए; तथा राज्य सरकार द्वारा 3,00,000 रुपये दिए गए। इसके अतिरिक्त गंभीर रूप से घायल 13 व्यक्तियों में से प्रत्येक को 50,000 रूपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई तथा साधारण रूप से घायल 131 व्यक्तियों में से प्रत्येक को 25,000 की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई थी।

4.78. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के कार्यालय ने मृतक के संबंध में जाँच रिपोर्ट तथा पोस्ट मार्टम रिपोर्ट की कॉपी सौंपी जिसमें यह उल्लेख था कि प्रत्येक मामले में मौत का कारण शरीर पर लगा घाव था। यह भी उल्लेख किया गया था कि जिला स्तर पर किसी मजिस्टेरियल जाँच का आदेश नहीं दिया गया था।,

4.79. रिपोर्टों पर विचार करने पर आयोग ने गौतम बुद्ध नगर के जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया कि वह मृतक के परिजनों को राज्य सरकार, औद्योगिक घरानों, विधान सभा के सदस्य एवं अन्यों द्वारा दिए गए मुआवजे के संबंध में अवगत कराने के लिए अन्य संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

4.80. अपेक्षित रिपोर्ट अभी आयोग में प्राप्त नहीं हुई है।

16. इंदौर, मध्य प्रदेश में फर्जी मुठभेड़ में योगेश की हत्या
(मामला सं. 1247/12/2002–2003)

4.81. इंदौर जिला, मध्य प्रदेश में अन्नपूर्णा पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में 15 अक्तूबर, 2002 को पुलिस ने श्री योगेश चौधरी को गोली से मार गिराया। पुलिस ने आत्म रक्षा की दलील दी। पुलिस के अनुसार श्री योगेश चौधरी और एक अन्य ने डकैती की थी और जब उन्हें आत्म समर्पण करने के लिए कहा गया तो उन्होंने पुलिस पर आक्रमण कर दिया। पुलिस को आत्म रक्षा में गोली चलानी पड़ी।

4.82. शव–परीक्षण रिपोर्ट की जाँच करने पर आयोग ने पाया कि मृतक के शरीर पर गोली से हुए छिद्र के आस–पास जलने के काले दाग थे। यह भी पाया गया कि एक गोली लगने के बाद पीड़ित गिर गया था फिर भी उस पर दो बार और गोली से वार किया गया। आयोग ने यह पाया कि पुलिस द्वारा बताई घटना की जानकारी संदेहास्पद थी। यह भी पाया गया कि पुलिस मुठभेड़ में हुई मौतों के मामलों की जाँच के लिए आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का कड़ाई से पालन नहीं किया गया था। ऐसे में आयोग ने मृतक के नजदीकी रिश्तेदार को रुपए 3,00,000/– की राशि आर्थिक राहत के रूप में देने की संस्तुति की ।

4.83. अनुपालन रिपोर्ट एवं अदायगी प्रमाण प्राप्त हो चुके हैं। इसलिए 29 दिसम्बर, 2008 को आयोग ने यह मामला बंद कर दिया।

(च) सैनिक या अर्द्ध–सैनिक बलों द्वारा गैर–कानूनी निरोध, उत्पीड़न या गोली बारी

17. जम्मू तथा कश्मीर में सेना कर्मियों द्वारा जावेद अहमद मैग्रेय की हिरासतीय मौत
(मामला सं. 22/9/2003–2004–ए.डी.)

4.84. जावेद अहमद मैग्रेय की हिरासतीय मौत से संबंधित दिनांक 8 जून, 2003 की 'द कश्मीर टाइम्स' में प्रकाशित समाचार रिपोर्ट का आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया और संबद्ध प्राधिकार से रिपोर्ट माँगी।

4.85. आयोग के निदेशों के अनुपालन में जम्मू तथा कश्मीर के पुलिस महानिदेशक ने दिनांक 7 फरवरी, 2006 के पत्र द्वारा यह सूचित किया कि जिला समाहर्ता, बढ़गांव द्वारा जावेद अहमद मैग्रेय की मौत पर की गई जाँच में 119 बी. एन. असम रेजीमेंट के सेना कर्मियों को जिम्मेदार ठहराया गया है। तत्पश्चात् जम्मू तथा कश्मीर के पुलिस महानिदेशक ने 20 मई, 2008 के पत्र द्वारा यह सूचित किया कि रक्षा मंत्रालय से संबद्ध सेना कर्मियों के विरूद्ध अभियोग चलाने की संस्तुति दिए जाने का अनुरोध किया है।

4.86. रिपोर्टों पर विचार करने के उपरान्त आयोग ने अपने दिनांक 23 जून, 2008 की कार्यवाही के द्वारा रक्षा मंत्रालय को नोटिस जारी करते हुए पूछा कि मृतक के नजदीकी रिश्तेदार को आर्थिक सहायता क्यों न दी जाए। बहरहाल, रक्षा मंत्रालय से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

4.87. जिला समाहर्ता, बढ़गांव द्वारा की गई जाँच में यह सिद्ध हो गया कि जावेद अहमद मैग्रेय की हत्या में सेना कर्मी भी शामिल हैं और रक्षा–मंत्रालय आर्थिक राहत न दिए जाने का कोई कारण बताने में असफल रहा है। आयोग ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि सुरक्षा बल जम्मू तथा कश्मीर में अपनी जान को जोखिम में डाल कर प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थितियों में कार्य कर आतंकवाद से लड़ रहें हैं और वे वास्तव में दुरूह कार्य कर रहे हैं। आयोग ने यह भी कहा कि हाँलाकि आतंकवाद के विरूद्ध सेना कर्मियों की लड़ाई प्रशंनीय है किन्तु राज्य सरकार का यह कर्त्तव्य बनता है कि वह सुनिश्चित करे कि निर्दोष नागरिकों को किसी प्रकार की क्षति न पहुँचे।

4.88. चूंकि मजिस्ट्रेटी जाँच और तत्पश्चात् पुलिस जाँच में आरोप सिद्ध हो गए, आयोग ने अपनी 28 जनवरी, 2009 की कार्रवाई द्वारा रक्षा मंत्रालय को जावेद अहमद मैग्रेय के नजदीकी रिश्तेदार को रूपए तीन लाख की राशि का भुगतान करने की संस्तुति की। सचिव, रक्षा मंत्रालय को आठ सप्ताह के भीतर अदायगी के प्रमाण सहित अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया। रक्षा मंत्रालय से अनुपालन रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

(च) साम्प्रदायिक हिंसा

18. कर्नाटक के सात जिलों में ईसाइयों के विरूद्ध हिंसा
(मामला सं. 336/10/1/2008–2009)

4.89. आयोग को ग्लोबल कांउसिल ऑफ इंडिया क्रिश्चिनस्, बंग्लूरू के अध्यक्ष डॉ0 सजन जार्ज से शिकायत प्राप्त हुई। अपनी शिकायत में डॉ0 जार्ज ने कर्नाटक राज्य में ईसाइयों और उनके संस्थानों पर कट्टरवादियों के आक्रमण पर चिंता व्यक्त की। उनके द्वारा 96 ऐसी घटनाओं की सूची प्रस्तुत की गई जिनमें ईसाईयों पर हिंदुओं द्वारा आक्रमण किया गया या उनके पूजा–स्थलों को अपवित्र किया गया या क्षति पहुँचाई गई। इसलिए उन्होंने आयोग को यह आग्रह किया कि कर्नाटक के अल्प संख्यक ईसाई समुदाय को सुरक्षा और उचित राहत सुनिश्चित की जाए।

4.90. इस मामले का संज्ञान लेते हुए आयोग ने कर्नाटक सरकार से तथ्यात्मक रिपोर्ट माँगी। आयोग ने अपने अन्वेषण प्रभाग से इन घटनाओं की जाँच में भी आदेश दिए।

4.91. आयोग के अन्वेषण प्रभाग द्वारा तैनात टीम ने कर्नाटक के सात जिलों नामतः दक्षिण कन्नड, बंग्लूरू, उडीपी, चिकमंगलूर, टुमकुर और कोलार जिलों में हुई 44 घटनाओं का अन्वेषण किया।

4.92. टीम ने यह पाया कि उड़ीसा के कंधमाल जिले में स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती के कत्ल के पश्चात् कर्नाटक में ईसाइयों पर निरंतर आक्रमण और उनके गिरजाघरों और प्रार्थना स्थलों को क्षतिग्रस्त एवं अपवित्र किया गया है। बहुत से मामलों में पुलिस ने आपराधिक मामले पंजीकृत किए लेकिन कुछ मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट को पंजीकृत करने में विलम्ब हुआ या पुलिस द्वारा अपराधों की गंभीरता को कम करने का प्रयास किया गया। टीम ने यह पाया कि ऐसे उदाहरण भी मिले जिनमें पुलिस ने पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया और दंगा करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई करने की बजाय पीड़ितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। जाँच रिपोर्ट में ऐसे मामलों का विशेष उल्लेख किया गया जिनमें कोई भी मुआवजा नहीं दिया गया या जो राहत दी भी गई वह क्षति के परिमाण के अनुरूप नहीं थी। यह भी पाया गया कि राज्य सरकार ने ऐसी घटनाओं को कम महत्व देने का प्रयास किया। इस टीम ने अल्पसंख्यक समुदाय में सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देने के लिए कई संस्तुतियाँ की।

4.93. अन्वेषण प्रभाग टीम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के उपरान्त आयोग ने उचित कार्रवाई हेतु रिपोर्ट की एक प्रति को कर्नाटक सरकार को भेजने का निदेश दिया। कर्नाटक सरकार के मुख्य सचिव को आयोग को की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भेजने के भी निदेश दिए।

(छ) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारों को उल्लंघन

19. मेडिकल कालेज, झांसी के रोग विज्ञान विभाग के अध्यक्ष द्वारा दी गई यातना के कारण तृतीय वर्ष के दलित विद्यार्थी द्वारा आत्महत्या
(मामला सं. 20640/24/30/2003–2004)

4.94. श्री हरीश चन्द्र वर्मा से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें यह आरोप लगाया गया कि मेडिकल कालेज झाँसी के रोग विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉ0 बी.के. शर्मा द्वारा उनके बेटे जो मेडिकल कालेज झाँसी के तृतीय वर्ष के विद्यार्थी थे, ने आत्महत्या कर ली। उन्होंने आयोग को यह प्रार्थना की कि डॉ0 बी.के. शर्मा के विरूद्ध उचित कार्रवाई की जाए।

4.95. उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष सचिव से प्राप्त रिपोर्ट में बताया गया कि डॉ0 बी.के. शर्मा अपराधी हैं। आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 18(क) (i) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करते हुए पूछा कि मृतक के नजदीकी रिश्तेदार को आर्थिक सहायता क्यों न दी जाए। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को अपराधी डॉ0 बी.के. शर्मा के विरूद्ध की गई कार्रवाई की स्थिति को भी प्रस्तुत करने का निदेश दिया।

4.96. विशेष सचिव, मेडिकल शिक्षा, उत्तर प्रदेश सरकार ने यह रिपोर्ट प्रस्तुत की कि डॉ0 बी.के. शर्मा के विरूद्ध विभागीय जाँच की संस्तुति की गई है। बहरहाल राज्य सरकार से कारण बताओ नोटिस के प्रत्युत्तर की भी प्रतीक्षा है। यह मामला अभी आयोग के विचाराधीन है।

(ज) महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार

20. प्रकाशम जिला, आंध्र प्रदेश में पुलिस अधिकारी द्वारा लाचार महिला का यौन शोषण
(मामला सं. 284/1/2004–2005)

4.97. गंगावली पुष्पाकुमारी को प्रकाशम जिला, आंध्र प्रदेश के पुलिस अधिकारी ने अपनी हवस का शिकार बनाया। इस आघात को सहन न कर पाने के कारण वह अपने आप को आग लगा कर मर गई। उसने अपने मृत्युकालिक कथन

में दोषी पुलिस अधिकारी पर इसका आरोप लगाया। इस संबंध में एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया और अन्वेषण पूरा होने के पश्चात् न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया।

4.98. आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत राज्य सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। राज्य सरकार ने आयोग से किसी प्रकार की आर्थिक राहत देने से पूर्व आपराधिक विचारण के निर्णय की प्रतीक्षा करने का अनुरोध किया। आयोग ने राज्य सरकार के अनुरोध को इस आधार पर इंकार कर दिया कि यदि एक पुलिस अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग करते हुए एक लाचार महिला को यौन शोषण करता है तो ऐसे मामले को तुरंत निपटाना अनिवार्य है और केवल इस कारण से राहत को लबिंत नहीं रखा जा सकता क्यों कि दोषी पुलिस अधिकारी पर अभी आपराधिक विचारण चल रहा है। इसलिए आयोग ने यह संस्तुति की कि राज्य को मृतक के परिवार को आर्थिक राहत के रूप में रुपए 5,00,000/– (मात्र पांच लाख रूपए) देने की संस्तुति की।

4.99. राज्य सरकार ने आर्थिक राहत की अदायगी हेतु आवश्यक संस्वीकृति भी जारी कर दी है। अदायगी प्रमाण की अभी प्रतीक्षा है।

21. मूक–बधिर स्कूल में सहपाठी द्वारा बालिका पर यौन आक्रमण
(मामला सं. 31/8/2001–2002)

4.100. कुल्लू के निवासी शेर सिंह ने अपनी मूक–बधिर बेटी को बाल सदन स्कूल, धाली, शिमला में दाखिल करवाया। जून, 2001 में स्कूल प्राधिकारियों से उन्हें एक तार प्राप्त हुआ कि उसकी बेटी बीमार है। वे तुरंत धाली गए और वहां उन्होंने पाया कि उनकी बेटी सात माह से गर्भवती थी। जब उन्होंने वार्डन से इसकी शिकायत की तो स्कूल कर्मचारियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। उन्होंने 4 जुलाई, 2000 को इस सारी घटना की जानकारी आयोग को दी।

4.101. आयोग ने इस मामले की जाँच पुलिस अधीक्षक, शिमला से करवाई। यह रिपोर्ट प्राप्त हुई कि पुलिस स्टेशन, धाली में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत आपराधिक मामला दर्ज किया जा चुका है। विभिन्न रिपोर्टों की जाँच के पश्चात् आयोग ने यह पाया कि स्कूल प्राधिकारी ने लापरवाही बरती। स्कूल की लापरवाही का ही यह कारण है कि वह गरीब लड़की बलात्कार का शिकार बनी। आयोग ने कहा कि जब किसी बच्चे को आवासीय स्कूल में भर्ती करवाया जाता है तो स्कूल के कर्मचारी वर्ग का यह दायित्व बनता है कि वह बच्चे की सुरक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यदि आवासीय स्कूल सरकार द्वारा चलाया जाता है तो ऐसे में संरक्षण दायित्व का निर्वाह न होने पर बच्चे को हुई क्षति के लिए राज्य जिम्मेदार है। इसलिए आयोग ने पीड़ित को रुपए 5,00,000/– (रुपए पाँच लाख मात्र) की आर्थिक राहत देने की संस्तुति की। अदायगी का प्रमाण मिलने पर आयोग ने मामला को बंद कर दिया।

22. जसपुर जिला, छत्तीसगढ़ के समाहर्ता द्वारा एक महिला पर यौन आक्रमण
(मामला सं. 123/33/2003–2004)

4.102. यह मामला जसपुर जिला, छत्तीसगढ़ के समाहर्ता द्वारा एक महिला के तथाकथित बलात्कार के आरोप की शिकायत से संबंधित है। पुलिस मुख्यालय, रायपुर से प्राप्त रिपोर्ट में बताया गया कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 342, 376 और 506 के अंतर्गत समाहर्ता के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 113/2004 दर्ज की गई थी। उसे गिरफ्तार भी किया गया और न्यायालय में उसके विरूद्ध आरोप पत्र भी दर्ज किया गया।

4.103. आयोग ने कहा कि शिकायतकर्त्ता राज्य द्वारा मुआवजे का हकदार है क्योंकि एक लोक सेवक एक नागरिक के प्रति हुए अपराध में शामिल है जिससे उसके मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। इसलिए आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 18(क)(i) के अंतर्गत मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ को कारण बताओं नोटिस जारी करते हुए पूछा कि पीड़ित को उपयुक्त आर्थिक राहत क्यों न दी जाए।

4.104. राज्य सरकार ने आयोग को सूचित किया कि पीड़ित को आर्थिक राहत देने में आयोग को कोई आपत्ति नहीं है। अन्ततः आयोग ने छत्तीसगढ़ सरकार को पीड़ित को आर्थिक राहत के रूप में एक लाख रुपए देने की संस्तुति की। अदायगी प्रमाण के प्राप्त होने के पश्चात् आयोग ने यह मामला बंद कर दिया।

(ज) बंधुआ मजदूरी

23. ग्राम धार, गौतम बुद्ध नगर जिला, उत्तर प्रदेश में ईंट भट्ठों में मजदूरों को बंदी रखना। (मामला 44697/24/30/2007–2008)

4.105. 17 दिसम्बर, 2007 को आयोग को एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें यह अभिकथित था कि ग्राम धार, गौतम बुद्ध नगर जिला, उत्तर प्रदेश में ईंट–भट्ठों में 27 मजदूरों को बधुँआ मजदूरों की तरह काम करने के लिए मजबूर किया गया।

4.106. इस मामले का संज्ञान लेते हुए आयोग ने अपने महानिदेशक अन्वेषण को तुरंत तत्स्थाने जाँच पर अपनी टीम भेजने और यदि वहाँ कोई बंधुआ मजदूर हो तो उसे मुक्त कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जिला अधिकारी गौतम बुद्ध नगर को इस मामले में सहायता प्रदान करने को भी कहा गया।

4.107. रा.मा.अ. आयोग के अन्वेषण प्रभाग के अधिकारियों की एक टीम, जिसने इस मामले की जाँच की, ने यह बताया कि 27 मजदूरों में से 15 मजदूर ईंट भट्ठों में बंधुआ मजदूर थे। इन मजदूरों को न तो कोई मजदूरी अदा की गई और न ही उनकी मजदूरी के सम्पूर्ण रिकार्ड रखे गए। बंधुआ मजदूरी में रखे सभी 15 मजदूरों को मुक्त कर दिया गया और उन्हें मुक्ति प्रभाण–पत्र जारी करने के पश्चात् उन्हें अपने–अपने घर भेज दिया गया। 15 बंधुआ मजदूरों में 4 अलीगढ़ जिले और 11 बुलन्दशहर जिले से थे। संबद्ध जिला अधिकारियों को भी इस संबंध में सूचित कर दिया गया था और उनके पुनर्वास हेतु आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि ईंट–भट्ठों के अपराधी मालिक और इससे जुड़े अन्य सहयोगियों के विरूद्ध उत्तर प्रदेश बंधुआ मजदूरी (उन्मूलन) अधिनियम की धारा 16/17/18 के अंतर्गत मामला सं. 1/2008 पंजीकृत किया गया। उप–प्रभागीय जिलाधिकारी, सदर, गौतम बुद्ध नगर के न्यायालय द्वारा प्रत्येक अपराधी पर दोष सिद्ध किया गया और सजा सुनाई गई जिसमें उन्हें रुपए 2000 का जुर्माना किया गया तथा उन्हें जेल भी भेजा गया।

4.108. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपराधी व्यक्तियों पर अभियोजन चलाया गया और उन्हें सजा दी गई तथा संबद्ध जिलाधिकारी को मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु उपयुक्त कदम उठाने के लिए सूचित किया गया, आयोग ने जिला अधिकारी को आयोग को की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।

4.109. चूंकि जिलाधिकारी से अभी रिपोर्ट का इंतजार है, यह मामला आयोग के विचाराधीन है।

24. रायसेन जिला, मध्य प्रदेश में संजय साहू की खान में कार्यरत् बँधुआ मजदूर (मामला संख्या 1314/12/33/2007–2008)

4.110. बचपन बचाओ आंदोलन नामक एक गैर–सरकारी संगठन ने रा.मा.अ. आयोग के ध्यान में यह बात लाई कि रायसेन जिला, मध्य प्रदेश में संजय साहू की खान में कार्यरत् कुछ मजदूरों को बंधुआ मजदूर के रूप में रखा गया है।

4.111. मामले की जाँच करने के पश्चात् आयोग ने जिला समाहर्ता, रायसेन, मध्य प्रदेश को नोटिस जारी करते हुए रिपोर्ट माँगी। समाहर्ता से प्राप्त रिपोर्ट से पता चला कि ग्राम बैनदुआ के कुछ मजदूरों ने उन्हें 15 वर्ष बधुआ मजदूर के रूप में रखने के कारण पत्थर खान के एक संविदाकार संजय साहू के विरूद्ध शिकायत की। शिकायत में आगे यह कहा गया कि मजदूरों की पिटाई की गई तथा अपराधी संविदाकार द्वारा उनके प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। जाँच करने पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(10) के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 79/2007, 294/323/506/34 पंजीकृत की गई और अभियुक्त संविदाकार को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। संबद्ध श्रम अधिकारी को श्रम कानूनों के अंतर्गत उपयुक्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

4.112. जिला अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के विशेष सम्पर्ककर्त्ता द्वारा परीक्षण किया गया। रिपोर्ट का परीक्षण करने के पश्चात् यह संस्तुति की गई कि पंचनामें में दिए 21 मजदूरों को बंधुआ मजदूरों के रूप में माना जाए एवं पहचान की जाए और उन्हें मुक्ति प्रमाण–पत्र जारी किए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त श्रम मंत्रालय के भू–आधारित और गैर–भू–आधारित या कला/शिल्प/कौशल आधारित कार्यक्रमों के अंतर्गत उनके पुनर्वास हेतु आवश्यक उपाय किए जाने की जरूरत है। रा.मा.अ. आयोग ने जिला समाहर्ता को इस मामले में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया।

4.113. जिला अधिकारी से अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है और यह मामला आयोग के विचाराधीन है।

25. हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 38 ईंट–भट्ठों से बंधुआ मजदूरों की मुक्ति (मामला सं. 365/7/2006–2007)

4.114. आयोग को प्रत्येक वर्ष बंधुआ मजदूरी से संबंधित शिकायतें प्राप्त होती हैं। आयोग की विभिन्न टीमों द्वारा तत्स्थाने निरीक्षण कर इनमें से कुछ शिकायतों को सत्यापित किया गया। इन शिकायतों के तत्स्थानें सत्यापन से देश में बंधुआ मजदूरी प्रणाली के अस्तित्व की पुष्टि होती है।

4.115. एक सामाजिक कार्यकर्त्ता और अधिवक्ता श्री बापू राव पखीडेय से ऐसी ही एक शिकायत प्राप्त होने पर रा.मा. अ. आयोग ने फरवरी 2009 के माह में भारत के दो राज्यों में मौजूदा बंधुआ मजदूरी प्रणाली के संबंध में विस्तृत अन्वेषण किया। इस उद्देश्य से आयोग के अन्वेषण प्रभाग से चार टीमों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 38 ईंट–भट्ठों का दौरा किया। इन चार टीमों द्वारा किए गए अन्वेषण से प्रचलित बँधुआ मजदूरी प्रणाली के निम्न मुख्य लक्षणों के बारे में पता चला।

- हरियाणा राज्य में अभी भी बंधुआ मजदूरी प्रथा प्रचलित है। रा.मा.अ. आयोग की टीमों ने हरियाणा के झज्जर जिले में 98 बँधुआ मजदूरों की पहचान की। इन सभी बँधुआ मजदूरों को बँधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के प्रावधानों के अनुसार स्थानीय प्राधिकारों की सहायता से मुक्त कराया गया।

- मजदूर ठेकेदारों द्वारा मजदूरों को पेशगी दी जाती है। ये पैसा वे वास्तव में ईंट–भट्ठों के मालिकों से लेते हैं। बँधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के प्रावधानों के अनुसार पेशगी देना अवैध है। मजदूर इन अग्रिम भुगतानों का प्रयोग अपने पूर्व ऋणों को चुकाने और अपने यात्रा व्यय तथा अन्य आवश्यक सामान खरीदनें में करते हैं।
- मजदूर ठेकेदारों द्वारा अन्तराज्य प्रवासी क्रमिक अधिनियम, 1979 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाता।
- मजदूर ठेकेदारों द्वारा बँधुआ मजदूरों तथा ईंट–भट्ठों के मालिकों दोनों का उत्पीड़न किया जाता है। कई मामलों में वे अग्रिम राशि के एवज में मजदूर उपलब्ध करवाते हैं और स्वयं वहाँ से चले जाते हैं और ऐसे में मजदूर इन ईंट–भट्ठों की दया पर रह जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप वे तब तक बिना राशि के भुगतान के कार्य करते हैं जब तक कि वह मजदूर ठेकेदार या ठेकेदारों को दी गई अग्रिम राशि उनसे वसूल नहीं कर लेता।
- ज्यादातर ईंट–भट्ठों में रिकार्डों का रख–रखाव बहुत खराब था। इसका कारण यह है कि ईंट–भट्ठों के मालिक और ठेकेदार मजदूरों को अदा की गई राशि को छुपाते हैं ताकि वे प्राधिकारियों द्वारा किसी प्रकार के निरीक्षण से बच सकें।
- कई स्थानों पर बँधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 की धारा 13 के अंतर्गत सतर्कता समितियाँ गठित नहीं की गई थी और यदि की भी गई थी तो अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत सुझाए गए अधिदेश का पालन नहीं किया गया।

4.116. उक्त टिप्पणियों को आयोग के समक्ष रखा गया और आयोग ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, बुलन्दशहर और बदायूँ जिलों के जिला अधिकारियों को उनके पुनर्वास के संबंध में निदेश दिए। आयोग ने हरियाणा के झज्जर जिले के जिला अधिकारी को भी उन ईंट भट्ठों के मालिकों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करने का निदेश दिया।

4.117. जिला अधिकारी से अभी प्रत्युत्तर का इंतजार है और इसलिए यह मामला अभी आयोग के विचाराधीन है।

(झ) स्वास्थ्य का अधिकार

26. राजस्थान में चिकित्सा अधिकारी की लापरवाही से मौत
(मामला सं. 1618/20/2000–2001)

4.118. श्री राकेश शर्मा ने राजस्थान के महावीर भीम सिंह सरकारी अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी की लापरवाही से हुई चार लोगों की मौत के संबंध में आयोग को शिकायत की।

4.119. सहायक सचिव, राजस्थान सरकार से प्राप्त रिपोर्ट से पता चला कि सुरेश माथुर नामक पीड़ित को उसके परिवार के सदस्यों के अनुरोध पर जयपुर में एक अन्य अस्पताल में भेजा गया। श्री ओम प्रकाश नामक दूसरे पीड़ित की मौत से संबंधित कोई भी लिखित अभिलेख उपलब्ध नहीं। बालिका सुनीता नामक तीसरी पीड़ित की मौत के कारण की जाँच लोक आयुक्त द्वारा की गई और आरोप सिद्ध न होने कारण मामले को बंद कर दिया गया। जहाँ तक चौथे पीड़ित

अब्दुल माजिद का प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने डॉ0 कृष्ण हरि शर्मा, न्यूरो सर्जन के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही करने का निर्णय लिया।

4.120. अयोग ने मृतका अब्दुल माजिद के नजदीकी रिश्तेदार को रुपए 1,00,000/– की आर्थिक राहत देने की संस्तुति की। अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् आयोग ने यह मामला बंद कर दिया।

27. अस्पताल में उचित चिकित्सीय देखभाल की कमी के कारण बैतूल जिला मध्य प्रदेश की आदिवासी महिला की मौत
(मामला सं. 743/12/2001–2002)

4.121. रामरती बाई नामक एक आदिवासी महिला क्षयरोगी थी और उसे बैतूल, मध्यप्रदेश में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 11 अप्रैल 2001 को सुबह 8 बजे उसकी हालत बिगड़ते लगी। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर को वार्ड में बुलाया गया लेकिन उसने बीमार रोगी को देखने से इंकार कर दिया। उस आदिवासी महिला की उसी दिन दोपहर को मौत हो गई। विभिन्न रिर्पोटों पर विचार करने के उपरान्त्, आयोग ने यह पाया कि रामरती की मृत्यु उचित उपचार न मिलने के कारण हुई है। आयोग ने यह कहा कि यदि किसी सरकारी अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर किसी ऐसे रोगी को जिसे ईलाज की जरूरत है, को देखने से मना करता है तथा अन्यथा लापरवाही बरतता है तो यह स्पष्ट रूप से उस व्यक्ति के मानव अधिकारों का उल्लंघन है। अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा पर्याप्त चिकित्सीय देखभाल मुहैया कराने में हुई चूक से राज्य का उसे आर्थिक राहत देकर उस चूक को सुधार करने का दायित्व बनता है। इन टिप्पणियों के साथ आयोग ने राज्य सरकार को रामरती बाई के नजदीकी रिश्तेदार को आर्थिक राहत के रूप में रुपए 1,00,000/– की राशि अदा करने की संस्तुति की।

4.122. राज्य सरकार से अनुपालन रिपोर्ट की रसीद प्राप्त होने के पश्चात् आयोग ने इस मामले को बंद कर दिया।

28. कोलकाता, पश्चिम बंगाल में अस्पताल कर्मचारियों की लापरवाही के कारण सुष्मिता विश्वास की मौत
(मामला सं. 556/25/2003–2004)

4.123. अस्पताल कर्मचारियों की लापरवाही के कारण हुई सुष्मिता विश्वास की अभिकथित मौत से संबंधित समाचार रिपोर्ट के आधार पर एक शिकायत ने आयोग का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया।

4.124. आयोग ने 24 नवम्बर, 2003 को इस शिकायत को स्वास्थ्य सचिव, पश्चिम बंगाल, कोलकाता के इस शिकायत की जाँच करने एवं इस पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट को चार सप्ताह में भेजने के अनुरोध के साथ स्थानांतरित किया।

4.125. आयोग के निदेशों एवं अनुस्मारकों के प्रत्युत्तर में विशेष सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने दिनांक 14 दिसम्बर, 2007 के पत्र द्वारा यह बताया कि विभागीय जाँच में रिपोर्ट में दिए कुछ चिकित्सीय अधिकारियों को अपने कर्त्तव्य की अवहेलना का दोषी पाया गया। इस मामले में दोषी चिकित्सा अधिकारियों को सजा दिए जाने संबंधी सलाह के लिए इसे पश्चिम बंगाल लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया। आयोग ने 25 जनवरी, 2008 को सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पश्चिम बंगाल सरकार से दोषी अधिकारियों के विरूद्ध शुरू की गई विभागीय कार्यवाही के अंतिम परिणाम की जानकारी देने को कहा। आयोग ने मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 18(क)(i) के अंतर्गत कारण बताओं नोटिस जारी करने का निदेश दिया।

4.126. उक्त के प्रत्युत्तर में अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग पश्चिम बंगाल ने अपने दिनांक 25 अप्रैल, 2008 के पत्र द्वारा यह बताया कि दो डाक्टर–डॉ0 देबाशीश राय और डॉ0 तुषार कान्ति घोष के विरूद्ध आरोप–पत्र दर्ज किए गए हैं। परिनिंदा और एक वेतन वृद्धि को बिना संचयी प्रभाव से उन पर दण्ड लगाया गया है। अपर मुख्य सचिव ने अपने पत्र में आगे बताया कि एक डाक्टर डी.डी चट्टोपाध्याय को दोषी पाया गया। उनकी वेतन वृद्धि को भी एक वर्ष के लिए रोक दिया गया है। साथ ही इस मामले में पश्चिम बंगाल लोक सेवा द्वारा सजा दिए जाने के संबंध में सुझाव की अभी प्रतीक्षा है।

4.127. पश्चिम बंगाल सरकार की सभी रिपोर्टों पर विचार करने के पश्चात् आयोग ने 2 मार्च, 2009 को निम्न टिप्पणियाँ एवं निदेश दिएः–

''रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए आयोग का यह मानना है कि यह ऐसा मामला है जिसमें मुआवजा दिया जाना उपयुक्त होगा। इसलिए आयोग मृतक के नजदीकी रिश्तेदार को आर्थिक राहत के रूप में रुपए 1,00,000/– देने की संस्तुति करता है। अदायगी के प्रमाण को छः सप्ताह के भीतर आयोग को प्रस्तुत किया जाए।''

4.128. बार–बार अनुस्मारक भेजने के बावजूद पश्चिम बंगाल, सरकार से अदायगी का प्रमाण अभी भी प्राप्त नहीं हुआ है।

29. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में अस्पतालों में सफाई की बदतर स्थिति का आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान (मामला सं. 2539/30/2004–2005)

4.129. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने समाचार–पत्रों में प्रकाशित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के दो अस्पतालों नामतः संजय गाँधी मैमोरियल अस्पताल (एस.जी.एम.एच.) और लोक नायक जय प्रकाश नारायण (एल.एन.जे.पी.) अस्पताल में सफाई की बदतर स्थिति को उजागर करने वाली रिपोर्टों का स्वतः संज्ञान लिया। आयोग ने इन रिपोर्टों की प्रतियों को सचिव, स्वास्थ्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और एस.जी.एम.एच. और एल.एन.जे.पी. अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक को उनकी टिप्पणियाँ भेजने का निदेश दिया।

4.130. दोनों अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षक से प्राप्त रिपोर्टें आयोग को अस्पष्ट लगी। इसलिए आयोग ने अपनी दिनांक 4 मई, 2005 की कार्यवाही द्वारा सचिव, स्वास्थ्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली को इन दोनों अस्पतालों में सफाई की स्थिति में सुधार हेतु उठाए गए कदमों संबंधी विस्तृत रिपोर्ट भेजने के लिए कहा।

4.131. अपर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राष्ट्रीय राजधानी, दिल्ली सरकार ने उक्त के प्रत्युत्तर में दिनांकित 27 जून, 2005 की रिपोर्ट प्रस्तुत की। उक्त रिपोर्ट में भी दोनों अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षकों द्वारा केवल पूर्व में कथित बातों को दोहराया गया। इसलिए आयोग ने आदेश दिए कि आयोग के अन्वेषण प्रभाग से एक टीम को इन दोनों अस्पतालों में मौजूदा परिस्थितियों का निरीक्षण करने तथा यह आकलन करने कि क्या वहाँ स्वच्छता परिस्थितियों में कोई सुधार हुआ है या नहीं। आयोग ने यह भी आदेश दिया कि दौरे पर जाने वाली टीम में आयोग की स्वास्थ्य संबंधी कोर समूह के संयोजक द्वारा मनोनीत डॉक्टर को शामिल किया जाए।

4.132. इन निदेशों के अनुपालन में आयोग के अन्वेषण प्रभाग से एक टीम ने इन दोनों अस्पतालों का दौरा किया और तत्पश्चात् अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में कहा गया कि टीम द्वारा स्वच्छता से संबंधित कुछ सुधारों को निश्चत रूप से नोटिस किया गया किन्तु यहाँ की समग्र स्थिति असंतोषजनक है। टीम ने लोक नायक जय प्रकाश अस्पताल

में कूड़ेदान के इर्द–गिर्द कचरे को बिखरा पाया। टीम ने यह नोटिस किया कि कचरा वहाँ लम्बे समय से पड़ा था। दिल्ली नगर निगम (एम.सी.डी.) और अस्पताल प्राधिकारियों में तालमेल की कमी देखी गई। टीम ने यह सुझाव दिया कि कूड़ेदान को तुरंत उस जगह से स्थानांतरित किया जाए। संजय गाँधी मेमोरियल अस्पताल में कुछ स्थानों पर नालियों पर ढक्कन नहीं थे और इनसे अत्यधिक बदबू आ रही थी।

4.133. अन्वेषण प्रभाग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन करने के पश्चात् आयोग ने सचिव, स्वास्थ्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली को उनकी टिप्पणियों और उपयुक्त कार्रवाई हेतु उक्त रिपोर्ट की एक प्रति भेजने का आदेश दिया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली से अभी प्रत्युत्तर प्राप्त होना है और यह मामला आयोग के विचाराधीन है।

30. दिल्ली में मानसिक रूप से बीमार लोगों के गृह में रोगियों का अमानवीय उपचार (मामला सं. 450/30/2005–2006)

4.134. पर्यावरण संरक्षण और मानव अधिकार सोसाइटी की अध्यक्ष, श्री मोहन सनेही ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में मानसिक रूप से बीमार बच्चों और वयस्कों के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे आशा किरण गृह संबंधी न्यूज चैनल का संदर्भ देते हुए आयोग में शिकायत की। इस शिकायत में यह अभिकथित था कि उक्त गृह के मानसिक रूप से बीमार बच्चों को झाड़ू–पौछा, खाना पकाने और अन्य ऐसे कई कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह गृह अमानवीय, अस्वच्छ और दयनीय स्थिति में है। इन बच्चों एवं अन्य रोगियों को न तो पौष्टिक आहार और न ही पर्याप्त कपड़े या अन्य बिस्तर, चादर, कम्बल इत्यादि जैसी रोजमर्रा की जरूरतें मुहैया कराई जाती हैं और उन्हें यहाँ पीटा भी जाता है।

4.135. आयोग के 21 अगस्त, 2006 के निर्देशों के अनुपालन में आयोग के अन्वेषण प्रभाग की एक टीम ने इस गृह का दौरा किया और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अन्वेषण प्रभाग द्वारा प्रस्तुत तथ्यों पर आयोग ने विचार किया और उन्हें उपयुक्त कार्रवाई हेतु समाज कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की सरकार को प्रस्तुत किया। समाज कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने तत्पश्चात् एक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की और आयोग ने अपनी दिनांक 27 अक्तूबर, 2008 की कार्यवाही द्वारा आयोग की टीम को तत्स्थाने प्रगति का आकलन करने हेतु आशा किरण गृह का पुनः दौरा करने का निदेश दिया।

4.136. इस टीम ने 3 और 4 दिसम्बर, 2008 को आशा किरण गृह का पुनः दौरा किया। इस टीम ने रोगियों को अधिक भीड़–भाड़ को कम करने, कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाने, शौचालय और स्नानगृह से संबंधित स्वच्छता परिस्थितियों में सुधार, पुरुष वार्ड में रोगियों की भर्ती, उनकी बुद्धिलब्धि के आधार पर करने, संक्रमित रोगियों को अलग रखने, रोगियों के लिए सर्दियों के कपड़े उपलब्ध करवाने तथा रोगियों को दिए जाने वाले भोजन की पौष्टिकता स्तर में सुधार में काई प्रगति नहीं पाई गई। अन्वेषण प्रभाग से गई टीम ने यह भी नोटिस किया कि रसोई में काम करने वाले, कपड़े इस्त्री करने वाले और अन्य ऐसे कार्य करने वाले कोई और नहीं रोगी ही थे। इस गृह में विशेष शिक्षक की अनुपस्थिति के कारण इस गृह की अन्यत्र गतिविधियों में कोई सुधार नहीं हुआ।

4.137. अन्वेषण टीम के अधिकारियों द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर आयोग द्वारा सचिव, समाज कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली को 6 अप्रैल, 2009 से पहले आयोग के समक्ष प्रस्तुत होने के समन जारी किए गए ताकि गृह की समस्याओं और अन्य मामलों पर चर्चा की जा सके। इस प्रकार यह मामला आयोग के विचाराधीन है।

31. डॉक्टरों की लापरवाही के कारण ऑपरेशन के दौरान महिला के पेट में सर्जीकल कैंची छूटी (मामला सं. 202/18/3/2007–2008)

4.138. आयोग ने उस शिकायत का संज्ञान लिया जिसमें यह अभिकथित था कि एस.सी.बी. मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, कटक द्वारा बीनपनी खटुआ, निवासिनी राधाराजपुर गाँव, कटक जिला के ऑपरेशन के दौरान एक सर्जिकल कैंची को उनके पेट में ही छोड़ दिया था। जब उसने दर्द की शिकायत की तो उसके यूटरस को काट दिया गया।

4.139. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कटक से प्राप्त सूचना में यह पुष्टि की गई कि अभियुक्त डॉक्टर की लापरवाही से ऐसा हुआ। सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उड़ीसा सरकार से प्राप्त अन्य रिपोर्ट में यह बताया गया कि दोनों अभियुक्त डॉक्टरों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। आयोग ने इस सारी घटना को व्यावसायिक लापरवाही का गंभीर मामला माना और कहा कि इसके कारण पीड़ित के मानव अधिकारों का घोर उल्लंघन हुआ है और इसके कारण पीड़ित को न केवल वर्षों तक पीड़ा सहनी पड़ी बल्कि उसे मातृत्व से भी वंचित होना पड़ा। आयोग ने उड़ीसा राज्य सरकार को पीड़ित को आर्थिक राहत के रूप में रुपए 5,00,000/– देने, दोषी डॉक्टरों के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई का अनुवर्तन करने और की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने की संस्तुति की।

4.140. पीड़ित को आर्थिक राहत की अदायगी का प्रमाण आयोग को प्राप्त हो चुका है। बहरहाल, राज्य सरकार से विभागीय कार्यवाही पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट को अभी प्रतीक्षा है।

(ञ) करंट लगने का मामला

32. उत्तराखण्ड विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा नियुक्त सुरेश चन्द्र की मौत (मामला सं. 921/35/2003–2004)

4.141. 28 मई, 2003 को श्री सुरेश चन्द्र बिजली के करंट का शिकार हो गए। उन्हें उत्तराखण्ड विद्युत निगम के अनुरक्षण कर्मचारीवर्ग द्वारा 440 वॉट की तार पर काम करने के लिए लगाया गया था। ट्रांसमिशन लाइन को ठीक करते हुए उसकी बिजली का करंट लगने से मृत्यु हो गई।

4.142. इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर की रिपोर्ट को देखने के पश्चात् आयोग को यह पता लगा कि निगम के अनुरक्षण कर्मचारी वर्ग के कहने पर सुरेश चन्द्र घटना के समय वहाँ गैर–कानूनी ढंग से काम करता हुआ पाया गया। आयोग ने कहा कि हालाँकि उनका नाम हाजिरी रजिस्टर में नहीं था, वह एक नियमित कर्मचारी की तरह ही मुआवजे का हकदार है। आयोग ने इन टिप्पणियों के साथ उत्तराखण्ड विद्युत निगम लिमिटेड को पीड़ित के नजदीकी रिश्तेदार को आर्थिक राहत के रूप में रुपए 2,00,000/– की राशि देने की संस्तुति की। आयोग ने अनुरक्षण कर्मचारी वर्ग के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई करने की भी संस्तुति की।

4.143. अदायगी प्रमाण सहित अनुपालन रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा है और यह मामला आयोग के विचाराधीन है।

(अ) अन्य मामले

33. 34 वर्षों से एक व्यक्ति राजस्थान के कारागार में बंद (मामला सं. 55/20/26/2008–2009 और मामला सं. 2978/20/26/2007–2008)

4.144. आयोग ने 31 मार्च, 2008 को 34 वर्षों से एक व्यक्ति के राजस्थान के कारागार में बंद होने संबंधी 'एशियन एज' में आए समाचार का स्वतः संज्ञान लिया।

4.145. जेल महानिरीक्षक, राजस्थान से प्राप्त रिपोर्ट में यह बताया गया कि स्थानीय पुलिस द्वारा प्रभुनाथ को इंडो–पाक सीमा पर गिरफ्तार किया गया और पुलिस स्टेशन श्री करणपुर में भारतीय पासपोर्ट अधिनियम के अंतर्गत प्रथम सूचना सं. 40/1974 पंजीकृत की गई। स्थानीय न्यायालय द्वारा श्री प्रभुनाथ को न्यायिक हिरासत में रिमांड के लिए भेजा गया और उसे उप–जेल श्रीकरणपुर में रखा गया। उसके विक्षिप्त होने कारण 3 जनवरी, 1976 के न्यायालय के आदेश के अंतर्गत उन्हें चिकित्सा उपचार हेतु मानसिक अस्पताल, जयपुर भेजा गया। उन्हें मानसिक अस्पताल जयपुर में नियमित उपचार दिया गया।

4.146. रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि जेल निदेशालय, राजस्थान सरकार ने 13 मार्च, 2008 को प्रभुनाथ को गैर–आपराधिक विक्षिप्त घोषित करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया लेकिन गृह विभाग ने कहा कि इस उद्देश्य के लिए न्यायालय आदेश की आवश्यकता है। थाना अध्यक्ष, श्रीकरणपुर के अनुरोध पर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक अधिकारी के दिनांक 1 अप्रैल, 2008 के आदेश द्वारा सी.आर.पी.सी. की धारा 169 के अंतर्गत उन्हें मुक्त कर दिया गया और 8 अप्रैल, 2008 को उन्हें उनके छोटे भाई को सुपुर्द कर दिया गया।

4.147. आयोग ने यह टिप्पणी दी कि जब 31 मार्च, 1975 में न्यायालय में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई उसके तुरंत बाद श्री प्रभुनाथ को छोड़ दिया जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त, जेल महानिरीक्षक राजस्थान से प्राप्त रिपोर्ट और दस्तावेजों के अनुसार न्यायालय ने यह बताया कि प्रभुनाथ को भारतीय पासपोर्ट अधिनियम के अंतर्गत अपराध के लिए 34 वर्ष की लम्बी अवधि तक जेल में रखा गया जिसके लिए अधिकतम सजा कुछ वर्ष ही थी।

4.148. आयोग ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह साबित होता है कि प्रभुनाथ को राजस्थान सरकार के संबद्ध प्राधिकारियों की लापरवाही के कारण 34 वर्ष की लम्बी अवधि के लिए जेल में रहना पड़ा। इसलिए आयोग ने इस मामले को मुआवजे के लिए उपयुक्त मामला बताया और पीड़ित या उसके नजदीकी रिश्तेदार को छः सप्ताह के भीतर रूपए 5,00,000/– अदा करने की संस्तुति की।

4.149. आयोग को राजस्थान सरकार से अदायगी के प्रमाण की प्रतीक्षा है।

34. उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में आदमखोर द्वारा 100 बच्चों का शिकार (मामला सं. 28667/24/2004–2005)

4.150. यह मामला संबद्ध प्राधिकारियों द्वारा एक आदमखोर, जिसने उत्तर प्रदेश में बलरामपुर जिले के समीप जंगली क्षेत्र में 100 से ज्यादा बच्चों को मार डाला था तथा जिसके द्वारा फैलाए आतंक को रोकने में अभिकथित कोताही बरतने की शिकायत से संबंधित है। किसी आदमखोर द्वारा बच्चों को मारे जाने के पीछे किसी व्यक्ति द्वारा बच्चों को अपहरण कर उन्हें बेचे जाने की आशंका थी।

4.151. पुलिस अधीक्षक, मानव अधिकार, पुलिस मुख्यालय, लखनऊ से प्राप्त रिपोर्ट में यह बताया गया कि बलरामपुर जिले के समीप जंगली क्षेत्र में भेड़िए द्वारा यह आंतक फैलाया गया है और वन प्राधिकारी इस संबंध में उपयुक्त उपचारात्मक उपाय कर रहे हैं। रिपोर्ट में बच्चों के अपहरण की आंशका को निराधार मानते हुए इससे इंकार किया गया है।

4.152. तत्पश्चात् सचिव, वन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त रिपोर्ट में बताया गया कि भेड़ियों/लकड़बग्घों ने जनवरी 2002 से मार्च, 2006 तक 98 बच्चों को मार डाला और 51 बच्चों को घायल कर दिया तथा मारे गए बच्चों के परिवारों को उपयुक्त मुआवजे के रूप में रूपए 9,82,000/– की राशि और घायल बच्चों के परिवारों को रूपए 90,000/– की राशि दी गई है। पक्के निशानेबाजों, शिकारियों, स्थानीय प्रशासन और गाँववालों की सहायता से इन जंगली जानवरों द्वारा फैलाए आतंक को समाप्त करने हेतु विशेष अभियान के अंतर्गत 4 आदमखोर भेड़ियों और 9 लकड़बग्घों को मार दिया गया।

4.153. आयोग ने यह महसूस किया कि यह पूर्णतः स्पष्ट है कि बच्चों के अपहरण किए जाने और उन्हें बेचे जाने संबंधित ऐसा कोई षड़यंत्र नहीं रचा गया है। चूंकि विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश प्रशासन द्वारा रिपोर्ट में यह बताया गया कि जिन बच्चों के मृत शरीर नहीं पाए जाते उनके परिवारों को कोई मुआवजा नहीं दिया जा सकता, आयोग ने राज्य सरकार को यह निदेश दिया कि गाँववालों, स्थानीय प्रशासन और पुलिस की सहायता से जंगली जानवर द्वारा मारे गए उन बच्चों की पहचान की पुष्टि करने के पश्चात् जिनके मृत शरीर नहीं मिल पाए ऐसी स्थिति में प्रत्येक बच्चे के परिवार को रूपए 50,000/– की राशि दी जाए। इसके साथ ही आयोग ने 6 सप्ताह के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भेजने का निदेश दिया।

4.154. उत्तर प्रदेश सरकार से अदायगी के प्रमाण एवं की गई कार्रवाई की रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा है।

35. दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों की लापरवाही के कारण मौत
(मामला सं0 1671/30/1999–2000)

4.155. आयोग को एक संविदा श्रमिक, मनोज कुमार की दिल्ली जल बोर्ड, कार्यकारी अभियन्ता, रोहिणी जोन की लापरवाही के कारण हुई मौत की शिकायत प्राप्त हुई।

4.156. इस मामले का संज्ञान लेते हुए आयोग ने दिल्ली जल बोर्ड, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के निदेशक (प्रशासन एवं कार्मिक) से रिपोर्ट प्राप्त की। रिपोर्ट में यह बताया गया कि दिल्ली जल बोर्ड के सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा की गई विभागीय जाँच के पश्चात् जोनल अभियन्ता और कनिष्ठ अभियन्ता को सजा दी गई। इसलिए आयोग ने मृतक मनोज कुमार की विधवा रीटा देवी को रूपए 1,00,000/– की राशि अदा करने तथा अदायगी का प्रमाण देने का निदेश दिया।

4.157. चूंकि दिल्ली जल बोर्ड से अदायगी का प्रमाण प्राप्त हो चुका है इसलिए आयोग ने यह मामला बंद कर दिया है।

36. गोवा में दमनगंगा पार पुल के गिरने से 28 बच्चों और 2 वयस्कों की मौत
(मामला सं0 4/29/2003–2004)

4.158. गोवा प्रशासन द्वारा दमनगंगा पर बनाए पुल के दिनांक 28 अगस्त, 2003 को गिरने से 28 बच्चों और दो वयस्कों की मौत हो गई। गृह मंत्रालय ने मुम्बई उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री आर.जे. कोचर की अध्यक्षता में जाँच आयोग का गठन किया। जाँच आयोग ने यह पाया कि यह पुल केवल अस्थायी पैदल पार पुल था और इसकी मियाद पुरी हो चुकी थी। आयोग ने इस पुल के रखरखाव, अनुरक्षण और नवीकरण में हुई लापरवाही के लिए गोवा प्रशासन को दोषी ठहराया।

4.159. रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् आयोग ने गृह मंत्रालय भारत सरकार को प्रत्येक पीड़ित के नजदीकी रिश्तेदार को आर्थिक राहत के रूप में रूपए 2,00,000/– की राशि देने की संस्तुति की।

4.160. अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् आयोग ने मामले को बंद कर दिया।

37. अध्यापक द्वारा की गई पिटाई से नूतन कुमारी की मौत
(मामला सं. 1633/4/2005–2006)

4.161. 11 वर्ष की लड़की नूतन कुमारी समस्तीपुर, बिहार में सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। उसकी अपने सहपाठी से लड़ाई हो गई। जब अध्यापक को इस बारे में पता चला तो उसने उस लड़की को हिंसक और क्रूर ढंग से जमीन पर पटक दिया। उस बच्चे को गंभीर चोटें आई और तत्पश्चात् उसकी मौत हो गई।

4.162. आयोग ने कहा कि बच्चों को शारीरिक दण्ड देना निश्चित रूप से उनके मानव अधिकारों का उल्लंघन है। इसलिए विद्यालयों में शारीरिक दण्ड की प्रथा को समाप्त करने के लिए अध्यापक का यह कर्त्तव्य है कि वह सभी बच्चों से स्नेहपूर्ण और दयालुतापूर्ण व्यवहार करे। इस संबंध में राज्य का भी यह दायित्व बनता है कि वह अध्यापकों को उचित ढंग से शिक्षा प्रदान करे। इसलिए आयोग ने नूतन से किए गए निर्दयतापूर्ण व्यवहार के कारण उसके परिवार को रूपए 2,00,000/– की राशि आर्थिक राहत के रूप में देने का निदेश दिया।

4.163. अनुपालन रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात् आयोग ने मामले को बंद कर दिया।

38. संबलपुर, उड़ीसा में जल निस्यन्दन संयत्र से क्लोरीन गैस रिसने के कारण एक व्यक्ति की मौत एवं 100 अन्य व्यक्ति बीमार पड़े
(मामला सं. 307/18/2005–2006)

4.164. यह मामला 2 सितम्बर, 2005 की रात को संबलपुर, उड़ीसा में जल निस्यन्दन संयत्र से क्लोरीन गैस रिसने के कारण एक व्यक्ति की मौत एवं 100 अन्य व्यक्तियों के बीमार पड़ने से संबंधित है।

4.165. आयोग द्वारा जारी नोटिस के अनुपालन में जिला अधिकारी एवं समाहर्ता, संबलपुर से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट में यह बताया गया कि क्लोरीन गैस के रिसने की सूचना मिलने के पश्चात् अतिरिक्त जिला अधिकारी एवं सहायक अग्नि अधिकारी, संबलपुर को राहत और बचाव अभियान हेतु घटनास्थल पर जाने को कहा गया। साथ ही चिकित्सीय टीमों को रोगियों के उपचार हेतु अपने आपको तैयार रहने को कहा गया। क्लोरीन गैस सिलेन्डर में रिसने के स्थान को लगभग 12:40 अपराह्न में बंद किया गया। जन संबोधन प्रणाली के माध्यम से इस क्षेत्र में लोगों को अपने चेहरे पर गीला कपड़ा रखने के लिए भी कहा गया ताकि क्लोरीन गैस के प्रभाव को कम किया जा सके।

4.166. हालात की गंभीरता को देखते हुए उड़ीसा सरकार ने राजस्व प्रभागीय आयुक्त द्वारा इस मामले की जाँच करने के आदेश दिए। जाँच में यह पता चला कि इस दुर्घटना में 222 लोग प्रभावित हुए थे। इन में से एक की मृत्यु हो गई थी और बाकी बीमार पड़ गए थे। सभी प्रभावित पीड़ितों को 500/–रु, 5000/– और 15000/– की दर से रुपए 257500/– रुपए की वित्तीय राहत दी गई।

4.167. रिपोर्ट में शिकायतकर्त्ता के विचारों को भी स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया। एक शिकायतकर्त्ता द्वारा यह कहा गया कि मृतक के नजदीकी रिश्तेदार को रुपए 10,00,000/– की राशि अदा की जाए।

4.168. इसके अतिरिक्त अयोग ने प्रभागीय आयुक्त उत्तरी प्रभाग, संबलपुर से जाँच रिपोर्ट की एक प्रति प्राप्त की। रिपोर्ट में यह बताया गया कि जिला प्रशासन को गैस रिसाव के बारे में तुरंत सूचना न देकर रेलवे प्राधिकारियों ने भारी भूल की है। इसके परिणामस्वरूप राहत और बचाव कार्य में आधे घंटे की देरी हुई। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि रेलवे प्रशासन अर्थात मंडल रेल प्रबंधक, पूर्वी तट रेलवे, संबलपुर द्वारा मृतक के मामले में रुपए 1,00,000/–, सभी गंभीर रूप से प्रभावित लोगों को रुपए 10,000/– और ज्यादा गंभीर रूप से प्रभावित न हुए लोगों को रुपए 2500/– की पर्याप्त वित्तीय राहत दी गई। इसके अतिरिक्त रिपोर्ट में यह भी इंगित किया गया कि रेलवे के पास जल उपचार संयत्र की देखभाल हेतु आवश्यक तकनीकी जानकारी नहीं है। मंडल आयुक्त, संबलपुर ने संयत्र को चलाने वालों के प्रशिक्षण, क्लोरीन गैस की देखभाल, रिसाव का पता लगाने/अलार्म प्रणाली, रिसाव जाँच किट, श्वसन उपकरण, गैस मास्क जैसे जीवन रक्षक उपकरण तथा क्लोरीन इत्यादि के रख रखाव से संबंधित क्या करें या क्या न करें पर जागरूकता कार्यकक्रम के संबंध में कुछ सुझाव भी दिए।

4.169. तद्नुसार आयोग द्वारा मंडल रेल प्रबंधक, पूर्व तट रेलवे संबलपुर को जाँच रिपोर्ट की एक प्रति इस अनुरोध के साथ भेजने का निदेश दिया गया कि तत्काल की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भेजी जाए।

4.170. मंडल क्षेत्रीय प्रबंधक, संबलपुर से प्राप्त की गई कार्रवाई की रिपोर्ट ने भविष्य में ऐसी किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के होने की संभावना से इंकार किया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पीड़ित और मृतक के नजदीकी रिश्तेदारों को पहले से ही वित्तीय राहत दी जा चुकी है और प्रभागीय क्षेत्रीय प्रबंधक, संबलपुर ने ऐसी किसी दुर्घटना के होने की संभावना से इंकार करते हुए उचित कार्रवाई की है, आयोग ने इस मामले में आगे किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की और मामले को बंद कर दिया।

ग. अनुवर्ती कार्रवाई

(क) 2004–2005 और 2005–2006 की वार्षिक रिपोर्टों में दिए गए मामलों पर की गई कार्रवाई

1. *बागपत, उत्तर प्रदेश में पंचायत द्वारा मानव अधिकार का उल्लंघन (मामला सं. 16755/24/2005–2006–डब्ल्यू सी)*

4.171. यह मामला बागपत, उत्तर प्रदेश में खाप पंचायतों द्वारा बलात्कार और कत्ल की घटना को निपटाने और उसे दबाने से संबंधित है। पुलिस अधीक्षक, बागपत ने सूचित किया कि बलात्कार और कत्ल की घटना के संबंध में अपराधी के विरूद्ध आपराधिक मामले दर्ज किए गए। चूंकि कत्ल और बलात्कार के आरोप सिद्ध नहीं हो पाए, आयोग ने उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को आपराधिक न्याय वितरण प्रणाली में खाप पंचायतों के दखल को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के संबंध में जानकारी देने को कहा। राज्य सरकार ने उपयुक्त निदेशों के साथ इस मामले को बंद कर दिया।

1. *जलील अंदराबी, अधिवक्ता, जम्मू तथा कश्मीर का अभिकथित अपहरण और हत्या (मामला सं. 9/123/1995–एल डी)*

4.172. यह मामला सुरक्षा बलों द्वारा श्रीनगर में जलील अंदराबी, अधिवक्ता के अभिकथित अपहरण एवं तत्पश्चात् उनकी हत्या से संबंधित है। आयोग के निदेशों के अनुपालन में प्राप्त रिपोर्ट में यह बताया कि फरार अपराधी मेजर अवतार सिंह के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302/365/364/201 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 139/1996 दर्ज की गई थी। आयोग ने रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार तथा थल सेना अध्यक्ष के सचिव को यह सुनिश्चित करने का निदेश

दिया कि मेजर अवतार सिंह इस मामले में विचारण हेतु मुख्य न्यायिक जिलाधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत हों। इसके प्रत्युत्तर में रक्षा मंत्रालय ने यह सूचित किया कि जाँच न्यायालय ने टी ए–42277 मेजर अवतार सिंह को फरार घोषित कर दिया है और ऐसे में सेना उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में असमर्थ है। आयोग ने रक्षा मंत्रालय से प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करने के उपरान्त इस मामले को बंद कर दिया।

3. किशनगंज जिला, बिहार में बी.एस.एफ. कैम्प के बाहर से एक अवयस्क लड़की का अपहरण (मामला सं. 2610/4/2005–2006–उब्ल्यू सी)

4.173. इस मामले में आयोग ने 18 मई, 2007 को मुख्य सचिव, बिहार का शिकायतकर्त्ता की दो बेटियों के अभिकथित अपहरण से संबंधित शिकायत की जाँच सी.बी.–सी.आई.डी. से करवाने का निदेश दिया। इस मामले में सी.बी–सी.आई.डी. की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

4. हरियाणा पुलिस द्वारा एक अवयस्क का गैर–कानूनी ढंग से निरोध और यातना दिया जाना।

4.174. यह मामला हरियाणा पुलिस द्वारा एक 12 वर्षीय लड़के मुकेश को दी गई यातना से संबंधित है। रिपोर्ट में यह बताया गया कि अपराधी पुलिस कर्मी को गिरफ्तार किया गया तथा उसके विरूद्ध अरोप–पत्र दायर किया गया है। बहरहाल, पुलिसकर्मी को जमानत पर रिहा कर दिया गया। राज्य प्राधिकारियों ने रिपोर्ट में आगे बताया कि यह मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है और आगे की कार्रवाई उच्चतम न्यायालय के आदेशों पर की जाएगी।

4.175. बहरहाल, आयोग ने यह पाया कि राज्य प्राधिकारियों की रिपोर्ट में पीड़ित का नाम सुमित कुमार लिखा गया है जबकि इससे संबंधित समाचार रिपोर्ट में उनका नाम मुकेश बताया गया था। इसलिए आयोग ने पुलिस महानिदेशक हरियाणा को पीड़ित के नाम से संबंधित विसंगति पर स्पष्टीकरण माँगा। उन्हें इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के संबंध में भी सूचित करने को कहा। इस संबंध में राज्य सरकार से प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा है।

5. मेघालय पुलिस द्वारा निर्दोष व्यक्तियों की हत्या (मामला सं. 11/15/2005–2006)

4.176. आयोग को मेघालय पुलिस, मालिन गेड, सोहरिंग खान, पूर्वी खासी हिल जिला की विशेष ऑपरेशन टीम द्वारा नेशनल सोशलिस्ट काँऊसिल ऑफ नागालैंड–हसाक मूवाह (एन.एस.सी.एन–आई.एम) के पाँच संवर्गों की अभिकथित हत्या के संबंध में पुलिस महानिदेशक मेघालय से अपेक्षित रिपोर्ट प्राप्त हुई। यह मामला अभी भी आयोग के विचाराधीन है।

6. सीवर में काम करते हुए दिल्ली जल बोर्ड के दो कर्मचारियों की मौत (मामला सं. 716/30/2005–2006)

4.177. आयोग द्वारा दिल्ली जल बोर्ड को जारी नोटिस के प्रत्युत्तर में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा यह सूचित किया गया कि मृत कनिष्ठ अभियन्ता और बेलदार के नजदीकी रिश्तेदार को क्रमशः रुपए 3,56,980 और रुपए 3,11,755 पहले ही दिए जा चुके हैं इसके अतिरिक्त मृतकों की पत्नियों की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियाँ भी दी गई हैं। आयोग द्वारा इस मामले को बंद कर दिया गया है।

7. उत्तर प्रदेश में विचाराधीन कैदी जगजीवन राम का लम्बे समय तक निरोध
(मामला सं0 35741/24/2005–2006)

4.178. आयोग ने मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश को इस बात से अवगत कराने को कहा कि पीड़ित को स्वस्थ घोषित होने के पश्चात् 21 सितम्बर, 2005 को जेल भेजा गया तो उसे कितनी देर अस्पताल में रहना पड़ा। मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार का अनुस्मारक भेजने के बावजूद आयोग को अभी भी रिपोर्ट का इंतजार है।

8. उन्नाव जेल, उत्तर प्रदेश में विचाराधीन कैदी शंकर दयाल का 44 वर्षों तक निरोध
(मामला सं0 37484/24/2005–2006)

4.179. आयोग को यह सूचित किया गया कि मानसिक रूप से बीमार एक विचाराधीन कैदी शंकर दयाल को 25 नवम्बर, 2005 को स्वस्थ घोषित किया गया और मुख्य न्यायिक जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार 18 फरवरी, 2006 को छोड़ दिया गया। आयोग ने महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश सरकार को इस की जाँच करने का निदेश दिया कि क्या पीड़ित का उपचार करने में मानसिक अस्पताल, वाराणसी की ओर से कोई चूक हुई है।

4.180. इसके प्रत्युत्तर में महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश सरकार से रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार श्री शंकर दयाल का उपचार मनश्चिकित्सीय अस्पताल, वाराणसी में किया गया। उन्हें 19 अप्रैल, 2005 को विज़टर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। लेकिन उसे मानसिक रूप से स्वस्थ घोषित नहीं किया गया। इसके पश्चात् 25 नवम्बर, 2005 को उन्हें पुनः विज़िटर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया और उन्हें चिकित्सीय और मानसिक रूप से स्वस्थ घोषित किया गया। तत्पश्चात् उन्हें संबद्ध जेल में स्थानांतरित करने की संस्तुति की गई। रिपोर्ट में इस मामले में किसी प्रकार की लापरवाही के आरोपों से इंकार किया है। आयोग ने रिपोर्ट पर विचार कर मामले को बंद कर दिया।

(ख) वर्ष 2006–2007 की वार्षिक रिपोर्ट में दर्ज मामलों पर की गई कार्रवाई

1. गलत पहचान के कथित मामले में चंडीगढ़ पुलिस द्वारा श्री संतोष का गैर–कानूनी निरोध
(मामला सं0 72/27/2006–2007–डब्लू.सी.)

4.181. यह मामला पुलिस द्वारा संतोष नामक एक निर्दोष महिला का इसी नाम की एक अपराधी महिला से मिलते जुलते नाम के कारण गैर कानूनी गिरफ्तारी से संबंधित है। आयोग ने सचिव, गृह चंडीगढ़ प्रशासन को अपराधी पुलिसकर्मी के विरूद्ध विभागीय जाँच की स्थिति एवं असली अपराधी की पहचान निश्चित करने हेतु अँगूठा छाप से संबंधित अपराध विज्ञान विशेषज्ञ रिपोर्ट के परिणाम की सूचना देने का निदेश दिया। इस रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा है।

2. चब्बा, अमृतसर, पंजाब में किसानों पर पुलिस अत्याचार
(मामला सं. 640/19/2006–2007)

4.182. यह मामला चब्बा, अमृतसर, पंजाब में पुलिस द्वारा किसानों पर किए अभिकथित अत्याचारों से संबंधित है। पुलिस पर लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं हो सके। बहरहाल, आयोग ने पुलिस उपाधीक्षक जन्दियाला, अमृतसर, पंजाब को पुलिस पर आक्रमण करने वाली भीड़ के विरूद्ध दर्ज आपराधिक मामलों की स्थिति की मौजूदा रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश

दिया। पुलिस से प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करने के उपरान्त आयोग ने कहा कि इस मामले में आयोग के अन्य किसी और हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं और आयोग ने इस मामले को बंद कर दिया।

3. आरा, बिहार में पुलिस की उपस्थिति में भीड़ द्वारा चार अनुसूचित जातियों की हत्या (मामला सं. 1099/4/2006–2007)

4.183. आयोग ने पाया कि पुलिस अधीक्षक भोजपुर, आरा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में मृतकों के रिश्तेदारों को दी जाने वाली आर्थिक राहत के संबंध में कुछ नहीं कहा गया। इसलिए आयोग ने पुलिस महानिदेशक, बिहार सरकार को यह बताने का निदेश दिया कि क्या मृतकों के नजदीकी रिश्तेदार किसी प्रकार की आर्थिक राहत के हकदार हैं या नहीं। उन्हें आपराधिक मामले की स्थिति के बारे में सूचित करने के लिए भी कहा गया। आयोग को बिहार सरकार से इस रिपोर्ट की अभी भी प्रतीक्षा है।

4. लक्खी सराय, बिहार में अनुसूचित जाति की चार महिलाओं से बलात्कार (मामला सं. 1375/4/2006–2007–डब्ल्यू सी)

4.184. वर्ष 2007–2008 की वार्षिक रिपोर्ट में एक रिपोर्ट थी कि आयोग ने जिला अधिकारी, लक्खी सराय को अपराधी व्यक्तियों के विरूद्ध दर्ज मामलों की मौजूदा स्थिति बताने के लिए कहा था। आयोग को अभी भी इस रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

5. उज्जैन, मध्य प्रदेश में विद्यार्थियों द्वारा की गई पिटाई से प्राध्यापक की मौत (मामला सं. 886/12/2006–2007)

4.185. आयोग के निदेशों के अनुपालन में पुलिस महानिरीक्षक, भोपाल ने रिपोर्ट में यह बताया कि निरीक्षक वाई. के. रूनवाल और वाई.पी.सिंह के विरूद्ध शुरू की गई विभागीय जाँच में उन्हें आयोप मुक्त कर दिया गया था।

4.186. जिलाधिकारी जाँच सहित रिकार्ड में दर्ज सभी दस्तावेजों पर विचार करने के पश्चात् आयोग ने कहा कि प्राध यापक सभरवाल कुछ विद्यार्थियों की बर्बरता के शिकार हुए हैं। इस तथ्य के समर्थन में कोई भी विश्वसनीय साक्ष्य नहीं मिलते कि प्राध्यापक पर जिस समय हमला हुआ था उस समय वहाँ पुलिस मौजूद थी। ऐसे में विद्यार्थियों के समूह द्वारा की गई हिंसा के लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराना मुश्किल होगा। आयोग ने आगे यह भी कहा कि इस निर्णय तक पहुँचने का कोई आधार नहीं कि पुलिस या अन्य किसी प्राधिकार के कारण मृतक के मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। हालाँकि आयोग इस घटना की कड़े शब्दों में भर्त्सना करता है फिर भी आयोग के लिए किसी प्रकार की राहत की संस्तुति करना संभव नहीं होगा। तद्नुसार आयोग द्वारा इस मामले को बंद कर दिया गया।

6. पंजाब पुलिस द्वारा सामूहिक दाह संस्कार (मामला सं0 1/97/रा.मा.अ.आ)

4.187. आयोग की पूर्व की वार्षिक रिपोर्टों में निरन्तर इस मामले का अनुवर्तन किया गया है।

4.188. उच्चतम न्यायालय ने अपने 12 दिसम्बर, 1996 के आदेश द्वारा 1984 से 1994 के दौरान अमृतसर, मजीठा और तरनतारन के तीन जिलों में पंजाब पुलिस द्वारा किए गए 2097 मृतकों के दाह संस्कार की पहचान करने हेतु उक्त मामला आयोग को सौंपा था।

4.189. पंजाब सरकार के सहयोग से आयोग द्वारा किए गए प्रयासों से 31 मार्च, 2008 तक 1388 मष्त व्यक्तियों की पहचान की जा सकी। आयोग द्वारा मृतक के नजदीकी रिश्तेदारों को रुपए 25,75,25,000/– की राशि अदा करने की भी संस्तुति की गई।

4.190. शेष 657 न पहचान की गई लाशों की पहचान (दोहराए गए नामों को हटा कर) हेतु आयोग ने अपनी दिनांक 17 जून, 2008 की कार्यवाही द्वारा दो अन्य सदस्यों सहित पंजाब सरकार के सचिव श्री एन. एस. कांग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। यह मामला अभी आयोग के विचाराधीन है।

7. कश्मीर में मानव अधिकार उल्लंघनों के कारण 76 सेना कर्मियों को सजा
(मामला सं. 122/9/2006–2007 ए.एफ.)

4.191. समाचार रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग को यह पता चला कि पिछले दो सालों से 72 सेना कर्मियों को मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए सजा दी गई है। आयोग ने रक्षा सचिव, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और मुख्य सचिव, जम्मू तथा कश्मीर से जानकारी माँगी कि क्या, पीड़ित या मृतक पीड़ित के नजदीकी रिश्तेदार को, यदि कोई, राशि अनुग्रह अनुदान के रूप में दी गई है। बार–बार अनुस्मारकों के बावजूद संबद्ध प्राधिकारियों से प्रत्युत्तर की अभी भी प्रतीक्षा है।

8. अमृतसर, पंजाब में स्कूल अध्यापक द्वारा की गई पिटाई से बच्चे की मौत
(मामला सं. 621/19/2006–2007 डब्ल्यू सी)

4.192. आयोग द्वारा दिए निदेशों के अनुपालन में अपर पुलिस महानिदेशक, पंजाब से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई। स्कूल अध्यापक द्वारा की गई पिटाई के आरोपों को झूठ एवं निराधार मानते हुए इससे इंकार किया गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि मृत्यु से पहले वह लड़की कुछ दिनों से बीमार थी और बिमल अस्पताल, अमृतसर में उसका ईलाज चल रहा था।

4.193. आयोग ने पुलिस महानिदेशक, पंजाब सरकार को पीड़ित की मौत के वास्तविक कारण की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। आयोग को अभी अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

9. राजमुन्द्री, आंध्र प्रदेश में अभिभावकों द्वारा लड़कियों का बेचना
(मामला सं. 658/1/2006–2007 डब्ल्यू सी)

4.194. पुलिस अधीक्षक, पूर्वी गोदावरी, काकीनाडा से प्राप्त रिपोर्ट जिसमें यह बताया गया था कि अभियुक्त के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज हो चुका है और उसके विरूद्ध आरोप पत्र दर्ज कर दिया गया है, पर विचार करने के उपरान्त आयोग ने देह–व्यापार के पीड़ित के पुनर्वास हेतु की गई कार्रवाई की अद्यतन रिपोर्ट को प्रेषित करने का निदेश दिया। इस रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा है।

(ग) वर्ष 2007–2008 की वार्षिक रिपोर्ट में दर्ज मामलों पर की गई कार्रवाई

1. जिला जेल, जूनागढ़, गुजरात में दोष सिद्ध कालूजी उर्फ कलियो भागूजी सोरथी की मृत्यु
(मामला सं. 653/6/2002–2003–सी डी)

4.195. आयोग ने मृतक के नजदीकी रिश्तेदार को आर्थिक राहत के रूप में रूपए 2,00,000/– की राशि अदा करने की संस्तुति की। इसके प्रत्युत्तर में राज्य सरकार ने आयोग को सूचित किया कि मृतक के पिता ने गुजरात उच्च

न्यायालय में इस मामले में मुआवजे की अदायगी हेतु विशेष सिविल आवेदन सं. 6248/2004 दर्ज की है। इसलिए आयोग ने यह आदेश दिया कि उच्च न्यायालय के फैसले की प्रतीक्षा की जाए। चूंकि गुजरात उच्च न्यायालय ने अभी इस मामले पर निर्णय सुनाना है इसलिए यह मामला अभी लंबित है।

2. *राजमुन्द्री, आंध्र प्रदेश में न्यायिक हिरासत में रिमान्ड में लिए गए कैदी चिन्ना पुरापु रमेश की मौत (मामला सं. 531/1/2005–2006–सी डी)*

4.196. आयोग ने राज्य सरकार से मृतक के नजदीकी रिश्तेदार को आर्थिक राहत के रूप में रुपए 2,00,000/– देने की संस्तुति की। आयोग द्वारा की गई संस्तुति का राज्य सरकार ने अनुपालन किया और तत्पश्चात् आयोग ने इस मामले को बंद कर दिया गया।

3. *बीड, महाराष्ट्र में पुलिस हिरासत में चंद्रकांत की मौत (मामला सं. 1287/13/2002–2003 सी डी)*

4.197. आयोग ने राज्य सरकार से मृतक के नजदीकी रिश्तेदार को आर्थिक राहत के रूप में रुपए 2,00,000/– अदा करने की संस्तुति की। आयोग द्वारा की गई संस्तुति का राज्य सरकार ने अनुपालन किया और तत्पश्चात् आयोग ने इस मामले को बंद कर दिया।

4. *दिल्ली में पुलिस हिरासत में किशन सिंह की मौत (मामला सं. 5060/30/2004–2005–सी डी)*

4.198. आयोग ने राज्य सरकार से मृतक के नजदीकी रिश्तेदार को आर्थिक राहत के रूप में रुपए 2,00,000/– अदा करने की संस्तुति की। आयोग द्वारा की गई संस्तुति का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली ने अनुपालन किया गया। इसलिए मामले को बंद कर दिया गया।

5. *ईटानगर, अरूणाचल प्रदेश में पुलिस हिरासत में ओलिक त्येंग की मौत (मामला सं. 14/2/2003–2004–सी.डी.)*

4.199. आयोग ने राज्य सरकार से मृतक के नजदीकी रिश्तेदार को आर्थिक राहत के रूप में रुपए 1,00,000/– देने की संस्तुति की। आयोग द्वारा की गई संस्तुतियों का राज्य सरकार ने अनुपालन किया और तत्पश्चात् इस मामले को आयोग द्वारा बंद कर दिया गया।

6. *विशेष जेल, भुवनेश्वर, उड़ीसा में न्यायिक हिरासत में विचाराधीन कैदी अभिषेक साहू की उपचार न मिलने के कारण मौत (मामला सं. 42/18/2003–2004–सी.डी.)*

4.200. इस मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने राज्य सरकार को मृतक के नजदीकी रिश्तेदार को रुपए 1,00,000/– की राशि अदा करने की संस्तुति की। इसके प्रत्युत्तर में राज्य सरकार ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मृतक के नजदीकी रिश्तेदार को लेकर झगड़ा है। इसलिए आयोग ने राज्य सरकार को उचित जाँच के बाद मृतक के वास्तविक नजदीकी रिश्तेदार को आर्थिक राहत देने के निदेश दिए। इसके पश्चात् आयोग ने इस मामले को बंद कर दिया।

7. सतना, मध्य प्रदेश में मुगलिया की अभिकथित न्यायिक हिरासत में मौत (मामला संख्या 1996/12/1999–2000)

4.201. रा.मा.अ. आयोग ने राज्य सरकार को मृतक के नजदीकी रिश्तेदार को आर्थिक राहत के रूप में रुपए 3,00,000/– अदा करने की संस्तुति की। आयोग द्वारा की संस्तुतियों का राज्य सरकार द्वारा अनुपालन किया गया और तत्पश्चात् मामले को बंद कर दिया गया।

8. जिला जेल, भागलपुर, बिहार में सिद्धदोष पदुम सोरन की मौत (मामला सं. 2848/4/2002–2003–सी.डी.)

4.202. आयोग ने राज्य सरकार को मृतक के नजदीकी रिश्तेदार को आर्थिक राहत के रूप में रुपए 1,50,000/– अदा करने की संस्तुति की। आयोग की संस्तुतियों का राज्य सरकार द्वारा अनुपालन किया गया और तत्पश्चात् यह मामला बंद कर दिया गया।

9. मुम्बई महाराष्ट्र में पुलिस की अभिकथित पिटाई से शांति दशरथ नायक की अभिकथित हिरासतीय मौत (मामला सं. 2021/13/2000–2001–ए.डी.)

4.203. इस मामले में आयोग ने राज्य सरकार को मृतक के नजदीकी रिश्तेदार को आर्थिक राहत के रूप में 2,00,000 रुपए की राशि अदा करने की संस्तुति की। महाराष्ट्र सरकार से अदायगी के प्रमाण की प्रतीक्षा है। यह मामला अभी आयोग के विचाराधीन है।

10. पुलिस स्टेशन सेहरामाऊ, जिला शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश में पुलिस हिरासत में राम चन्द्र की मौत (मामला सं. 12975/24/1999–2000)

4.204. इस मामले में आयोग ने मृतक के नजदीकी रिश्तेदार को आर्थिक राहत के रूप में रुपए 3,00,000/– अदा करने की संस्तुति की। आयोग की संस्तुतियों का अनुपालन किया गया और तत्पश्चात् मामले को बंद कर दिया गया।

11. केन्द्रीय जेल, बेंग्लूरू, कर्नाटक में एक विचाराधीन कैदी विशाल कृष्ण माडेकर की मौत (मामला सं0 671/10/2001–2002–सी.डी)

4.205. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने राजा सरकार को मृतक के नजदीकी रिश्तेदार को आर्थिक राहत के रूप में रुपए 3,00,000/– देने की संस्तुति की। राज्य सरकार ने आयोग के निदेशों की अनुपालन कर दिया है। इसलिए इस मामले को बंद कर दिया गया है।

12. गारीपुर सीमा चौकी, कामरूप, असम, में देवेन्द्रनाथ डेका की मौत (मामला सं. 25/3/2002–2003 सी.डी.)

4.206. इस मामले में आयोग ने असम राज्य को मृतक के नजदीकी रिश्तेदार को आर्थिक राहत के रूप में रुपए 1,00,000/– देने की संस्तुति की। आयोग की संस्तुतियों पर पालन कर दिया गया है और इसलिए इस मामले को बंद कर दिया गया है।

13. गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश की पुलिस द्वारा सुशील कुमार और उसकी पत्नी की पिटाई (मामला सं. 28117/24/2006–2007)

4.207. आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार को अर्थिक राहत के रूप में पीड़ित सुशील कुमार को रुपए 25,000/– और उनकी पत्नी को रुपए 50,000/– देने की संस्तुति की। आयोग के निदेशों पर राज्य सरकार द्वारा अनुपालन कर दिया है। अतः इस मामले को बंद कर दिया गया।

14. जहानाबाद, उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा जसवंत सिंह पटेल की गैर–कानूनी निरोध एवं शारीरिक यातना। (मामला सं0 5782/24/2003–2004)

4.208. आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार को आर्थिक राहत के रूप में पीड़ित को रुपए 1,00,000/– अदा करने की संस्तुति की। आयोग के निदेशों का अनुपालन कर दिया गया है। इसलिए आयोग द्वारा इस मामले को बंद कर दिया गया है।

15. पुलिस स्टेशन, राजखेड़ा, धौलपुर, राजस्थान में रमेश, संतोष और राम गोपाल का अवैध निरोध (मामला सं0 1635/20/2002–2003)

4.209. आयोग ने राज्य सरकार को तीनों पीड़ितों के गैर–कानूनी निरोध के लिए प्रत्येक को आर्थिक राहत के रूप में रुपए 10,000/– देने की संस्तुति की। राज्य सरकार द्वारा आर्थिक राहत की संस्तुति कर दी गई है। बहरहाल, राजस्थान सरकार से अंतिम भुगतान के प्रमाण की प्रतीक्षा है।

16. डोमाना, जम्मू तथा कश्मीर में पुलिस गोली–बारी में निशु शर्मा की मौत तथा राकेश शर्मा को चोटें (मामला सं0 97/9/2005–2006)

4.210. आयोग ने राज्य सरकार को आर्थिक राहत के रूप में मृतक के नजदीकी रिश्तेदार को रुपए 2,00,000/– एवं घायल पीड़ित को रुपए 50,000/– देने की संस्तुति की। आयोग की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा अनुपालन कर दिया गया है और तब से इस मामले को बंद कर दिया गया है।

17. पूर्वी चम्पारन, बिहार में पुलिस की अंधा–धुंध गोली–बारी में कमलेश्वर प्रसाद जैसवाल को गंभीर चोटें (मामला सं0 4112 /4/2000–2001)

4.211. इस मामले में आयोग ने राज्य सरकार को आर्थिक राहत के रूप में शिकायतकर्त्ता को रुपए 7,00,000/– देने की संस्तुति की। बहरहाल राज्य सरकार केवल रूपए 1,00,000/– देने के लिए सहमत हुआ और आयोग को अपने निदेश की समीक्षा करने का अनुरोध किया। आयोग ने राज्य सरकार के अनुरोध पर विचार करने के पश्चात् यह दोहराया कि आयोग की संस्तुतियों का पालन किया जाए। राज्य सरकार से अनुपालन रिपोर्ट अभी प्राप्त होनी है।

18. तिंगूचिंगजिन, मणिपुर में सी.आर.पी.एफ. कर्मियों द्वारा गैर–कानूनी निरोध एवं यातना। (मामला सं0 38/14/1999–2000 ए.एफ.)

4.212. आयोग ने केन्द्रीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार को सी.आर.पी.एफ. कर्मियों द्वारा छः पीड़ितों को चोटें पहुँचाने के कारण प्रत्येक को रुपए 10,000/– अदा करने की संसतुति की। आयोग के निदेशों पर पालन होने के पश्चात् मामले को बंद कर दिया गया।

19. पूंछ, जम्मू तथा कश्मीर में सेना कर्मियों द्वारा तीन नागरिकों मोहम्मद खादम, मोहम्मद रयाज और मोहम्मद राशिद का अपहरण एवं कत्ल
(मामला सं0 179/9/2002–2003 ए डी)

4.213. इस मामले में आयोग ने तीनों मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों को आर्थिक राहत के रूप में प्रत्येक को रुपए 2,00,000/– देने की संस्तुति की। रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने आर्थिक राहत देने पर सहमति दे दी है। रा.मा.अ. आयोग को भारत सरकार से अदायगी का प्रमाण अभी प्राप्त होना है।

20. इन्डो–बंगला बार्डर, मालदा, पश्चिम बंगाल में सुरक्षा बलों द्वारा गोली–बारी के दौरान रंजन सिंह का कत्ल
(मामला सं0 128/25/1998–1999 ए डी)

4.214. आयोग ने उक्त मामले में गृह–मंत्रालय, भारत सरकार को मृतक रंजन सिंह के नजदीकी रिश्तेदार को रुपए 3,00,000/– देने की संस्तुति की। आयोग के निदेशों पर अनुपालन के पश्चात् इस मामले को बंद कर दिया गया है।

21. कंधमाल जिला, उड़ीसा में ईसाइयों के विरूद्ध हिंसा
(मामला सं0 825/18/26/2007–2008) (संलग्न मिसिल 923/18/26/2007–2008)

4.215. यह मामला कंधमाल जिला, उड़ीसा में 24 और 25 दिसम्बर, 2007 को हुई हिंसा से संबंधित है। इस हिंसा के दौरान कुछ गिरजाघरों और ईसाई संस्थानों को नष्ट कर दिया था और कई घर और अन्य सम्पत्तियों को क्षति पहुँचाई गई थी।

4.216. आयोग के निदेशों के अनुपालन में महानिदेशक अन्वेषण, रा.मा.अ. आयोग और पुलिस महानिरीक्षक, उड़ीसा ने रिपोर्ट प्रस्तुत की और साथ ही इस घटना के विभिन्न पहलुओं को देखने हेतु सरकार द्वारा गठित उच्चस्तरीय समिति की जाँच रिपोर्ट को भी प्रेषित किया। यह समिति इस निर्णय पर पहुँची कि ये घटनाएं अचानक साम्प्रदायिक आक्रोश के भड़कने के कारण हुई और ये घटनाएं साम्प्रदायिक शांति को भंग करने के उद्देश्य से असामाजिक और रूढ़िवादी तत्वों द्वारा सुनियोजित प्रयासों का हिस्सा नहीं थी। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि सभी दंगा–प्रभावित संस्थानों को रुपए 2,00,000/– की राशि दी गई। आंशिक एवं पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त घरों के मालिकों को क्रमशः रुपए 20,000/– और रुपए 50,000/– की अनुदान राशि भी अदा की गई। आयोग की अन्वेषण टीम की रिपोर्ट एवं निष्कर्ष भी उच्चस्तरीय समिति के समान लगभग वही है।

4.217. उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट और अन्वेषण टीम की दिनांक 14 मई, 2008 की कार्यवाही की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् आयोग ने पुलिस महानिदेशक, उड़ीसा को यह बताने का निदेश दिया कि क्या कोई व्यक्ति इन घटनाओं में मारा गया या उसे चोटें पहुँची थीं और क्या उन्हें कोई मुआवजा दिया गया? उन्हें उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में आयोग को सूचित करने का भी निदेश दिया।

4.218. इसके पश्चात् अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (मुख्यालय), उड़ीसा ने 16 जुलाई, 2008 को रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए यह कहा कि दंगों के दौरान तीन व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी और 34 व्यक्ति घायल हो गए थे और मृतक व्यक्तियों के नजदीकी रिश्तेदारों को रुपए 1,00,000/– की आर्थिक राहत दी गई थी। उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गई संस्तुतियों के संबंध में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक द्वारा की गई कार्रवाई रिपोर्ट भी प्रेषित की गई। आयोग द्वारा उक्त

रिपोर्ट पर 21 नवम्बर, 2008 को विचार किया गया जिसमें यह टिप्पणी दी गई कि रिपोर्ट में 34 घायल व्यक्तियों को दिए गए मुआवजे के संबंध में कुछ नहीं कहा गया। यह भी कहा गया कि उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गईं संस्तुतियों के कार्यान्वयन की प्रगति अत्यधिक धीमी है। इसके अतिरिक्त यह भी कहा कि सुरक्षा संबंधी व्यय योजना के अंतर्गत कंधमाल को शामिल करने के प्रस्ताव केन्द्र सरकार को अभी निर्णय लेना है।

4.219. इस प्रकार आयोग ने 21 नवम्बर, 2008 को पुलिस महानिदेशक, उड़ीसा को सभी मौतों और घायलों सहित प्रभावित व्यक्तियों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि के संबंध में विस्तृत ब्यौरे की समग्र रिपोर्ट देने के निदेश दिए। उन्हें (क) हिंसा से संबंधित सभी आपराधिक मामलों के अन्वेषण को अविलम्ब निपटाने और (ख) पुलिस बल इत्यादि में सभी रिक्त पदों को भरने के लिए कदम उठाने और इस संबंध में की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रेषित करने के भी निदेश दिए गए। इस के अतिरिक्त आयोग ने केन्द्र सरकार को सुरक्षा संबंधी व्यय योजना के अंतर्गत कंधमाल को भी शामिल करने के प्रस्ताव पर तुरंत निर्णय लेने की संस्तुति की गई।

4.220. यह मामला आयोग के विचाराधीन है।

22. उत्तर गोधरा हिंसा पर ''आज तक'' पर ऑपरेशन कलंक कार्यक्रम का स्वतः संज्ञान (मामला सं0 426/6/18/2007–2008)

4.221. आयोग द्वारा दिए गए निदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें यह निष्कर्ष निकाला गया कि अपराध विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट के अनुसार ''स्टिंग ऑपरेशन'' की रिकार्डिंग प्रामाणिक पाई गई और स्टिंग ऑपरेशन में आए अधिकतर व्यक्तियों ने यह स्वीकारा है कि उन्हें इस विषय पर सम्पर्क किया गया और इस पर बातचीत हुई।

4.222. इसी बीच, उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित विशेष अन्वेषण टीम के अध्यक्ष ने अनुरोध किया कि स्टिंग ऑपरेशन से संबंधित सी.बी.आई. द्वारा संचित सभी दस्तावेज उन्हें भेजे जाएँ। सी.बी.आई. ने यह सूचित किया कि स्टिंग ऑपरेशन में प्रयुक्त जासूसी कैमरे और रिकार्डर तहलका को वापस कर दिए गए हैं। बहरहाल स्टिंग आपरेशन की 16 डी.वी.डी. और 'ऑपरेशन कलंक' की पाँच सी.डी. विशेष अन्वेषण टीम को सौंप दी गई थी।

4.223. रा.मा.अ. आयोग ने यह देखते हुए कि उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अंतर्गत विशेष अन्वेषण टीम द्वारा मामले की जाँच की जा रही है और सी.बी.आई. द्वारा संबंधित डी.वी.डी. और सी.डी. को विशेष अन्वेषण टीम द्वारा सौंपा जा चुका है आयोग ने सी.बी.आई. को जाँच रिपोर्ट को विशेष अन्वेषण टीम के अध्यक्ष को प्रेषित करने के निदेशों के साथ मामले को बंद कर दिया।

23. नंदीग्राम, पश्चिम बंगाल में पुलिस गोली–बारी के दौरान ग्रामीणों की हत्या और चोटें (मामला सं0 725/12/2007–2008)

4.224. पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने अपने दिनांक 6 मई, 2008 के पत्र द्वारा फिर से आवेदन आमंत्रित करने संबंधी शेष तीन संस्तुतियों, क्षतिग्रस्त घरों के लिए बढ़ा हुआ मुआवजा और 15 मार्च, 2007 के पश्चात् मारे गए लोगों के नजदीकी रिश्तेदारों को आर्थिक राहत देने में असमर्थता व्यक्त की। आयोग ने अपनी दिनांक 21 जुलाई, 2008 की कार्यवाही द्वारा मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार को आयोग द्वारा की गई उपरोक्त तीन संस्तुतियों का अनुपालन

न किए जाने पर अपना स्पष्टीकरण देने के निदेश दिए और राज्य सरकार को इसका अनुपालन करने के पुनः निर्देश दिए। राज्य सरकार से प्रत्युत्तर प्राप्त न होने के कारण आयोग ने 28 जनवरी, 2009 को निदेश दिए कि मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार को दिनांक 19 अगस्त, 2008 की पूर्व सूचना पर छः सप्ताह की समय अवधि में कार्रवाई करने के अनुस्मारक जारी किए जाएं।

4.225. इसके प्रत्युत्तर में विशेष सचिव, गृह विभाग ने कहा कि शेष तीन संस्तुतियों पर राज्य सरकार विचार कर रही है और अपने निर्णय के कार्यान्वयन हेतु मतैक्य होने में आयोग को कुछ और समय लगेगा। तद्नुसार, राज्य सरकार द्वारा किए अनुरोध के अनुसार आयोग को एक अतिरिक्त माह का समय दिया गया।

24. पश्चिम बंगाल में उत्तरी सेयरसोल की खानों के सुरक्षा गार्ड के 12 बोर की बंदूक द्वारा शुभम दास (4 वर्षीय) को गंभीर चोटें
(मामला सं0 589/25/2002–2003)

4.226. आयोग ने कोयला एवं खान मंत्रालय, भारत सरकार को पीड़ित शुभम के नाम पर उसके पिता की अभिभावकता में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में 10,00,000 रु जमा कराने की संस्तुति की। आयोग द्वारा दिए गए निदेशों के अनुपालन में भारतीय स्टेट बैंक, आसनसोल में यह राशि जमा करा दी गई। तत्पश्चात् बच्चे के उपचार हेतु रुपए 75,000/– की राशि दी गई। पीड़ित लड़के के पिता श्री सुरजीत दास ने आयोग को सूचित किया कि बच्चे के ईलाज पर रुपए 16,210 खर्च किए गए हैं। आयोग ने शेष राशि राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा कराने का निदेश दिया ताकि भविष्य में पीड़ित लड़के के उपचार पर उस पैसे को खर्च किया जा सके।

25. कस्बा पटौदी, गुड़गांव, हरियाणा में एक कुएँ से अधजले भ्रूण।
(मामला सं0 795/7/5/2007–2008)

4.227. आयोग के निदेशों के अनुपालन में महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा सरकार ने एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में राज्य सरकार द्वारा राज्य में अनाचारों को रोकने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों पर विस्तृत जानकारी दी। राज्य में मारे गए विभिन्न छापों के दौरान, 104 अनाधिकृत अलट्रासाउंड मशीनों को जब्त कर लिया गया और 176 केन्द्रों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया। आयोग ने यह देखते हुए कि गैरकानूनी आचरण में लिप्त डॉक्टरों पर अभियोजन चलाया गया है, दोषी स्वास्थ्य अधिकारियों को भी विभागीय स्तर पर अभियोजन किया गया है, और राज्य सरकार ने सम्पूर्ण राज्य में गर्भधारण पूर्ण और प्रसव पूर्ण निदान तकनीक (लिंग जाँच निषेध) अधिनियम 1994 (पी.सी. पी.एन.डी.टी. अधिनियम) के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु प्रभावी कदम उठाए गए हैं, इस मामले को बंद कर दिया।

26. महबूबनगर आंध्र प्रदेश में मै. सालगुटी प्लास्टिक लिमिटेड में बाल मजदूर
(मामला सं0 401/1/2006–2007)

4.228. रा.मा.अ. आयोग ने सचिव, शिक्षा विभाग को अपनी टाँगे गँवा चुके घायल व्यक्तियों को दिए गए मुआवजे से संबंधित, यदि कोई मुआवजा दिया गया है, से संबंधित अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। राज्य सरकार ने अपनी रिपोर्ट में सूचित किया कि कामगार मुआवजा अधिनियम, 1923 की धारा 7 के साथ पठित धारा 4(1) (घ) के अनुसार पीड़ित को रुपए 35,500/– की राशि अदा की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त पीड़ित को उसके चिकित्सीय और अन्य व्ययों के लिए रुपए 1,10,000/– की राशि अदा की गई है। कामगार मुआवजा अधिनियम 1923 के अंतर्गत मुआवजे से संबंधित अंतिम रिपोर्ट अभी आयोग को प्राप्त होनी है।

27. मेरठ जिला, उत्तर प्रदेश में धर्मपाल और 28 अन्य को उनके परिवारों सहित उन्हें बंधुआ मजदूर रखना (मामला सं0 36851/24/2006–2007)

4.229. रा.मा.अ. आयोग ने जिला अधिकारी, मेरठ को बंधुआ मजदूरों को बंधन से मुक्त कराने और प्रत्येक को मुक्ति प्रमाण–पत्र जारी करने के निदेश दिए। उन्हें सभी बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास (रुपए 20,000/– प्रति बंधुआ मजदूर की दर से) हेतु रुपए 5,80,000/– की संस्वीकृति देने के भी निदेश दिए।

4.230. उप–जिला अधिकारी, मेरठ ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि 25 बंधुआ मजदूरों की मुक्ति को अधिसूचित कर दिया गया है। शेष तीन मजदूरों को संबद्ध सूची में शामिल नहीं किया जा सका क्योंकि वे अवयस्क थे। आयोग ने जिला अधिकारी, मेरठ को बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु आयोग द्वारा संस्तुत राशि की अदायगी से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। जिला अधिकारी, मेरठ से अभी यह रिपोर्ट प्राप्त होनी है।

28. चिकित्सीय देखभाल न दिए जाने के कारण बैरे की मौत (मामला सं0 2272/30/2005–2006)

4.231. आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की सरकार को मृतक बैरे के नजदीकी रिश्तेदार को रुपए 50,000/– देने की संस्तुति की। चूंकि मृतक के कानूनी वारिस का पता नहीं लग सका, आयोग ने यह कहते हुए मामले को बंद कर दिया कि जब कभी मृतक का नजदीकी रिश्तेदार मुआवजा माँगता है तो उसे मुआवजा अदा कर दिया जाए।

29. चिकित्सीय उपचार करने से मना करने के कारण तिरूवनंतपुरम, केरल में वेणुगोपाल नायर की मौत (मामला सं0 95/11/1999–2000)

4.232. इस मामले में, आयोग ने राज्य सरकार को मृतक के नजदीकी रिश्तेदार को आर्थिक राहत के रूप में रुपए 50,000/– की राशि देने की संस्तुति की। बहरहाल, मामले पर पुनः विचार करने के उपरान्त आयोग को यह पता लगा कि राज्य सरकार ने केरल उच्च न्यायालय, अरनाकुलुम में शिकायतकर्त्ता और आयोग के विरूद्ध रिट याचिका सं0 36890/2007 दायर की है। यह मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है।

30. सी.जी.एच.एस. डिस्पेंसरी, पुष्प विहार, दिल्ली द्वारा की गई लापरवाही से सुश्री सुनीता को हुई परेशानी। (मामला सं0 102/30/2005–2006)

4.233. आयोग ने केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सी.जी.एच.एस.) के निदेशक को शिकायतकर्त्ता को रुपए 1,00,000/– की राशि अदा करने की संस्तुति की। सरकार ने आयोग द्वारा संस्तुत सिफारिश के विरूद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय में सिविल रिट याचिका सं0 9776/2007 दायर की। यह मामला अभी न्यायालय के विचाराधीन है।

31. तिरूवनंतपुरम केरल में श्री अवितम तिरूणल अस्पताल में बैक्टीरिया संक्रमण के कारण शिशु की मौत (मामला सं0 14/11/12/2007–2008)

4.234. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, केरल सरकार को इस मामले में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निदेश दिए गए। चूंकि बार–बार अनुस्मारक दिए जाने के बावजूद आयोग में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई, आयोग ने इसके सचिव को रिपोर्ट सहित आयोग में प्रस्तुत होने के समन जारी किए।

4.235. आयोग के निदेशों के अनुपालन में सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, केरल सरकार से रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट में यह बताया गया कि श्री अवितम विरूणल अस्पताल में शिशुओं की मृत्यु दर को कम करने के लिए उपचारात्मक उपाय किए गए हैं। रिपोर्ट पर विचार करने पर आयोग ने यह मामला बंद कर दिया।

32. आलमगंज, पटना, बिहार में बिजली का करंट लगने से रविकांत पुरी की मौत (मामला सं0 1902/4/2000–2001)

4.236. रा.मा.अ. आयोग ने इस मामले में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बी.एस.ई.बी.) को सत्य नारायण बेलदार, रामेश्वर प्रसाद, उमेश कुमार और रविकांत पुरी के नजदीकी रिश्तेदारों को रुपए 50,000/ की राशि अदा करने की संस्तुति की। आयोग की संस्तुतियों का पालन होने के पश्चात् रा.मा.अ. आयोग ने यह मामला बंद कर दिया।

33. सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में पटाखों की फैक्टरी में विस्फोट से 11 कामगारों की मृत्यु (मामला सं0 33497/24/2004–2005)

4.237. आयोग ने मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 18(क) (i) के अंतर्गत पूछते हुए नोटिस जारी किया कि इस घटना में मरने वाले कामगारों के परिवारों को राज्य सरकार को आर्थिक राहत देने को क्यों नहीं कहा जाए। चूंकि राज्य से इसका कोई प्रत्युत्तर नहीं आया, रा.मा.अ. आयोग ने इस संबंध में एक और अनुस्मारक जारी कर दिया।

34. उत्तरी–पूर्वी रेलवे, वाराणसी द्वारा रोके गए सेवानिवृत्ति की प्रतीक्षा करते हुए सोचन की मृत्यु (मामला सं0 37757/24/2000–2001)

4.238. आयोग ने इस मामले में पाया कि श्री सोचन की बकाया राशि को अदा करने में विलम्ब करके रेलवे विभाग ने शिकायतकर्त्ता के मानव अधिकारों का उल्लंघन किया है और इसलिए आयोग ने यह पूछते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया कि मृतक के मानव अधिकारों के उल्लंघन के कारण उसके नजदीकी रिश्तेदार को मुआवजे की संस्तुति क्यों न की जाए। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि शिकायतकर्त्ता की जायज बकाया राशि को देने में विलम्ब करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय जाँच शुरू की जाए। इसके अतिरिक्त आयोग ने रिपोर्ट माँगते हुए यह भी पूछा कि क्या मृतक की विधवा को विलम्ब से किए गए भुगतान पर कोई ब्याज दिया है या नहीं। आयोग को अभी यह रिपोर्ट प्राप्त होनी है।

(घ) मानव अधिकारों के उल्लंघन के पीड़ितों/मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों को प्रदान की गई आर्थिक राहत/ अनुशासनात्मक कार्रवाई/दोषी जन सेवकों के विरूद्ध अभियोजन के संबंध में आयोग की संस्तुतियाँ।

4.239. वर्ष 2008–2009 के दौरान 373 मामलों में पीड़ित/मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों को आर्थिक राहत के रूप में रुपए 5,02,49,000/– की राशि अदा करने की संस्तुति की। आयोग ने 11 मामलों में दोषी पुलिस अधिकारियों/लोक सेवकों के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई करने और एक मामले में दोषी पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध अभियोजन चलाने की संस्तुति भी की। इन मामलों का राज्यवार विवरण अनुलग्नक–6 पर दिया गया है।

4.240. आयोग को 373 मामलों में से 111 मामलों में आर्थिक राहत से संबंधित अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त हुई और पीड़ितों/मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों को रुपए 1,02,90,000/– की राशि अदा की गई। दोषी लोक सेवक के विरूद्ध आयोग द्वारा संस्तुत अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रत्युत्तर में एक मामले में अनुपालन रिपोर्ट भी प्राप्त हुई। आयोग को 262 मामलों में जिनमें रुपए 3,99,59,000/– रुपए की राशि आर्थिक राहत संस्तुत की गई है, पर अभी अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त होनी है (अनुलग्नक–7)। आयोग से 10 मामलों में दोषी पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध संस्तुत की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई (अनुलग्नक–8) और दोषी पुलिस अधिकारियों पर अभियोजन चलाए जाने की संस्तुतियों से संबंधित एक मामले में (अनुलग्नक–9) अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

4.241. जहाँ तक पूर्व वर्षो से संबंधित अनुपालन रिपोर्ट का संबंध है आयोग को 1999–2000 से 2007–2008 तक की अवधि के 71 मामलों में अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है (अनुलग्नक–10)। इन मामलों की विस्तृत रिपोर्ट आयोग की पूर्व वर्षों की वार्षिक रिपोर्टों में दी गई है।

*****

नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार

अध्याय 5

क. आतंकवाद एवं उग्रवाद

1.1 हाल ही के वर्षों में नागरिक स्वतंत्रता और मानव अधिकारों के विषय बहुत ही जटिल होते जा रहे हैं, विशेषरूप से भारत जैसे देशों में, जो आतंकवाद और उग्रवाद की विपत्ति का सामना कर रहे हैं। आतंकवाद और उग्रवाद का लक्ष्य समाज और राज्य को अस्थिर बनाना है। अतः यह अनिवार्य है कि इनके सभी प्रकारों और रूपों का सामना कर उन्हें निष्प्रभावी किया जाए। मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

5.2 हाल में, आतंकवाद और उग्रवाद के कार्य पूरे विश्व में फैल गए हैं, जिससे मासूम लोगों के जीवन पर दुष्प्रभाव पड़ा है। कुछ समय पूर्व केवल भारत में ही आतंकवाद और उग्रवाद की कुछ सबसे खराब रूप नजर आ रहे थे। आतंकवाद और उग्रवाद निस्संदेह रूप से मानव अधिकारों के कट्टर शत्रु हैं तथा इस मामले पर कोई दो राय नहीं हो सकती। आतंकवाद और उग्रवाद के सभी प्रकारों एवं रूपों से अवश्य निपटा जाना चाहिए तथा उन्हें बेअसर किया जाना चाहिए। अतः यह आवश्यक है कि यदि सभी व्यक्तियों के मानव अधिकारों का संरक्षण करना है तो आतंकवाद और उग्रवाद के सभी प्रकारों से जूझना और उनका खात्मा करना अनिवार्य है क्योंकि आतंकियों का निशाना – आवश्यक मूल अधिकार – जीवन के अधिकार के बिना मनुष्य अन्य अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकते।

5.3 इसके बाद एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपनाए जाने वाले साधन क्या हों? राष्ट्रीय मानव आयोग का पूर्ण रूप से यह मानना है कि आतंकवाद–रोधी तथा उग्रवाद–रोधी उपाय राज्य द्वारा संविधान, देश के कानूनों तथा राष्ट्र के संधि दायित्वों के अनुरूप किए जाने चाहिए। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का यह भी मानना है कि आतंकवाद और उग्रवाद के जोखिम को केवल पुलिस तथा सशस्त्र बलों जैसे राज्य अभिकरणों के ऊपर ही नहीं छोड़ना चाहिए बल्कि समाज के सभी वर्गों द्वारा मिलजुल कर इसका सामना किया जाना चाहिए। यही वजह है कि आयोग इस समस्या के सामाजिक–आर्थिक पहलुओं पर निरंतर बल देता रहा है तथा मानव अधिकारों के हनन के दोषी व्यक्तियों से निपटने के लिए कानूनों के प्रभावी प्रवर्तन तथा सुशासन हेतु पारदर्शिता एवं जवाबदेही की भी मांग करता है।

ख. हिरासतीय हिंसा एवं उत्पीड़न

5.4 वर्ष 1993 में अपनी स्थापना काल से ही राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के लिए हिरासतीय हिंसा एवं उत्पीड़न पर नियंत्रण करना चिंता का मुख्य विषय रहा है। आयोग ने शीघ्र ही 14 दिसम्बर, 1993 को निदेश जारी किए कि हिरासतीय मौत अथवा बलात्कार की घटना की जानकारी उसके घटने के 24 घंटों के भीतर आयोग को दी जानी

चाहिए; इसमें यह भी बताया गया था कि तत्काल रिपोर्ट न देने पर यह माना जाएगा कि किसी घटना को दबाने के लिए किया जा रहा था। बाद के निर्देशों में यह उल्लेख था कि हिरासतीय मौत की जानकारी में शव–परीक्षा रिपोर्ट, शव–परीक्षण की वीडियोग्राफी, जांच रिपोर्ट, मजिस्ट्रेटी जांच रिपोर्ट आदि शामिल होने चाहिए। इस प्रकार के मामलों की छानबीन में होने वाली देर को दूर करने की दिशा में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने दिसम्बर 2001 में अतिरिक्त दिशा–निर्देश जारी किए जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को घटना घटित होने के दो महीने के भीतर अपेक्षित रिपोर्ट भेजने को कहा गया; इसमें अन्य बातों के साथ–साथ यह रेखांकित किया गया था कि आयोग द्वारा तैयार किए गए नए प्रपत्र के अनुरूप शव–परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएँ। ये निदेश पिछले कुछ वर्षों में पुलिस एवं लोक सेवकों द्वारा हिरासतीय हिंसा एवं उत्पीड़न पर निगरानी रखने में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के लिए सहायक रहे हैं। जिन मामलों में इस प्रकार की घटनाओं की रिपोर्ट देने में विलंब हुआ हो, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग संलिप्त लोक सेवकों के आचरण के लिए प्रतिकूल संदर्भ निकाल सकता हैं। ऐसे मामलों में यह देखने के लिए कि क्या मौत हिरासतीय हिंसा अथवा लापरवाही के कारण हुई है तथा मामले को तर्कसंगत परिणति तक पहुँचाने, आयोग ने मामले में आगे जांच की है।

5.5 इस प्रकार के मामलों में सच की खोज करना, उन व्यक्तियों के अधिकारों के सरंक्षण के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, जो राज्य की हिरासत में हैं। जब कोई गलत कार्य किया गया होता है; आश्चर्य नहीं कि कभी–कभी सच को ढँकने अथवा संलिप्त व्यक्तियों के दायित्वों को कम करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। जैसा कि पिछली वार्षिक रिपोर्ट में देखा गया है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने यह इंगित करते हुए हिरासतीय हिंसा और उत्पीड़न के प्रति सावधान किया था कि कानून प्रवर्तन अभिकरणों के द्वेषपूर्ण व्यवहार के कारण प्रवर्तन अभिकरणों के लिए विधि विहीनता और अवमानना को बढ़ावा मिलता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का यह दृढ़ मत है कि हिरासतीय अपराधों में कमी लाना सुनिश्चित करने का एक तरीका है कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करना, जिसमें हिरातसीय हिंसा के सभी प्रकारों के उत्प्रेरकों, यहां तक कि उत्पीड़न से संबंधित व्यक्तियों के प्रति अभियोजन शामिल है। इस प्रकार के अनेक मामलों में आयोग ने दोषी अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की संस्तुति की है तथा मृतक अथवा पीड़ित के निकटतम रिश्तेदार को वित्तीय राहत स्वीकृत की है। हालांकि, कई मामलों में विभागीय कार्रवाई में प्राधिकारियों द्वारा दिया गया दण्ड किए गए अपराध को समानुपात में नहीं है।

हिरासतीय मौतें

5.6 समीक्षाधीन अवधि के दौरान आयोग को न्यायिक हिरासत में मौतों के 1523 मामले, पुलिस हिरासत में मौतों के 127 मामले तथा अर्द्ध–सैनिक/रक्षा बलों की हिरासत में मौतों के 4 मामले प्राप्त हुए। आयोग ने हिरासतीय मौतों के 2349 मामले निपटाए जिसमें न्यायिक हिरासत में मौतों के 2147 मामले, पुलिस हिरासत में मौतों के 201 मामले तथा अर्द्ध सैनिक/रक्षा बलों की हिरासत में मौत का 1 मामला शामिल है। इन आंकड़ों में पिछले वर्षों के मामले भी शामिल हैं।

5.7 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा वर्ष 1993–94 के दौरान पुलिस और न्यायिक हिरासत में हुई मौतों के कुल 34 मामले पंजीकृत किए गए। वर्ष 1994–95 से 2008–09 तक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने पुलिस हिरासत में मौत के 2329 मामले तथा न्यायिक हिरासत में मौत के 16,132 मामले दर्ज किए। आयोग में वर्ष 1993–94 से 2008–09 तक पुलिस और न्यायिक हिरासत में मौत से संबंधित दर्ज मामलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र तथा वर्ष–वार ब्यौरा अनुलग्नक 11 में दिया गया है। वर्ष 1994–95 से 2008–09 की अवधि के दौरान पुलिस हिरासत में हुई मौतों की सबसे

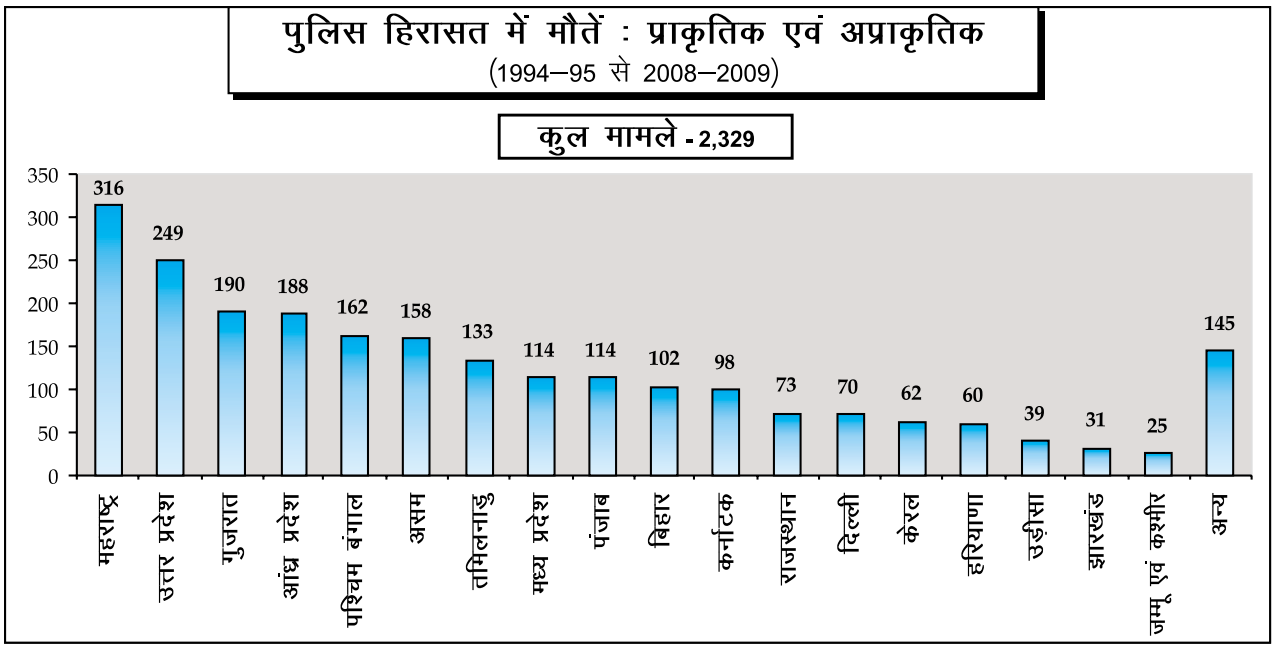

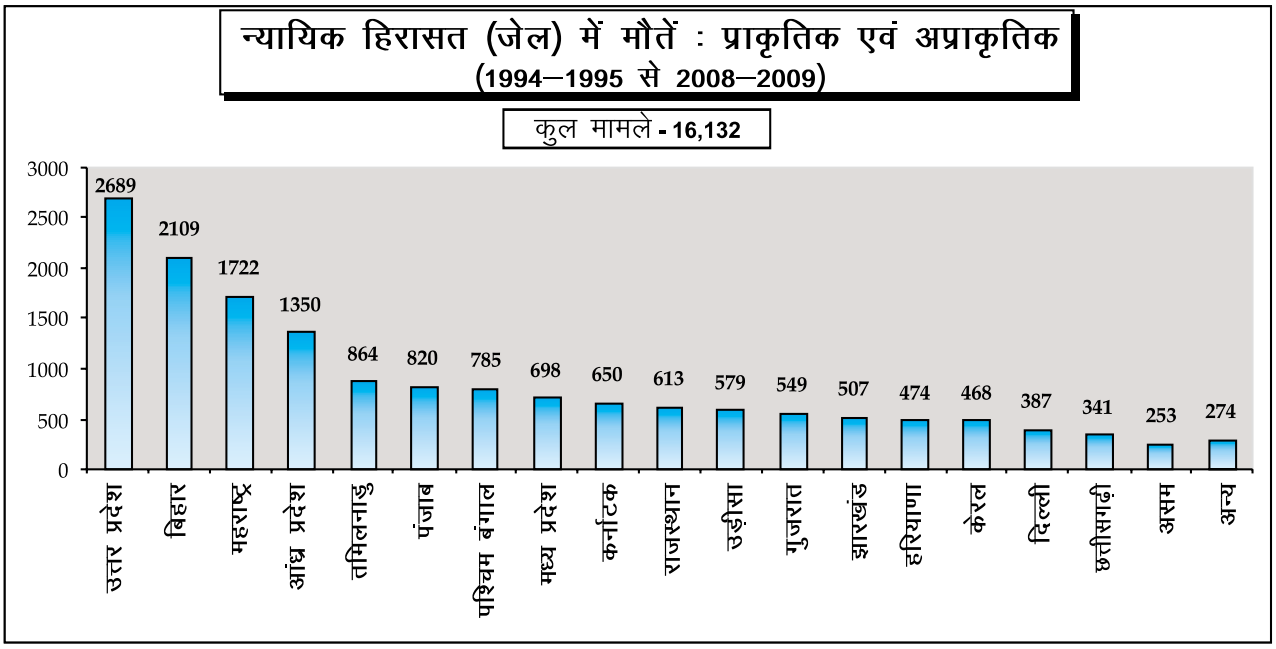

अधिक संख्या महाराष्ट्र राज्य से (316), इसके बाद उत्तर प्रदेश से (249), गुजरात (190), आंध्र प्रदेश (188) तथा पश्चिम बंगाल (162), सूचनाएं प्राप्त हुई, जैसा कि अगले पृष्ठ मे ग्राफ में दर्शाया गया है :–

5.8 वर्ष 1994–95 से 2008–09 के दौरान सबसे अधिक संख्या में उत्तर प्रदेश राज्य से (2688), इसके बाद बिहार (2,109), महाराष्ट्र (1722), आंध्र प्रदेश (1350) तथा तमिलनाडु (864) से न्यायिक हिरासत में मौतों की सूचनाएं प्राप्त हुईं। अन्य राज्यों से संबंधित विवरण की जानकारी हेतु ऊपर दिया गया ग्राफ देखें :–

ग. जेलों में दशाएं

5.9 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अनुसार आयोग के कार्यों में से एक कार्य राज्य सरकारों के नियंत्रणाधीन जेलों का दौरा करना है, जहां पर लोगों को उपचार, सुधार अथवा संरक्षण हेतु कैद अथवा बंद किया गया है, ताकि आयोग वहां पर विद्यमान जीवन की दशाओं के बारे में जान सके तथा सरकार से उनके संबंध में संस्तुतियां कर सके।

5.10 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में बारंबार यह दोहराया है कि कैदियों के मानव अधिकार अनुलंघनीय हैं तथा कैदी अथवा बंदी होने का अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य होने के नाते उनके मानव अधिकार छीन लिए जाए। यह इस कारण से है क्योंकि उन्हें कानूनी प्रक्रिया के द्वारा – केवल उनकी स्वतंत्रता से उस विशेष अपराध करने में संलिप्तता के कारण (कथित अथवा सिद्ध रूप से, जैसा भी मामला हो) अस्थाई रूप से वंचित किया गया है, उन्हें कैद में न केवल अपराध करने के लिए निवारक रूप में सजा भुगतने, बल्कि सुधार के लिए भी रखा जाता है।

5.11 जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया गया है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने उत्पीड़न अथवा किसी भी प्रकार के निर्मम, अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार के पूर्ण निषेध पर हमेशा ज़ोर दिया है। आयोग यह भी रेखांकित करता है कि यद्यपि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा कैदियों को परिवार के साथ संपर्क प्रतिबंधित किया जा सकता है, परन्तु इससे पूर्ण रूप से छीना नहीं जा सकता। साथ ही आयोग इस बात पर भी जोर देता है कि महिला कैदियों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। तद्नुसार, पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने अनेक दिशा–निर्देश जारी किए, घटनास्थल पर जाकर जांच करने के बाद टिप्पणियां दी तथा जेलों में दशाओं को सुधारने के लिए अनेक अन्य कदम उठाए ताकि कैदी गरिमा के साथ अपना जीवन जी सकें तथा अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें भले ही वे निर्णय के लिए अथवा अपनी सजा पूरी होने का इंतजार कर रहे हों।

जेलों के दौरे :

5.12 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत दिए गए कार्यों के अनुरूप में वर्ष 2008–2009 के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में स्थित 10 जेलों में आयोग के 5 विशेष संपर्ककर्त्ताओं ने दौरा किया। उनके द्वारा दौरा की गई जेलों के नाम हैं :– मेघालय में शिलांग जिला जेल (जून और जुलाई 2008); चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित पुझल केन्द्रीय जेल I, II एवं III, (जुलाई 2008); पुणे, महाराष्ट्र में यरवदा केन्द्रीय जेल (जुलाई 2008); बिहार में मुंगेर जिला जेल तथा जमुई जेल (अगस्त 2008); सिक्किम में रोंगयेक केन्द्रीय जेल (सितम्बर 2008); झारखण्ड में खुंटी उप–मण्डलीय जेल (सितम्बर 2008; असम में तेजपुर केन्द्रीय जेल (अक्टूबर 2008); गोवा में अगुआडा केन्द्रीय जेल (दिसम्बर 2008); तथा उड़ीसा में भवानीपटना जिला जेल। इन दौरों का मुख्य उद्देश्य जेलों के कार्यों का अवलोकन करने के साथ–साथ वहां रहने वाले कैदियों की मानव अधिकार दशाओं का अध्ययन करना था। विशेष संपर्ककर्त्ताओं द्वारा तैयार की गई दौरों की रिपोर्टों के आधार पर निम्नलिखित विषयों पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है : –

भीड़भाड़:

दौरा की जाने वाली अधिकांश जेलों में कम अथवा बड़े पैमाने पर भीड़भाड़ पाई गईं। इसके कारण कैदियों की रहने की दशाएं असंतोषजनक पाई गई। उदाहरण के लिए शिलांग स्थित जिला जेल में स्थान की कमी के कारण बड़ी संख्या

में पुरूष कैदी अन्य कैदियों से भरे हुए पलंगों के नीचे सोए हुए थे जबकि बिहार में जमुई की जिला जेल में कैदियों के पास सोने के लिए अपेक्षित स्थान भी नहीं था। जेलों में भीड़भाड़ के लिए जिम्मेदार महत्वपूर्ण तथ्यों में से एक था, सिद्धदोष की तुलना में विचारणाधीन कैदियों की संख्या में बढ़ोतरी होना। विशेष संपर्ककर्त्ता द्वारा किए गए दौरे के दिन जमुई जिला जेल, बिहार में 188 कैदियों की स्वीकृत क्षमता की तुलना में 629 विचाराधीन तथा 28 सिद्धदोष कैदी थे। जिला जेल मुंगेर (बिहार) में भी 482 कैदियों की स्वीकृत क्षमता की तुलना में 521 विचाराधीन तथा 57 सिद्धदोष कैदी थे। चेन्नई में पुझल केन्द्रीय जेल, पुणे में यरवदा केन्द्रीय जेल तथा सिक्किम में रोंगयेक केन्द्रीय जेल के सिवाय दौरा की गई अन्य सभी जेलों में चाहे वह पुरूष वार्ड हों अथवा महिला वार्ड, सभी में विचाराधीन और सिद्धदोष कैदियों को एक साथ बंद किया गया था। यह एक चिंता का विषय है जिस पर जेल प्राधिकारियों द्वारा तत्काल ध्यान दिए जाने तथा सुधार लाने की आवश्यकता है। जेलों में भीड़भाड़ की विद्यमान समस्या के समाधान का एक तरीका, पूरे देश में राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में नई जेलों का निर्माण हो सकता है।

विचाराधीन कैदी

अधिकांश जेलों में बड़ी संख्या में विचाराधीन कैदी अनुचित रूप से लंबे समय से पड़े हुए थे। अनेक मामलों में वे जमानत लेने में अक्षम थे, जबकि अन्य मामलों में जमानत मंजूर होने के बावजूद वे न्यायालय द्वारा निर्धारित जमानत राशि देने में सक्षम नहीं थे। विभिन्न जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों में बड़ी संख्या उन कैदियों की थी जिन्होंने छोटे–मोटे अपराध किए हैं। जेल परिसर के अंदर कैम्प न्यायालय आयोजित करके किया जा सकता है। रोंगयेक केन्द्रीय जेल में यह सूचित किया गया था कि कई बार ऐसे मामलों का अतिशीघ्र निपटान न्यायालय जमानत बॉण्ड को तब तक स्वीकार नहीं करता, जब तक जमानत देने वाला सरकारी सेवक न हो अथवा 5 एकड़ से अधिक भूमि का स्वामी न हो। इसके परिणामस्वरूप अनेक विचाराधीन कैदी तीन वर्ष से अधिक की समय से जेल में बंद थे। उनके मामलों को शीघ्र निपटान हेतु संबद्ध न्यायालयों के संज्ञान में लाए जाने की आवश्यकता है। यरवदा केन्द्रीय जेल में भी बड़ी संख्या में विचाराधीन कैदी थे, जिन्हें न्यायालय द्वारा जमानत मिल गई थी परन्तु कोई जमानत देने वाला उपलब्ध न होने के कारण उन्हें रिहा किया जा सकता था। इसके अलावा विचाराधीन कैदियों को जेल से न्यायालय तक ले जाने के लिए पुलिस मार्गरक्षियों को उपलब्ध कराना कठिन था। बिहार के मुंगेर जिला जेल में कुछ विचाराधीन कैदियों द्वारा यह आरोप लगया गया था कि न्यायालय ले जाते समय प्राधिकारियों द्वारा उनके अंगूठे के निशान लिए गए थे; परन्तु उन्हें वास्तव में मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। गंभीर आरोप होने के कारण इस मामले की जांच किए जाने की आवश्यकता है तथा विचाराधीन कैदियों को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। खुंटी उप–मण्डलीय जेल झारखण्ड में बंद विचाराधीन कैदियों ने भी उनके मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु आग्रह किया।

सिद्धदोष कैदी

बिहार की मुंगेर जिला जेल में यह देखा गया कि कुछ सिद्धदोष कैदियों को वर्दियां उपलब्ध नहीं कराई गई थी। यह बात भी सामने आई कि इस जेल के कुछ सिद्धदोष कैदियों से जेल परिसर में स्थित किशोर गृह में चौकीदार का काम लिया जाता था। जेल महानिरीक्षक को चाहिए कि वह इस विषय में जांच–पड़ताल करे तथा यह सुनिश्चित करे कि बिहार जेल नियमावली में दिए गए उपबंधों का उल्लंघन नहीं हो रहा। यह पाया गया कि दौरा की गई विभिन्न जेलों

में अनेक सिद्धदोष कैदियों की अपीलें लंबे समय से उनके अपने–अपने राज्यों के उच्च न्यायालयों में लंबित पड़ी थी। उदाहरण के लिए केन्द्रीय जेल – I, पुझल में 11 सिद्धदोष कैदियों की अपील चैन्नई न्यायालय में लंबित थीं। 5 आजीवन कैदियों के मामले भी परामर्शी बोर्ड के समक्ष उनकी समयपूर्व रिहाई के लिए विचारण करने हेतु लंबित थे। इसी प्रकार भवानीपटना जिला जेल, उड़ीसा में सिद्धदोष कैदियों की 39 अपील याचिकाएं राज्य उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित थीं। इनमें से 24 अपीलें 5 वर्षों से भी अधिक अवधि से लंबित थी जबकि शेष आठ वर्षों से भी अधिक अवधि से लंबित थी। इनमें से अधिकंश अपीलकर्त्ता गरीब थे तथा अपने खर्चे पर वकील कर सकने की स्थिति में नहीं थे। इसी प्रकार, यरवदा केन्द्रीय जेल, पुणे में बंद 241 सिद्धदोष कैदियों की अपीलें राज्य उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित पाई गई थी। इनमें से कुछ अपीलें 7 वर्षों से भी अधिक अवधि से लंबित थी।

जेल स्टाफ की कमी

यह देखा गया कि दौरा की गई अधिकांश जेलों में विभिन्न श्रेणियों में अनेक पद रिक्त थे। उदाहरण के लिए केन्द्रीय जेल – II पुझल, चैन्नई, तमिलनाडु में कुल मिलाकर 46 पद रिक्त पड़े थे। केन्द्रीय जेल III, पुझल में, केवल महिला कैदियों को रखने के लिए बनी हैं, 30 पद रिक्त थे तथा उनमें से बड़ी संख्या में रिक्तियां वार्डन के पदों के संबंध में थी। इसी प्रकार यरवदा केन्द्रीय जेल में 60 से अधिक रिक्तियां थी। बिहार के मुंगेर जिला जेल में नियमित जेल अधीक्षक नहीं था। वार्डन और मुख्य वार्डन जैसे महत्वपूर्ण पद भी रिक्त पाए गए। बिहार में जमुई जिला जेल तथा सिक्किम में रोंगयेक केन्द्रीय जेल में भी इसी प्रकार की स्थिति विद्यमान थी। रोंगयेक जेल में कुल स्वीकृत पदों में से उप–जेलर का एक पद, सहायक उप–जेलर का एक पद तथा वार्डन के 31 पद रिक्त पड़े थे।

चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान

यरवदा केन्द्रीय जेल में जेल परिसर के भीतर ही अपना अस्पताल है। बीमारी की प्रकृति के अनुसार कैदियों को या तो इनडोर पेशेंट के रूप में भर्ती किया जाता है अथवा विशेषज्ञ राय और उपचार हेतु ससून जनरल अस्पताल में भेजा जाता है। हालांकि जेल अधिकारियों/डॉक्टरों तथा ससून जनरल अस्पताल के चिकित्सीय स्टाफ के बीच उचित संपर्क एवं समन्वय मौजूद नहीं था। अनेक बार गंभीर बीमारी से पीडित कैदियों को उपचार हेतु जनरल अस्पताल में ले जाने के लिए पुलिस मार्गरक्षियों की आवश्यकता होने पर लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता था। यरवदा जेल में 85 कैदी शारीरिक रूप से असामान्य पाए गए। उन्हें जेल अस्पताल के ऑब्ज़र्वेशन वार्ड में रखा गया था तथा उचित इलाज के लिए उन्हें किसी अन्य अस्पताल में भर्ती किया जाना था। इसके अलावा 21 कैदी एच आई वी/एड्स से प्रभावित थे तथा उन्हें विशेष चिकित्सीय देखरेख तथा ध्यान देने की आवश्यकता थी। मुंगेर जिला जेल का अस्पताल भयंकर दशा में था तथा अंतरंग रोगियों को अत्यधिक अमानवीय तरीके से रखा गया था। उड़ीसा के भवानीपटना जिला जेल में छः बिस्तर वाले अस्पताल का प्रावधान है। हालांकि जेल में किए गए दौरे की अवधि के दौरान चिकित्सीय डॉक्टर का केवल एक पद रिक्त पाया गया था। इसी प्रकार खुंटी उप–मण्डलीय जेल में जेल अहाते के भीतर ही अस्पताल था। हालांकि वहां पर कोई पूर्णकालिक डॉक्टर नहीं था। रोंगयेक केन्द्रीय जेल में अपना अस्पताल नहीं था। अतः कैदियों को उपचार हेतु स्थानीय सरकारी अस्पताल में भेजा जाता था। जेल में 15 दिनों में एक बार एक चिकित्सीय डॉक्टर दौरा करता था।

विधिक सहायता का प्रावधान

दौरा की गई अधिकांश जेलों में विधिक सहायता व्यवस्था को दृढ़ करने की आवश्यकता थी ताकि उन व्यक्तियों को दक्ष वकील उपलब्ध कराए जा सकें, जो उनकी सेवाओं का खर्च वहन करने में असमर्थ थे। झारखण्ड में खुंटी उप–मण्डलीय जेल में बड़ी संख्या में कैदी थे, जो विधिक सहायता से वंचित थे। इसी प्रकार भवानी पटना जिला जेल, उड़ीसा में हालांकि कई कैदी विधिक सहायता प्राधिकरण के माध्यम से वकीलों की सेवाएं प्राप्त कर रहे थे, परन्तु अपने मुवक्किलों के प्रति उनका रवैया कुल मिलाकर निरूत्साहपूर्ण था। रोंगयेक केन्द्रीय जेल में बंद अनेक विचाराधीन कैदियों ने भी विधिक सहायता व्यवस्था के अंतर्गत उन्हें उपलब्ध कराए गए वकीलों के उदासीन व्यवहार के विषय में शिकायत की थी। उनमें से कुछ ने यह रहस्योद्घाटन किया कि ये वकील उनसे तथा उनके परिवार के सदस्यों से सभी प्रकार की ग़ैरकानूनी मांगें करते हैं।

बोर्ड ऑफ विज़िटर्स का गठन/बैठक

बोर्ड ऑफ विजिटर्स, जेल प्रशासन के कार्यों पर निगरानी रखने के लिए एक महत्वपूर्ण संस्थागत प्रबंध है जिसमें नागरिक समाज को शामिल किया जाता है। इसमें सरकारी और ग़ैर–सरकारी दोनों प्रकार के सदस्य शामिल होते हैं। दौरा की गई अधिकतर जेलों में राज्य जेल नियमावली के अनुसार बोर्ड ऑफ विजिटर्स नहीं थे। पुझल केन्द्रीय जेल I में बोर्ड ऑफ विजिटर्स के गठन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, परन्तु इस राज्य सरकार की स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही थी। हालांकि इसके न होने की स्थिति में जिला न्यायाधीश, जिलाधीश/जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अध ीक्षक तथा राज्य मानव अधिकार आयोग के अन्य अधिकारी समय–समय पर नियमित दौरे कर रहे थे। रोंगयेक केन्द्रीय जेल में हालांकि राज्य सरकार ने बोर्ड ऑफ विजिटर्स का गठन किया गया था, परन्तु लंबे समय से इसकी बैठक नहीं हुई थी। तेजपुर केन्द्रीय जेल, असम में बोर्ड ऑफ विजिटर्स के निष्क्रिय होने की सूचना मिली थी। भवानीपटना जिला जेल में बोर्ड ऑफ विजिटर्स का गठन किया गया था। परन्तु वर्ष 2007 में इसके गठन के बाद इसने एक भी जेल का दौरा नहीं किया गया था।

भवनों की मरम्मत तथा रख–रखाव

दौरा की गई अधिकांश जेलें पुराने जीर्ण–शीर्ण भवनों में स्थित थीं तथा इसलिए इनके उचित रख–रखाव के लिए निरंतर मरम्मत की आवश्यकता थी। कुछ पुराने जेल भवनों में जल निकासी की व्यवस्था हमेशा समस्या बनी हुई थी।

साक्षरता एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

लगभग सभी जेलों में साक्षरता एवं व्यावसायिक कार्यक्रम या तो जेल स्टॉफ द्वारा स्वतंत्र रूप से चलाए जा रहे थे अथवा ग़ैर–सरकारी संगठनों की मदद से चलाए जा रहे थे। कुछ जेलों जैसे शिलांग में जिला जेल, गोवा में अगुआडा केन्द्रीय जेल, बिहार में मुंगेर जिला जेल तथा असम में तेजपुर केन्द्रीय जेल द्वारा अपने साक्षरता एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुधार लाने की आवश्यकता थी। जेल प्राधिकारियों द्वारा इस कार्य को करने का एक तरीका यह हो सकता है कि वे अपने साक्षरता एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को गैर–सरकारी संगठनों से सहयोग प्राप्त करके

चलाएं। मेघालय में शिलांग स्थित जिला जेल में कैदियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु मूलभूत सुविधाएं थीं परन्तु स्थान की कमी के कारण उसे निरंतर जारी नहीं रखा जा सका।

प्रशिक्षण

दौरा की गई जेलों के सभी अधिकारियों और स्टॉफ को प्रशिक्षित तथा संवेदनशील करना अत्यंत आवश्यक है। वास्तव में, हमारे देश में सभी जेलों में अधिकारियों एवं स्टॉफ का प्रशिक्षण अनवरत रूप से चलना चाहिए। इस दिशा में बढ़ाया गया कदम न केवल जेल कर्मियों को कर्त्तव्यनिष्ठ तरीके से उनकी भूमिका एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए प्रेरित करेगा बल्कि उन्हें कैदियों से संबंधित विभिन्न विषयों के बारे में जानकारी भी उपलब्ध कराएगा।

अन्य मुद्दे

झारखण्ड के खुंटी उप–मण्डलीय जेल में बंद दो कैदी किशोर लग रहे थे। संबद्ध विशेष संपर्ककर्त्ता द्वारा जेल अधीक्षक को इस मामले की जांच करने का सुझाव दिया गया था। यरवदा जेल में एक 6 वर्ष से अधिक आयु की बालिका थी तथा उसे किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 यथा संशोधित 2006 के अंतर्गत स्थापित बाल गृह भेजे जाने की आवश्यकता थी, जहां उसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सीय देखरेख आदि की व्यवस्था पूर्णतः सुनिश्चित है। उड़ीसा की भवानीपटना जिला जेल में अनेक बूढ़े और दुर्बल कैदी पाए गए थे। उनमें से एक की आयु 85 वर्ष थी। पुझल में महिलाओं की विशेष जेल के परिसर से एक शिशुसदन चलाया जा रहा है जहां 6 बच्चों के लिए भोजन का प्रबंध किया जाता है। हालांकि इन सभी बच्चों का वजन अपेक्षा से कम पाया गया। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसकी राज्य सरकार द्वारा जांच किए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा मेघालय तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य जनजातीय राज्यों में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किए जाने की आवश्यकता है। वर्तमान में कार्यकारी मजिस्ट्रेट को न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में दोहरा कार्य करना पड़ता है जिसके लिए वे प्रशिक्षित नहीं हैं। इसके अलावा कार्यकारी मजिस्ट्रेट, जिनके पास अनेक प्रशासनिक कार्य होते हैं, अधिकतर न्यायिक कार्य के लिए उपलब्ध नहीं होते। इसके कारण न्यायिक हिरासत की प्रक्रिया लंबी होती है अतः कैदियों के मानव अधिकारों का हनन होता है। न्याय प्रबंध के संबंध में मेघालय की एक अनूठी विशेषता है, जिला परिषद न्यायालय की उपस्थिति। इन न्यायालयों की स्थापना संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत केवल अनुसूचित जन–जातियों से संबंधित पक्षकारों को शामिल करने
स
संबंधित केसों का निपटान करने के लिए की गई है। समय बीतने के साथ हत्या से संबंधित मामलों का निपटान करने के लिए भी इन न्यायालयों को अधिकार दिए गए हैं। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कोई मानदण्ड तय नहीं किया गया है, जिसके आधार पर इन मामलों का राज्य न्यायालयों एवं जिला परिषद न्यायालयों के बीच वास्तव में विभाजन किया जा सके। इस पहलू की सावधानीपूर्वक जांच किए जाने की आवश्यकता है।

देश में विभिन्न जेलों में किए गए दौरों के संबंध में की गई संस्तुतियों/सुझावों का सार

5.13 देश में विभिन्न जेलों में विशिष्ट संपर्ककर्त्ताओं द्वारा किए गए दौरों के दृष्टिकोण से सभी जेलों में तत्काल ध्यान दिए जाने वाले विषय कम या अधिक रूप में एक ही प्रकार के थे। अधिकांश जेलें भीड़भाड़ वाली थीं तथा सिद्धदोष

और विचाराधीन कैदियों को एक साथ बंद किया गया था जिसे सुधारने की आवश्यकता है। संबद्ध राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि सिद्धदोष एवं विचाराधीन कैदियों को अलग कर अलग–अलग बंद किया जाए। पुराने होने के कारण अधिकांश जेल भवनों की मरम्मत/नवीकरण किए जाने की आवश्यकता थी। दौरा की गई लगभग सभी जेलों में पद रिक्त थे। जेल प्राधिकारियों द्वारा इन पदों को तत्काल भरे जाने की आवश्यकता थी। खाद्य सामग्रियों एवं यातायात की बढ़ती कीमतों के आलोक में प्रत्येक राज्य में कैदियों के खान–पान हेतु निर्धारित बजट की जांच की जानी चाहिए। गरीब कैदियों सहित सिद्धदोष एवं विचाराधीन कैदियों को उपलब्ध कराए जाने वाले वस्त्रों एवं बिस्तरों के विषय में भी संबद्ध राज्य सरकारों द्वारा जांच की जानी चाहिए। जेल अधिकारियों और स्टाफ को आधुनिक सूचना, जानकारी एवं दक्षता से सुसज्जित करने की दिशा में नियमित अंतराल पर उनके प्रशिक्षण पर यथोचित बल दिया जाना चाहिए। सभी जेलों में कैदियों के लिए विभिन्न व्यावसायिक कौशल प्रदान करने पर जोर दिए जाने की आवश्यकता है। इससे जेलों में न केवल विभिन्न प्रकार के कार्यों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि कैदियों को व्यस्त रखने तथा उन्हें आत्मविश्वासी एवं स्वावलंबी बनाने की प्रक्रिया में भी सहायता मिलेगी। इसी प्रकार, उनकी शिक्षा तथा मनोरंजन संबंधी जरूरतों के प्रति ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। संबद्ध राज्य सरकारों द्वारा कैदियों की जमानत, जमानतकर्त्ता, पैरोल, मजदूरी, माफी, अपील, घर के नजदीकी जेलों में स्थानांतरण, त्वरित विचारण, विधिक सुरक्षा, विधिक उद्देश्यों के लिए वकीलों और परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत, विधिक सहायता का प्रावधान आदि पर भी ध्यान दिया जाने तथा सुधार किए जाने की आवश्यकता है। यह उल्लेख करना उपयुक्त होगा कि विशेष संपर्ककर्त्ताओं द्वारा देश की विभिन्न जेलों में किए गए दौरों की रिपोर्टें संबद्ध राज्य सरकारों को उपचारात्मक कार्रवाई करने हेतु अग्रेषित की गई हैं।

जेल जनसंख्या का विश्लेषण

5.14 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जेल आंकड़ों के विश्लेषण का द्विवार्षिक रूप से संकलन करता है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, आयोग ने 31 दिसम्बर, 2007 तक के जेल आंकड़ों का विश्लेषण किया। देश में कुल जेल जनसंख्या प्राधिकृत जेल क्षमता 2,76,960 की तुलना में 3,73,948 थी। इनमें से विचाराधीन कैदियों का प्रतिशत 67.9 प्रतिशत था। 31 दिसम्बर, 2006 तक 40.15 प्रतिशत की तुलना में समग्र रूप से देश की सभी जेलों एवं उप–जेलों में प्राधिकृत क्षमता से 35 प्रतिशत अधिक भीड़भाड़ थी। वर्तमान प्रवृत्ति उत्साहवर्धक है तथा भविष्य में इस घटती हुई प्रवृत्ति को बनाए रखने के लिए आगे प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। बारह राज्य – उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, झारखण्ड, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, केरल, उड़ीसा, असम एवं पंजाब में भीड़भाड़ का स्तर 36 से 101.3 प्रतिशत था, जो कि प्राधिकृत क्षमता से ऊपर है।

5.15 इन राज्यों में से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (85.7%) तथा गुजरात (67.3%) ने जेलों में भीड़भाड़ कम करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। इसके अलावा वे राज्य जिनमें दिसम्बर, 2006 की तुलना में भीड़भाड़ के प्रतिशत में कमी आई है वे हैं :– झारखण्ड (68.2%), उड़ीसा (44.9%), बिहार (33.8%), हरियाणा (24.3%), महाराष्ट्र (23.9%), आंध्र प्रदेश (18%), लक्षद्वीप (12.5%), सिक्किम (12.4%) तथा गोवा (1.7%)। दिसम्बर 2006 की स्थिति की तुलना में जिन राज्यों में भीड़भाड़ का प्रतिशत बढ़ा है वे हैं:– उत्तर प्रदेश (101.3%), छत्तीसगढ़ (99.5%), उत्तराखंड (50.2%), हिमाचल प्रदेश (45.2%), केरल (45.1%), पंजाब (36%), अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह (33.7%) तथा पुदुचेरि (13.1%)। सात राज्यों

तथा तीन संघ राज्य क्षेत्रों – पश्चिम बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु, मिजोरम, जम्मू व कश्मीर, मणिपुर, नागालैण्ड, दमन एवं दीव, चण्डीगढ़ तथा दादर एवं नागर हवेली में 31 दिसम्बर, 2007 तक इनकी जेलों में खाली क्षमता थी।

5.16 31 दिसम्बर, 2007 तक देश में कुल जेल जनसंख्या का 67.9 प्रतिशत विचाराधीन कैदियों की थी जिसमें पिछले वर्ष के 68.3 प्रतिशत से थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पुदुचेरि, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा तथा उत्तराखण्ड जैसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विचाराधीन कैदियों की संख्या अखिल भारतीय स्तर के 67.9 प्रतिशत से कम है।

5.17 देश में कुल जेल जनसंख्या की तुलना में महिला कैदियों का प्रतिशत, पिछले वर्ष की ही भांति – 4 प्रतिशत था। इस संबंध में दिसम्बर 2004 से दिसम्बर 2007 तक के सर्वेक्षण में मिज़ोरम लगातार 'शीर्ष स्थान' पर रहा है। उच्चतम न्यायालय द्वारा आर.डी. उपाध्याय बनाम आंध्र प्रदेश मामले में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में 5 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को जेलों में अपनी माताओं के साथ रहने की अनुमति है। 31 दिसम्बर, 2007 को 2071 बच्चे (6 वर्ष तक की आयु) देश की जेलों में अपनी माताओं के साथ रह रहे थे।

*****

आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार

अध्याय–6

6.1 महासभा द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अंगीकरण के अनुसरण में तत्कालीन मानव अधिकार आयोग ने महा सभा की तीसरी समिति के साथ मिलकर उस विषय में कार्य करना प्रारंभ किया जिस संधि दायित्वों की बाध्यताओं का आधार बनाने का विचार किया गया था। अंततः इस कार्य से 1966 में दो स्वतंत्र संधिया तथा प्रोटोकॉल उभर कर सामने आए आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार संबंधी अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा (आई सी ई एस सी आर), नागरिक एवं राजनैतिक अधिकार संबंधी अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा (आई सी सी पी आर) तथा पश्चवर्ती दस्तावेज के संबंध में वैकल्पिक प्रोटोकॉल। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1989 में आई सी सी पी आर संबंधी द्वितीय वैकल्पिक प्रोटोकॉल अंगीकष्त किया गया तथा वर्ष 2008 में आई सी ई एस सी आर संबंधी वैकल्पिक प्रोटोकॉल अंगीकृत किया गया। आई सी ई एस सी आर मानव अधिकारों के संबंध में उल्लेखनीय विकास का प्रतिनिधित्व करता है हालांकि इसकी भाषा दायित्वों के बजाय मान्यता पर अधिक आधारित है। तुलनात्मक रूप से आई सी सी पी आर में दायित्व के सिद्धान्त का अधिक दृढ़ता से उल्लेख किया गया है। हालांकि, दोनों अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदाओं की प्रस्तावनाओं में वास्तव में समानता है चूंकि इन दोनों में ही यह माना गया है कि मानव अधिकारों की व्युत्पत्ति मनुष्यों की अंतनिर्हिहित गरिमा से ही हुई है।

6.2 भारत के संविधान में राज्य के कुछ उन निदेशात्मक सिद्धांतों की भी व्याख्या की गई जो देश के शासन के लिए मूलभूत आवश्यकता हैं। राज्य का यह कर्त्तव्य है कि वे अपने नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए इन निर्देशात्मक सिद्धांतों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करें। ये सिद्धांत अनिवार्य रूप से आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों से संबंधित हैं। इनमें अन्य बातों के साथ–साथ कार्य करने का अधिकार; शिक्षा का अधिकार; पोषण के स्तर को बढ़ाना तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार शामिल हैं।

6.3 यह अध्याय 'स्वास्थ्य के अधिकार', 'भोजन के अधिकार', 'शिक्षा के अधिकार' तथा 'महिलाओं एवं बच्चों के अधिकार' पर केन्द्रित है।

क. स्वास्थ्य का अधिकार

6.4 मनुष्य की गरिमा एवं योग्यता, स्वास्थ्य के अधिकार के उपयोग में अंतनिर्हित है। आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों संबंधी अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा, जिसका भारत एक राज्य पक्षकार है, में विशेषरूप से कहा गया है कि 'स्वास्थ्य के उच्चतम प्राप्य स्तर का उपयोग करना', प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। अतः इसे राज्य के दायित्व के रूप में माना जाना चाहिए, जिसके लिए राज्य बाध्य है कि वह सुनिश्चित करे कि इस अधिकार का आदर, संरक्षण एवं

संवर्द्धन हो। वास्तव में, भारत के संदर्भ में, संविधान के अनुच्छेद 21 के उपबंध जीवन के अधिकार में स्वास्थ्य के अधिकार को शामिल करने तथा संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सांविधिक उपचार के अधिकार द्वारा मौलिक अधिकार की गारंटी देने के अर्थ एवं संभावना का विस्तार करने की न्यायिक रूप से व्याख्या करता है। आयोग के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह स्वास्थ्य के विषय को मानव अधिकारों के साथ जोड़े। स्वास्थ्य एवं मानव अधिकारों पर अलग–अलग विचार करने के बजाय जब दोनों को साथ में जोड़ा जाता है तो मनुष्य के कल्याण के लिए अधिक कार्य किया जा सकता है।

चिकित्सा देखरेख तथा मानव शक्ति की उपलब्धता

6.5 स्वास्थ्य के अधिकार की उपलब्धि एवं उपयोग के लिए यह जरूरी है कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों तथा दूर–दराज के हिस्सों में पर्याप्त संख्या में डॉक्टर और अन्य अर्द्धचिकित्सीय स्टाफ उपलब्ध हों।

6.6 आयोग की पिछली वार्षिक रिपोर्टों में यह उल्लेख था कि देश के दूर–दराज के हिस्सों में मानव शक्ति की उपलब्धता पर चर्चा करने के लिए अगस्त, 2007 में आयोग में भारतीय चिकित्सा परिषद, भारतीय नर्सिंग परिषद तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया था। उस बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि डॉक्टरों की कमी से उबरने के लिए एम.बी.बी.एस. छात्रों के लिए एक वर्षीय ग्रामीण पदनियुक्ति को अनिवार्य कर देना चाहिए। अनिवार्य ग्रामीण संयोजन विषय पर आयोग ने अपने विचार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इस विषय की जांच करने के दृष्टिकोण से गठित संबाशिवा राव समिति को भेज दिए थे। समीक्षाधीन अवधि के दौरान आयोग को संबाशिवा राव समिति की रिपोर्ट प्राप्त हुई। समिति ने सुझाव दिया था कि ग्रामीण पदनियुक्ति को सुगम बनाने हेतु एम बी बी एस छात्रों की अंतःशिक्षुता को एक और वर्ष के लिए बढ़ाने के बजाय एक वर्ष के लिए ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करना उन परीक्षार्थियों के लिए अनिवार्य कर देना चाहिए जो अपना स्नात्तकोत्तर पाठ्यक्रमय जारी रखना चाहते हैं। इस उद्देश्य के लिए छात्रों की नियुक्ति उनकी संबद्ध राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए अनुबंध आधार पर की जाएगी। इसी बीच सरकार ने भी रोजगार के उद्देश्यों हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में एक वर्ष की अनिवार्य नियुक्ति आरंभ करने का प्रस्ताव किया।

6.7 आयोग ने भी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से सिफारिश की कि इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना कि क्या एम.बी.बी.एस. छात्र अपने स्नात्तकोत्तर पाठ्यक्रम को जारी रखना चाहते हैं अथवा नहीं, एक वर्षीय ग्रामीण नियुक्ति को अनिवार्य किया जाना चाहिए।

सिलिकोसिस

6.8 आयोग की पिछली वार्षिक रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि सिलिकोसिस फेफड़ों की एक गंभीर बीमारी है जो रेत, पत्थर और खनिजों के चूरे से मिलकर बने धूल वाले फ्री क्रिस्टालाइन सिलिका को सांस के साथ खींचने के कारण होती है। इसलिए यह विकलांग करने वाली, अप्रतिवर्ती तथा कभी–कभी एक घातक फेफड़ों की बीमारी हो जाती है, जो सिलिका का संपर्क समाप्त होने पर भी बढ़ती जाती है। भारत में लाखों मजदूरों को सिलिका के संपर्क में आने से इससे होने वाले उच्च–जोखिम को झेलना पड़ता है। उनमें से उन लोगों की संख्या अधिक है जो अव्यवस्थित क्षेत्रों जैसे स्लेट एवं पेंसिल कटिंग, पत्थरों की कटाई तथा गोमेद उद्योग में हैं।

6.9 यह उल्लेख भी किया गया था कि मानव अधिकारों के उपयोग पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के कारण राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने यह इंगित किया था कि सिलिकोसिस एक व्यावसायिक जोखिम है जिस पर उद्योग, श्रम एवं स्वास्थ्य मंत्रालयों; राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान (एन आई ओ एच); तथा राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य संस्थान (एन आई एम एच) के अनिवार्य हस्तक्षेप तथा अभिमुख होने की आवश्यकता है। आयोग ने सभी प्रभावित व्यक्तियों की देख–रेख तथा आगे के मामलों की रोकथाम, दोनों को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक कानून एवं प्रभावी संचालन तंत्र की भी सिफारिश की। तद्नुसार राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने अपने सदस्यों में से एक सदस्य की अध्यक्षता में सिलिकोसिस संबंधी कार्यबल (टास्क फोर्स) का गठन किया।

6.10 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को वर्ष 2008–2009 के दौरान सिलिकोसिस की समस्या के संबंध में व्यक्तिगत शिकायतें प्राप्त हुई। 1 मई, 2008 को आयोजित बैठक में आयोग ने दोहराया कि सिलिकोसिस एक व्यावसायिक जोखिम है तथा इसकी रोकथाम की जा सकती है यदि संगठित एवं असंगठित निकाय दोनों में मजदूरों की कार्य करने की दशाओं का उचित रूप से संचालन किया जाए तथा नियोक्ताओं द्वारा उचित चेतावनियों का पालन किया जाए। चूंकि किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के पास ऐसी कोई नीति नहीं है जिसमें उन निवारक, उपचारात्मक एवं पुनर्वासात्मक उपायों को सम्मिलित किया हो, जो सिलिकोसिस पीड़ितों के लाभ के लिए अपनाए जा सकते हैं, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने निर्देश दिया कि संघ सरकार तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को निम्नलिखित बिन्दुओं के संबंध में संपूर्ण सूचना उपलब्ध करानी चाहिए :–

(i) सिलिकोसिस की समस्या के निवारण एवं अंततः उन्मूलन के लिए सरकार कितनी समयावधि में क्या कदम उठा रही तथा उसने अपनी कार्रवाई की मॉनीटरिंग के लिए क्या प्रस्ताव किया है?

(ii) क्या सरकार ने सिलिकोसिस की व्यापकता के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है? यदि हाँ, तो चिह्नित पीड़ितों की संख्या कितनी है तथा उनके उपचार का क्या स्तर है;

(iii) सिलिकोसिस की समस्या के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

(iv) फैक्टरी परामर्श सेवा महानिदेशालय तथा श्रम संस्थान द्वारा फैक्टरी अधिनियम की धारा 87 के अंतर्गत तैयार मॉडल नियम 120 के अंतर्गत सूची सं0 XIII के कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

(v) व्यावसायिक रोग – सिलिकोसिस की जांच एवं उपचार के लिए कितने अस्पताल/उपचार केन्द्र विद्यमान हैं?

(vi) मुआवजे के लिए दावा करने हेतु मजदूरों को सक्षम बनाने की प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए क्या कोई नीति तैयार की गई है?

(vii) क्या राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों ने सिलिकोसिस के पीड़ितों को किसी मुआवजे का भुगतान किया है? यदि हाँ, तो उन व्यक्तियों तथा भुगतान की गई राशि का विवरण दें;

(viii) यह सुनिश्चित करने के लिए कि उद्योगों/फैक्टरियों/खदानों/खानों में नियुक्त मजदूरों को मुआवजा प्राप्त हुआ हो, सरकार द्वारा किन बातों पर विचार किया है?

(ix) क्या सरकार ने सिलिकोसिस की रोकथाम एवं निवारण तथा असंगठित क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों के लिए मुआवजे के भुगतान हेतु कोई नीति तैयार की है?

(x) क्या सरकार ने सिलिकोसिस से प्रभावित सभी मजदूरों के पुनर्वास एवं बीमा के लिए किसी बोर्ड अथवा किसी प्रकार का कोष गठित करने का प्रस्ताव किया है?

6.11 इस वार्षिक रिपोर्ट लिखने के समय, आयोग को केवल 18 राज्यों से जवाब प्राप्त हुए थे। आयोग को पीपुल्स राइट एण्ड सोशल रिसर्च सेन्टर बनाम भारत सरकार एवं अन्य मामले में 2006 की रिट याचिका (सिविल) सं0 110 में उच्चतम न्यायालय के दिनांक 5 मार्च, 2009 के आदेश की प्रति भी प्राप्त हुई थी। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने सिलिकोसिस के विषय के संबंध में किसी भी कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को सभी आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने हेतु स्वास्थ्य एवं श्रम मंत्रालयों को निर्देश जारी किए थे। समस्या की गंभीरता को देखते हुए आयोग ने हाल ही में सिलिकोसिस की समस्या पर विशेषज्ञ दल का गठन किया है।

ख. मानसिक स्वास्थ्य

6.12 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अपने स्थापना काल से ही मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के मानव अधिकारों पर उनकी अति संवेदनशीलता तथा उन्हें विशेष संरक्षण की आवश्यकता की दृष्टि से विशेष ध्यान देता आ रहा है। उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष, 1997 में उसे दिए गए अधिदेश के भाग के रूप में आयोग आगरा, ग्वालियर एवं रांची स्थित तीन मानसिक स्वास्थ्य अस्पतालों के कार्यों की मॉनीटरिंग कर रहा है। आयोग ने वर्ष, 1999 में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान तथा न्यूरो साइंस (निमहंस), बैंगलुरू के सहयोग से "मानसिक स्वास्थ्य में गुणवत्ता आश्वासन" शीर्षक से एक मोनोग्रॉफ निकाला। इसने हमारे देश में मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के अधिकारों के विषय में लोगों में काफी जागरूकता उत्पन्न की है। वर्ष 2008–09 के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने सम्मेलन आयोजित करके तथा पूरे देश के मानसिक अस्पतालों में दौरे करके मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के अधिकारों के विषय में बेहतर समझ एवं जागरूकता उत्पन्न करने के अपने प्रयासों को जारी रखा।

6.13 दिनांक 29 से 30 अप्रैल 2008 तक 'निमहंस', बैंगलुरू के सहयोग से राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी में मानसिक स्वास्थ्य एवं मानव अधिकार विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था।

6.14 इसने दिनांक 8 और 9 मई, 2008 को 'निमहंस', बैंगलुरू में स्वास्थ्य सचिवों और राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकारियों की एक बैठक का आयोजन भी किया था। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य 'मानसिक स्वास्थ्य में गुणवत्ता आश्वासन' संबंधी आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के स्तर की समीक्षा करने के साथ–साथ 'मानसिक स्वास्थ्य में गुणवत्ता आश्वासन' संबंधी प्रकाशन को अद्यतन करना था। बैठक के दौरान प्राप्त सुझावों को बाद में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के 'मानसिक स्वास्थ्य देखरेख तथा मानव अधिकार' नामक पुस्तक के प्रकाशन में सम्मिलित किया गया था। पश्चवर्ती प्रकाशन आयोग द्वारा दिनांक 11 अक्टूबर, 2008 को जारी किया गया था तथा इसे संबद्ध संघ मंत्रालय, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ–साथ देश में सभी मानसिक अस्पतालों को भेजा गया था।

6.15 स्वास्थ्य सचिवों एवं मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकारियों के साथ हुई बैठक के दौरान मनोचिकित्सकों की कमी के विषय पर भी विचार–विमर्श किया गया। आयोग ने भारतीय चिकित्सा परिषद् (एम सी आई) से देश में मनोचिकित्सकों की संख्या के अंतर्ग्रहण को बढ़ाने का आग्रह किया। एम सी आई द्वारा आयोग को सूचित किया गया था कि उसने 2008 तक 18 संस्थानों में मनोचिकित्सा में एम डी डिग्री कोर्स को प्रारंभ करने के साथ–साथ 7 संस्थानों में डी पी एम आरंभ करने की स्वीकृति दी थी। इसके अलावा, उसने 2008 तक 4 संस्थानों में सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए स्वीकृति दी थी, जिसके कारण एम डी (मनोचिकित्सा) में 25 सीटें तथा डी पी एम में 28 अतिरिक्त सीटें हो जाएंगी। हालांकि आयोग का यह दृढ़ मत है कि ऐसा करने से भी मांग पूरी नहीं हुई है तथा इसके कारण उपचार में अंतराल एक गंभीर मानव अधिकार हनन है। अतः राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एम सी आई तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में पर्याप्त मानव शक्ति के लिए मांग पूरी करने की दिशा में अपने प्रयासों को तीव्र करने का पुनः अनुरोध करता है।

6.16 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने आगे यह भी सूचित किया था कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान उसने चिह्नित विद्यमान मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों को उन्नत तथा सुदृढ़ करके मानसिक स्वास्थ्य में उत्कृष्ट, कम से कम 11 केन्द्रों के गठन का प्रस्ताव किया है। सभी मेडिकल कॉलेजों, सरकारी आम अस्पतालों, केन्द्र द्वारा संचालित केन्द्रीय स्वास्थ्य संस्थानों को भी मानसिक स्वास्थ्य में पी जी प्रशिक्षण हेतु अंर्तग्रहण क्षमता को बढ़ाने हेतु पोस्ट ग्रेजुएशन (पी जी) पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए समर्थन किया जाएगा।

6.17 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य श्री जी. पी. माथुर की अध्यक्षता में बैंगलुरू स्थित निमहंस में 20 जनवरी, 2009 को एक अन्य बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में मनोचिकित्सकों की कमी के विषय पर व्यापक चर्चा की गई थी। इसमें यह स्वीकार किया गया था कि एम सी आई को 10 वर्षों की अवधि के लिए वर्तमान 1:1 (एक प्रोफेसर : एक छात्र) के स्तर में छूट देकर 1:2 (एक प्रोफेसर : 2 छात्र) करने की आवश्यकता है। बैठक में की गई चर्चा के आधार पर एम सी आई को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को सूचित करने का आग्रह किया गया था कि वे जल्द से जल्द देश में मनोचिकित्सकों की कमी से निपटने के लिए नियमों में छूट के विषय से संबंधित अपने विचारों से अवगत कराएं। इस वार्षिक रिपोर्ट को लिखने के समय तक एम सी आई से जवाब प्राप्त नहीं हुआ था।

6.18 जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, दिनांक 11 नवम्बर, 2007 को उच्चतम न्यायालय द्वारा आगरा, रांची तथा ग्वालियर में तीन बड़े मानसिक स्वास्थ्य अस्पतालों के कार्यों को देखने की जिम्मेदारी सौंपे जाने से ही, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग इन तीनों अस्पतालों के कार्यों की निरंतर मॉनीटरिंग कर रहा है। वर्ष 2008–09 के दौरान ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला (जी एम ए) तथा मानसिक स्वास्थ एवं अस्पताल संस्थान (आई एम एच एच), आगरा का दौरा करने के अलावा आयोग के एक विशेष संपर्ककर्त्ता ने देश में पांच अन्य मानसिक स्वास्थ्य अस्पतालों/संस्थानों का दौरा किया, जिनके नाम हैं – बरेली, उत्तर प्रदेश में मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल (अप्रैल 2008), किलपॉक, तमिलनाडु में मानसिक स्वास्थ्य संस्थान (जुलाई 2008), पुणे, महाराष्ट्र में यरवदा क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल (जुलाई 2008) तथा विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में मानसिक देख–रेख हेतु सरकारी अस्पताल (मार्च 2009)। विशेष संपर्ककर्त्ता द्वारा किए गए दौरों की रिपोर्टों के आधार पर निम्नलिखित विषयों पर तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है : –

भौतिक संरचना एवं ढांचा

अधिकांश मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल पुरानी जीर्ण–शीर्ण इमारतों में स्थित थे और वहीं से कार्य कर रहे थे इसलिए ये अस्पताल भौतिक संरचना एवं ढांचे से संबंधित अनेकों कमियों से जूझ रहे थे। वह इमारत जिसमें बरेली मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल था, 137 वर्ष पुरानी थी। उसमें 7 वार्ड तथा एक फैमिली वार्ड था, परन्तु वहां उचित सुविधाएं नहीं थी जहां परिवार का कोई सदस्य ठहर सके। इसके अलावा वहां बिस्तर अपर्याप्त संख्या में थे, जिसके कारण रोगियों को जमीन पर लेटना पड़ता था। बरेली में मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल में आपतकालीन वार्ड अथवा लाइब्रेरी अथवा मनोरंजन के लिए उचित स्थान नहीं थे। बाह्य रोगी विभाग (ओ पी डी) में उचित रूप से बैठने का इंतजाम नहीं था तथा उसमें स्वच्छ पेयजल का कोई प्रावधान नहीं था। चैन्नई में किलपॉक स्थित मानसिक स्वास्थ्य संस्थान भी ऐसे भवन से कार्य कर रहा था जो 216 वर्ष पुराना था। हालांकि बरेली मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल की तुलना में किलपॉक मानसिक स्वास्थ्य संस्थान बड़ा था, उसमें बजट संबंधी पर्याप्त संसाधन थे तथा इसलिए उसमें अच्छा प्रशासनिक ढांचा था। मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में दवाओं के प्रबंधन में, चाहे वह भंडारण अथवा दवाओं के आबंटन अथवा वितरण से संबंधित हो, किसी प्रकार का अंतराल नहीं पाया गया था। ओ पी डी में बैठने की उचित व्यवस्था के साथ–साथ स्वच्छ पेयजल की सुविधा भी थी। ओ पी डी में औसतन प्रतिदिन 350–450 रोगियों को देखा जाता था। पुणे में यरवदा स्थित क्षेत्रीय मानसिक अस्पताल 93 वर्ष पुराना था। इसमें 2540 संस्वीकृत बिस्तरों की संख्या थी, यह बहुत बड़े मानसिक अस्पताल की श्रेणी में आता है। इसके बावजूद भी पिछले तीन वर्षों के दौरान इसमें औसतन 1700 से अधिक रोगी नहीं आए। इसका एक कारण, आगरा, रांची तथा ग्वालियर के मानसिक अस्पतालों की तरह प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों से प्रत्यायुक्त प्रबंध समिति का न होना, हो सकता है। कटक में एस सी बी स्थित मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल एस सी बी मेडिकल कॉलेज से ही जुड़ा था तथा (क) पैथेलॉजी टेस्ट (ख) अन्य विभिन्न बीमारियों से पीड़ित मानसिक रूप से अस्वस्थ्य व्यक्तियों के विशेषज्ञ उपचार के लिए रेफरल केसों (ग) आहार (घ) कपड़ों की धुलाई तथा (ड.) बड़े प्रशासनिक एवं वित्तीय निर्णयों के लिए उस पर निर्भर था। इसमें उचित दवा वितरण यूनिट अथवा मानसिक रूप से बीमारों के पुनर्वास हेतु हॉफ–वे–होम भी नहीं थे।

अन्य मानसिक अस्पतालों के विपरीत विशाखापट्टनम में चिकित्सा देख–रेख हेतु सरकारी अस्पताल में ढांचा बेहतर था क्योंकि इसमें लगभग सभी सुविधाएं एवं सुख साधन जैसे पेयजल, उचित वायु संचार सहित अच्छी तरह प्रकाशित कमरे, हिंसक रोगियों को रखने के लिए अलग ऑब्जर्वेशन रूम तथा ओ पी डी रोगियों हेतु उचित कंसलटेंशन रूम, मौजूद थी। अंतः रोगी विभाग (आई पी डी) में कुल 315 बिस्तरों की क्षमता वाले नए वार्डों का निर्माण किया गया था। इसके कारण सरकारी अस्पताल में होने वाली संकुलन और भीड़–भाड़ में भारी कमी आई है। हालांकि गैर–सरकारी संगठनों को शामिल कर हॉफ–वे–होम स्थापित करने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किए गए थे। ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला में किए गए दौरे के दौरान महत्वपूर्ण परिवर्तन पाए गए। उदाहरण के लिए स्वच्छता में सुधार लाने के अतिरिक्त कुछ वार्डों को विस्तृत कर दिया था। इन हाउस रोगियों के लिए भोजन से संबंधित बजट, योग एवं ध्यान क्लासों के शुरू करने, दवा प्रबंधन के विकेन्द्रीकरण एवं मनोरंजन सुविधाओं के लिए सुगमता में विस्तार किया गया था। आरोग्यशाला में मनोचिकित्सीय प्रयोगशाला अथवा फीज़ियोथैरेपी यूनिट नहीं थे। मानसिक स्वास्थ्य संस्थान एवं अस्पताल आगरा में महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई दिए। उदाहरण के लिए एक नया ओ पी डी ब्लॉक निर्माणाधीन था।

व्यावसायिकों एवं अन्य स्टॉफ की कमी

लगभग सभी अस्पतालों में मनोचिकित्सकों, नैदानिक मनोवैज्ञानिकों, मनोचिकित्सा संबंधी सामाजिक कार्यकर्त्ताओं तथा अन्य प्रशिक्षित तकनीशियनों जैसे व्यावसायिकों की अपेक्षित संख्या नहीं थी। ऐसा न होने पर, आसानी से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कई अस्पतालों में मनो–समाजिक निवेश जैसे व्यक्तिगत थैरेपी, ग्रुप काउंसलिग, फैमिली थैरेपी, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, केस वर्क आदि पर या तो बहुत कम बल दिया गया था अथवा इन पहलुओं पर कोई ज़ोर नहीं दिया गया था। इसके अलावा इनमें से कई अस्पतालों में स्टॉफ नर्स और परिचारक नहीं थे। उदाहरण के लिए बरेली मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल में पैथोलॉजिकल लैब चलाने के लिए अलग से भवन बनाया गया था परन्तु पैथोलॉजिस्ट/लैब तकनीशियन की अनुपस्थिति में वह क्रियाशील नहीं था। इसके अतिरिक्त इस अस्पताल में योग शिक्षक एवं आहार विशेषज्ञ नहीं था। किलपॉक में भी स्टॉफ नर्सों एवं महिला परिचारकों के पदों को नहीं भारा गया था। क्षेत्रीय मानसिक अस्पताल, यरवदा, पुणे में कुल मिलकर विभिन्न श्रेणियों में 74 पद थे, जो रिक्त पाए गए थे। मानसिक देख–रेख हेतु सरकारी अस्पताल, विशाखापट्टनम में 54 नियुक्त नर्सों (12 हेड नर्स तथा 42 स्टॉफ नर्स) में से कोई भी मनोविकृति विज्ञान में प्रशिक्षित नहीं थी। अकोपेशनल थैरेपिस्ट का पद अगस्त 1995 से नहीं भरा गया था। उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के विपरीत ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला में निदेशक के कार्यकाल में कोई नियमितता विद्यमान नहीं थी। इसके अलावा निदेशक के पद से जुड़ी प्रशासनिक, वित्तीय एवं अन्य शक्तियों पर लगातार अंकुश लगाया जा रहा था।

मानसिक स्वास्थ्य संस्थान एवं अस्पताल, आगरा में विभिन्न पदों को भरे जाने की आवश्यकता थी जिनका विज्ञापन दिया गया था और बड़ी संख्या के वर्ग III तथा वर्ग IV के पद संविदा आधार पर भरे गए थे। साथ ही नर्सों तथा अन्य अर्द्धचिकित्सीय स्टॉफ के इन–हाउस प्रशिक्षण हेतु आवश्यक कदम उठाए गए थे।

चिकित्सीय रिकॉर्ड

अधिकांश मानसिक स्वास्थ्य अस्पतालों में मानसिक रोगियों के व्यक्तिगत तथा परिवार के इतिहास से संबंधित जानकारी को संग्रहित एवं पुनः प्राप्त करने की कम्प्यूटर सुविधा सहित उचित रिकॉर्ड रूम नहीं थे। यह तथ्य कलीपॉक स्थित मानसिक स्वास्थ्य संस्थान तथा कटक में एस सी बी मेडिकल कॉलेज स्थित मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल के लिए सही पाया गया। आरोग्यशाला के रिकॉर्ड रूम को भी विस्तृत करने अथवा अधिक जगह वाले कमरे/स्थान में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी।

रोगमुक्त मानसिक-III रोगियों का बंदीकरण

मानसिक रोग से मुक्त हो चुके व्यक्तियों का उनके निकटतम पारिवारिक सदस्यों/रिश्तेदारों द्वारा अपनाया न जाना, एक बहुत बड़ा तथ्य है जिसके कारण वे लंबे समय तक मानसिक अस्पतालों में कैद में रहते हैं। इस तरह के व्यवहार के लिए परिवार के सदस्यों/रिश्तेदारों द्वारा मुख्य कारण दिया गया था कि उन्हें रोगमुक्त हो चुके मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के "दोबारा बीमार" होने का डर था। यरवादा क्षेत्रीय मानसिक अस्पताल में 595 रोगी ऐसे थे जो वहां पर औसतन 5 से 30 वर्षों की अवधि से रह रहे थे। विशाखापट्टनम स्थित सरकारी अस्पताल तथा आगरा में मानसिक स्वास्थ्य संस्थान अस्पताल में रोगमुक्त हो चुके रोगियों की दुर्दशा की समस्या निरंतर बनी हुई थी।

6.19 विशेष संपर्ककर्त्ता द्वारा सात मानसिक अस्पतालों/संस्थानों में किए गए दौरों की अवधि के दौरान की गई टिप्पणियों पर आयोग द्वारा विचार किया गया था तथा बाद में उन्हें अपेक्षित आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित राज्य सरकारों को भेज दिया गया था। संबंधित राज्य सरकारों से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को उनकी की गई कार्रवाई की रिर्पोट भेजने का आग्रह भी किया गया था।

भारत के चयनित 28 जिलों में मानव अधिकार जागरूकता तथा मानव अधिकारों का सरलीकृत मूल्यांकन एवं प्रवर्तन कार्यक्रम

6.20 आयोग ने देश भर में "मानव अधिकारों की जागरूकता तथा मानव अधिकारों के सरलीकरण मूल्यांकन एवं प्रवर्तन कार्यक्रम" प्रारंभ किया है। इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक राज्य से 28 जिले, भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के "पिछड़े क्षेत्रों के लिए अनुदान कोष" का उपयोग करने के लिए चिह्नित जिलों की सूची से चयनित किए गए थे। "पिछड़े क्षेत्रों के लिए अनुदान कोष" को भारत सरकार के योजना आयोग तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा उनकी राष्ट्रीय कृषि नवीनीकरण योजना के लिए मंजूरी दी गई थी। वे मानदण्ड जिनके आधार पर पिछड़े जिले को चिह्नित किया जाता है, इस प्रकार हैं – साक्षरता की दर, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत, शिशु मृत्यु दर आदि। आयोग द्वारा चिह्नित 28 जिलों के नाम निम्नलिखित हैं : –

क्रम सं0	राज्य	जिला
1.	आंध्र प्रदेश	आदिलाबाद
2.	अरुणाचल प्रदेश	अपर सुबानसिरी
3.	असम	कारबी एंगलोंग
4.	बिहार	जमुई
5.	छत्तीसगढ़	दंतेवाड़ा
6.	गुजरात	डांग
7.	गोवा	साउथ गोवा
8.	हरियाणा	अम्बाला
9.	हिमाचल प्रदेश	चंबा
10	जम्मू एवं कश्मीर	कुपवाड़ा
11.	झारखंड	चतरा
12.	कर्नाटक	बिदर
13.	केरल	वयनाड़
14.	मध्य प्रदेश	झाबुआ

क्रम सं0	राज्य	जिला
15.	महाराष्ट्र	गड़चिरोली
16.	मणिपुर	तमेंगलोंग
17.	मेघालय	दक्षिणी गारो हिल्स
18.	मिज़ोरम	साइहा
19.	नागालैण्ड	मोन
20.	उड़ीसा	कालाहांडी
21.	पंजाब	होशियारपुर
22.	राजस्थान	बांसवाड़ा
23.	सिक्किम	उत्तरी सिक्किम
24.	तमिलनाडु	थिरूवन्नामलाई
25.	त्रिपुरा	धलाई
26.	उत्तर प्रदेश	सोनभद्र
27.	उत्तराखण्ड	चंपावत
28.	पश्चिम बंगाल	जलपाईगुड़ी

6.21 कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, हिरासतीय न्याय, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं साफ–सफाई आदि जैसे मानव अधिकारों पर केन्द्रित विषयों के प्रति स्कूलों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, अस्पतालों, पुलिस स्टेशनों, जेलों, पंचायतों, सार्वजनिक–वितरण प्रणाली के अंतर्गत चलाई जाने वाली राशन की दुकानों, बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा समाज के अन्य कमज़ोर वर्गों आदि के लिए कार्यरत विभिन्न विभागों के स्थल दौरे करके चिह्नित जिलों के लोगों के बीच जागरूकता का प्रसार करना है तथा साथ–साथ "जिला स्तरीय प्रशासन में मानव अधिकार जागरूकता तथा मानव अधिकारों का सरलीकृत मूल्यांकन एवं प्रवर्तन कार्यक्रम" शीर्षक से एक कार्यशाला का आयोजन करना है। प्रत्येक चयनित राज्य में कार्यशाला आयोजित करने का मूल उद्देश्य लोगों को उनके अधिकारों के विषय में जानकारी देने के साथ–साथ विशिष्ट मानव अधिकार विषयों पर समय–समय पर आयोग द्वारा जारी सिफारिशों के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग करना है।

6.22 समीक्षाधीन अवधि के दौरान आयोग द्वारा मानव अधिकार जागरूकता तथा मानव अधिकारों के प्रवर्तन का सरलीकृत मूल्यांकन कार्यक्रम के लिए निम्नलिखित जिलों का दौरा किया गया : –

क्रम सं0	जिला	राज्य	तिथि / माह
1.	चंबा	हिमाचल प्रदेश	3–5 जुलाई, 2008
2.	अंबाला	हरियाणा	6–8 अगस्त, 2008
3.	उत्तरी सिक्किम	सिक्किम	26, 27 एवं 30 सितम्बर, 2008
4.	जलपाईगुड़ी	पश्चिम बंगाल	3–6 नवम्बर, 2008
5.	धलाई	त्रिपुरा	25–28 नवम्बर, 2008
6.	दक्षिणी गारो हिल्स	मेघालय	16–19 दिसम्बर, 2008
7.	सोनभद्र	उत्तर प्रदेश	2–5 फरवरी, 2009
8.	डांग	गुजरात	10–12 फरवरी, 2009
9.	दक्षिणी गोवा	गोवा	25–27 फरवरी, 2009

(घ) खाद्य सुरक्षा

6.23 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य न्यायमूर्ति श्री जी. पी. माथुर की अध्यक्षता में 6 मई, 2008 को 'भोजन का अधिकार' विधेयक पर मार्गदर्शिका तैयार करने संबंधी खाद्य एवं कृषि संगठनों (एफ ए ओ) की पहल पर चर्चा करने हेतु एक बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में एफ ए ओ के प्रतिनिधियों, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों तथा भोजन का अधिकार संबंधी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कोर समूह ने भाग लिया।

6.24 बैठक में चर्चा किए गए विषयों में शामिल थे, उचित मूल्य एवं सरल तंत्र पर विधिक उपचार उपलब्ध कराना; भोजन के अधिकार का प्रवर्तन; निजी निकायों का विनियमन; भोजन के अधिकार की सूक्ष्म एवं बड़े स्तर पर कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग; खाद्य सुरक्षा के स्तरों का निर्धारण करना; तथा भोजन के अधिकार के विषय पर कार्य करने के लिए अनुसंधान एवं संसाधन समर्थन।

(ड.) शिक्षा का अधिकार

6.25 वर्ष 1993 में अपने स्थापना काल से ही राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग शिक्षा के अधिकार के उद्देश्य के लिए वकालत करता आ रहा है। संविधान (छियासीवां संशोधन) अधिनियम 2002 के कार्यान्वयन को सुसाध्य करने की दिशा में आयोग ने 11 से 12 सितम्बर 2008 को नई दिल्ली में शिक्षा का अधिकार विषय पर दो–दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया था। इस सेमिनार में शिक्षा के अधिकार से संबंधित अनेक विषयों पर गंभीरता से विचार–विमर्श किया गया। सम्मेलन में हुई विस्तृत चर्चा के आधार तैयार संस्तुतियों को आयोग द्वारा अंगीकृत किया गया तथा उन्हें मानव

संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबद्ध मंत्रालयों/विभागों तथा अन्य पक्षकारों में परिचालित किया गया। ये संस्तुतियां निम्नलिखित हैं :–

- कुछ मूलभूत एक समान स्तरों को प्राप्त करने की दिशा में केन्द्र सरकार को शीघ्र ही एक उचित विधेयक लागू करना चाहिए क्योंकि संसद द्वारा 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2002 को अपनाए हुए भी पर्याप्त समय बीत चुका है। हालांकि लगभग सभी राज्यों में क्योंकि कुछ स्तर तक निःशुल्क शिक्षा पहले से ही दी जा रही है, राज्य सरकारों को इस अधिकार के प्रवर्तन को सुसाध्य करने के लिए उपाय करने की दिशा में केन्द्रीय अधिनियम के लिए प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है।
- निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार में सभी बच्चों को, केवल आयु के मानदण्ड के बजाय प्राथमिक शिक्षा पूरी करने तक अर्थात् कक्षा VIII को, सम्मिलित किया जाना चाहिए।
- 'शिक्षा की न्यायसंगत गुणवत्ता', 'निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा', 'शर्तों' एवं 'स्तरों' जैसे शब्दों को परिभाषित अथवा व्याख्या करने की आवश्यकता है।
- शिल्प एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए।
- शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी का केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय सरकारों द्वारा अवश्य ली जानी चाहिए। इस संबंध में स्थानीय सरकारी निकायों को अभिभावकों, स्थानीय प्रबंधन समितियों, समुदायों, गैर सरकारी संगठनों आदि की भागीदारी एवं संलिप्तता सुनिश्चित करने के लिए अवश्य ही प्रयास करने चाहिए।
- शिक्षा के अधिकार का प्रवर्तन सुनिश्चित करने में प्रत्येक स्तर पर सरकार/प्रशासन की भूमिका एवं उत्तरदायित्वों को अवश्य ही स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए।
- सरकार को, 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा एवं विकास के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देख–रेख अनिवार्य प्रावधान करने चाहिए।
- संरचना, पाठ्यक्रम, शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षा एवं अन्य अध्यापन आयामों सहित शिक्षा की गुणवत्ता के सभी पहलुओं के लिए न्यूनतम स्तरों को व्यावसायिक निकायों के साथ परामर्श करके निर्धारित किया जाना चाहिए।
- गुणवत्तायुक्त शिक्षा को जन–जन तक पहुँचाने के प्रश्न पर समझौता नहीं किया जाना चाहिए। निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों, वर्दियों तथा मध्यान् भोजन के प्रावधान सभी के लिए होने चाहिए।
- सर्व शिक्षा अभियान (यूनिवर्सल एलिमेंटरी एजूकेशन प्रोग्राम) जैसे अल्पावधिक पहलों को शिक्षा की औपचारिक व्यवस्था में परिवर्तित करने की आवश्यकता है।
- अर्द्ध–शिक्षकों की व्यवस्था का पूरी तरह से उन्मूलन करने की आवश्यकता है तथा पूर्ण रूप से शिक्षित एवं प्रशिक्षित शिक्षकों को भर्ती करने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य हेतु शिक्षक शिक्षा/प्रशिक्षण संस्थानों को विस्तृत एवं सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

- शिक्षा के लिए वित्तीय आबंटन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी करने की आवश्यकता है। आबंटनों की आवधिक समीक्षा करने तथा जरूरतों को पूरी करने के लिए आबंटन बढ़ाने की आवश्यकता है। शिक्षा पर व्यय को मात्र व्यय नहीं समझना चाहिए बल्कि इसे एक निवेश समझा जाना चाहिए।

- शैक्षिक उद्देश्यों को अवश्य ही वास्तविक एवं प्राप्य बनाया जाना चाहिए। शिक्षा के अधिकार के कार्यान्वयन हेतु एक सुनिश्चित समयावधि की आवश्यकता है।

- "सबके लिए शिक्षा" का अर्थ है कि सभी बच्चों को बिना भेदभाव के सौहार्दपूर्ण माहौल में शिक्षा दी जाए तथा लिंग, समाज–आर्थिक समूहों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों से विषमताओं का उन्मूलन किया जाए।

- जबकि शिक्षा में सामान्य शर्तों का अनुपालन किया जाना चाहिए, इसे स्थानीय दशाओं के अनुकूल भी होना चाहिए। प्रत्येक बच्चे को कम से कम पहले दो वर्षों के लिए प्रथम भाषा/मातृभाषा में पढ़ाया जाना चाहिए, जिस दौरान बच्चे को राज्य में शिक्षा के निर्धारित माध्यम में पढ़ाने के लिए सहायता की जानी चाहिए। त्रिभाषा नीति का सख्ती से कार्यान्वयन किया जाना चाहिए।

- स्कूली शिक्षा व्यवस्था में कार्यान्वयन एवं गुणवत्ता आश्वासन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नियामक एवं मूल्यांकन प्रणाली का प्रयोग किया जाना चाहिए।

- गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों को भी गरीब वर्गों के बच्चों का दाखिला देना चाहिए।

- सर्व शिक्षा अभियान (एस एस ए) सहित स्कूलों में शिक्षकों एवं बच्चों दोनों के लिए निरंतर मूल्यांकन को मानदंड बनाना चाहिए।

- प्राथमिक स्कूलों में 1:40 का शिक्षक–छात्र अनुपात तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों में 1:35 के अनुपात को लगातार बनाए रखना चाहिए। हालांकि दीर्घावधि लक्ष्य के रूप में इस अनुपात को 1:20/25 तक पहुंचाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।

- शिक्षा नीति के दीर्घावधि लक्ष्य को एक समान सामान्य स्कूल व्यवस्था के विकास करने की दिशा में होना चाहिए। भारत की ताकत, बड़े अनुपात में युवा पीढ़ी है। हमारे सामने उन्हें परिसंपत्ति में परिवर्तित करने की चुनौती है।

(च) महिलाओं एवं बच्चों के अधिकार

महिलाओं एवं बच्चों पर विशेश केन्द्रित मानव के अवैध व्यापार की रोकथाम एवं सामना करने के लिए एकीकृत कार्य योजना।

6.26 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की पिछली वार्षिक रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि जब महिलाओं एवं बच्चों पर विशेष केन्द्र सहित मानव अवैध व्यापार की रोकथाम एवं सामना करने के लिए एकीकृत कार्य योजना को अंतिम

रूप देने के लिए गठित कार्य बल ने अपना कार्य पूरा नहीं किया तो आयोग ने आइ एन पी ओ ए के प्रारूप को अपनी ओर से स्वीकृति दी तथा इस मामले में आगे आवश्यक कार्रवाई करने हेतु इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एम डब्ल्यू सी डी), भारत सरकार को भेज दिया था। इसकी प्रति उचित कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग तथा श्रम मंत्रालय, भारत सरकार को भी भेजी गई थी।

6.27 बाद में एम डब्ल्यू सी डी ने एक बैठक का आयोजन किया जिसमें गृह मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तथा राष्ट्रीय महिला आयोग के संबद्ध प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था। इस बैठक में भारत सरकार द्वारा आई एन पी ओ ए को औपचारिक रूप से अंगीकृत किया गया। एम डब्ल्यू सी डी ने इस अवसर पर उपस्थित सभी व्यक्तियों का ध्यान, कार्य बिन्दुओं का वर्णन करते हुए उनके द्वारा तैयार समयावधि की ओर दिलाया, जिस दौरान इससे जुड़े अपेक्षित कार्य बिन्दुओं एवं गतिविधियों सहित, प्रत्येक संबद्ध मंत्राालयों/विभागो/ अकादिमियों/संस्थानों द्वारा गतिविधियां पूर्ण की जाएं।

6.28 प्रतिभागियों ने सिद्धांत रूप में आई एन पी ओ ए के अंगीकरण को स्वीकृति दी तथा सुझाव दिया था कि :–

- आई एन पी ओ ए को मानक प्रचालन प्रक्रिया (एस ओ पी) के अनुरूप होना चाहिए, जिसे महिलाओं एवं बच्चों में वेश्यावृत्ति की रोकथाम एवं सामना करने संबंधी सार्क कन्वेंशन के कार्यान्वयन के लिए तैयार किया गया है।

- आई एन पी ओ ए में लिंग समरूपता कार्य योजना, जो कि अलग से प्रतिपादित की जा रही है, में दिए गए कार्य बिन्दुओं को भी शामिल किया जाना चाहिए।

- विकसित किए गए ढांचे में उस मंत्रालय के नाम का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए जो उस विशेष कार्य बिन्दु के कार्यान्वयन हेतु जिम्मेदार होगा। आई एन पी ओ ए में क्रम संख्या का अनुसरण भी किया जाना चाहिए तथा उन्हें सांचे में भी एक–दूसरे से मेल खाना चाहिए।

- जहां भी संभव हो आई एन पी ओ ए में मॉनीटरिंग योग्य संकेतकों का उल्लेख होना चाहिए।

- अवैध व्यापार का कारण बनने वाले बच्चों को गोद लेने के विषय को आई एन पी ओ ए में शामिल किया जाना चाहिए।

- यह पता लगाने के लिए कि क्या नरेगा के अंतर्गत गरीबी उपशमन कार्यक्रम का कोई प्रभाव अवैध व्यापार और इसमें कमी की घटनाओं पर पड़ा है, उच्च स्रोत क्षेत्रों में अध्ययन किया जाना चाहिए।

गुमशुदा बच्चों का मुद्दा

6.29 वर्ष 2007–08 की पिछली वार्षिक रिपोर्ट में आयोग ने सूचित किया था कि उसने गुमशुदा बच्चों के विषय पर कार्य करने हेतु एक समिति गठित की है तथा अपनी संस्तुतियां/सुझाव आवश्यक अनुपालन हेतु सभी राज्यों/संघ

राज्य क्षेत्रों के सभी मुख्य सचिवों एवं पुलिस महानिदेशकों के साथ–साथ राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार को अग्रेषित कर दी। इन सिफारिशों को भेजते समय गुमशुदा बच्चों से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर सूचना एकत्रित करने की दृष्टि से आयोग द्वारा तैयार किया गया रिपोर्टिंग फॉर्मेट भी सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अग्रेषित किया गया था।

6.30 समीक्षाधीन अवधि के दौरान आयोग को आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैण्ड, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड राज्यों से सूचना प्राप्त हुई थी। अंडमान एंव निकोबार द्वीप समूह, दादर एवं नगर हवेली, लक्ष्यद्वीप तथा पांडिचेरी ऐसे संघ राज्य क्षेत्र हैं, जिन्होंने भी अपेक्षित प्रपत्र में सूचना अग्रेषित की है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से भी सूचना प्राप्त हुई हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग उन सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों, जिन्होंने अभी तक अपेक्षित सूचना नहीं भेजी है, से एक बार फिर से आग्रह करता है कि वे इसे शीघ्र भेजें।

भारत में किशोर न्याय व्यवस्था की मॉनीटरिंग

6.31 आयोग ने पिछली वार्षिक रिपोर्ट में यह उल्लेख किया था कि उसने किशोर न्याय व्यवस्था में गुणवत्तायुक्त सुधार के विषय में जागरूकता लाने की दिशा में अनुपालन हेतु उसके द्वारा भारत में किशोर न्याय व्यवस्था पर आयोजित दो–दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी समाज कल्याण विभागों/सामाजिक सुरक्षा/सामाजिक न्याय के सचिवों को भेज दिया था। चूंकि इसका जवाब अपर्याप्त था, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने किशोर न्याय व्यवस्था के विषय पर विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से फीडबैक प्राप्त करने के लिए एक रिपोर्टिंग फॉर्मेट तैयार किया।

6.32 अब तक आयोग को केवल आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा सिक्किम से जवाब प्राप्त हुए हैं। अब तक प्राप्त उपलब्ध आँकड़ों से यह प्रतीत होता है कि सूचना उपलब्ध कराने वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों तथा विधि के साथ द्वन्द्व में किशोरों की व्यथा के प्रति धीरे–धीरे संवेदनशील होते जा रहे हैं। हालांकि उन सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों जिन्होंने उत्तर नहीं दिया है, उन्हें तैयार किए गए रिपोर्टिंग फॉर्मेट के अनुसार अपेक्षित सूचना शीघ्र भेजने के लिए आयोग ने पुनः अनुरोध किया है।

*****

बंधुआ मजदूरी प्रथा एवं बाल मजदूरी प्रथा का उन्मूलन

अध्याय–7

(क) बंधुआ मजदूरी प्रथा

7.1 भारत के संविधान के अनुच्छेद 23 में शोषण के विरूद्ध अधिकार का प्रावधान किया गया है। यह अनुच्छेद मनुष्यों में अवैध व्यापार एंव बेगार तथा जबरन मजदूरी से मिलते–जुलते तरीकों को निषिद्ध करता है। जबरन अथवा बंधुआ मजदूरी व्यवस्था मुख्य रूप से ऋणदाता एवं ऋणी के बीच के रिश्ते की द्योतक है जिसके अंतर्गत ऋणी व्यक्ति किसी वस्तु अथवा धन के रूप में लिए गए आभार के बदले ऋणदाता को अपनी सेवाएं देने के लिए राजी होता है। हालांकि यह प्रथा पुराने समय के सामंती और अर्द्ध–सामंती सामाजिक ढांचे में गहराई से समाई हुई थी, भारत में आज भी यह विभिन्न रूपों में निरंतर जारी है। पूर्व समय में भी बंधुआ मजदूरी को देश के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों जैसे कमिया, हरवाहा, गोठी अथवा जीता अथवा जीतम अथवा सागरी से जाना जाता था। इसको बनाए रखने में, बहुत हद तक, असमान सामाजिक ढांचे एवं असंतुलित सामाजिक व्यवस्था द्वारा ज़ोर दिया जाना था। बंधुआ मजदूरी की समस्या का अन्य तत्वों जैसे अधिशेष मजदूर, बेरोजगारी/कम रोजगार, कम मजदूरी, संकट में स्थानांतरण, पुरानी सामाजिक प्रथाएं, सावधिक भू–सुधारों का असंतोषजनक कार्यान्वयन, जनजातीय भूमि हस्तांतरण, निरक्षरता तथा ऋणग्रस्तता के साथ नजदीकी संबंध भी है।

7.2 देश में बंधुआ मजदूरी व्यवस्था की समस्या का सामना करने की दिशा में वर्ष 1976 में बंधुआ मजदूरी व्यवस्था (उन्मूलन) अधिनियम (बी एल एस ए एक्ट) बनाया गया था। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्नांकित हैं :–

- अधिनियम के प्रारंभ होने पर बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का उन्मूलन हो जाएगा तथा प्रत्येक बंधुआ मजदूर मुक्त माना जाएगा तथा बंधुआ मजदूरी के अंतर्गत आने वाले किसी भी दायित्व से मुक्त समझा जाएगा।
- कोई भी प्रथा, समझौता अथवा अन्य दस्तावेज, जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को बंधुआ मजदरू के रूप में किसी प्रकार की सेवा देने के लिए कहा जाए, को रद्द किया जाएगा।
- बंधुआ ऋण को लौटाने के दायित्व को समाप्त समझा जाएगा।
- बंधुआ मजदूर की संपत्ति को बंधक रखने आदि से मुक्त किए जाने की आवश्यकता है।
- मुक्त किए गए बंधुआ मजदूरों को उनके वास क्षेत्र अथवा अन्य आवासीय परिसरों से हटाया नहीं जाएगा जहां वे बंधुआ मजदूरी के हिस्से के रूप में रहते थे।
- अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के कार्यान्वयन हेतु जिला मजिस्ट्रेटों को अनेक कर्त्तव्य एवं दायित्व सौंपे गए हैं।

- जिला एवं उप–मंडलीय स्तरों पर सतर्कता समितियों का गठन किए जाने की आवश्यकता है।
- अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन के लिए सजा हो सकती है जिसमें एक समय के लिए करावास जिसे तीन वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है तथा जुर्माना भी है जिसे दो हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।
- अधिनियम के अंतर्गत अपराधों के विचारण हेतु न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियों को कार्यकारी मजिस्ट्रेट को प्रदान किया जाना चाहिए। अधिनियम के अंतर्गत अपराधों को संक्षेप में विचारण किया जा सकता है;
- अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक अपराध संज्ञेय और जमानती होगा।

7.3 भारत के उच्चतम न्यायालय ने भी अपने विभिन्न निर्णयों के माध्यम से बंधुआ मजदूरी की परिभाषा की, एक सार्थक व्याख्या दी है जिसमें इसके अनिवार्य भाव को बनाए रखा गया है। इसके बावजूद, बंधुआ मजदूरी व्यवस्था को चिह्नित करने की प्रक्रिया समस्याओं और कठिनाइयों से जूझ रही है। इसके अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार वर्ष 1996 के दौरान सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया था। इस सर्वेक्षण के निष्कर्षों से यह बात सामने आई कि कि केवल सात राज्यों ने 28,916 बंधुआ मजदूरों को चिह्नित किया था। इन राज्यों के नाम हैं – अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तथा तमिलनाडु। शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने उच्चतम न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल किया था, जिसमें उल्लेख था कि सर्वेक्षण के दौरान बंधुआ मजदूरी का कोई प्रभाव क्षेत्र नहीं पाया गया।

7.4 यह देखा गया था कि बंधुआ मजदूरी व्यवस्था एक लगातार बनी रहने वाली समस्या है क्योंकि यह किसी भी समय कृषि अथवा उससे जुड़ी गतिविधियों अथवा कृषि रहित गतिविधियों मे पैर जमा सकती है तथा वापस लौट सकती है। अतः बंधुआ मजदूरी व्यवस्था की पहचान करना एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए, जिसकी जिला एवं उप–मंडलीय स्तर पर सतर्कता समितियों के अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा निरंतर सतर्कता तथा निगरानी किए जाने की आवश्यकता है। बंधुआ मजदूरों की पहचान करने में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वे इस प्रकार हैं :–

- बदला और बेरोजगार हो जाने के डर से अधिकांश बंधुआ मजदूर जो अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों से संबंधित होते हैं। अपराध कर्त्ताओं के विरूद्ध किसी प्रकार की शिकायत दर्ज करने के लिए आगे नहीं आते;
- यथापूर्व स्थिति बनाए रखने या उसकी बहाली के लिए मालिकों द्वारा तैयार किए गए उग्र वातावरण में शिकायत दर्ज कराना संभव नहीं होता।
- वैकल्पिक रोजगार के अवसरों की कमी इस समस्या को और जटिल बना देती है; तथा
- सतर्कता समितियों में कदाचार, बंधुआ मजदूरी व्यवस्था एंव इसके विषयों की विशेषताओं एवं जटिलताओं के विषय में स्थानीय अधिकारियों की असंवेदनशीलता एवं जागरूकता की कमी।
- बंधुआ मजदूरों को पहचानने तथा कपटपूर्ण पहचान के मामलों की रोकथाम के लिए स्वैच्छिक अभिकरणों की उदासीनता।

7.5 वर्ष 1993 में अपनी स्थापना काल से ही राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का ध्यान बंधुआ मजदूरी की समस्या ने खींचा है। इस समस्या को निपटाने की दिशा में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग राज्य–वार समीक्षाएं कर रहा है तथा देश में बंधुआ मजदूरी प्रथा से संबंधित विषयों पर सभी पक्षकारों के बीच संवेदनशीलता एवं जागरूकता उत्पन्न करने के लिए कार्यशालाएं आयोजित करता आ रहा है।

राज्य की समीक्षा

7.6 वर्ष 2008–09 के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के एक विशेष संपर्ककर्त्ता ने अप्रैल, 2008 में बिहार राज्य में बी एल एस ए अधिनियम के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की थी। विशेष संपर्ककर्त्ता की टिप्पणियों एवं संस्तुतियों का सार, जो उनकी रिपोर्ट में दिया गया था, निम्नलिखित है : –

बिहार

7.7 बिहार में मुजफ्फरपुर जिले के दौरे से खुलासा हुआ कि उस जिले से संबंधित 51 व्यक्ति, जो काम की तलाश में राज्य से बाहर स्थानांतरित हो गए थे, बंधुआ मजदूरों के रूप में कार्य कर रहे थे। पहचान हो जाने पर उन सभी 51 व्यक्तियों को बंधुआ मजदूरी के बंधन से मुक्त किया गया तथा बाद में पुनर्वास के उद्देश्य से मुजफ्फरपुर वापस लाया गया। हालांकि आज तक उन सभी को पूर्ण रूप से पुनर्वासित नहीं किया गया है। मुजफ्फरपुर वापस लाए गए कुल मजदूरों में से 10 से 15 वर्ष की आयु वर्ग के 11 बच्चे थे तथा अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित थे। इन बच्चों में से 8 चित भगवतीपुर गांव के निवासी थे। उन्हें इसी गांव के एक भर्ती एजेंट के द्वारा रोजगार का प्रलोभन दिया गया था। एजेंट ने दलाल की तरह व्यवहार किया तथा सभी बच्चों को दिल्ली में ज़री उत्पादन यूनिट में ले गया। इन बच्चों को "बचपन बचाओ आंदोलन" नामक एक ग़ैर सरकारी संगठन ने ढूंढा, तथा सभी बच्चों की रिहाई तथा मुजफ्फरपुर के लिए वापस भेजने में सहायता की।

7.8 विशेष संपर्ककर्त्ता द्वारा दौरा की गई अवधि के दौरान आठ में से केवल पांच बच्चों का पता लग सका। पूछताछ करने पर बच्चों ने खुलासा किया कि वे दिल्ली के गढ़ी सेहरा मोहल्ला यूनिट में ज़री उत्पादन इकाई के लिए लगभग 18 से 20 घंटों तक कार्य करते थे। अपनी रिहाइश के दौरान इन बच्चों को दिन में तीन वक्त के भोजन के अतिरिक्त किसी प्रकार की मजदूरी नहीं दी जाती थी। चित भगवतीपुर की ग्राम पंचायत के मुखिया ने खुलासा किया कि गांव में हुए बच्चों का पंजीकरण जन्म एंव मृत्यु पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं किया जाता। ऐसा न होने के कारण गांव में बच्चों की सही आयु निर्धारण करना थोड़ा मुश्किल होता था। पंचायत को कोई जानकारी नहीं थी कि गांव वाले अपनी मर्जी से अथवा एजेंट/दलाल द्वारा उन्हें गांव/जिला/राज्य के बाहर रहने वाले नियोक्ता की ओर से संपर्क किए जाने पर अपनी नियुक्ति के कारण वे कब गांव से बाहर चले गए थे। बाद में यह भी पता चला कि नियोक्ता के एजेंटों द्वारा बिहार और बिहार के बाहर के जिलों से बच्चों की भर्ती उनके विकास के नाजुक, रचनात्मक एवं अतिसंवेदनशील मोड़ पर करना एक सतत् प्रक्रिया है। ऐसी गतिविधियां अधिकतर गुप–चुप तरीके से होती है तथा ग्राम पंचायत के पास इसके विषय में कोई आभास नहीं होता। हालांकि, बच्चों द्वारा बहुत ही नाजुक उम्र में खासतौर पर जोखिम भरे व्यवसायों जैसे जरी उत्पादन में कार्य साफ– तौर पर बच्चों के स्वास्थ्य सुरक्षा तथा संपूर्ण विकास की कीमत पर होता है। विशेष संपर्ककर्त्ता के अनुसार मुखिया से यह जानकारी मिलना खेदजनक था कि उसे गांव के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों के कार्यों के विषय में कोई सूचना नहीं है।

7.9 हाल के वर्षों में बिहार राज्य में बंधुआ मजदूरों की पहचान के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था। तथापि राज्य श्रम विभाग का मानना है कि बंधुआ मजदूरों की पहचान सरकारी कार्यकर्त्ताओं तथा सभ्य समाज संगठनों द्वारा की जा रही थी तथा पिछले 5 वर्षों के दौरान पहचाने गए बंधुआ मजदूरों की संख्या निम्नांकित है :–

क्रम सं0	वर्ष	चिह्नितबंधुआ मजदूरों की संख्या
1.	2003–2004	305
2.	2004–2005	281
3.	2005–2006	141
4.	2006–2007	146
5.	2007–2008	120

7.10 यह एक जाना–माना तथ्य है कि बंधुआ मजदूरों को चिह्नित करना तथा उनकी गणना करना, उनकी मुक्ति एवं पुनर्वास से संबंधित पूरी प्रक्रिया का पहला चरण है। इसी प्रकार यह पता लगाने के लिए कि वास्तव में क्या हो रहा है सतर्कता समितियों का कार्य है कि वे नियमित रूप से क्षेत्र में जाएँ; निरंतर सतर्कता एवं निगरानी रखें; जहां भी अनिवार्य हो अच्छे, विश्वसनीय एवं कर्मठ गैर–सरकारी संगठनों की सहायता लें तथा अपने–अपने कार्यालयों में आराम से बैठने और इस विषय पर पूरी तरह से निराशावादी दृष्टिकोण अपनाने के बजाय बंधुआ मजदूरों की पहचान हेतु वास्तव में एवं कृत संकल्प होकर प्रयास करें। इन समितियों के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले जिला मजिस्ट्रेटों एवं उप–जिला मजिस्ट्रेटों को उचित रूप से कार्य करने के लिए अपेक्षित नेतृत्व तथा आवश्यक साधन अवश्य ही उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

7.11 इसके अतिरिक्त, सतर्कता समितियों के कार्यों की मॉनीटरिंग के लिए तथा अनेक विभागों (जैसे शिक्षा, गृह, स्वास्थ्य, उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, श्रम, विधि, राजस्व, ग्रामीण विकास, समाज कल्याण/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति कल्याण, शहरी विकास, महिला एवं बाल विकास) की भूमिका एवं उत्तरदायित्वों में समन्वय करने के लिए राज्य स्तरीय मॉनीटरिंग समिति का गठन समान रूप से अनिवार्य है। विशेष संपर्ककर्त्ता द्वारा खुलासा किया गया था कि सामान्यतः राज्य स्तरीय मॉनीटरिंग समिति के गठन के सबंध में नोडल विभाग का पक्ष बहुत अधिक सकारात्मक नहीं था। यह एक आदर्श होगा यदि इस प्रकार की समिति की समग्र भूमिका, कार्य एवं महत्व का सक्रिय रूप में अनुभव किया जाए तो आदर्श स्थिति होगी।

7.12 शीर्ष न्यायालय द्वारा नीरजा चौधरी बनाम मध्य प्रदेश 1982 की रिट याचिका (सिविल), सं0 1263, (ए आई आर 1984 एस सी 1099) में दिए गए निदेशों में यह उल्लेख था कि अधिकारियों (जिन्हें बंधुआ मजदूरों की पहचान, मुक्ति एवं पुनर्वास का कार्य सौंपे गए) की गतिविधियों की जांच एवं पर्यवेक्षण अवश्य किया जाना चाहिए, विशेष संपर्ककर्त्ता का मत था कि बिहार राज्य में बंधुआ मजदूरी प्रथा के अस्तित्व के विषय में सही तथ्यात्मक स्थिति की जानकारी की

दिशा में नोडल विभाग द्वारा कम से कम एक समीक्षा की जानी चाहिए। अब तक राज्य को निम्नांकित के विषय में कोई जानकारी नहीं है :–

- क्या सरकारी कर्मचारियों एंव सिविल समाज संगठनों ने वास्तव में कोई सर्वेक्षण किया है तथा क्या उन्होंने बी एल एस ए अधिनियम की धारा 21 (2) के अंतर्गत आदेश देने के लिए संबद्ध कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं;
- दर्ज किए गए, निपटाए गए तथा लंबित मामलों की कुल संख्या कितनी है;
- रिहा किए गए बंधुआ मजदूरों की कुल संख्या कितनी है;
- क्या रिहा किए गए सभी बंधुआ मजदूरों को उनके व्यक्तिगत पहचान का सत्यापन करने के बाद उन्हें मुक्ति प्रमाण पत्र प्रदान किए गए थे।

7.13 जबकि दी गई सूचना के अनुसार पहचान एवं रिहाई साथ–साथ हुई थी, रिहाई की तारीख तथा पुनर्वास सहायता की मंजूरी की तारीख में एक वर्ष का अन्तराल था। इसके अतिरिक्त, पुनर्वास प्रस्ताव के कार्यान्वयन में काफी लंबा समय लगा। इसके फलस्वरूप रिहा हुए बंधुआ मजदूर या तो दूसरे स्थान पर चले गए अथवा बंधुआ मजदूर नियोक्ताओं के पास वापस चले गए। ये दोनों ही स्थितियाँ वांछनीय नहीं है। विशेष संपर्ककर्त्ता द्वारा यह महसूस किया गया कि अंतर–राज्यीय प्रवासी मजदूरों खासतौर पर जो बिहार से पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात गए हैं तथा गंतव्य स्थान पर बंधुआ मजदूरों का दर्जा पा रहे हैं, से संबंधित विशेष समस्याओं पर सामान्य रूप से नोडल विभाग तथा खासतौर पर राज्य सरकार की ओर से गंभीरतापूर्वक तथा तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए।

ब. बाल मजदूरी प्रथा

7.14 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अपने अस्तित्व में आने के बाद से ही देश में बाल मजदूरी की स्थिति की निरंतर मॉनीटरिंग कर रहा है तथा इसी प्रक्रिया में इसने क्षतिपूर्ति की संस्तुतियों के साथ–साथ सभी दोषियों के विरूद्ध दण्ड की कार्रवाई जारी की है।

राज्य समीक्षाएं

7.15 देश में बाल मजदूरी की समस्या के उन्मूलन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की दिशा में आयोग वर्ष 2000 से उन सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जहां यह दुर्दशा व्याप्त है, में स्थिति की समीक्षा करा रहा है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने अपने विशेष संपर्ककर्त्ता के माध्यम से तमिलनाडु (जुलाई 2008), उत्तर प्रदेश (जुलाई 2008) तथा महाराष्ट्र (जुलाई 2008) पर अपना ध्यान केन्द्रित किया था। विशेष संपर्ककर्त्ता की रिर्पोटों में दिए गए सुझावों एवं सिफारिशों का सार निम्नांकित हैं : –

तमिलनाडु

7.16 तमिलनाडु राज्य में पेरियार, उत्तरी आर्काट, कोयंबटूर, मुदरै, रामनाथपुरम तथा तिरूनलवेल्ली जिलों में बड़ी संख्या में बाल मजदूर हैं। इसकी तुलना में तंजावूर तथा चेंगलपट्टु जैसे जिलों में बाल मजदूरी का अनुपात अपेक्षाकृत कम है। दूसरी ओर धर्मपुरी तथा सेलम जिलों में बाल मजदूर, उपलब्ध कुल कार्य बल से आश्चर्यजनक रूप से उच्च अनुपात में थे। विरूद्ध नगर जिले के शिवकाशी में माचिस, पटाखों तथा प्रिंटिंग उत्पादन के उद्योग में लगे कार्यरत बच्चों की विश्व में सबसे अधिक बहुलता थी। अन्य व्यवसाय जहां तमिलनाडु में अधिक संख्या में बच्चे कार्यरत पाए जाते हैं, वे हैं – बीड़ी उद्योग (वेल्लोर, तिरूचि तथा तिरूनलवेल्ली जिले), रेशम हथकरघा बुनाई तथा हथकरघा उद्योग (चेंगलपट्टु, वेल्लोर तथा तन्जौर जिले) रत्न कटाई तथा पॉलिशिंग (तिरूचि तथा पुदुकोट्टई जिले), चर्मशोधनशाला (वेल्लोर, डिंडीगुल तथा चेन्नई जिले), पावरलूम (पेरियार, कोयंबट्टूर तथा सेलम जिले) तथा सूती धागा बनाने वाले (वेल्लोर तथा मदुरै जिले)। इसके अलावा बड़ी संख्या में बच्चे ऐसे सेवा क्षेत्र में नियुक्त थे जो आधिकारिक रूप से उनके लिए नहीं है।

7.17 राज्य में बच्चों के रोजगार के लिए तीन बड़े कारक हैं – गरीबी, पिछड़ापन तथा जलवायु विषयक दशाएं। यह परस्पर संबंध विरूद्ध नगर जिले के शिवकाशी में अत्यधिक स्पष्ट था। एक वर्ष में 300 दिनों से भी अधिक समय के लिए बहुत कम बारिश होने के कारण क्षेत्र में सूखे की स्थिति बनी रहती है। सूखाग्रस्त क्षेत्र होने के कारण पूरे समय के लिए कृषि पर निर्भर कृषकों का प्रतिशत बहुत कम था। कृषि की स्थिति अच्छी न होने की वजह से ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जहां किसी भी कार्य को करने के लिए बड़ी संख्या में सस्ते मजदूर उपलब्ध होते हैं। उनमें से 5 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे भी होते हैं जिनकी उंगलियां फुर्तीली होती हैं, जो मासिच बनाने के लिए बेईमान नियोक्ताओं द्वारा आसानी से निशाना बन जाते हैं तथा सस्ती मजदूरी का स्रोत होते हैं। ये बच्चे शोचनीय दशा में और थका देने वाली स्थिति में प्रतिदिन 10 से 12 घंटे और कभी–कभी इससे भी अधिक समय के लिए लगातार महीनों तक तथा कई बार तो बिना किसी मजदूरी के भुगतान के कार्य करते हैं। इन बच्चों में से अधिकांश बच्चे तड़के 4 बजे से ही अपनी दिनचर्या शुरू कर देते हैं। कई बार इन बच्चों को 5 रुपये की मजदूरी के बदले एक दिन में 14 घंटों से भी अधिक समय तक कार्य करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त औरतों एवं बच्चों से जल्दी काम करवाने को राजी करने के लिए नियोक्ता तमिल फिल्मों के गीत चला देते हैं। अस्वच्छ एवं असुरक्षित वातावरण के साथ–साथ काम करने के अधिक घंटे, जीवन निर्वाह होने योग्य मजदूरी से भी कम मजदूरी शिवकाशी माचिस उद्योग में बाल मजदूरी परिदृश्य की विशेषता है। इन बच्चों पर आग का खतरा बना रहता है क्योंकि माचिस उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले सभी रसायन अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं।

7.18 राज्य से बाल मजदूरी की समस्या के उन्मूलन करने के लिए तमिलनाडु सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। ये कदम इस प्रकार हैं : – राज्य एवं जिलास्तरीय कार्य योजना की तैयारी; पर्यवेक्षण, समन्वय तथा मॉनीटरिंग हेतु राज्य एवं जिला स्तरीय संस्थागत तंत्र का सृजन; 12 बंधुआ मजदूर बहुल जिलों में राष्ट्रीय बाल मजदूरी प्रोजेक्ट (एन सी एल पी) का शुभारंभ; इंडस बाल मजदूर प्रोजेक्ट एवं सर्व शिक्षा अभियान (एस एस ए) का शुभारंभ; अभिभावकों को स्व–सहायता समूहों (एस एच जी) में कार्यप्रवृत्त तथा संगठित करना; एस एच जी सदस्यों को व्यावसायिक दक्षता देना,

उनके लिए आवर्ती कोष का निर्माण करना; तथा बाल मजदूरी की बुराई के विषय में समाज के सभी वर्गों के बीच जागरूकता पैदा करना। इस सबका परिणामी प्रभाव यह हुआ है कि आज तमिलनाडु में विभिन्न जिलों के जिलाधिकारियों/जिला मजिस्ट्रेटों में अपने जिलों को बंधुआ मजदूरी से पूर्णतः मुक्त घोषित करने के लिए एक दूसरे से होड़ लगी हुई है। इसके अलावा 10 अक्टूबर, 2006 को श्रम मंत्रालय द्वारा बच्चों का घरेलू नौकरों के रूप; ढाबों, रेस्टोरेंट, होटलों, मोटलों, चाय की दुकानों, रेजोर्ट, स्पा (एस पी ए) में काम करने वालों अथवा अन्य मनोरंजन केन्द्रों में कार्य करने वालों को प्रतिबंधित करने के लिए जारी अधिसूचना ने भी राज्य में बाल मजदूरी पर अंकुश लगाने में सकारात्मक भूमिका निभाई है।

7.19 राजस्व, कारखाना, श्रम, शिक्षा, पुलिस, स्वास्थ्य ग्रामीण विकास और स्थानीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों को शामिल करके तालुक में एवं पंचायत स्तर पर निरीक्षण समितियां बनाई गई थी। एस एस ए, एन सी एल पी तथा इंडस प्रोजेक्ट के अधिकारी एवं स्टॉफ निरंतर जोखिम वाली तथा गैर–जोखिम वाली इकाइयों का निरीक्षण कर रहे हैं तथा उनके कार्य को सावधिक रूप से संबद्ध जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा देखा जा रहा है। राज्य श्रम विभाग के अधिकारियों के साथ विशेष संपर्ककर्त्ता की पारस्परिक चर्चा के दौरान यह सूचित किया गया था कि भारत सरकार और राज्य श्रम विभाग से प्राप्त निर्देशों के आधार पर 14 से 30 नवम्बर 2007 को संस्थानों में गहन छापमारी की गई थी। इस अवधि के दौरान 351 जोखिमपूर्ण उद्योगों का निरीक्षण किया गया था जिनमें 7 कार्यरत बच्चों की पहचान की गई, उन्हें छुड़ाया गया तथा स्कूलों में दाखिला दिलाया गया। इसके अलावा 1045 घरों का सर्वेक्षण किया गया परन्तु बाल मजदूरी का कोई मामला नहीं पाया गया। इसके अतिरिक्त 486 होटलों एवं ढावों; तथा 2417 अन्य संस्थानों का निरीक्षण किया गया था जहां से 22 कार्यरत् बच्चों की पहचान कर उन्हें छुड़ाया गया। यह भी सूचित किया गया था कि जिला प्रशासन द्वारा गठित विशेष दस्ते द्वारा जनवरी 2008 से अप्रैल 2008 तक 2711 निरीक्षण किए गए थे। इन निरीक्षणों की मुख्य विशेषता यह थी कि ये कार्यरत् बच्चों की पहचान एवं रिहाई को ध्यान में रखते हुए कराए गए थे।

7.20 विशेष सम्पर्ककर्त्ता ने काँचीपुरम में पिल्लेयार पलयम के सी एस एम स्कूल से चलाए जा रहे एक परिवर्तन शिक्षा केंद्र (टी ई सी) का दौरा किया। यहाँ अध्ययन कर रहे बच्चों ने काम में लगे होने के समय के अपने अनुभवों को बताया जिसके कारण वे शिक्षा के अधिकार से वंचित हो गए थे तथा अपने नियोक्ता से मुक्त होने पर शिक्षा तक पहुंच होने पर अपनी खुशी जताई। उन्होंने वर्णन किया कि किस प्रकार वे कक्षा की गतिविधियों यथा पठन, लेखन, चित्रकारी एवं गायन में भाग ले रहे थे तथा इन सबका आनंद उठा रहे थे। एक छात्र जो टी ई सी से नियमित स्कूल की मुख्य ध ाारा में शामिल हुआ था, तथा 12वीं कक्षा में पढ़ रहा था, ने विशेष संपर्ककर्त्ता को कक्षा में लगे चार्ट में दर्शाए गए रक्त प्रवाह की पूरी प्रक्रिया को विस्तार से बताया। इसके बाद हुए प्रश्न एवं उत्तर सत्र में छात्रों ने अपने अध्ययन के क्षेत्र स

संबंधित सभी प्रकार के प्रश्नों के धैर्यपूर्वक उत्तर दिए। विशेष संपर्ककर्त्ता के अनुसार, यह देखना उत्साहवर्द्धक था कि शिक्षा के कारण इन बच्चों के जीवन में एक गुणात्मक परिवर्तन आ गया था।

7.21 विशेष संपर्ककर्त्ता द्वारा थिमियामपेट्टई में चल रहे एक शिक्षा केंद्र का भी दौरा किया गया। कठिन आर्थिक स्थिति, लंबी दूरी तथा भौगोलिक बाधाओं के बावजूद आर्थिक रूप से गरीब परिवारों के बच्चों, जिन्होंने कभी स्कूल जाना छोड़ दिया था, को तैयार कर संबंधित टी ई सी में भर्ती किया गया था। भर्ती किए गए कुल बच्चों में से 75 प्रतिशत

बच्चे नियमित रूप से कक्षा में भाग ले रहे थे। हालांकि थिमियामपेट्टाई के परिवर्तन शिक्षा केंद्र में केवल एक अध्यापिका थी तथा 24 बच्चों की सीखने की जरूरतों के साथ न्याय कर पाना उसे कठिन लग रहा था जिन्हें स्कूल छोड़ने के कारण पांचवी कक्षा से लेकर 9वीं कक्षा तक विभिन्न स्तरों/ग्रेडों में रखा गया था। चिंता का दूसरा विषय यह था कि शैक्षणिक सत्र के पूरे जोर–शोर से चलने के बावजूद, बच्चों द्वारा पुरानी पुस्तकें प्रयोग की जा रही थीं। उन सभी बच्चों के अभिभावकों को कार्यसाधक साक्षरता प्रदान करने की आवश्यकता है जिन्हें बाल मजदूरी से मुक्त कराया गया है।

7.22 साथ–साथ, राज्य में गरीबी, बेरोजगारी, भूख, भूखमरी तथा कुपोषण के उन्मूलन के लिए ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही, तमिलनाडु में अनुकूल वातावरण के निर्माण की आवश्यकता है जिससे कि स्कूलों में बच्चों का शत–प्रतिशत नामांकन हो तथा उनका शत–प्रतिशत अवधारण हो ताकि 6–14 आयु समूह के सभी बच्चों की शिक्षा एक वास्तविकता बन सके।

उत्तर प्रदेश

7.23 उत्तर प्रदेश राज्य में बाल मजदूरी की स्थिति की समीक्षा करने से पूर्व संबंधित विशेष सम्पर्ककर्त्ता द्वारा एक विस्तृत प्रश्नावली तैयार की गई थी। इसे फिर प्रधान सचिव, श्रम एवं श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश सरकार को विशेष संपर्ककर्त्ता द्वारा पहले ही भेज दिया गया ताकि राज्य में मौजूदा स्थिति की समुचित एवं वास्तविक समीक्षा संभव हो सके। प्रश्नावली में राज्य में बाल मजदूरी की समस्या की विकरालता; इसके कारण तथा सहायक कारकों; बाल मजदूरी की समस्या की जांच करने के लिए मौजूदा प्रशासनिक ढांचा, इसकी उपयुक्तता तथा कारगरता; बच्चों की आयु निध ार्ारित करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया; राज्य में बाल मजदूर की पहचान के लिए रणनीति; बाल मजदूर को काम से निकालने तथा तत्पश्चात उनके पुनर्वास के लिए उठाए गए कदम तथा सिविल रिट याचिका सं0 465–एम.सी. मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य एवं अन्य में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन जैसे मुद्दों पर जोर दिया गया था।

7.24 राज्य अधिकारियों द्वारा विशेष संपर्ककर्त्ता को यह बताया गया कि राज्य में काम करने वाले बच्चों की कुल संख्या 2,09,588 थी। उनके अनुसार राज्य के 41 जिलों में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 5–8 आयु समूह के 36,051 बच्चे तथा 9–13 आयु समूह के 1,08,273 बच्चे जोखिम भरे रोजगारों में काम करते हुए पाए गए थे। इसकी तुलना में 5–8 आयु समूह में केवल 19,483 बच्चे तथा 9–13 आयु समूह में 45,731 बच्चे गैर जोखिम भरे रोजगारों में काम करते हुए पाए गए। उत्तर प्रदेश राज्य में जिन व्यवसायों में बड़ी संख्या में बच्चे नियोजित थे वे हैं : कारपेट बुनाई; कपड़ों पर जरी एवं कशीदाकारी का काम; बर्तन बनाना; शीशा एवं चूड़ी बनाना; ताला बनाना; चाकू बनाना; पीतल के बरतन एवं चर्मशोधन। बड़ी संख्या में बच्चे ढाबों, रेस्टोरेंटों एवं मोटेलों; बीड़ी बनाने, निर्माण कार्य; ऑटो वर्कशाप; ईंट के भट्टे एवं टाईल बनाने; कृत्रिम आभूषण बनाने, धूप अगरबती एवं डिटर्जेंट बनाने के काम में भी लगे हुए हैं। गरीबी तथा अशिक्षा राज्य में बाल मजदूरी के लिए जिम्मेवार दो मुख्य कारक थे। राज्य में काम करने वाले बच्चों की भयावह संख्या को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक व्यापक राज्य स्तरीय कार्य योजना तैयार की है जिसका उद्देश्य 2012 तक बाल मजदूरी को पूरी तरह समाप्त करना है।

7.25 राज्य का श्रम विभाग बालक (श्रम गिरवीकरण) अधिनियम, 1933; कारखाना अधिनियम, 1948; न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948; मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961; बीड़ी एवं सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम,

1966; अन्तराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979; बंधित श्रम पद्धति (उन्मूलन) अधिनियम, 1976; बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 तथा भवन एवं अन्य निर्माण मजदूर (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1996; के संचालन के लिए उत्तरदायी है। इनमें से सभी काम में लगने के लिए न्यूनतम आयु तथा बाल मजदूरी उन्मूलन पर प्रभाव डालते हैं।

7.26 श्रम आयुक्त जिसका मुख्यालय कानपुर में है, श्रम विभाग के तहत् आने वाले मुख्य विभागों में से एक है। फैक्टरी निदेशालय भी श्रम आयुक्त के प्रशासनिक नियंत्रण एवं देखरेख में है। विभाग के प्रमुख एवं नियंत्रक अधिकारी के रूप में श्रम आयुक्त की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। लगभग 300 क्षेत्र अधिकारियों की कार्य–प्रणाली का अनुवीक्षण, देखरेख करने एवं उस पर नियंत्रण रखने तथा कार्यालय का समुचित प्रबन्धन करने के अतिरिक्त वह राज्य न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड, राज्य अनुबंध श्रम सलाहकार बोर्ड तथा राज्य बाल श्रम सलाहकार बोर्ड जैसी कई वैधानिक समितियों तथा राज्य श्रम सलाहकार बोर्ड जैसी गैर वैधानिक संस्थाओं की बैठकों का संयोजक सदस्य होता/होती है तथा इन निकायों की बैठकें नियत अन्तराल पर होती रहती हैं। उनकी बैठक बुलाने के अलावा, उसे बैठक में लिए गए निर्णय का सारांश रिकार्ड करना होता है, उन्हें अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित कराना होता है तथा अनुवर्ती कार्रवाई शुरू करनी होती है। इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में निरीक्षक अधिकारियों की कार्य–प्रणाली का निरीक्षण करने के लिए उसे क्षेत्र दौरा करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में वांछनीय होगा यदि फैक्टरी निदेशालय एवं इसकी कार्य प्रणाली को श्रम आयुक्त के समग्र नियंत्रण से अलग कर दिया जाए। इससे श्रम आयुक्त को आवश्यक राहत मिलेगी। साथ–साथ श्रम आयुक्त के कार्यालय को (अ) प्रशासनिक ढ़ाँचा; (ब) भौतिक एवं संचार ढ़ाँचा; तथा (स) अकादमिक ढ़ाँचे की दृष्टि से भी सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। मुख्यालय तथा क्षेत्र में खाली सभी पदों को अविलंब भरे जाने की जरूरत है। अच्छा होगा यदि श्रम आयुक्त के कार्यालय एवं सभी अन्य क्षेत्र कार्यालयों के बीच इ–कनेक्टीविटी स्थापित किया जाए।

7.27 बाल मजदूरी की समस्या के उन्मूलन के लिए राज्य 37 जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रम कार्यक्रम एवं 5 जिलों में इन्डस बाल श्रम परियोजना को कार्यान्वित कर रहा है। इन स्कूलों के माध्यम से निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें तथा नोट बुक; 5 रुपये प्रतिदिन की दर से मध्याह्न भोजन; व्यावसायिक प्रशिक्षण कौशल; 100 रुपये प्रतिमाह की दर से वजीफा तथा पाँचवीं कक्षा की पढ़ाई पूरी करने पर नजदीक के उच्च विद्यालय में बच्चों को शामिल करने जैसी सेवाएँ दी जा रही हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की यात्रा के क्रम में विशेष संपर्ककर्त्ता ने कानपुर जिले में स्थित इन्डस बाल मजदूर परियोजना के तहत चलाए जा रहे परिवर्तन शिक्षा केंद्रों – मोती नगर, गज्जू पूर्वा, शोरीया गोदाम का भी दौरा किया। इन टी ई सी की देख–रेख तीन अलग–अलग गैर–सरकारी संगठनों यथा, परिवर्तन सेवा संस्थान, जिला बाल कल्याण समिति तथा सरस्वती शिक्षा समिति द्वारा की जा रही थी। कुछ विवशताओं के बावजूद सभी टी ई सी में बच्चों की उपस्थिति एवं उनकी भागीदारी प्रशंसनीय पाई गई। सभी बच्चे 9–13 आयु समूह के थे तथा किसी न किसी प्रकार के स्कूल में जा चुके थे किन्तु काम के कारण बीच में पढ़ाई छोड़ चुके थे। वे पढ़ने–लिखने योग्य थे तथा सवाल भी हल कर सकते थे। टी ई सी का मुख्य उद्देश्य नामांकित बच्चों की साक्षरता एवं संख्यात्मक योग्यता को बढ़ाना है जिससे कि पाँचवी कक्षा के बराबर पहुँचने पर वे मुख्यधारा की शिक्षा में प्रवेश करने योग्य बन सकें।

7.28 कानपुर जिले के दो मुख्य स्कूलों का भी दौरा किया गया जो बुनियादी शिक्षा विभाग, उत्तर–प्रदेश द्वारा टी ई सी से बच्चों को औपचारिक शिक्षा पद्धति की मुख्य धारा में शामिल करने के उद्देश्य से चलाये जा रहे हैं अथवा उसकी सहायता से चल रहे हैं। मोती नगर में स्थित स्कूल पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा ही चलाया जा रहा था

तथा जाजमौं में स्थित दूसरे स्कूल को बाल निकेतन नामक एक एन जी ओ द्वारा चलाया जा रहा था। इसे राज्य सरकार की सहायता मिल रही थी। मोती नगर स्थित स्कूल में हाजिरी नगण्य पाई गई। पहली कक्षा से लेकर पांचवी कक्षा तक कुल 419 बच्चों में से केवल 130 बच्चे ही दौरे के दिन उपस्थित थे। उनमें से कई बच्चों की कुपोषण के कारण वृद्धि रूक गई थी। ये बच्चे ब्लैकबोर्ड पर लिखी इबारत पढ़ पाने में असमर्थ थे। यह मुख्य विद्यालय शहर के मुख्य स्थान में स्थित होने के बाद भी बिजली से महरूम था। छात्र–शिक्षक अनुपात बेमेल था। 419 बच्चों के लिए शिक्षकों के पांच स्वीकृत पदों में से केवल दो शिक्षक ही नियुक्त थे। दूसरी तरफ, बाल निकेतन में यह पाया गया कि शिक्षकों द्वारा सभी बच्चों को विशेष देखभाल एवं ध्यान दिया जा रहा था। बाल निकेतन में एक बाल मंच का गठन किया गया था तथा अभिभावक–शिक्षक संघ की बैठकें नियमित रूप से हो रही थीं। हालांकि, शिक्षकों द्वारा यह बताया गया कि स्कूल आने वाले बच्चों में से अधिकांश गरीब सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि से थे तथा जीविका चलाने हेतु अपने माता–पिता की मदद करने के लिए कई घरेलू जिम्मेवारियों का बोझ उनके कंधे पर था। इस प्रकार ये बच्चे अध्ययन करने तथा अपनी सम्पूर्ण योग्यता को बढ़ाने में घर पर अनुकूल वातावरण पाने से वंचित थे। इसके अतिरिक्त आस–पास कोई स्कूल नहीं था जहां मुख्य स्कूलों से आठवीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद बच्चे, विशेष तौर पर ऊँची शिक्षा के लिए उत्सुक बच्चे 9वीं, दसवीं तथा ग्यारहवीं की पढ़ाई के लिए जा सकते।

7.29 14 से 18 आयु वर्ग के कुछ लड़कों एवं लड़कियों, जो व्यावसायिक शिक्षा केंद्र से पास होकर निकले थे, के साथ चर्चा भी की गई। इसके बाद इन्डस बाल मजदूर परियोजना के तहत टी ई सी चलाने वाले कुछ गैर–सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की गई। स्वयं सहायता समूह के सदस्यों तथा श्रम आयुक्त के कार्यालय के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। उपरोक्त लोगों के साथ परस्पर चर्चा के दौरान निम्नलिखित बातों की तरफ ध्यान दिलाया गया : –

- एन सी एल पी तथा इन्डस बाल मजदूर परियोजना के टी ई सी दोनों के तहत् विशेष स्कूलों में कार्य कर रहे शिक्षकों के मानदेय को बढ़ाने की आवश्यकता। इसी प्रकार उनकी सेवा की दशाओं में भी सुधार की आवश्यकता है। इस समय, स्वास्थ्य के आधार पर भी वे किसी प्रकार का अवकाश नहीं ले सकते।
- एन सी एल पी के विशेष स्कूलों अथवा इन्डस बाल मजदूर परियोजना के टी ई सी से औपचारिक शिक्षा पद्धति की मुख्य धारा में बच्चों को शामिल करने के अभिप्राय से बनाए गए सभी लीड स्कूल स्पेशल स्कूलों/टी ई सी के नजदीक होने चाहिए। लीड स्कूलों में शिक्षक–छात्र अनुपात 1:30 होना चाहिए।
- स्पेशल स्कूलों, टी ई सी तथा लीड स्कूलों के भौतिक ढ़ाँचे को सुधारने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, शिक्षकों एवं अन्य स्टॉफ सदस्यों के सभी स्वीकृत पदों को भरे जाने की आवश्यकता है। नए नियुक्त किए गए शिक्षकों के साथ–साथ अन्य शिक्षकों को भी बच्चों एवं उनके अभिभावकों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है।
- ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पैदा हुए सभी बच्चों के जन्म के अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता। ग्राम पंचायतों, उप केंद्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को इस प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।
- स्पेशल स्कूलों, टी ई सी तथा लीड स्कूलों में अध्ययन कर रहे बच्चों के लिए स्वास्थ्य जांच की आदर्श पद्धति विकसित किए जाने की आवश्यकता है। इन स्कूलों का दौरा करने वाले चिकित्सा अधिकारियों

को संवेदनशील बनाया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक बच्चे के – शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक – विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए। यदि किसी बच्चे का विकास अवरूद्ध पाया जाता है अथवा अपेक्षा से कम वजन पाया जाता है तो विशेष उपाय किए जाने की आवश्यकता है ताकि कुपोषण/अल्पपोषण की समस्या की तत्काल जांच हो तथा उसे समाप्त किया जा सके।

- उत्तर प्रदेश सरकार के बुनियादी शिक्षा विभाग को उन छात्रों की जरूरतों का आंकलन करने के लिए एक सर्वेक्षण कराना चाहिए जो टी ई सी से मुख्य स्कूलों में शामिल हो चुके हैं तथा 8वीं कक्षा के बाद उच्च शिक्षा हासिल करने के इच्छुक हैं। इस आंकलन के आधार पर, 9 वीं कक्षा से ग्यारहवीं कक्षा तक लीड स्कूल शुरू किए जाने चाहिए।

महाराष्ट्र

7.30 क्षेत्र एवं आबादी के हिसाब से महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। खेती वहां का मुख्य व्यवसाय है जिसमें महाराष्ट्र की अधिकांश कार्य शक्ति लगी हुई है। इसके बावजूद, इस क्षेत्र से आय का अंश केवल 16 प्रतिशत है जबकि द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों से यह योगदान क्रमशः 73 प्रतिशत एवं 33 प्रतिशत है।

7.31 जैसा कि विशेष संपर्ककर्त्ता द्वारा रिपोर्ट किया गया है, महाराष्ट्र राज्य में निम्नलिखित श्रेणी के कामगार बच्चे पाए जाते हैं – (i) कारखानों, खानों, दुकानों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, मोटर परिवहन उपक्रम एवं अन्य विभिन्न व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं जिन्हें बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 से सम्बद्ध सूची के भाग अ एवं भाग ब में सूचीबद्ध किया गया है। अधिनियम के अनुसार, इन सभी स्थानों में बच्चों को काम पर लगाने पर कानूनन रोक है। (ii) अपने माता–पिता तथा परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बीड़ी बनाने, इस पर लेबल लगाने तथा पैकेजिंग करने; कपड़ा बनाने; कढ़ाई का काम; बिन्दी बनाने; आभूषण पर पालिश करने, फुटबॉल के बॉलों की सिलाई, अगरबत्ती बनाने; बड़ी एवं पापड़ बनाने जैसी गतिविधियों में खुदरा आधार पर नियोजित बच्चे। इन सभी गतिविधियों में कच्चे माल की आपूर्ति ठेकेदार द्वारा की जाती है तथा उसके बाद तैयार माल एकत्रित किया जाता है। इन सभी क्रियाकलापों में बच्चे अपनी आय को बढ़ाने के लिए लंबे समय तक बैठकर काम करते हैं। (iii) खेती एवं इससे संबंधित गतिविधियों यथा चारा, ईंधन एवं पानी इकट्ठा करने, घरेलू काम के भाग के रूप में मवेशियों–भेड़ों एवं बकरियों को चराने; कुक्कुट पालन एवं सुअर पालन; धान की रोपाई करने; खाद्य प्रसंस्करण एवं अन्य घरेलू कामों में लगे बच्चे। इन सभी गतिविधियों में मुख्य रूप से लड़कियाँ लगी होती हैं। इसकी तुलना में लड़के खुदाई एवं जुताई; दाँबने एवं फसल बोने; गायों को चराने तथा मालों एवं उपभोक्ता वस्तुओं को बाजार में बिक्री के लिए ले जाने जैसे कामों में लगे होते हैं। (iv) शहरी अनौपचारिक क्षेत्र में विक्रेता तथा फेरीवाले; कुली, कबाड़िया, सफाई–कर्मचारी तथा मोची का काम करने वाले लड़के; दुकानों, रेस्तराओं, कैन्टीन, गैराजों, होजियरी यूनिट, चर्मशोधन शाला तथा निर्माण स्थलों पर मददगार के रूप में काम करने वाले बच्चे; तथा घरेलू नौकर के रूप में काम करने वाले बच्चे। (v) अपने प्रवासी माता–पिता के साथ जाने वाले बच्चे तथा औपचारिक अथवा अनौपचारिक क्षेत्र में मजदूरी सहित अथवा मजदूरी के बिना काम में लगाए जाने वाले बच्चे। इस बात की परवाह किए बिना कि इन बच्चों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से काम पर लगाया जाता है, इन्हें उचित भुगतान किया जाता है अथवा नहीं; वे अत्यन्त कठिन एवं खतरनाक दशाओं में काम करते हैं, धूल, धुआँ, ईंधन, गर्मी, गैसीय एवं अन्य विषैले पदार्थों के संपर्क में आते हैं तथा इस प्रक्रिया में वे शिक्षा से वंचित भी हो जाते हैं।

7.32 बालक श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986, में "बाल मजदूर" की किसी परिभाषा के अभाव में महाराष्ट्र में बाल मजदूर की संख्या के संबंध में तीन अलग–अलग अनुमान हैं। 2001 की जनगणना के आँकड़ों के अनुसार, महाराष्ट्र में 0.76 करोड़ काम करने वाले बच्चे हैं। दूसरी तरफ राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (55 वें राउण्ड) डाटा का दावा है कि राज्य में 2.4 करोड़ काम करने वाले बच्चे हैं। सर्व शिक्षा अभियान (एस एस ए) सर्वेक्षण जो वर्ष 2004 में किया गया था, दर्शाता है कि महाराष्ट्र में 3.3 लाख बच्चे स्कूल से निकले हुए थे। चूंकि ये तीनों सर्वेक्षण राज्य में अलग–अलग समय पर किए गए थे, बाल मजदूर का अनुमान अलग–अलग होगा ही। इसके अतिरिक्त, जनगणना एवं राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एन एस एस) में शामिल किया गया आयु समूह 5–14 वर्ष था जबकि एस एस ए में जो आयु समूह शामिल किया गया वह 6–14 वर्ष था। विशेष संपर्ककर्त्ता का यह मत है कि सीधे–सीधे इस निष्कर्ष पर पहुंचना कि स्कूल से निकले सभी बच्चों को काम करने वाले बच्चे मान लेना चाहिए, वास्तव में थोड़ा कठिन है। अतः उपलब्ध आंकड़ों को बाल मजदूरी के उन्मूलन के लिए कार्रवाई के साधन के रूप में इस्तेमाल करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र सरकार की ओर से जनगणना, एन एस एस तथा एस एस ए के वरिष्ठ प्रतिनिधियों को चर्चा के लिए आमंत्रित करना दूरदर्शिता पूर्ण होगा। जिसमें सर्वसम्मति से बाल मजदूर की परिभाषा तैयार की जाए जिससे राज्य के भीतर बाल मजदूर की पहचान एवं उसकी गणना करने में सहायता मिल सके।

7.33 अप्रैल, 2005 में जब दो बाल मजदूरों को उनके नियोक्ताओं द्वारा निर्ममतापूर्वक पीटा गया जिससे एक की मौत हो गई, तब से महाराष्ट्र सरकार ने इस दंश को दूर करने के उद्देश्य से धारावी एवं गोवान्दी में बच्चों को बचाने के लिए कई छापे मारे। इसके पश्चात् इसने एक कार्य दल गठित किया जिसमें श्रम आयुक्त; अतिरिक्त श्रम आयुक्त; मुम्बई सिटी, मुम्बई उपनगर (पूर्वी एवं पश्चिमी) के श्रम उपायुक्तों, क्षेत्रीय पुलिस उपायुक्त; जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी; मुख्य दुकान निरीक्षक, बी एम सी; मुख्य दुकान निरीक्षक तथा तीन गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि ा शामिल थे। कार्य दल ने 18 मई, 2005 से 93 छापे मारे हैं तथा 1,228 प्रतिष्ठानों से 2315 कामगार बच्चों को छुड़ाया है। 528 नियोक्ताओं को भी घटनास्थल से गिरफ्तार किया गया है। इन छापों के कारण स्वर्ण आभूषण के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध भूलेश्वर, हाथ की कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध मदनपुरा; जरी का काम तथा चमड़े के शोधन के लिए प्रसिद्ध ध ाारावी; आटोमोबाइल पुरजों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध सीओन कोलीबाड़ा; हाथ की कढ़ाई के काम के लिए प्रसिद्ध कुरला (पश्चिमी), मेधावरी जोगेश्वरी तथा भारतनगर; तथा जूते के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध ठक्कर बापा कॉलोनी में स्पष्ट अन्तर आया है।

7.34 श्रम आयुक्त द्वारा विशेष सम्पर्ककर्त्ता को सूचित किया गया था कि मुम्बई में कार्य दल के गठन के समय से बाल मजदूर से संबंधित परिदृश्य में व्यापक बदलाव आया है तथा कुछ सकारात्मक एवं प्रशंसनीय परिणाम भी सामने आए हैं। उन्होंने बाल श्रमिकों को छुड़ाने तथा उनका पुनर्वास करने की प्रक्रिया की रूपरेखा भी प्रस्तुत की। किसी भी छापे का मुख्य उद्देश्य कार्यस्थल पर बच्चों का पता लगा कर उन्हें छुड़ाना है। किसी बच्चे को रिहा कराने के तुरंत बाद उसे महिला एवं बाल विकास विभाग को सौंप दिया जाता है जो उस बच्चे को फिर संबंधित जिले के लिए किशोर न्याय अधिनियम के तहत् गठित बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश करता है। सी डब्ल्यू सी के निर्देश पर उस बच्चे को किसी बालगृह में भेजा जाता है। यदि बच्चा प्रवासी कामगार मजदूर होता है तो उसे किसी मार्गरक्षक के साथ उसके मूल स्थान पर वापस भेज दिया जाता है तथा अंत में माता–पिता के पास लाया जाता है। साथ–साथ,

अपराध करने वाले नियोक्ता के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता, बाल मजदूर (निषेध एवं नियमन) अधिनियम, फैक्टरी अधिनियम, दुकान अधिनियम तथा किशोर न्याय (बाल देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम की संगत धाराओं के तहत् अभियोजन शुरू किया जाता है।

7.35 दिनांक 25 अप्रैल, 2006 का एक प्रस्ताव (सं0 सी एल ए – 2006 (299)/कामगार 7 ए, मंत्रालय, मुम्बई) भी महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी किया गया है। इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य महाराष्ट्र को बाल मजदूरी से मुक्त कराना है। इस प्रस्ताव में जिला समाहर्त्ता के प्रत्यक्ष नियंत्रण तथा देखरेख में जिला स्तर के कार्य दल के गठन की परिकल्पना की गई है। कथित कार्य दल का गठन व्यापक आधार वाला है तथा इससे बाल मजदूरी के अस्तित्व, उसकी निरंतरता के ऊपर निगरानी रखने की अपेक्षा की जाती है। इस प्रस्ताव में पहली बार खतरनाक एवं गैर–खतरनाक कामों में लगे बच्चों के प्रति किए जाने वाले भेदभाव पूर्ण व्यवहार को दूर किया गया है। इसमें साफ–साफ कहा गया है कि यदि बच्चा गैर खतरनाक व्यवसाय में भी लगा है तो उसे नियोक्ता से रिहा करा कर पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा ताकि उनमें से प्रत्येक अंततोगत्वा शिक्षित हो सके। इस प्रस्ताव में पहली बार बाल बंधुआ मजदूरों की अवधारणा तथा प्रथा को स्वीकार किया गया है। उदाहरणार्थ, यदि कोई माता–पिता किसी ठेकेदार से किसी प्रकार का कर्ज/अग्रिम लेते हैं तथा ऐसे ठेकेदारों को अपने बच्चों की सेवाएँ गिरवी रखते हैं, तो उस बच्चे को बाल बंधुआ मजदूर समझा जाएगा तथा इस आशय की एक रिपोर्ट जिला समाहर्त्ता के समक्ष दर्ज की जाएगी तथा श्रम आयुक्त के जरिए राज्य सरकार को एक कॉपी पृष्ठांकित की जाएगी। यह किसी बच्चे को जोखिम भरे काम में लगाने के लिए जिम्मेवार प्रत्येक अपराधी नियोक्ता से रु0 20,000/– की राशि वसूल करने तथा उसे जिला बाल मजदूर कल्याण–सह–पुनर्वास मद में जमा करने के महत्व को दोहराता है जैसा कि 1986 के सी डब्ल्यू ए सं0 465 (एम सी मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य) में 10 दिसम्बर, 1996 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया है। इसी प्रकार, इसमें ऐसे किसी भी परिवार, जो अपने बच्चे को काम पर भेजता रहा है, के प्रत्येक सक्षम व्यस्क सदस्य को रोजगार उपलब्ध कराने के महत्व को दोहराया गया है, ऐसा न होने पर ऊपर उल्लिखित निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार रु0 5,000/– प्रति बच्चे के हिसाब से कथित जिला बाल मजदूर कल्याण–सह–पुनर्वास मद में जमा कराया जाएगा।

7.36 तमिलनाडु के बाद, महाराष्ट्र दूसरा ऐसा राज्य हे जिसने बाल मजदूरी के उन्मूलन के लिए एक राज्य स्तरीय कार्य योजना तैयार की है। यह योजना सरकारी प्रस्ताव संख्या सी एल ए – 2006 (299) कामगार–7 ए दिनांक 25 अप्रैल, 2006 तथा दिनांक 10 दिसम्बर, 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में निहित निर्देशों के संदर्भ में तैयार की गई है।

सी. बंधुआ एवं बाल मजदूर पर कार्यशाला

7.37 बंधुआ एवं बाल मजदूरी के उन्मूलन पर राज्य एवं जिला स्तर के अधिकारियों को संवेदनशील बनाने हेतु 21 अप्रैल, 2008 को चंडीगढ़ में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। यह कार्यशाला न्यायमूर्ति श्री वाई. भास्कर राव, सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की अध्यक्षता में आयोजित की गई। तत्पश्चात हरियाणा राज्य के सभी जिलों में उसी विषय पर जिला स्तर की कार्यशालाओं की बाढ़ आ गई।

*****

मानव अधिकार शिक्षा तथा जागरूकता

अध्याय - 8

8.1 'मानव अधिकार शिक्षा' के प्रोत्साहन ने आज व्यापक महत्व हासिल कर लिया है। ज्ञान एवं जागरूकता उत्पन्न करना, उसे एकत्रित करना तथा उसका प्रसार जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के बीच विशेष तौर पर उनकी पुरातन सोच एवं समझ के संबंध में दृष्टिकोण संबंधी बदलाव लाने का एक स्वस्थ तरीका है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान आयोग ने मानव अधिकार शिक्षा के उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहल किए।

निरोध पर कार्यशाला

8.2 संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त (ओ एच सी एच आर) कार्यालय ने 6–12 अक्टूबर, 2008 को 'निरोधियों के लिए सम्मान एवं न्याय के सप्ताह' के रूप में मनाया। अपनी गतिविधियों के भाग के रूप में आयोग ने ओ एच सी एस आर के सहयोग से निरोध पर 11–12 अक्टूबर, 2008 को नई दिल्ली में एक दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य निरोधियों के अधिकारों की रक्षा के लिए सांविधानिक एवं वैधानिक सुरक्षोपायों को लागू करने में अंतर की पहचान करना तथा उपचारात्मक उपाय सुझाना; तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच उत्तम पद्धति का आदान–प्रदान करना था। इस कार्यशाला में भाग लेने वालों में पुलिस महानिदेशक, जेल महानिदेशक, पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के निदेशक, कल्याण विभागों, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के सचिव, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मानव अधिकारों के नोडल अधिकारी, केंद्र एवं राज्य सरकारों के वरिष्ठ प्रतिनिधि, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के विशेष सम्पर्ककर्त्ता तथा वरिष्ठ अधिकारी तथा चुने हुए गैर–सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे।

8.3 दो दिवसीय कार्यशाला में पुलिस हिरासत एवं जेलों आदि में निरूद्ध लोगों के मूलभूत मानव अधिकारों को सुनिश्चित करने में राज्य सरकारों के दायित्वों सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। कार्यशाला के विचार–विमर्श में उभर कर आई सिफारिशें **अनुलग्नक – 12** पर संलग्न हैं।

स्कूल स्तर पर मानव अधिकार शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन

8.4 आयोग द्वारा स्कूल स्तर पर मानव अधिकार शिक्षा संबंधी एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 20 मार्च, 2009 को नई दिल्ली में किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था – मौजूदा स्कूली शिक्षा प्रणाली में मानव अधिकार शिक्षा (एच आर ई) को शामिल करना; पाठ्यक्रम के संबंध में मानव अधिकार शिक्षा से संबंधित चुनौतियों पर चर्चा करना तथा स्कूली पद्धति में विभिन्न स्तरों पर मानव अधिकार शिक्षा को लागू करना; प्राथमिक, माध्यमिक एवं वरिष्ठ माध्यमिक स्तरों पर मानव अधिकार शिक्षा के प्रसार के लिए नीतियाँ एवं परिदृश्य; स्कूली पद्धति में विभिन्न स्तरों पर मानव अधिकार शिक्षा के घटकों को लागू करना; तथा इस संबंध में भविष्य की कार्य योजना तय करना।

8.5 इस सम्मेलन में शिक्षा सचिव तथा विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, के स्कूली शिक्षा के निदेशक, एन सी ई आर टी, एन सी टी ई, ए आई सी टी ई, सी बी एस ई के निदेशक, मानव अधिकार शिक्षा के क्षेत्र से शिक्षाविद् तथा विशेषज्ञ तथा सिविल सोसायटी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया।

8.6 सभी तकनीकी सत्रों में किए गए विचार–विमर्श के आधार पर सम्मेलन के प्रतिनिधियों द्वारा निम्नलिखित सिफारिशें/सुझाव दिए गए :–

- मानव अधिकार शिक्षा 'शिक्षा के अधिकार' का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। शुरूआती वर्षों में मानव अधिकार मूल्यों के समावेश से एक ऐसे समाज के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होता है जिसमें लोगों को दूसरों की गरिमा एवं अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता एवं सम्मान हो।
- यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि स्कूली शिक्षा में प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक एवं वरिष्ठ माध्यमिक स्तरों पर मानव अधिकार शिक्षा का समाकलन बाल–अनुकूल एवं बाल–केंद्रित तरीके से होना चाहिए ताकि विभिन्न आयु समूह के बच्चे धीरे–धीरे मानव अधिकार शिक्षा के अभिमुख हो सकें। यह सुझाव दिया गया कि मानव अधिकार शिक्षा के लिए प्राथमिक एवं मध्य स्तर के स्कूली बच्चों के लिए कहानी सुनाने के तरीके का प्रयोग किया जा सकता था। इससे छात्र बढ़ती उम्र के साथ मानवीय मूल्यों, अधिकारों एवं कर्तव्यों के बारे में समग्र समझ रख पायेंगे। एन सी ई आर टी द्वारा तैयार किया गया राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढ़ाँचा, 2005 भी इस पहलू पर जोर देता है।
- वर्तमान में, मानव अधिकार शिक्षा स्कूलों में एक अलग विषय के रूप में नहीं पढ़ाई जाती। विभिन्न मानव अधिकारों से संबंधित अवधारणाओं यथा–मर्यादा, समानता, भेदभाव का न होना, स्वतंत्रता, सहिष्णुता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, सफाई का प्रबन्ध, स्वच्छता एवं सफाई, जीवन की सुरक्षा तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता आदि सामाजिक अध्ययन, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र एवं राजनीतिक विज्ञान जैसे विषयों के माध्यम से मध्य, माध्यमिक एवं वरिष्ठ माध्यमिक स्तरों पर स्कूलों में पढ़ाए जा रहे हैं। इस प्रकार यह संस्तुति की गई कि वरीय माध्यमिक स्तर पर स्कूलों में मानव अधिकार शिक्षा को पूर्णतया एक अलग विषय के रूप में शुरू किए जाने की आवश्यकता है।
- चूंकि स्कूलों में मानव अधिकार शिक्षा प्रदान करने के संबंध में कोई एकरूपता नहीं है, यह सिफारिश की गई कि देश भर के स्कूलों में मानव अधिकार शिक्षा के लिए सार्वभौम पाठ्यक्रम होना चाहिए। इस उद्देश्य हेतु विभिन्न स्तरों पर स्कूलों में एन सी ई आर टी द्वारा मानव अधिकार शिक्षा पर प्रयोग की जाने वाली सामग्री सहित विभिन्न पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा करने तथा उनका विश्लेषण करने की आवश्यकता है। इस काम को संबंधित मंत्रालयों, विभागों, बोर्डों, तकनीकी संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों, सिविल सोसायटी संगठनों के प्रतिनिधियों जैसे मुख्य पणधारियों तथा इस क्षेत्र में काम करने वाले विशेषज्ञों द्वारा पूरा किया जा सकता है। इससे देश में मानव अधिकार शिक्षा को लागू करने के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति बनाने में मदद मिलेगी।
- मानव अधिकार शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति तैयार करते समय यह अनुभव किया गया कि स्कूली शिक्षा पद्धति में मानव अधिकार शिक्षा का समाकलन केवल सांसारिक पाठ्यक्रम तथा इससे संबंधित पुस्तकों तक ही सीमित न हो। वस्तुतः यह स्कूली पद्धति की सीमाओं के परे हो जहाँ बच्चों को अन्य लोगों के साथ संपर्क करने

का अवसर मिल सके तथा अपने व्यावहारिक अनुभव से वे मानव अधिकार मूल्यों एवं कर्तव्यों के बारे में जान सकें। इस प्रकार के दृष्टिकोण अपनाने से न केवल स्कूली पद्धति में मानव अधिकार शिक्षा को रोचक बनाया जा सकेगा वरन् उनके समग्र मानवीय व्यक्तित्व एवं चरित्र के निर्माण के संदर्भ में सर्वग्राही भी बनाया जा सकेगा क्योंकि इससे उन्हें अधिकार, स्वतंत्रता, प्रजातंत्र, सहिष्णुता, शांति, धर्मनिरपेक्षता आदि जैसी अवधारणाओं का मूल अभिप्राय समझने में भी मदद मिलेगी।

- स्कूली पद्धति में विभिन्न स्तरों पर मानव अधिकार शिक्षा के निर्बाध समाकलन करने के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण पर उचित महत्व देने की आवश्यकता है जो इस विषय से निपटेंगे ताकि वे बुनियादी मानव अधिकार चिंताओं को अंतर्ग्रहण करने के साथ–साथ अपनी स्वयं की अनुकूलन द्वारा थोपी गई बाधाओं को दूर कर सकें। शिक्षकों का प्रशिक्षण सैद्धान्तिक न होकर व्यावहारिक एवं सहयोगी का होना चाहिए। उनके प्रशिक्षण में स्कूलों में शारीरिक दण्ड देने के प्रचलन की तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए जो बाल अधिकारों का गंभीर हनन है।

- यह महसूस किया गया कि स्कूलों में मानव अधिकार शिक्षा की संस्कृति का प्रसार करने के उद्देश्य से अन्य संकायों के शिक्षकों को भी सेवाकालीन प्रशिक्षण एवं समय–समय पर उनको दिए जाने वाले अन्य प्रकार के प्रशिक्षण द्वारा इस घटक से परिचित कराया जाना चाहिए। इसी प्रकार, स्कूली बच्चों के अभिभावकों को भी मानव अधिकार शिक्षा के विषय के अभिमुख बनाया जाना चाहिए तथा उसके प्रति संवेदनशील बनाया जाना चाहिए।

- साथ–साथ यह सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयास किया जाना चाहिए कि मानव अधिकार शिक्षा उन बच्चों को भी दी जाए जो स्कूलों में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं अथवा जो कठिन परिस्थितियों में जी रहे हैं।

- स्कूलों में मानव अधिकार शिक्षा के विषय–वस्तु को सर्व सुलभ बनाने के लिए सर्वसम्मति से यह कहा गया कि प्राथमिक, माध्यमिक, वरिष्ठ माध्यमिक स्तरों में शिक्षा देने वाले शिक्षकों के लिए मानव अधिकार शिक्षा पर माड्यूल तथा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर पर मानव अधिकार शिक्षा के संबंध में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सिफारिशों को संदर्भ के उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जा सकता है क्योंकि इसमें विभिन्न मानव अधिकार विषयों पर विस्तृत सूचना शामिल है जिसमें से कुछ को आसानी से स्कूली पद्धति में मानव अधिकार शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया जा सकता है।

- स्कूली पद्धति में मानव अधिकार शिक्षा के घटक के समावेश के लिए यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि केंद्र एवं राज्य सरकारों को स्कूलों में शिक्षा के लिए मौजूदा बजट में या तो वृद्धि करनी चाहिए अथवा मानव अधिकार शिक्षा के लिए पूर्णतया अलग बजट रखना चाहिए।

- राष्ट्रीय स्तर पर स्कूली शिक्षा पद्धति में मानव अधिकार शिक्षा को शामिल करने के लिए एक वृहद् कार्य योजना तैयार करने पर भी जोर दिया गया। इस उद्देश्य से, देश के भीतर एवं बाहर दोनों से विभिन्न पणधारियों का सहयोग उनके अनुभवों एवं उत्तम पद्धतियों को जानने के दृष्टिकोण से लिया जा सकता है। इससे भावी कार्य की रूपरेखा तैयार करने में आसानी होगी।

- इसी प्रकार, प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को स्कूली पद्धति में मानव अधिकार शिक्षा के कार्यान्वयन के लिए एक कार्ययोजना तैयार करनी चाहिए जिसमें इसके कारगर कार्यान्वयन के लिए एक तंत्र हो।

- यह संस्तुति की गई थी कि स्कूली पद्धति के विभिन्न स्तरों पर मानव अधिकार शिक्षा के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य दोनों स्तरों पर एक निगरानी समिति गठित करने के साथ ही अभिभावकों, सिविल सोसायटी संगठनों तथा समुदाय के साथ भागीदारी कर सहायक नेटवर्क बनाने की आवश्यकता है।

ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन अंतः शिक्षु कार्यक्रम

8.7 विभिन्न मानव अधिकार के मुद्दों के बारे में विश्वविद्यालय/कॉलेजों के छात्रों को संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से आयोग वर्ष 2000 से नियमित रूप से प्रत्येक वर्ष एक महीने की अवधि का दो अंतःशिक्षु कार्यक्रम आयोजित करता रहा है। 2008–2009 के दौरान, इसके द्वारा 19 मई से 18 जून 2008 तक ग्रीष्मकालीन अंतः शिक्षु कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें भारत के 17 राज्यों के 35 विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के 53 छात्रों ने भाग लिया। शीतकालीन अंतःशिक्षु कार्यक्रम आयोग द्वारा 17 दिसम्बर, 2008 से 15 जनवरी, 2009 तक आयोजित किया गया। 14 राज्यों के 20 विश्वविद्यालयों/कॉलेजों से 53 छात्रों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इन दोनों कार्यक्रमों में आयोग द्वारा निपटाए जा रहे विभिन्न मानव अधिकार के मुद्दे शामिल थे। प्रत्यक्ष सूचना देने के उद्देश्य से दोनों अंतःशिक्षु कार्यक्रमों के छात्रों को क्षेत्र दौरे के लिए एस ओ एस चिल्ड्रेन्स विलेज तथा अन्य संगठनों में ले गया गया। अंतः शिक्षु कार्यक्रम के भाग के रूप में छात्रों को प्रोजेक्ट कार्यभार भी दिया गया तथा उस पर उन्हें प्रस्तुतीकरण देने को भी कहा गया।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

8.8 अपने दायित्व को पूरा करने की दिशा में, आयोग ने रिपोर्टिंग अवधि के दौरान देश भर में आयोजित किए जाने वाले मानव अधिकार के विभिन्न पहलूओं पर उत्तर–पूर्वी राज्यों एवं अन्य पिछड़े राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते हुए 65 संस्थाओं/ विश्वविद्यालयों/गैर–सरकारी संगठनों के 123 प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अनुमोदित किया। इनमें से 58 संस्थाओं/विश्वविद्यालयों/गैर सरकारी संगठनों द्वारा 114 प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किए गए। विस्तृत विवरण के लिए **अनुलग्नक – 13** देखें।

ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण कार्य

8.9 मानव अधिकार विषयों के प्रति विश्वविद्यालय के छात्रों को संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से आयोग ने राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ के सहयोग से 16 जून से 15 जुलाई, 2008 तक ग्रीष्मकालीन मानव अधिकार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश राज्य से 62 साझीदारों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष ने किया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष ने भी सहभागियों को संबोधित किया।

भारतीय विदेश सेवा के परीवीक्षार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

8.10 आयोग ने 2007 बैच के भारतीय विदेश सेवा के 15 परीवीक्षार्थियों के लिए 5 से 6 जून, 2008 तक एक दो–दिवसीय अटैचमेंट कार्यक्रम आयोजित किया। इस अटैचमेंट कार्यक्रम के दौरान परीवीक्षार्थियों ने आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों, महासचिव एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से परस्पर चर्चा की।

इन हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम

8.11 आयोग में नए भर्ती किए गए अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए 18 जुलाई, 2008 को एक दिवसीय इन हाऊस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कुल मिलाकर 26 अधिकारी/कर्मचारी इस कार्यक्रम में प्रशिक्षित किए गए।

भारत के विभिन्न कालेजों/विश्वविद्यालयों से आने वाले छात्रों/प्रशिक्षुओं के साथ परस्पर चर्चा

8.13 2008–2009 के दौरान आयोग ने देशभर के 18 अलग–अलग कॉलेजों/विश्वविद्यालयों से आयोग का दौरा करने वाले 776 छात्रों/प्रशिक्षुओं से परस्पर चर्चा की। ये छात्र विधि, समाजशास्त्र, सामाजिक कार्य, मानव अधिकार, राजनीति विज्ञान आदि अलग–अलग विषयों में अध्ययन कर रहे थे।

विदेशी कूटनीतिज्ञों के साथ परस्पर चर्चा

8.14 विदेश सेवा संस्थान के दो अधिकारियों सहित विभिन्न देशों के 23 विदेशी राजनयिकों के एक समूह ने 18 मार्च, 2009 को आयोग का दौरा किया। अध्यक्ष, महासचिव, महानिदेशक (अन्वेषण), रजिस्ट्रार (विधि) तथा संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण) ने उनके साथ परस्पर चर्चा की।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में हिंदी पखवाड़ा

8.15 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने अपने दिन–प्रतिदिन के कार्य में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 से 29 सितम्बर, 2008 तक वार्षिक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया। आयोग के कर्मचारियों ने वाद–विवाद, क्विज कार्यक्रम एवं सृजनात्मक लेखन प्रतियोगिता के साथ–साथ हिंदी भाषा की उन्नति के लिए आयोजित किए गए अन्य कार्यक्रमों में बढ़–चढ़ कर भाग लिया।

स्थापना दिवस समारोह

8.16 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने 12 अक्टूबर, 2008 को अपनी स्थापना के 15 वर्ष पूरे होने पर नई दिल्ली के फिक्की गोल्डेन जुबली ऑडिटोरियम में स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया। न्यायमूर्ति श्री एस. राजेन्द्र बाबू, अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने इस समारोह की अध्यक्षता की जिसमें आयोग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों, फरीदाबाद के 'एस ओ एस चिल्ड्रेन्स' विलेज के बच्चों एवं अन्य कलाकारों ने प्रदर्शन किया।

मानव अधिकार दिवस पर समारोह

8.17 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने 10 दिसम्बर, 2008 को नई दिल्ली के फिक्की गोल्डेन जुबली ऑडिटोरियम में आयोजित एक समारोह में मानव अधिकार दिवस मनाया। लोकसभा के अध्यक्ष श्री सोमनाथ चटर्जी, मुख्य अतिथि तथा केंद्रीय संचार एवं सूचना तकनीक मंत्री ए. राजा विशिष्ट अतिथि थे। इस अवसर पर मानव अधिकारों के सार्वभैम घोषणापत्र (यू डी एच आर) के महत्व को इंगित करता एक पोस्टेज स्टाम्प जारी किया गया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के जर्नल (अंग्रेजी), खण्ड सं0 7, 2008; राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जर्नल (हिंदी) मानवाधिकारः नई दिशाएँ, खण्ड सं0 5; निरोध पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कार्यशाला की कार्यवाहियों; तथा वर्ष 2009 के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कैलेण्डर के साथ विभिन्न भाषाओं में यू डी एच आर की एक पुस्तिका जारी की गई। मुख्य अतिथि ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण प्रणाली का भी उद्घाटन किया।

कॉलेज के छात्रों के लिए अंतर–महाविद्यालय वाद–विवाद प्रतियोगिता

8.18 10 दिसम्बर, 2008 को मानव अधिकार दिवस के अवसर पर आयोग ने जीसस एंड मेरी कॉलेज, नई दिल्ली के सहयोग से एक अंतर–महाविद्यालय वाद–विवाद प्रतियोगिता आयोजित की जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों के छात्रों ने भाग लिया।

स्कूली बच्चों की दौड़ प्रतियोगिता

8.19 संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1948 में अंगीकार किए गए मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के 60 वीं वर्षगांठ के अवसर पर तथा प्रत्येक वर्ष 10 दिसम्बर को मानव अधिकार दिवस मनाने के उपलक्ष में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा स्कूली बच्चों के लिए 7 दिसम्बर, 2008 को इण्डिया गेट पर एक दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की गई।

अंतर–संसदीय बल वाद–विवाद प्रतियोगिता

8.20 10 दिसम्बर, 2008 को मानव अधिकार दिवस की महत्ता के उपलक्ष में आयोग द्वारा केंद्रीय पुलिस संगठनों के कर्मचारियों के लिए हिंदी एवं अंग्रेजी में एक वाद–विवाद प्रतियोगिता 20 नवम्बर, 2008 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी आर पी एफ) के सहयोग से आयोजित की गई।

चित्रकला प्रतियोगिता

8.21 8–12 वर्ष आयु समूह तथा 13–16 आयु समूह के बच्चों के लिए राष्ट्रीय बाल भवन के सहयोग से आयोग द्वारा 16 नवम्बर, 2008 को नई दिल्ली में एक चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। चित्रकला प्रतियोगिता में अन्य प्रकार से सक्षम बच्चों ने भी भाग लिया। 8–12 वर्ष के बच्चों के लिए प्रतियोगिता का विषय था 'प्रदूषण मुक्त दीवाली;' 13–16 वर्ष के बच्चों के लिए विषय था 'स्वास्थ्य, सफाई एवं सेहत' तथा अन्य प्रकार से सक्षम बच्चों के लिए विषय था 'शिक्षा एक मानव अधिकार के रूप में'।

अध्यक्षों, राज्य मानव अधिकार आयोगों के सचिवों, लोक पदाधिकारियों तथा गैरसरकारी संगठनों का सम्मेलन

8.22 संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त श्री नवनीथन पिल्लै के साथ परस्पर चर्चा करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा 23 मार्च, 2009 को अध्यक्षों, राज्य मानव अधिकार आयोगों के सचिवों, लोक पदाधिकारियों तथा गैर सरकारी संगठनों के अर्द्ध दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्री पिल्लै ने कहा कि भारत के लोकतांत्रिक एवं वैधानिक संस्थानों तथा अत्यधिक व्यस्त सिविल सोसायटी एवं एक स्वतंत्र प्रेस की ताकत मजबूत नींव पर आधारित है। भारत को अपने राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली पर गर्व होना चाहिए जिसमें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग शामिल है। श्री पिल्लै ने कहा कि भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय में अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त है तथा उनके दौरे का एक मुख्य उद्देश्य यह भी था। उन्होंने सुझाव दिया कि लिंग एवं गरीबी जैसे मानव अधिकार के साथ मुद्दों पर इस क्षेत्र के राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं को मिलकर काम करना चाहिए।

*****

अंतरराष्ट्रीय सहयोग

अध्याय – 9

सार्वभौम आवधिक समीक्षा

9.1 वर्ष 2007–2008 की वार्षिक रिपोर्ट में यह कहा गया था कि मानव अधिकार परिषद प्रस्ताव 5/1 के आधार पर, आयोग ने भारत सरकार के साथ मिलकर काम किया तथा भारत देश पेपर तैयार करने में एक मुख्य भूमिका निभाई।

9.2 आयोग ने सार्वभौम आवधिक समीक्षा (यू पी आर) के लिए संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त कार्यालय को जनवरी, 2008 में अलग से संक्षिप्त पत्र भेजा था। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत के पत्र ने शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, भोजन का अधिकार, बच्चों के अधिकार, अशक्त व्यक्तियों के अधिकार तथा भ्रष्टाचार एवं मानव अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण मानव अधिकार चुनौतियों को उठाया। अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार प्रसंविदाओं की समीक्षा करते समय आयोग ने शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित 1951 के संयुक्त राष्ट्र संघ समझौते तथा उत्पीड़न के विरूद्ध समझौता का अनुसमर्थन करने की आवश्यकता पर बल दिया।

अंतरराष्ट्रीय बैठकों में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत की भागीदारी

9.3 अध्यक्ष, महासचिव तथा निदेशक (अनुसंधान) से युक्त राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के एक उच्च–स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने 11 अप्रैल, 2008 को डबलिन में आयरिश मानव अधिकार आयोग, 12 अप्रैल, 2008 को बेलफास्ट में नार्दर्न आयरलैण्ड मानव अधिकार आयोग तथा 14 अप्रैल, 2008 को लंदन में राष्ट्रकुल सचिवालय का दौरा किया तथा उनके साथ परस्पर चर्चा की।

9.4 सदस्य, महासचिव तथा निदेशक (अनुसंधान) से युक्त राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के एक प्रतिनिधिमंडल ने मानव अधिकारों के संरक्षण एवं सवंर्द्धन के लिए राष्ट्रीय संस्थानों की अंतरराष्ट्रीसमन्वय समिति (आई सी सी) के 20 वें अधिवेशन में भाग लेने के लिए 14 से 18 अप्रैल, 2008 तक जेनेवा का दौरा किया। अधिवेशन के दौरान, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत से एन एच आर आई की वेबसाईट चालू करने का अनुरोध किया गया जिसे इसने तुरंत स्वीकार कर लिया। उक्त वेबसाईट www.nhrc.net अथवा www.nhrc.nic.in पर देखी जा सकती है। मानव अधिकारों के सरंक्षण एवं संवर्द्धन के लिए राष्ट्रीय संस्थानों की अंतरराष्ट्रीय समन्वय समिति को मान्यता देने की प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत द्वारा दिए गए इनपुट को भी स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के प्रतिनिधिमंडल ने सार्वभौम आवधिक समीक्षा के तहत् कंट्री रिपोर्टों पर विचार करने के लिए कार्यकारिणी समूह बैठकों में राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के बोलने के अधिकारों की कमी पर अपनी चिंता भी जताई।

9.5 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के संयुक्त सचिव ने 9 से 11 जून, 2008 तक स्विटज़रलैण्ड के जेनेवा में मानव अधिकार परिषद् के पूर्ण अधिवेशन में भाग लिया। पूर्ण अधिवेशन सार्वभौम आवधिक समीक्षा के तहत् भारत से संबंधित अंतिम निष्कर्ष को अंगीकार करने से संबंधित था। संयुक्त सचिव ने भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की ओर से एक बयान दिया।

9.6 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के अध्यक्ष, एक सदस्य तथा महासचिव ने 28 से 31 जुलाई, 2008 तक क्वालालाम्पुर, मलेशिया में राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के एशिया प्रशान्त मंच की 13 वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया।

9.7 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के एक उच्च–स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष की अगुवाई में 21–24 अक्टूबर, 2008 तक नैरोबी, केन्या में मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए राष्ट्रीय संस्थानों के 9 वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन का विषय था 'राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान तथा न्याय का प्रशासन', जिसमें न्याय के वितरण में जिम्मेदारी सुनिश्चित करने में राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों की क्षमता में विस्तार करने पर जोर दिया गया था। इसे ओ एच सी एच आर तथा आई सी सी के सहयोग से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग केन्या द्वारा आयोजित किया गया था।

9.8 अध्यक्ष, महासचिव तथा निदेशक (अनुसंधान) से युक्त आयोग के एक तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 27 मार्च, 2009 को काउंसिल ऑफ यूरोप तथा यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, 30 मार्च 2009 को नेशनल कंसल्टेटिव कमीशन फ्रांस (फ्रांस का आई सी सी द्वारा प्रत्यायित एक राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान) तथा 31 मार्च, 2009 को डैनिश इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन राइट्स का दौरा किया। इसके पहले, आई सी सी का 22 वा अधिवेशन 23 से 27 मार्च, 2009 तक जेनेवा में आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के अध्यक्ष एवं महासचिव से युक्त एक दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने इसमें भाग लिया।

दौरे, संगोष्ठियाँ एवं कार्यशालाएँ

9.9 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के अधिकारियों ने विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। इनमें शामिल हैं :–

- चाईना सोसायटी फार ह्यूमन राईट्स स्टडीज द्वारा 21 से 23 अप्रैल, 2008 तक बीजिंग में आयोजित 'सुरक्षा विकास एवं मानव अधिकार' पर मंच।
- रोम, इटली में 30 सितम्बर से 4 अक्टूबर, 2008 तक संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा आयोजित भोजन का अधिकार मंच।
- थाईलैण्ड के बैंकाक में 16 से 17 अक्टूबर, 2008 तक संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय तथा यूनेसकेप की सहमेज़बानी में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स तथा मानव अधिकार पर क्षेत्रीय बैठक।

- स्वीडन में 6 से 7 नवम्बर, 2008 तक "मानव अधिकार के कार्यान्वयन हेतु व्यवस्थित कार्य के संबंध में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन"।
- बैंकाक, थाईलैण्ड में 24 नवम्बर, से 3 दिसम्बर 2008 तक एशिया पेसिफिक में राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के लिए क्षेत्रीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।

राष्ट्रकुल मंच बैठक

9.10 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के अध्यक्ष ने नैरोबी, केन्या में 20 अक्टूबर, 2008 को राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के राष्ट्रकुल मंच की बैठक में भाग लिया।

अध्यक्षों राज्य मानव अधिकार आयोगों के सचिवों, लोक पदाधिकारियों एवं गैर–सरकारी संगठनों का सम्मेलन :–

आदान–प्रदान और अन्य तालमेल

9.11 वर्ष 2008–2009 के दौरान निम्न व्यक्तियों/शिष्टमण्डलों ने आयोग का दौरा किया।

i. इंडोनेशियाई राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के दो सदस्य (कोमनास पेरेम्पुअप) – 28 अप्रैल से 12 मई, 2008

ii. श्री पाउलो वन्नूची, मानव अधिकार मंत्री, ब्राजील की अगुवाई में एक चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल – 16 अक्तूबर, 2008

iii. विदेश संबंधों पर स्वीडिश संसदीय स्थायी समिति का एक शिष्टमण्डल – 13 जनवरी, 2009

iv. नई दिल्ली स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका के दूतावास के अधिकारी – 15 जनवरी, 2009

v. नेपाल स्थित, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त के प्रतिनिधि, डॉ0 रिचार्ड बेन्नेट – 16 जनवरी, 2009

vi. व्यापार और मानव अधिकार से संबंधित संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि, प्रो0 जोन जी. रूगी सहित विशेष सलाहकार श्री जीराल्ड पचोड़ के साथ – 4 फरवरी, 2005

vii. डॉ0 डेविड बेलेय, अपराध–विज्ञान विशेषज्ञ और पुलिस विद्वान, क्रिमिनल जस्टिस यूनीवर्सिटी अल्बानिया, यू.एस.ए. – 13 फरवरी, 2009

viii. सुश्री नवनेतम पिल्लै, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त – 23 मार्च, 2009

*****

गैर–सरकारी संगठन

अध्याय – 10

10.1 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12(प) के अनुपालन में आयोग अपने स्थापना काल से ही गैर–सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) और मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्यरत् संस्थानों के प्रयासों की सराहना करता रहा है। आयोग ने विश्वसनीय गैर–सरकारी संगठनों और संस्थानों के सहयोग से मानव अधिकार जागरूकता कार्यक्रमों सहित कई परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया है। आयोग का यह दृढ़ मानना है कि आयोग, गैर–सरकारी संगठनों और अन्य संबंधित संस्थानों के पूर्ण सहयोग के बिना मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्द्धन में अपेक्षित गति नहीं आ सकती। वे आयोग के सबसे महत्वपूर्ण साथी और सच्चे समालोचक हैं। यह आयोग और गैर–सरकारी संगठन दोनों के लिए एक दूसरे को समझने में और देश में मानव अधिकारों के संवर्द्धन में मिलकर कार्य करने की क्षमता को बढ़ाने में काफी सहायक सिद्ध हुए हैं। आयोग द्वारा नियुक्त विशेष सम्पर्ककर्त्ताओं सहित गैर–सरकारी संगठनों ने आयोग के प्रयासों का प्रवर्धन किया है जिससे इनके प्रयासों को व्यापक जनाधार मिला और ये प्रयास अधिक सफल हो सके।

10.2 गैर–सरकारी संगठनों के तालमेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोग ने जुलाई, 2001 में गैर–सरकारी संगठनों के कोर समूह का गठन किया। अक्तूबर, 2006 में इस कोर समूह का पुनः गठन किया गया और तत्पश्चात् नवम्बर, 2006, अगस्त 2008 और सितम्बर, 2008 में इसमें नए सदस्य शामिल किये गये। कोर समूह के सदस्य विश्वसनीय गैर–सरकारी संगठनों के अग्रणी प्रतिनिधि हैं।

10.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान सितम्बर, 2007 में गठित गैर–सरकारी संगठनों के कोर सदस्यों की बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई की समीक्षा करने हेतु जुलाई, 2008 में आयोग में कोर समूह की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में 28 से 31 जुलाई 2008 को कुआलालमपुर में आयोजित 13वें एशिया पैसिफिक फोरम (ए.पी.एफ.) की बैठक की विषय सूची पर पूर्वोक्त ए.पी.एफ. की बैठक में आयोग द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट, मानव अधिकार सार्वभौमिक घोषणा (यू.डी.एच.आर.) की 60वीं वर्षगांठ को मनाने हेतु की गई गतिविधियों और गैर–सरकारी संगठनों और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत में बेहतर सहयोग हेतु रणनीतियों पर कोर समूह के सदस्यों ने विस्तारपूर्वक चर्चा की।

10.4 बैठक में हुए विचार–विमर्श के अनुसार गैर–सरकारी संगठनों और आयोग पर कोर समूह के सदस्यों में हुई चर्चा के दौरान चिह्नहित किए गए विशिष्ट विषयों के संबंध में आयोग ने गैर–सरकारी संगठनों के साथ मिल कर कार्य किया। इसके अतिरिक्त आयोग ने देश के दूरस्थ क्षेत्रों में आयोग के आँख और कान स्वरूप कार्य करने वाले गैर–सरकारी संगठनों से मानव अधिकारों के उल्लंघनों से संबंधित शिकायतों को निरन्तर प्राप्त किया। आयोग ने मानव

अधिकार जागरूकता पर कार्यक्रम आयोजित करने हेतु कई गैर–सरकारी संगठनों/संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान की। आयोग को यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि समय के साथ–साथ आयोग को अपने कार्य में गैर–सरकारी संगठनों का सहयोग निरन्तर बढ़ रहा है। बडी संख्या में और विभिन्न गैर–सरकारी संगठनों की आयोग के न्यूजलेटर को प्राप्त करने की इच्छा और आयोग की गतिविधियों में भागीदारी की उत्सुक्ता से यह स्वतः स्पष्ट हो जाता है। आयोग ऐसी प्रवृति का व्यापक रूप से स्वागत करता है।

*****

राज्य मानव अधिकार आयोग

अध्याय – 11

11.1 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के अनुसार, 18 राज्यों – आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में राज्य मानव अधिकार आयोग स्थापित किए गए है।

11.2 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की इच्छा है कि प्रत्येक राज्य में राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना की जाए। आयोग उन सभी राज्यों में जहाँ राज्य मानव अधिकार आयोग गठित नहीं हुए हैं, वहाँ राज्य मानव अधिकार आयोग गठित करने की संस्तुति करता है। इसके अतिरिक्त आयोग ने सहयोग और सहभागिता के क्षेत्र को बढ़ाने और उसे सुदृढ़ करने हेतु राज्य मानव अधिकार आयोग के साथ निरन्तर विचार–विमर्श करने के लिए कदम उठाए हैं।

11.3 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राज्य मानव अधिकार आयोग में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के संयुक्त सचिव ने पश्चिम बंगाल राज्य मानव अधिकार अयोग के सचिव के साथ 6 से 7 नवम्बर, 2008 को स्वीडन में आयोजित मानव अधिकार कार्यान्वयन हेतु व्यवस्थित कार्य पर तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया।

11.4 जब सुश्री नेवनथम पिल्लै, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त ने 23 मार्च, 2009 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत का दौरा किया तो सभी राज्य मानव अधिकार आयोगों के अध्यक्षों और सचिवों को भी उनसे बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया गया।

11.5 आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न सम्मेलनों/कार्यशालाओं हेतु विभिन्न राज्यों के मानव अधिकार आयोगों के अध्यक्षों और सचिवों को भी आमंत्रित किया गया जहाँ उन्हें विभिन्न सत्रों की अध्यक्षता करने एवं विचार–विमर्श में अपना योगदान देने का अनुरोध किया गया।

11.6 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग उन अभी राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को जिन्होंने अभी तक राज्य मानव अधिकार आयोग गठित नहीं किए हैं, को अपने–अपने राज्य आयोग गठित करने हेतु तत्काल कार्रवाई करने की एक बार पुनः संस्तुति करता है और ऐसे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जहाँ कहीं भी ऐसे आयोग गठित किए जा चुके हैं वहाँ उन्हें अपेक्षित संसाधन और अन्य अनिवार्य आवश्यकताओं जो उनके उचित संचालन के लिए अनिवार्य हैं, को मुहैया कराया जाए।

*****

मानव अधिकारों से संबंधित कानूनों, संधियों के कार्यान्वयन और अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रपत्रों की समीक्षा

अध्याय – 12

शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित कनवेंशन 1951 और 1969 का प्रोटोकॉल

12.1 पूर्व वार्षिक रिपोर्टो में शरणार्थियों के अधिकारों के संरक्षण पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के विचारों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की जा चुकी है। आयोग ने शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित अभिसमय 1951 और 1967 के प्रोटोकॉल के अनुसर्मथन और इस संबंध में राष्ट्रीय कानून अधिनियमित करने की पैरवी की।

12.2 समीक्षाधीन अवधि के दौरान आयोग ने संबद्ध मंत्रालय को शरणार्थी संरक्षण पर राष्ट्रीय कानून अधिनियमित करने को कहा। सरकार के उच्च पदस्थ अधिकारियों के साथ विचारों के आदान–प्रदान के आधार पर आयोग ने गृह–मंत्रालय और विदेश मंत्रालय को आवश्यक प्रस्ताव तैयार करने और उसे यथाशीघ्र आयोग को भेजने को कहा। इस रिपोर्ट को लिखते समय उनके प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा थी।

यंत्रणा, अमानवीय, अपमानजनक व्यवहार या सजा के विरूद्ध कनवेंशन, 1984

12.3 आयोग पिछले कई सालों से यातना के विरूद्ध कनवेंशन पर अनुसमर्थन की वकालत कर रहा है। आयोग के प्रयासों के अनुपालन में भारत ने 1997 में यातना के विरूद्ध कनवेंशन पर हस्ताक्षर किए। अनुसमर्थन में हुई देरी पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए आयोग ने अपनी पूर्व की वार्षिक रिपोर्टों में इस पर टिप्पणी करते हुए सरकार को इसके अनुसमर्थन पर तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया। यातना का निषेध देश के देशज कानूनों का हिस्सा है और इसलिए इसके अनुसर्मथन से इस निषेध को बल मिलेगा।

12.4 जैसा कि गत वार्षिक रिपोर्ट में जिक्र किया गया था, आयोग ने यातना के विरूद्ध कनवेंशन संबंधी अनुसमर्थन हेतु विधेयक पर अपनी टिप्पणियाँ गृह मंत्रालय को प्रेषित कर दी थी। अगस्त 2007 में गृह मंत्रालय के प्रत्युत्तर का अनुपालन करते हुए कि आयोग और अन्य मंत्रालयों/अभिकरणों की टिप्पणियाँ विदेश मंत्रालय को भेज दी गई हैं, आयोग ने संबद्ध मंत्रालय से इस पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने आयोग को सूचित किया कि उनकी टिप्पणियों को 7 सितम्बर, 2007 के पत्र द्वारा गृह मंत्रालय को भेज दी गई हैं। आयोग अब गृह मंत्रालय से यातना के विरूद्ध अनुसमर्थन की स्थिति को जानने हेतु गृह मंत्रालय से बात कर रहा है।

12.5 उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में पहले से ही कई आदेश जारी कर दिए हैं। यातना को भारतीय दंड संहिता और अन्य विधानों में भी अपराध माना गया है। ऐसे मामलों में जिसमें किसी व्यक्ति को यातना का शिकार बनाया गया है। आयोग ने ऐसे मामलों में तत्काल अंतरिम राहत देने की संस्तुति की है। मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्द्धन के लिए आयोग एक बार पुनः भारत सरकार को इस कनवेंशन का यथाशीघ्र अनुसमर्थन करने का आग्रह करता है।

1949 के जिनेवा कनवेंशन के अतिरिक्त 1997 का प्रोटोकॉल

12.6 1949 के जिनेवा कनवेंशन का प्रोटोकॉल I अंतरराष्ट्रीय सशस्त्र विरोध पर नए नियमों का प्रावधान करता है तथा प्रोटोकॉल II गैर–अंतरराष्ट्रीय सशस्त्र विरोध पर अंतरराष्ट्रीय मानव कानूनों का विकास करता है।

12.7 इन दोनो प्रोटोकॉलों पर आयोग की टिप्पणियों के लिए किए गए अनुरोध के प्रत्युत्तर में विदेश मंत्रालय ने सशस्त्र विरोध की बदलती प्रकृति और इस संबंध में अन्य अभिकरणों के साथ विस्तृत विचार–विमर्श किए जाने की जरूरत का उल्लेख किया। आयोग इस मामले पर आगे भी चर्चा जारी रखेगा।

*****

अनुसंधान अध्ययन और परियोजनाएँ

अध्याय – 13

(क) पूर्ण किए गए अनुसंधान अध्ययन

उत्तर प्रदेश के बुंदेलखण्ड और सोनभद्र क्षेत्र में भूमि, श्रम और मानव अधिकार उल्लंघन पर कार्रवाई अनुसंधान

13.1 पूर्वोक्त कार्रवाई अनुसंधान कार्य को पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ के समाज विज्ञान के एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर को सौंपा गया। इस अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य बुंदेलखण्ड और सोनभद्र क्षेत्र में रहने वाले लोगों की भूमि, श्रम और अन्य मानव अधिकारों के उल्लंघन की तीव्रता को समझना था ताकि उनके मूल जीवन परिस्थितियों विशेष रूप से दलितों, जन–जातियों और महिलाओं जैसे उपेक्षित वर्गों की जीवन पद्धतियों में संपूर्ण सुधार लाया जा सके।

स्वतंत्रता, बंधक और भविष्य परितयक्त : कर्नाटक सिल्क उघोग में बाल बंधुआ मजदूरी

13.2 उक्त अध्ययन को इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड इक्नामिक चेंज (आई.एस.ई.सी.) बेंगलूरू को सौंपा गया था। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य कर्नाटक सिल्क उद्योग में बंधुआ बाल मजदूरी के कारण वहाँ की घरेलू स्थितियों, बंधुआ बाल मजदूरी के आयाम अैर कर्नाटक के सिल्क उद्योग में बंधुआ बाल मजदूरी को रोकने और उन्मूलन करने हेतु राज्य सरकार और गैर–सरकारी संगठनों की नीतियों और कार्यक्रमों का विश्लेषण करना था। आयोग ने आई.एस.ई.सी. द्वारा प्रस्तुत अध्ययन रिपोर्ट पर कुछ स्पष्टीकरण माँगे हैं।

(ख) वर्तमान में चल रहे अनुसंधान अध्ययन

मुख्य राज्यों में गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व नैदानिक तकनीक (लिंग जाँच निशेध) अधिनियम के कार्यान्वयन का अनुसंधान और समीक्षाः

13.3 आयोग द्वारा उक्त अध्ययन गत वर्ष (2007–2008) में संयुक्त राष्ट्र जन संख्या निधि के सहयोग से किया गया था। इस अध्ययन के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- इस अधिनियम के उल्लंघन में होने वाली गतिविधियों से संबंधित सूचनाओं को प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों और इस से संबंधित मामलों को दर्ज करने में पेश आने वाली कठिनाइयों की पहचाना करना;
- मामलों को दर्ज करने हेतु कानून के अंतर्गत आने वाली प्रक्रिया, इसे करने में आने वाली बाधाओं और सिद्ध दोष सुनिश्चित करने हेतु उठाए गए अनिवार्य कदमों की समझ पैदा करना;
- दायर मामलों और उससे उभरे कानूनी मामलों की समीक्षा और अन्वेषण के माध्यम से कानूनों के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों की पहचान करना;

- उन साक्ष्यात्मक और अभियोजनात्मक पक्षों से मुख्य कमियों की पहचान करना जिन्होंने सिद्ध दोषी को सुनिश्चित करने में असफलता दिलाई;
- उन मुख्य कार्रवाइयों और प्रक्रियाओं की पहचान करना जिससे सिद्ध दोष करने में सफलता मिली; और
- उपयुक्त और न्यायिक प्राधिकारियों की क्षमता निर्माण और गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदानिक तकनीकों (लिंग जाँच निषेध) अधिनियम (पी.सी.पी.एन.डी.टी. अधिनियम) के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करना।

13.4 इस अध्ययन हेतु 18 राज्यों को शामिल किया गया है। ये राज्य हैः– आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। इस वार्षिक रिपोर्ट को लिखते समय राज्य रिपोर्टों और राष्ट्रीय रिपोर्ट का मसौदा तैयार किया जा रहा था।

*****

प्रशासन और संभारिकी सहायता

अध्याय – 14

क. कर्मचारी वर्ग

14.1 आयोग में विभिन्न पदों पर कुल 343 कर्मचारी हैं। आयोग ने अपने संवर्ग को तैयार करने और इसका विकास करने की विभिन्न प्रक्रियाओं को अपनाया है। इनमें सीधी भर्ती, पुनर्नियोजन, प्रतिनियुक्ति और संविदामूलक रोजगार शामिल हैं। इन रिपोर्टों को तैयार करने की अवधि के दौरान आयोग में प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों से स्थायी आमेलन हेतु विकल्प माँगा गया।

14.2 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग–भारत ने आयोग के दैनंदिन कार्यों में सहायता प्रदान करने हेतु भारत और विदेशों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए एक अंतःशिक्षु कार्यक्रम आरंभ किया है। इनमें से कुछ अंतःशिक्षुओं को आयोग में अल्पकालिक अवधि हेतु संविदा पर चुना जाता है और उन्हें वे कतिपय कर्तव्य और भार सौंपे जाते हैं जिनके प्रति उनका रूझान तथा अपेक्षित क्षमता होती है।

ख. विशेष सम्पर्ककर्त्ता

14.3 वर्ष 2008–2009 के दौरान आयोग में आयोग के संवेदनशील और आवश्यक दायित्वों को निपटाने में विशेष सम्पर्ककर्त्ता की प्रणाली जारी रही। नागरिक और राजनीतिक अधिकारों, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के क्षेत्र में आयोग के प्रतिनिधि के रूप में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में निहित प्रावधानों और उनके मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामले में आयोग से अपनी शिकायत निपटाने की प्रक्रिया से संबंधित लोगों का मार्ग–दर्शन करने हेतु आयोग में कुल मिलाकर आठ विशेष सम्पर्ककर्त्ता थे।

ग. कोर एवं विशेषज्ञ समूह

14.4 जैसा कि इस वार्षिक रिपोर्ट के अध्याय 3 में जिक्र किया गया है, आयोग ने विभिन्न मानव अधिकार मामलों पर विशिष्ट व्यक्तियों या प्रतिनिधियों से गठित कोर और विशेषज्ञ समूह के प्रबंध को जारी रखा। लोगों, विशेष रूप से समाज के निम्न वर्गों से संबंधित लोगों के मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्द्धन में आयोग में गठित कोर और विशेषज्ञ समूहों से मानव अधिकारों संबंधी विभिन्न गंभीर विषयों पर अत्यधिक सहायता मिली है। अपने–अपने क्षेत्रों के इन ज्ञानवान और समर्पित व्यक्तियों से गठित इन कोर समूहों और विशेषज्ञ समूहों ने आयोग को कानून के अंतर्गत समनुदेशित कार्यों का निर्वाह करने में आयोग की क्षमता और सक्षमता को सुदृढ़ किया है। आयोग में गठित कुछ महत्वपूर्ण कोर और विशेषज्ञ समूह इस प्रकार हैं:

- स्वास्थ्य संबंधी कोर सलाहकार समूह
- मानसिक स्वास्थ्य संबंधी कोर समूह

- गैर–सरकारी संगठनों पर कोर समूह
- वकीलों से संबंधित कोर समूह
- भोजन के अधिकार से संबंधित कोर समूह
- आपातकालीन चिकित्सीय देखभाल पर विशेषज्ञ समूह
- शरणार्थियों पर विशेषज्ञ समूह
- सिलिकॉसिस पर विशेषज्ञ समूह
- असुरक्षित औषध और चिकित्सीय उपकरणों पर विशेषज्ञ समूह
- अशक्तता पर कोर समूह

घ. राजभाषा का प्रयोग

14.5 रा.मा.अ. आयोग में एक राजभाषा एकक है। इसका दायित्व क्षेत्रीय और विदेशी भाषाओं में प्राप्त शिकायतों/अभ्यावेदनों और प्रत्युत्तरों का अनुवाद करना है। इस प्रभाग पर आयोग की वार्षिक रिपोर्ट, मासिक न्यूजलेटर और बजट दस्तावेजों के अनुवाद का दायित्व है। मानव अधिकार विषयों पर सृजनात्मक लेखन पुरस्कार योजना और भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी से हिंदी में अनूदित पुस्तकों पर दी जाने वाली नकद पुरस्कार योजना को इस वर्ष भी जारी रखा गया।

14.6 मानव अधिकार विषयों पर आम जनता में जागरूकता बढ़ाने हेतु राजभाषा प्रभाग पूर्व परम्परा के अनुसार हिंदी में नई दिशाएँ नामक पत्रिका का प्रकाशन कर रहा है।

ङ. पुस्तकालय

14.7 आयोग के पुस्तकालय में मानव अधिकार और उससे संबंधित विषयों पर पर्याप्त पुस्तके उपलब्ध हैं। आयोग का पुस्कालय आयोग में कार्यरत् कर्मचारियों और अधिकारियों हेतु अनुसंधान और संदर्भ उद्देश्यों हेतु स्थापित किया गया है। वर्तमान में यह पुस्तकालय मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्यरत् अंतःशिक्षुओं, अनुसंधान अध्येताओं और अन्य द्वारा इसका अधिकाधिक प्रयोग किया जा रहा है। यह पुस्तकालय अंतर–पुस्तकालय ऋण–सुविधाओं के माध्यम से नई दिल्ली के सभी पुस्तकालयों के साथ सम्पर्क रखता है। वर्तमान में पुस्तकालय में 16542 पुस्तकें और पत्रिकाओं के पिछले संस्करण हैं जिसमें मानव अधिकार संबंधी सरोकार और संबंधित विषय के व्यापक क्षेत्र शामिल हैं। पुस्तकालय के मौजूदा संग्रह में वर्ष 2008–2009 के दौरान मानव अधिकारों से संबंधित 1100 पुस्तकों को और शामिल किया गया। इस पुस्तकालय में 200 सी.डी./डी.वी.डी./कैसेट हैं। पुस्तकालय में 50 भारतीय और विदेशी पत्रिकाएँ, 100 क्रमिक प्रकाशन, 28 पत्रिकाएँ और 23 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार पत्र मँगााए जाते हैं।

14.8 यह पुस्तकालय एस.सी.सी. ऑनलाईन (सुप्रीम कोर्ट केस फाइंडर सी.डी.रोम) और एन.आई.सी. नई दिल्ली द्वारा विकसित पुस्तकालय प्रबंधन प्रणाली सोफ्टवेयर पैकेज (ई–ग्रंथालय) से सुसज्जित है। ऑनलाईन पब्लिक एकसेस कैटलॉग (ओपैक) की सुविधा को लेखक, नाम, विषय, मुख्य शब्द और प्रकाशन जैसे किसी पहुँच बिन्दु के माध्यम से पुस्तकालय में किसी भी मौजूद पुस्तक की उपलब्धता और स्थान को तत्काल सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से विकसित किया गया है।

14.9 आयोग के पास ब्रिटिश कांउसिल लाइब्रेरी और डेलनेट (डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्किंग) की संस्थागत सदस्यता है जो पुस्तकालयों में स्रोत आदान–प्रदान को बढ़ावा देती है। सूचीक्रम की एक नई सेवा – ''करंट कंटेंट्स'' को वर्ष 2007–2008 के दौरान पुस्तकालय में शुरू किया गया। इसमें पुस्तकालय में प्राप्त पत्रिकाओं के लेखों को लेखों में प्रयुक्त विषय शीर्षों और मुख्य शब्दों के आधार पर सूचीगत किया गया है।

छ. सूचना का अधिकार

14.10 जैसा कि वर्ष 2007–2008 की वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया था कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आर.टी.आई.एक्ट) के अंतर्गत सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी को केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी और संयुक्त सचिव (कार्मिक एवं प्रशासन) को अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। चूंकि संबद्ध संयुक्त सचिव ने फरवरी, 2009 में अन्य कार्यालय में अपना पद ग्रहण कर लिया था, संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण) को अपीलीय प्राधिकारी के रूप में मनोनीत किया गया।

14.11 1 अप्रैल 2008 से 31 मार्च, 2009 की अवधि के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों और अपीलों का विस्तृत विवरण का उल्लेख नीचे किया गया है:

1.	प्राप्त आवेदनों की संख्या	865
2.	30 दिनों के भीतर निपटाए गए आवेदनों की संख्या	865
3.	लंबित आवेदनों की संख्या किन्तु एक माह उपरान्त निपटाए गए मामलों की संख्या	शून्य
4.	लंबित पर एक माह के भीतर के आवेदनों की संख्या	शून्य
5.	अन्य मंत्रालयों/विभागों/संगठनों को स्थानांतरित आवेदनों की संख्या	20

पहली अपील का विवरण

1.	अपीलीय प्राधिकारी द्वारा प्राप्त अपीलों की संख्या	29
2.	एक माह के भीतर निपटाए गए ऐसे मामलों की संख्या	29
3.	लंबित अपीलों की संख्या	शून्य

मुख्य सूचना आयुक्त के पास दूसरी अपील का विवरण

1.	मुख्य सूचना आयुक्त से प्राप्त नोटिसों की संख्या	शून्य
2.	केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी/अपीलीय प्राधिकारी द्वारा भाग ली गई सुनवाइयों की संख्या	शून्य
3.	उन सुनवाइयों की संख्या जिनके संबंध में मुख्य सूचना आयुक्त को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी थी	शून्य
4.	उन सुनवाइयो की संख्या जिनके संबंध में मुख्य सूचना आयुक्त को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई	शून्य

* * * * *

मुख्य संस्तुतियों और टिप्पणियों का सार

अध्याय – 15

15.1 आयोग ने देशभर में मानव अधिकारों की संस्कृति के संवर्द्धन और प्रसार में प्रमुख भूमिका निभाई है। इस अर्थ में यह दृढ़तापूर्वक कहा जा सकता है कि आयोग ने देश में लोकतंत्र के अर्थ और कानून के नियम को गहराई प्रदान करने में व्यापक भूमिका निभाई है। आयोग ने बार–बार यह आश्वस्त किया है कि अधिकार और कर्त्तव्य मानव अधिकारों के दो पहलू हैं। अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत मानव अधिकारों का सम्मान करना, संरक्षण प्रदान करना और उन्हें उपलब्ध कराना, राज्य का कर्त्तव्य है। इन सरोकारों के कारण ही आयोग निरंतर इतने वर्षों से मानव अधिकारों के उल्लंघनों के लिए जिम्मेदार, चाहे वे देश के किसी भी हिस्से में हों, लोगों के विरूद्ध उनके कार्यो के लिए जिम्मेदार लोगों को जिम्मेदार ठहराने की मुहिम चलाता रहा है। जब यह सबको स्पष्ट हो कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है तो गंभीर अपराध करने एवं मानव अधिकारों का उल्लंघन करने की प्रवृत्ति रखने वाले लोगों को ऐसा करने से रोकने में सहायता मिलेगी **(पैरा 1.9 और 1.10)**।

मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामले

15.2 समीक्षाधीन अवधि के दौरान आयोग ने कुल 1,20,595 मामलों का परीक्षण किया। इनमें से 29649 मामले ऐसे थे जो पिछले वर्षों के लंबित मामले थे। नए पंजीकृत मामलों की संख्या 90,946 भी। आयोग ने 1,03,996 मामलों को निपटाया **(पैरा 42)।**

15.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान पंजीकृत नए मामलों में 89109 मामले तथाकथित मानव अधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों से जुड़े थे और 1660 मामले हिरासतीय मौतों से संबंधित सूचनाओं से जुड़े थे।

15.4 वर्ष 2007–08 के दौरान आयोग में दर्ज मामलों की संख्या की तुलना में वर्ष 2008–09 के दौरान दर्ज मामलों की संख्या में तुलनात्मक रूप से कमी नज़र आई। इसका मुख्य कारण राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में शिकायत निपटान प्रणाली (सी एम एस) को सुदृढ़ करना तथा अद्यतन करना हो सकता है, जिससे शिकायत दर्ज करने की पूरी प्रक्रिया को सरल और कारगर बना दिया है। इसका अन्य कारण अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मानव अधिकार आयोगों की स्थापना हो सकती है। इन सकारात्मक उपलब्धियों के बावजूद जैसे पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी उत्तर प्रदेश राज्य से – 53, 492 शिकायतें दर्ज की गई जो सबसे अधिक थीं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 5433 शिकायतों के साथ दूसरे स्थान पर, तथा इसके बाद महाराष्ट्र में 4321 शिकायतें दर्ज की गई थीं। समीक्षाधीन अवधि के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कोई राज्य मानव अधिकार आयोग नहीं था। (पैरा 4.4)

15.5 दिनांक 31 मार्च, 2009 को समीक्षाधीन अवधि के समाप्त होने तक राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पास कुल 18,146 शिकायतें लंबित थी। इनमें से 1547 मामले ऐसे थे जिन पर प्रारंभिक विचारण किया जाना था तथा 16,599

मामले ऐसे जिनमें संबंधित प्राधिकारियों से या तो रिपोर्टों की प्रतीक्षा थी अथवा आयोग द्वारा आगे विचारण हेतु लंबित थे। वर्ष 2008–09 के दौरान निपटाए गए कुल 1,03,996 मामलों में से 63,160 को **प्रथम दृष्टया** खारिज कर दिया गया तथा, जबकि 17587 मामलों को उपचारात्मक उपायों हेतु उचित प्राधिकारियों को निदेशों के साथ निपटाया गया था। (पैरा 4.5 एवं 4.6)

15.6 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (पी एच आर ए) की संकल्पना इस बात पर आधारित है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को केन्द्र एवं राज्य सरकार दोनों पूर्ण सहयोग देंगे। अतः यह केन्द्र एवं राज्यों के लिए आवश्यक है कि वे अधिनियम में अंतर्गत दिए गए मानव अधिकारों के बेहतर संरक्षण को सुनिश्चित करने की दिशा में, मानव अधिकारों के हनन से संबंधित मामलों के त्वरित एवं कुशलतापूर्वक निपटान हेतु आयोग के प्रयासों में आयोग का समर्थन करें। आयोग दोहराना चाहेगा कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि केन्द्र एवं राज्य सरकारें उसके द्वारा तैयार रिपोर्टों के लिए अनुरोधों का शीघ्रता से प्रत्युत्तर दें। इसके अतिरिक्त उन्हें आयोग द्वारा दी गई संस्तुतियों पर बिना किसी विलंब के कार्रवाई करनी चाहिए ताकि लोगों का विश्वास तथा आस्था बनी रहे। (पैरा 4.11)

15.7 वर्ष 2008–2009 के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने 373 मामलों में पीड़ितों/मृतकों के निकटतम रिश्तेदारों को 5,02,49,000 रुपये की वित्तीय राहत की संस्तुति की। आयोग ने 373 मामलों में से 11 मामलों में दोषी पुलिस अधिकारियों/लोकसेवकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई तथा एक मामले में दोषी पुलिसकर्मियों के अभियोजन की संस्तुति भी की। (पैरा 4.239)

15.8 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को वित्तीय राहत से संबंधित 373 मामलों में से 111 में अनुपालन रिपोर्टें प्राप्त हुई तथा पीड़ितों/मृतकों के निकटतम रिश्तेदारेां को कुल 1,02,90,000 रुपये की राशि का भुगतान किया गया था। आयोग को दोषी लोकसेवक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए की गई संस्तुतियों के प्रत्युत्तर में 1 मामले में अनुपालन रिपोर्ट भी प्राप्त हुई थी। आयोग को इसके द्वारा संस्तुत 3,99,59,000 रुपये की राशि के वित्तीय राहत के 262 मामलों में अनुपालन रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। आयोग को दोषी पुलिस अधिकारियों के प्रति अनुशासनिक कार्रवाई हेतु संस्तुति से संबंधित 10 मामलों तथा दोषी पुलिस अधिकारियों के अभियोजन हेतु संस्तुति से संबंधित 1 मामले में भी अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। (पैरा 4.240)

15.9 जहां तक पिछले वर्षों से संबंधित अनुपालन रिपोर्टों का संबंध है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को वर्ष 1999–2000 से 2007–2008 तक 71 मामलों में अनुपालन रिपोर्टें प्राप्त नहीं हुई हैं। इन मामलों का विवरण राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की पिछली वार्षिक रिपोर्टों में दिया गया है (पैरा 4.24)।

आतंकवाद एवं उग्रवाद

15.10 आतंकवाद और उग्रवाद की गतिविधियों ने पूरे विश्व में अपने दंश फैलाये हैं, जिसके कारण निर्दोष व्यक्तियों के जीवन पर अंधाधुंध प्रभाव पड़ा है। पिछले कुछ समय में केवल भारत ने ही आतंकवाद और उग्रवाद के सबसे खराब रूपों को देखा है। आतंकवाद और उग्रवाद निस्संदेह रूप से मानव अधिकारों के कट्टर शत्रु हैं तथा इस मामलें में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। आतंकवाद और उग्रवाद को सभी प्रकारों तथा प्रदर्शन से अवश्य ही जूझना चाहिए तथा उसे पस्त किया जाना चाहिए। अतः यह अनिवार्य है कि यदि जीवन के अधिकार हेतु सभी व्यक्तियों के सभी मानव अधिकारों का सरंक्षण किया जाना है तो आतंकवाद और उग्रवाद के सभी प्रकारों से जूझा जाए। आतंकियों का लक्ष्य जीवन का

अधिकार – आधारभूत अधिकार है, जिसके बिना मनुष्य अन्य किसी अधिकार का उपयोग नहीं कर सकते। (पैरा 5.2)

15.11 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने हमेशा माना है कि आतंकवाद–रोधी एवं उग्रवाद–रोधी उपायों को अवश्य ही देश के विधि तथा संधि दायित्वों, संविधान, के अनुरूप राज्यों द्वारा किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का यह भी मानना है कि आतंकवाद एवं उग्रवाद के जोखिम को केवल पुलिस और सशस्त्र बलों जैसे राज्य अभिकरणों पर नहीं छोड़ना चाहिए बल्कि समाज के सभी वर्गों द्वारा एकजुट होकर जूझना चाहिए। आयोग ने इस समस्या के समाज–आर्थिक आयामों पर निरंतर ज़ोर दिया है तथा पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने हेतु विधि के प्रभावी प्रवर्तन एवं सुशासन का आह्वान किया है। (पैरा 5.3)

हिरासतीय हिंसा एवं उत्पीड़न

15.12 सन् 1993 में अपने स्थापना काल से ही राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग हिरासतीय हिंसा एंव उत्पीड़न को नियंत्रित करने के प्रति चिंतित रहा है। आरंभ में ही 14 दिसम्बर, 1993 को आयोग ने निर्देश जारी किए कि किसी भी हिरासतीय मौत अथवा बलात्कार की घटना घटित होने के 24 घंटों के भीतर आयोग को उसकी सूचना अवश्य दी जाए। अनुवर्ती निर्देशों में यह उल्लेख था कि हिरासतीय मौतों की सूचना के साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पोस्टमार्टम परीक्षण की वीडियोग्राफी रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट, मजिस्ट्रेटी जांच रिपोर्ट आदि भेजी जानी चाहिए। इस प्रकार के मामलों की संवीक्षा में देरी को नजरअंदाज करने की दिशा में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने दिसम्बर 2001 में अतिरिक्त दिशा–निर्देश जारी किए, जिसमें घटना के दो महीनों के भीतर अपेक्षित रिपोर्टें भेजने के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को कहा गया; इसके साथ–साथ यह भी रेखांकित किया गया कि आयोग द्वारा निर्धारित नए प्रपत्र के अनुरूप पोस्टमार्टम रिपोर्ट भेजी जाए। इन निर्देशों ने, वर्षों से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को हिरासतीय हिंसा एंव पुलिस और अन्य लोकसेवकों द्वारा उत्पीड़न के विषय में नियंत्रण करने में सहायता की है। उन मामलों में जहां इस प्रकार की घटनाओं की रिपोर्ट करने में विलंब हुआ हो, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पास पर्याप्त कारण है कि संलिप्त लोकसेवकों के आचरण के लिए प्रतिकूल निष्कर्ष निकालें। इस प्रकार के उदाहरणों में आयोग ने यह जानने के लिए कि क्या मौत हिरासतीय हिंसा अथवा लापरवाही के कारण हुई है, मामले की आगे जांच की तथा मामले में संगत निष्कर्ष दिया। (पैरा 5.4)

15.13 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का यह दृढ़ मत है कि हिरासतीय अपराधों में कमी लाने को सुनिश्चित करने का एक तरीका है कि हिरासतीय हिंसा के सभी प्रकारों के उत्प्रेरकों, चाहे वे उत्पीड़न से संबंधित हों, के विरूद्ध अभियोजन सहित सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। इस प्रकार के अनेकों मामलों में आयोग ने दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति की तथा पीड़ितों अथवा उनके निकटतम संबंधितयों को वित्तीय राहत स्वीकृत की। हालांकि अनेकों मामलों में विभागीय कार्रवाई में प्राधिकारियों द्वारा दी गई सज़ा, किए गए अपराध के अनुपात में नहीं थी। (पैरा 5.5)

हिरासतीय मौतें

15.14 वर्ष 1993–1994 के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा पुलिस एवं न्यायिक हिरासत में हुई मौतों के मामलों की संख्या 34 थी। वर्ष 1994–1995 से 2008–2009 तक राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में पुलिस हिरासत में मौत के 2329 मामले तथा न्यायिक हिरासत में मौत के 16136 मामले दर्ज किए गए थे। वर्ष 1994–1995 से 2008–2009 तक की अवधि के दौरान पुलिस हिरासत में मौतों की सबसे अधिक संख्या महाराष्ट्र राज्य से (315), इसके पश्चात् उत्तर

प्रदेश (249), गुजरात (190), आंध्र प्रदेश (188) तथा पश्चिम बंगाल (162) थी। 1994–1995 से 2008–2009 तक के वर्षों के दौरान न्यायिक हिरासत में मौतों की सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश राज्य (2688), इसके पश्चात बिहार (2,107), महाराष्ट्र (1,720), आंध्र प्रदेश (1351) तथा तमिलनाडु (866) थी (पैरा 5.7 एवं 5.8)

जेलों के दौरे

15.15 देश में विभिन्न जेलों में विशेष संपर्ककर्त्ताओं द्वारा किए गए दौरों की दृष्टि में सभी जेलों में तत्काल ध्यान दिए जाने वाले विषय कमोवेश एक ही प्रकार के थे। अधिकांश जेलें भीड़–भाड़ वाली थी तथा सिद्धदोष एवं विचाराधीन कैदियों को एक साथ बंद किया गया था, जिसे सुधारने की आवश्यकता थी। संबद्ध राज्य सरकारों के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सिद्धदोष एवं विचाराधीन कैदियों को छांटा जाए तथा अलग–अलग बंद किया जाए। पुराने होने के कारण अधिकंश जेल भवनों को मरम्मत/पुनर्रूद्धार की आवश्यकता थी। अधिकांशतः सभी दौरा की गई जेलों में पद रिक्त थे। इन पदों को जेल प्राधिकारियों द्वारा तत्काल भरे जाने की आवश्यकता थी। प्रत्येक राज्य में कैदियों के भोजन हेतु निर्धारित बजट की खाद्य पदार्थों एवं परिवहन के बढ़ते दामों की दृष्टि से जांच किए जाने की आवश्यकता थी। सिद्धदोष एवं विचाराधीन कैदियों, जिनमें गरीब कैदी भी शामिल हैं, के लिए वस्त्र एवं बिस्तर उपलब्ध कराने के विषय की भी संबद्ध राज्य सरकारों द्वारा जांच किए जाने की आवश्यकता है। जेल अधिकारियों तथा स्टॉफ को नवीनतम सूचना, जानकारी एवं दक्षता से सुसज्जित करने की दिशा में नियमित अंतराल पर उनके प्रशिक्षण पर पर्याप्त ज़ोर दिया जाना चाहिए। सभी जेलों में कैदियों को विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक दक्षता प्रदान करने पर भी ज़ोर दिए जाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार उनकी शिक्षा एवं मनोरंजन संबंधी आवश्यकताओं की ओर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। बेल, जमानत, पैरोल, मजदूरी, माफी, अपील, घर के नजदीक जेलों में स्थानांतरण, त्वरित विचारण, विधिक सुरक्षा, विधिक उद्देश्यों हेतु वकीलों एवं परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत, विधिक सहायता का प्रावधान आदि के संबंध में कैदियों की शिकायतों पर भी संबद्ध राज्य सरकारों द्वारा ध्यान दिए जाने तथा सुधारे जाने की आवश्यकता थी। यह उल्लेख करना संगत होगा कि देश में विभिन्न जेलों में विशेष संपर्ककर्त्ताओं द्वारा किए गए दौरों की रिपोर्टों को संबद्ध राज्य सरकारों को उपचारात्मक उपाय करने हेतु अग्रेषित किया गया था। (पैरा 5.13)

जेल जनसंख्या का विश्लेषण

15.16 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जेल के आंकड़ों का द्वि–वार्षिक रूप से संकलन करता है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान आयोग ने 31 दिसम्बर, 2007 तक के जेल आंकड़ों का विश्लेषण किया था। देश में कुल जेल जनसंख्या प्राधिकृत जेल क्षमता 2,76,960 की तुलना में 3,73,948 थी। इनमें से विचाराधीन कैदी 67.9 प्रतिशत थे। सभी जेलों एवं उप–जेलों को दी गई प्राधिकृत क्षमता 31 दिसम्बर 2006 तक 40.15 की तुलना में देश में कुल मिलाकर 35 प्रतिशत तक भीड़–भाड़ थी। वर्तमान प्रवृत्ति उत्साहवर्द्धक है तथा इसी घटती हुई प्रवृत्ति को भविष्य में बनाए रखने के लिए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। 12 राज्यों–उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, झारखण्ड, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, केरल, उड़ीसा, असम, पंजाब – में 36 प्रतिशत से 101.3 प्रतिशत तक भीड़भाड़ थी, जो कि प्राधिकृत क्षमता से ऊपर है। (पैरा 5.14)

15.17 इन राज्यों में से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (85.7%) तथा गुजरात (67.3%) ने जेलों में भीड़–भाड़ कम करने में सराहनीय प्रगति की है। इसके अलावा वे राज्य जिन्होंने दिसम्बर 2006 तक की तुलना में भीड़भाड़ का प्रतिशत कम

किया है, – झारखण्ड (68.2%), उड़ीसा (44.9%), बिहार (33.8%), हरियाणा (24.3%), महाराष्ट्र (23.9%) आंध्र प्रदेश (18%), लक्ष्यद्वीप (12.5%), सिक्किम (12.4%) तथा गोवा (1.7%) हैं। वे राज्य जिनमें दिसम्बर 2006 की स्थिति की तुलना में भीड़भाड़ के प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है – उत्तर प्रदेश (101.3%), छत्तीसगढ़ (99.5%), उत्तराखंड (50.2%), हिमाचल प्रदेश (45.2%), केरल (45.1%), पंजाब (36%), अंडमान एंव निकोबार द्वीप समूह (33.7%) तथा पुद्दचेरि (13.1%) हैं। सात राज्यों और तीन संघ राज्य क्षेत्रों – पश्चिम बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु, मिजोरम, जम्मू व कश्मीर, मणिपुर, नागालैण्ड, दमन एवं दीव, चंडीगढ़ और दादर एंव नगर हवेली – के जेलों में 31 दिसम्बर 2007 आदर्श क्षमता थी। (पैरा 5.15)

15.18 31 दिसम्बर 2007 तक देश में कुल जेल जनसंख्या का 67.9 प्रतिशत विचाराधीन कैदी थे, जो पिछले वर्ष के 68.3 प्रतिशत की तुलना में कुछ सुधार का द्योतक है। आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पुदुचेरि, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा और उत्तराखण्ड के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर 67.9 प्रतिशत से कम विचाराधीन कैदी है। (पैरा 5.16)

15.19 देश में कुल जेल जनसंख्या में महिला कैदियों का प्रतिशत पिछले वर्ष की तरह ही था – लगभग 4 प्रतिशत। इस संबंध में दिसम्बर, 2004 से दिसम्बर, 2007 तक के विश्लेषण में मिज़ोरम अबाध रूप से 'शीर्ष स्थान' में बना हुआ है। उच्चतम न्यायालय द्वारा आर.डी. उपाध्याय बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में दिए गए निदेशों के अनुपालन में 5 से 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों को उनकी माताओं के साथ जेलों में रहने की इज़ाजत थी। 31 दिसम्बर, 2007 तक 2071 बच्चे (6 वर्ष की आयु तक) ऐसे थे जो देशभर की जेलों में अपनी माताओं के साथ रह रहे थे। (पैरा 5.17)

सिलिकोसिस

15.20 वर्ष 2008–2009 के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को सिलिकोसिस की समस्या के विषय में व्यक्तिगत शिकायतें प्राप्त हुई थी। 1 मई, 2008 को आयोजित बैठक में आयोग ने दोहराया कि सिलिकोसिस एक व्यावसायिक जोखिम है तथा इसकी रोकथाम की जा सकती है यदि मजदूरों के कार्य करने की दशाओं को उचित रूप से व्यवस्थित किया जाए तथा संगठित एवं असंगठित निकायों में नियोक्ताओं द्वारा उचित चेतावनियों का पालन किया जाए। चूंकि किसी भी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र में ऐसी कोई नीति नहीं है जो ऐसे निवारक, रोगनाशक एवं पुनर्वासात्मक उपायों को सम्मिलित करे जिन्हें सिलिकोसिस पीड़ितों के लाभ हेतु किया जा सके, अतः राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने निर्देश दिया था कि संघ सरकार तथा राज्य/संघ क्षेत्र संगत कानूनों के कार्यान्वयन, मॉनीटरिंग के लिए उचित यंत्रावली निर्धारण, सिलिकोसिस नियंत्रण हेतु उठाए गए कदमों आदि के विषय में पूरी जानकारी उपलब्ध कराएं। (पैरा 6.10)

15.21 इस वार्षिक रिपोर्ट को लिखने के समय तक आयोग ने केवल 18 राज्यों से उत्तर प्राप्त किए थे। आयोग ने पीपुल्स राइट्स एण्ड सोशल रिसर्च सेन्टर बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में 2006 की रिट याचिका (सिविल) सं0 110 में 5 मार्च, 2009 के उच्चतम न्यायालय के आदेश की प्रति भी प्राप्त की थी। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने सिलिकोसिस मुद्दे के संबंध में किसी भी कार्रवाई हेतु राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को सभी आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने हेतु स्वास्थ्य एवं श्रम मंत्रालयों को निर्देश जारी किए थे। इस समस्या की गंभीरता को देखते हुए आयोग ने हाल ही में सिलिकोसिस की समस्या विषयक विशेषज्ञ दल गठित किया है। (पैरा 6.11)

मानसिक स्वास्थ्य

15.22 वर्ष 2008–2009 के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने सम्मेलन आयोजित करके तथा देशभर के मानसिक अस्पतालों के दौरे करके मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों के अधिकारों के विषय बेहतर समझ एवं जागरूकता उत्पन्न करने के अपने प्रयासों को जारी रखा (पैरा 6.12)।

15.23 दिनांक 8 और 9 मई, 2008 को निम्हंस, बैंगुलुरू में स्वास्थ्य सचिवों तथा राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकारियों की बैठक आयोजित की गई थी। आयोग ने भारतीय चिकित्सा परिषद से देश में मनोचिकित्सकों की भर्ती की संख्या को बढ़ाने का आग्रह किया है। एम सी आई ने 2008 तक 18 संस्थानों में मनोचिकित्सा में एम डी डिग्री पाठ्यक्रम के साथ–साथ 7 संस्थानों में डी पी एम पाठ्यक्रम प्रारीा करने की मंजूरी दी थी। इसके अलावा आयोग ने 2008 तक 4 संस्थानों में सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए मंजूरी दी थी जिसके परिणामस्वरूप एम डी (मनोचिकित्सा) में 25 सीटें तथा डी पी एम में 28 सीटें अतिरिक्त हो जाएंगी। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एम सी आई और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में पर्याप्त मानव शक्ति हेतु मांग पूरी करने की दिशा में उनके प्रयासों को तीव्र करने के लिए पुनः आग्रह करता है। (पैरा 6.14 एवं 6.16)

15.24 दिनांक 20 जनवरी, 2009 को बैगुलुरू निमहंस में रा.मा.अ. आयोग के सदस्य न्यायमूर्ति श्री जी. पी. माथुर की अध्यक्षता में एक अन्य बैठक आयोजित की गई थी। देश में मनोचिकित्सकों की कमी से निपटने के लिए बैठक में हुई चर्चा के आधार पर एम.सी.आई. से 10 वर्षों की अवधि हेतु वर्तमान 1:1 (एक प्रोफेसर : एक छात्र) से 1:2 (एक प्रोफेसर : दो छात्र) के स्तर में छूट संबंधी अपने विचारों की सूचना देने का आग्रह किया गया था **(पैरा 6.17)**।

15.25 उच्चतम न्यायालय द्वारा 11 नवम्बर 1997 को रांची, आगरा और ग्वालियर में तीन बड़े मानसिक स्वास्थ्य अस्पतालों के कार्यों को देखने का दायित्व सौंपे जाने के कारण रा.मा.अ. आयोग इन तीनों अस्पतालों के कार्यों की लगातार मॉनीटरिंग कर रहा है। वर्ष 2008–2009 के दौरान इन तीनों अस्पतालों का दौरा करने के अलावा आयोग के विशेष संपर्ककर्त्ता देश में 5 अन्य मानसिक स्वास्थ्य अस्पतालों/संस्थानों का दौरा किया, जिनके नाम हैं– बरेली, उ0 प्र0 (अप्रैल 2008) में मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल, किलपौक, तमिलनाडु (जुलाई 2008) में मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, पुणे, महाराष्ट्र (जुलाई 2008) में यरवदा क्षेत्रीय मानसिक अस्पताल, कटक, उड़ीसा (दिसम्बर 2008) में मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल तथा विशाखापटनम, आंध्रप्रदेश (मार्च 2009) में मानसिक देख–रेख हेतु सरकारी अस्पताल। विशेष संपर्ककर्त्ता द्वारा किए गए दौरों की रिपोर्टों के आधार पर मानसिक अस्पतालों की भौतिक संरचना और ढांचा, वहां पर व्यावसायियों एवं अन्य स्टाफ की कभी मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के चिकित्सा रिकॉर्डों तथा स्वस्थ हो चुके मानसिक रोगियों के बंदीकरण के विषयों पर तत्त्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता थी। विशेष संपर्ककर्त्ता द्वारा इन मानसिक अस्पतालों/संस्थानों में किए गए दौरों को अवधि के दौरान की गई टिप्पणियों पर आयोग द्वारा विचार किया गया था तथा इन्हें बाद में अपेक्षित आवश्यक कार्रवाई करने हेतु संबद्ध राज्य सरकारों को अग्रेषित किया गया था। संबद्ध राज्य सरकारों से उनकी की गई कार्रवाई की रिपोर्ट रा.मा.अ. आयोग को भेजने का आग्रह भी किया गया था **(पैरा 6.18 एवं 6.19)**।

15.26 मानसिक स्वास्थ्य के विषय में विशेष संपर्ककर्त्ता द्वारा की गई टिप्पणियों का सार इसी वार्षिक रिपोर्ट के अध्याय 6 (पैरा 6.18) में दिया गया है।

गुमशुदा बच्चों का मुद्दा

15.27 गुमशुदा बच्चों के मुद्दे की जाँच करने के लिए आयोग द्वारा गठित समिति की सिफारिशों/सुझावों को आयोग

द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ–साथ राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार को उनके आवश्यक अनुपालन हेतु अग्रेषित किया गया था। गुमशुदा बच्चों से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर सूचना एकत्रित करने की दृष्टि से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आयोग द्वारा तैयार रिपोर्टिंग प्रपत्र भी अग्रेषित किया गया था। आयोग को आंध्र प्रदेश, अंडमान एवं निकोबार, छत्तीसगढ़, दादर एवं नगर हवेली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, लक्ष्यद्वीप, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, पुद्दुचेरि, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखण्ड राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सूचनाएँ प्राप्त हुई थीं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से भी सूचना हुई थी। आयोग उन सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से, जिन्होंने अभी तक अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं कराई है, एक बार फिर से अनुरोध करता है कि वे इस कार्य को शीघ्रता से पूरा करें **(पैरा 6.29 एवं 6.30)**।

भारत में किशोर न्याय प्रणाली की मॉनीटरिंग

15.28 आयोग ने किशोर न्याय प्रणाली के विषय पर विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से फीडबैक प्राप्त करने के लिए एक रिपोर्टिंग प्रपत्र तैयार किया था। अभी तक इसे केवल आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान और सिक्किम से उत्तर प्राप्त हुए हैं। अब तक प्राप्त उपलब्ध आंकड़ों से ऐसा प्रतीत होता है कि वे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, जिन्होंने सूचना भेजी है, धीरे–धीरे देख–रेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के दुःख और कानून के साथ संघर्ष में किशोरों के प्रति संवेदनशील बन रहे हैं। तथापि आयोग उन सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों, जिन्होंने उत्तर नहीं दिया है, से पुनः आग्रह करता है कि वे निर्धारित रिपोर्टिंग प्रपत्र के अनुसार अपेक्षित सूचना भेजने का कार्य शीघ्रता से करें **(पैरा 6.31 एवं 6.32)**।

बंधुआ मजदूरी प्रणाली का उनमूलन

15.29 वर्ष 2008–2009 के दौरान आयोग के एक विशेष संपर्ककर्त्ता ने अप्रैल, 2008 में बिहार राज्य में बी.एल.एस.ए. अधिनियम के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की। 1982 की रिट याचिका (सिविल) सं0 1263, (ए.आई.आर. 1984 एस.सी. 1099) में नीरजा चौधरी बनाम मध्य प्रदेश में शीर्ष न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के आलोक में कि अधिकारियों (बंधुआ मजदूरों की पहचान, मुक्ति एवं पुनर्वास के कार्यों से जुड़े) की गतिविधियों पर निरंतर निगरानी एवं पर्यवेक्षण होना चाहिए, विद्यमान सही तथ्यात्मक स्थिति तक पहुँचने के लिए नोडल विभाग द्वारा कम से कम एक समीक्षा की जानी चाहिए। नोडल विभाग के लिए आवश्यक एवं अपेक्षित है कि उसे स्थिति की पूर्ण रूप से जानकारी हो **(पैरा 7–6 एवं 7.12)**।

15.30 जबकि पहचान और रिहाई को साथ–साथ होना बताया जाता है, रिहाई की तिथि और पुनर्वास सहायता की संस्वीकृति की तिथि के बीच एक वर्ष का अंतराल है। इसके अतिरिक्त पुनर्वास प्रस्ताव के कार्यान्वयन में अत्यधिक समय का विलंब पाया गया है। इसके परिणामस्वरूप रिहा हुए बंधुआ मजदूरों या तो स्थानांतरण कर जाते हैं या किसी दूसरी जगह बंधुआ मजदूर रखने वालों के पास लौट जाते हैं, यह दोनों ही स्थिति वांछनीय नहीं है। बिहार से पंजाब हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात को स्थानांतरित होने वाले अंतरराज्यीय प्रवासी मजदूर तथा गंतव्य स्थल पर बंधुआ मजदूरों की स्थिति में पहुँचने वाले मजदूरों की विशेष समस्याओं पर सामान्य रूप से नोडल विभाग तथा विशेष रूप से राज्य सरकार को गंभीर रूप से एवं तत्काल ध्यान देना चाहिए **(पैरा 7.13)**।

बाल मजदूरी प्रथा का उन्मूलन

15.31 अपनी स्थापना के समय से ही रा.मा.अ. आयोग देश में बाल मजदूरी की स्थिति की निरंतर मॉनीटरिंग करता आ रहा है तथा इसी प्रक्रिया में आयोग ने मुआवजे के साथ–साथ दण्डात्मक कार्रवाई हेतु संस्तुतियाँ जारी की। देश में बाल मजदूरी की समस्या के निष्कासन कार्य को सुसाध्य करने की दिशा में आयोग वर्ष 2000 से उन सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जहाँ यह स्थिति व्यापक प्रतीत होती है, की स्थिति समीक्षाएँ तैयार कर रहा है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान रा.मा.अ. आयोग ने अपने विशेष संपर्ककर्त्ता के माध्यम से तमिलनाडु (जुलाई 2008), उत्तर प्रदेश (जुलाई 2008), तथा महाराष्ट्र (जुलाई 2008) पर ध्यान केन्द्रित किया था। **(पैरा 7.14 एवं 7.15)**।

15.32 विशेष संपर्ककर्त्ता की रिपोर्ट में दी गई टिप्पणियों एवं संस्तुतियों का सार इसी वार्षिक रिपोर्ट के अध्याय 7 के पैरा 7.16 से 7.36 में दिया गया हैं।

आयोग द्वारा आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम

15.33 स्वयं को सौंपे गए कार्य को संपूर्ण करने के भाग के रूप में आयोग ने पश्चिमोत्तर राज्यों एवं अन्य पिछड़े राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए पूरे देश में समीक्षाधीन अवधि के दौरान मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं के विषय पर 65 संस्थानों/विश्वविद्यालयों/गैर सरकारी संगठनों के 123 प्रशिक्षण कार्यक्रमों की मंजूरी दी। इनमें से 58 संस्थानों/विश्वविद्यालयों/गैरसरकारी संगठनों द्वारा 114 प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किए गए थे। **(पैरा 8.8)**।

सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा

15.34 आयोग ने भारत सरकार के साथ सक्रिय रूप से समन्वय किया तथा इंडिया कंट्री पेपर तैयार करने में मुख्य भूमिका निभाई। आयोग ने जनवरी 2008 में संयुक्त राज्य मानव अधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय को सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा (यू.पी.आर.) हेतु भारत के संबंध में एक पृथक संक्षिप्त पेपर भी प्रस्तुत किया था। आयोग, भारत के पेपर में शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, भोजन का अधिकार, बच्चों के अधिकार, अशक्त व्यक्तियों के अधिकार तथा भ्रष्टाचार एवं मानव अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण मानव अधिकार चुनौतियों को उठाया गया था। अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार, दस्तावेजों की समीक्षा करते समय आयोग ने शरणार्थियों की स्थिति तथा उत्पीड़न के विरूद्ध अभिसमय की अभिपुष्टि करने से संबद्ध 1951 के संयुक्त राष्ट्र अभिसमय की आवश्यकता पर जोर दिया। आयोग के संयुक्त सचिव 9 से 11 जून 2008 को जिनेवा, स्विट्ज़रलैण्ड में मानव अधिकार परिषद के पूर्ण सत्र में उपस्थित थे। पूर्ण सत्र यू.पी. आर के अंतर्गत भारत से संबंधित अंतिम निष्कर्ष को अंगीकार करने से संबंधित था। आयोग, भारत की ओर से संयुक्त सचिव ने वक्तव्य दिया **(पैरा 9.1 एवं 9.5)**।

राज्य मानव अधिकार आयोग

15.35 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा के अनुरूप 18 राज्यों में राज्य मानव अधिकार आयोगों (एस एच आर सी) की स्थापना की गई है, ये राज्य हैं– आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की इच्छा है कि प्रत्येक राज्य, राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना

करे। आयोग उन सभी राज्यों, जिन्होंने अब तक अपने आयोगों की स्थापना नहीं की है, से यह कार्य शीघ्र पूरा करने की संस्तुति करता है। इसके अलावा आयोग ने छानबीन करने तथा सहयोग एवं साझेदारी के क्षेत्रों को सुदृढ़ करने हेतु राज्य मानव अधिकार आयोगों के साथ नियमित चर्चा करने की पहल की है (पैरा 11.1 एवं 11.2)।

शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित अभिसमय, 1951 तथा 1967 प्रोटोकॉल

15.36 पिछली वार्षिक रिपोर्टों में शरणार्थियों के अधिकारों के संरक्षण के विषय में आयोग का दृष्टिकोण का विस्तृत उल्लेख किया गया है। आयोग ने शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित अभिसमय 1951 तथा 1967 में सुधार करने तथा इस संबंध में राष्ट्रीय कानून के अधिनियमन की वकालत की (पैरा 12.1)।

15.37 पिछले वर्ष में आयोग ने शरणार्थियों की सुरक्षा संबंधी राष्ट्रीय कानून के अधिनियमन के लिए संबद्ध मंत्रालयों को कार्य में लगाया है। सरकार के उच्चतम सोपानों के साथ विस्तृत विचार–विमर्श के आधार पर आयोग ने गृह मंत्रालय एवं विदेश मंत्रालय को आवश्यक प्रस्ताव तैयार करने तथा उसे अतिशीघ्र आयोग को भिजवाने हेतु कहा है। इस रिपोर्ट को लिखने के समय तक उत्तर प्रतीक्षा की जा रही थी (पैरा 12.2)।

उत्पीड़न, अमानवीय, अपमानजनक व्यवहार अथवा दण्ड के विरूद्ध अभिसमय 1984

15.38 आयोग पिछले कई वर्षों से उत्पीड़न के विरूद्ध अभिसमय की पुष्टि की वकालत करता आ रहा है। अगस्त 2007 में गृह मंत्रालय के उत्तर कि आयोग तथा अन्य मंत्रालयों/एजेंसियों की टिप्पणियां विदेश मंत्रालय को भेजी गई थी, आयोग ने संबद्ध मंत्रालय के साथ इस मामले पर बातचीत की। विदेश मंत्रालय ने आयोग को सूचित किया था कि उनकी टिप्पणियों को दिनांक 7 सितम्बर, 2007 के पत्र के माध्यम से गृह मंत्रालय को भेजा गया था। आयोग इस मामले पर गृह मंत्रालय से अनुवर्तन कर रहा है कि वह उत्पीड़न के विरूद्ध अभिसमय के संशोधन की स्थिति के विषय में सूचित करे (पैरा 12.3 एवं 12.4)।

15.39 उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में पहले ही अनेक आदेश जारी किए हैं। भारतीय दण्ड सहित तथा अन्य कानूनों में यातना को अपराध माना गया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने उन मामलों में तत्काल अंतरिम राहत की संस्तुति की जहां पर यातना दिया जाना पाया गया था। मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के हित में आयोग भारत सरकार से एक बार फिर से अतिशीघ्र इस अभिसमय में पुष्टि की प्रार्थना करता है (पैरा 12.5)।

जिनेवा अभिसमय 1949 हेतु अरिरिक्त प्रोटोकाल 1977

15.40 जिनेवा अभिसमय, 1949 का प्रोटोकॉल I अंतरराष्ट्रीय सशस्त्र द्वंद्वों विषयक नए नियमों का प्रावधान करता है तथा प्रोटोकॉल II गैर–अंतरराष्ट्रीय सशस्त्र द्वंद्वों विषयक अंतरराष्ट्रीय मानवीकीय कानून को व्यक्त करता है (पैरा 12. 6)।

15.41 दोनों प्रोटोकॉलों के विषय में टिप्पणियों हेतु आयोग के आग्रह के जवाब में विदेश मंत्रालय सशस्त्र द्वंद्वों की बदलती प्रकृति तथा इस संबंध में अन्य अभिकरणों के साथ विस्तृत परामर्श को करने की आवश्यकता का संदर्भ दिया। आयोग की इस मामले को आगे जारी रखने की मंशा रखता है (पैरा 12.7)।

* * * * *

अनुलग्नक

अनुलग्नक– 1 पैरा 4.2

01/04/2008 को लंबित मामलों की राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्रारंभिक विचारार्थ प्रतीक्षित मामले				ऐसे लंबित मामले जिन में रात्य प्राधिकारियों से या तो रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है या प्रतीक्षित है			
		शिकायतें/ स्वतः संज्ञान लिए मामले	निम्नलिखित की सूचना		कुल (3+4+5)	शिकायतें/ स्वतः संज्ञान लिए मामल	हिरासतीय मौत/ वलत्कार	मुठभेर में मौत	कुल (7+8+9)
			हिरासतीय मौत/ वलत्कार	मुठभेर में मौत					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	भारत	3	0	0	3	4	0	0	**4**
2	आंध्र प्रदेश	18	7	1	26	379	389	47	**815**
3	अरूणाचल प्रदेश	1	0	0	1	7	5	0	**12**
4	असम	14	0	2	16	85	67	33	**185**
5	बिहार	105	6	0	111	1449	533	5	**1987**
6	गोवा	1	0	0	1	13	5	0	**18**
7	गुजरात	10	3	0	13	350	238	3	**591**
8	हरियाणा	109	1	0	110	696	172	10	**878**
9	हिमाचल प्रदेश	1	0	0	1	24	7	0	**31**
10	जम्मू तथा कश्मिर	6	0	0	6	184	9	5	**198**
11	कर्नाटक	13	8	0	21	237	273	18	**528**
12	केरला	5	2	0	7	75	132	1	**208**
13	मध्य प्रदेश	64	3	0	67	422	172	13	**607**
14	महराष्ट्र	25	17	0	42	451	453	46	**950**
15	मणिपुर	3	0	0	3	73	1	6	**80**
16	मेघालय	2	0	0	2	15	8	1	**24**
17	मिजोरम	0	0	0	0	9	1	0	**10**
18	नागालैंड	0	0	0	0	2	4	0	**6**
19	उड़ीसा	31	1	0	32	275	76	5	**356**
20	पंजाब	57	5	0	62	514	106	1	**621**
21	राजस्थान	68	1	0	69	528	117	34	**679**
22	सिक्किम	2	0	0	2	1	1	0	**2**
23	तमिलनाडु	35	13	0	48	502	434	5	**941**
24	त्रिपुरा	0	0	0	0	26	20	2	**48**
25	उत्तर प्रदेश	1451	5	0	1456	12556	873	413	**13842**
26	पश्चिम बंगाल	42	1	0	43	368	91	7	**466**
27	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	9	1	0	**10**
28	चंडिगढ़	2	0	0	2	32	10	0	**42**
29	दादर एवं नागरहेवली	0	0	0	0	2	1	0	**3**
30	दमन एवं दीव	0	0	0	0	3	0	0	**3**
31	दिल्ली	120	1	0	121	1317	106	29	**1452**
32	लक्षदीप	0	0	0	0	1	0	0	**1**
33	पांडिचेरी	2	0	0	2	11	7	0	**18**
34	छत्तीसगढ़	18	1	0	19	168	98	2	**268**
35	झारखंड	31	0	0	31	568	228	8	**804**
36	उत्तरा खंड	57	1	0	58	464	47	25	**536**
37	विदेश	4	0	0	4	46	0	0	**46**
कुल		**2300**	**76**	**3**	**2379**	**21866**	**4685**	**719**	**27270**
कुल योग *(6+10)* **= 2379+27270=29649**									

01/4/2008 से 31/3/2009 तक लंबित मामलों की राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	शिकायतें	स्वतः संज्ञान लिए मामले	हिरासतीय मौत/ बलात्कार से संबंधित सूचना			मुठभेड़ में मृत्यु के मामले की सूचना	कुल *(3+4+5+6+7+8)*
				पुलिस हिरासत	न्यायिक हिरासत (जेल)	रक्षा/ अर्धसैनिक बलों कि हिरासत		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	भारत	261	0	0	0	0	0	**261**
2	आंध्र प्रदेश	851	1	12	130	0	2	**996**
3	अरूणाचल प्रदेश	26	0	2	1	0	0	**29**
4	असम	159	1	7	27	2	14	**210**
5	बिहार	3350	0	5	135	0	0	**3490**
6	गोवा	65	0	0	2	0	0	**67**
7	गुजरात	2806	1	12	73	0	0	**2892**
8	हरियाणा	3318	3	6	52	0	3	**3382**
9	हिमाचल प्रदेश	165	2	0	5	0	0	**172**
10	जम्मू तथा कश्मिर	200	1	0	1	0	0	**202**
11	कर्नाटक	663	0	2	71	0	2	**738**
12	केरला	284	0	2	40	0	0	**326**
13	मध्य प्रदेश	2219	3	5	86	0	4	**2317**
14	महराष्ट्र	4154	3	24	126	0	14	**4321**
15	मणिपुर	48	0	0	0	0	0	**48**
16	मेघालय	19	0	1	3	0	0	**23**
17	मिजोरम	23	0	0	0	0	0	**23**
18	नागालैंड	9	0	0	3	0	0	**12**
19	उड़ीसा	751	0	2	47	0	0	**800**
20	पंजाब	923	2	4	70	0	0	**999**
21	राजस्थान	2473	1	4	56	0	1	**2535**
22	सिक्किम	14	0	0	0	0	0	**14**
23	तमिलनाडु	2538	1	5	67	0	6	**2617**
24	त्रिपुरा	38	0	1	5	0	0	**44**
25	उत्तर प्रदेश	53102	11	24	288	0	67	**53492**
26	पश्चिम बंगाल	1066	0	4	97	1	0	**1168**
27	अंडमान और निकोबार	22	0	0	0	0	0	**22**
28	चंडिगढ़	105	0	1	3	0	0	**109**
29	दादर एवं नागरहेवली	8	0	1	0	0	0	**9**
30	दमन एवं दीव	9	0	0	0	0	0	**9**
31	दिल्ली	5401	12	0	19	0	1	**5433**
32	लक्षदीप	0	0	0	0	0	0	**0**
33	पांडिचेरी	76	0	0	2	0	0	**78**
34	छत्तीसगढ़	533	2	1	40	1	0	**577**
35	झारखंड	1484	1	2	61	0	4	**1552**
36	उत्तरा खंड	1790	0	0	13	0	3	**1806**
37	विदेश	173	0	0	0	0	0	**173**
कुल		**89126**	**45**	**127**	**1523**	**4**	**121**	**90946**

* रा.मा.अ. आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार हिरासत में बलात्कार के किसी मामले की रिपोर्ट नहीं की गई। हालांकि, हिरासत में कथित बलात्कार के 4 मामलों की रिपोर्ट की गई है और उन्हें शिकायतों में शामिल किया गया। (कॉलम 3)

अनुलग्नक -3 पैरा 4.2 & 4.6

2008 – 2009 के दौरान रा.मा.अ.आयोग द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार निपटाए गए मामले

क्र. सं.	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	प्रथम दृष्टि में रद्द	विदेशों के साथ निपटान	राज्य मानव अधिकार आयोगां को स्थानांतरित	रिपोर्टों की प्राप्ति के पश्चात् समाप्त				कुल
					शिकायतें / स्वतः संज्ञान लिए मामले	हिरासतीय मौतों के मामले	हिरासतीय बलातकार के मामले	मुठभेड़ में मृत्यु के मामले	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	भारत	233	25	0	0	0	0	0	**258**
2	आंध्र प्रदेश	562	199	49	301	92	1	7	**1211**
3	अरूणाचल प्रदेश	15	1	0	13	3	0	0	**32**
4	असम	104	33	3	90	45	0	4	**279**
5	बिहार	2460	735	80	967	363	1	1	**4607**
6	गोवा	45	18	0	8	4	0	0	**75**
7	गुजरात	2169	414	66	203	53	0	2	**2907**
8	हरियाणा	2233	887	0	573	87	0	2	**3782**
9	हिमाचल प्रदेश	124	26	2	26	3	0	0	**181**
10	जम्मू तथा कश्मिर	133	35	2	130	4	2	2	**308**
11	कर्नाटक	489	141	27	160	63	0	4	**884**
12	केरला	217	52	3	79	33	0	0	**384**
13	मध्य प्रदेश	1666	454	72	349	92	0	4	**2637**
14	महराष्ट्र	3415	521	279	321	117	0	8	**4661**
15	मणिपुर	7	10	2	46	0	0	0	**65**
16	मेघालय	16	3	0	12	1	0	0	**32**
17	मिजोरम	22	1	0	9	1	0	0	**33**
18	नागालैंड	8	0	0	3	5	0	0	**16**
19	उड़ीसा	516	174	13	205	67	0	3	**978**
20	पंजाब	661	197	33	277	116	0	1	**1285**
21	राजस्थान	1763	571	82	516	66	0	33	**3031**
22	सिक्किम	13	2	0	2	0	0	0	**17**
23	तमिलनाडु	1781	481	153	453	184	0	2	**3054**
24	त्रिपुरा	29	1	0	16	5	0	0	**51**
25	उत्तर प्रदेश	36566	10519	4898	7903	614	4	92	**60596**
26	पश्चिम बंगाल	784	154	87	214	85	0	0	**1324**
27	अंडमान और निकोबार	17	4	0	4	0	0	0	**25**
28	चंडीगढ़	74	22	0	24	7	0	0	**127**
29	दादर एवं नागरहेवली	7	1	0	1	1	0	0	**10**
30	दमन एवं दीव	7	2	0	1	0	0	0	**10**
31	दिल्ली	3924	1187	0	1089	36	2	4	**6242**
32	लक्षदीप	0	0	0	1	0	0	0	**1**
33	पांडिचेरी	49	24	0	9	0	0	0	**82**
34	छत्तीसगढ़	414	99	14	72	63	0	0	**662**
35	झारखंड	1144	278	0	266	122	1	1	**1812**
36	उत्तरा खंड	1354	284	0	476	17	0	10	**2141**
37	विदेश	139	32	0	25	0	0	0	**196**
कुल		**63160**	**17587**	**5865**	**14844**	**2349**	**11**	**180**	**103996**

31/03/2009 को रा.मा.अ. आयोग के पास राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार लंबित मामलों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्रारंभिक विचारार्थ प्रतीक्षित मामले				ऐसे लंबित मामले जिन में राज्य प्राधिकारियों से या तो रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है या प्रतीक्षित है			
		शिकायतें/ स्वतः संज्ञान लिए मामले	निम्नलिखित की सूचना		कुल (3+4+5)	शिकायतें/ स्वतः संज्ञान लिए मामल	हिरासतीय मौत/ बलात्कार	मुठभेर में मौत	कुल (7+8+9)
			हिरासतीय मौत/	मुठभेर में मौत					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	भारत	2	0	0	2	10	0	0	**10**
2	आंध्र प्रदेश	6	3	0	9	150	433	43	**626**
3	अरूणाचल प्रदेश	5	0	0	5	4	6	0	**10**
4	असम	0	0	0	0	49	48	35	**132**
5	बिहार	37	1	0	38	541	436	4	**981**
6	गोवा	1	0	0	1	7	4	0	**11**
7	गुजरात	102	1	0	103	312	276	1	**589**
8	हरियाणा	26	1	0	27	434	141	12	**587**
9	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	14	9	0	**23**
10	जम्मू तथा कश्मिर	5	0	0	5	92	5	1	**98**
11	कर्नाटक	3	0	0	3	102	283	18	**403**
12	केरला	3	1	0	4	22	134	1	**157**
13	मध्य प्रदेश	23	0	0	23	170	170	14	**354**
14	महराष्ट्र	43	5	1	49	143	460	49	**652**
15	मणिपुर	1	0	0	1	63	1	2	**66**
16	मेघालय	0	0	0	0	5	11	1	**17**
17	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	**0**
18	नागालैंड	0	0	0	0	2	0	0	**2**
19	उड़ीसा	11	0	0	11	125	83	2	**210**
20	पंजाब	7	3	0	10	303	94	0	**397**
21	राजस्थान	19	1	0	20	137	113	2	**252**
22	सिक्किम	1	0	0	1	0	1	0	**1**
23	तमिलनाडु	15	0	0	15	202	334	16	**552**
24	त्रिपुरा	0	0	0	0	17	23	1	**41**
25	उत्तर प्रदेश	1093	6	1	1100	7057	735	404	**8196**
26	पश्चिम बंगाल	8	0	0	8	223	125	5	**353**
27	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	6	1	0	**7**
28	चंडीगढ़	1	0	0	1	18	8	0	**26**
29	दादर एवं नागरहेवली	0	0	0	0	1	1	0	**2**
30	दमन एवं दीव	0	0	0	0	2	0	0	**2**
31	दिल्ली	48	0	0	48	651	85	28	**764**
32	लक्षदीप	0	0	0	0	0	0	0	**0**
33	पांडिचेरी	0	0	0	0	7	8	0	**15**
34	छत्तीसगढ़	8	1	0	9	104	96	2	**202**
35	झारखंड	17	0	0	17	384	182	9	**575**
36	उत्तरा खंड	34	1	0	35	194	43	22	**259**
37	विदेश	2	0	0	2	27	0	0	**27**
कुल		**1521**	**24**	**2**	**1547**	**11578**	**4349**	**672**	**16599**
कुल योग *(6+10)* **= 1547 + 16599 = 18146**									

2008 – 2009 के दौरान रा.मा.अ. आयोग द्वारा निपटाए गए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार और श्रेणीवार के रिपोर्ट मामले

क्र. सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अभिकथित गायब	अभिकथित झूठे आरोप	हिरासतीय हिंसा	अवैध हिरासत	गैरकानूनी निरोध	कार्यवाई करने में चूक	अभिकथित झूठी मुठभेड़	पुलिस की अन्य अभिकथित ज्यादतियाँ
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	भारत	0	0	0	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	0	3	0	13	23	41	3	56
3	अरूणाचल प्रदेश	0	1	0	0	1	0	0	3
4	असम	0	0	0	2	0	3	1	28
5	बिहार	3	40	1	8	10	247	6	165
6	गोवा	0	0	0	0	1	3	0	1
7	गुजरात	1	17	0	2	4	34	1	40
8	हरियाणा	3	19	1	13	35	187	0	100
9	हिमाचल प्रदेश	0	1	1	0	0	7	0	1
10	जम्मू तथा कश्मिर	0	0	0	2	2	5	1	29
11	कर्नाटक	0	4	0	2	4	14	3	45
12	केरला	0	1	0	0	3	4	3	26
13	मध्य प्रदेश	1	11	0	6	4	66	0	60
14	महराष्ट्र	0	6	0	4	7	38	1	56
15	मणिपुर	0	0	0	2	1	2	0	11
16	मेघालय	0	0	0	0	0	1	0	4
17	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0
18	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	1
19	उड़ीसा	0	10	0	2	7	26	0	37
20	पंजाब	2	13	0	2	11	31	0	63
21	राजस्थान	0	9	0	3	19	61	1	80
22	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0
23	तमिलनाडु	0	11	0	21	54	40	0	128
24	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	1	0	6
25	उत्तर प्रदेश	18	194	6	846	1150	1115	59	2397
26	पश्चिम बंगाल	1	4	0	0	5	26	0	42
27	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	0	1	0	1
28	चंडीगढ़	0	2	0	0	2	7	0	7
29	दादर एवं नागर हेवली	0	0	0	0	0	1	0	0
30	दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	0	0	0
31	दिल्ली	5	52	0	32	85	200	0	239
32	लक्षदीप	0	0	0	0	0	0	0	0
33	पांडिचेरी	0	2	0	0	0	0	0	4
34	छत्तीसगढ़	0	4	0	0	2	14	0	7
35	झारखंड	0	11	0	1	4	49	3	47
36	उत्तरा खंड	1	12	2	66	66	45	2	139
37	विदेश	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	**35**	**427**	**11**	**1027**	**1500**	**2269**	**84**	**3823**

रिपोर्ट मामले प्रथम दृष्या खारिज या निदेशों के साथ निपटाए या राज्य मानव अधिकार आयोगों के स्थानांतरित मामलों के अतिरिक्त मामले हैं।

अनुलग्नक - 5 जारी

अनुलग्नक - 5 पैरा 4.7,4.8,4.9 & 4.10

2008 – 2009 के दौरान रा.मा.अ. आयोग द्वारा निपटाए गए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार और श्रेणीवार के रिपोर्ट मामले

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार	महिलाओं का असम्मान	यौन उत्पीड़न	अपहरण / बलात्कार हत्या	दहेज हत्या या उसके प्रयास	दहेज की मांग	महिलाओं का शोषण	महिलाओं का बलात्कार
11	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
1	भारत	0	0	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	2	2	3	3	3	1	1
3	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	1
4	असम	0	1	0	1	0	1	0
5	बिहार	15	1	33	75	20	8	22
6	गोवा	0	0	0	0	0	0	0
7	गुजरात	0	2	4	5	0	0	2
8	हरियाणा	6	4	22	11	3	1	8
9	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	1	0	0
10	जम्मू तथा कश्मिर	0	1	1	1	0	1	0
11	कर्नाटक	3	3	2	3	2	3	0
12	केरला	1	0	0	0	0	0	0
13	मध्य प्रदेश	5	0	12	24	1	3	2
14	महराष्ट्र	2	5	5	5	0	1	0
15	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0
16	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0
17	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0
18	नागालैंड	0	0	1	0	0	0	0
19	उड़ीसा	3	2	1	4	2	2	2
20	पंजाब	2	1	2	6	4	3	0
21	राजस्थान	8	3	10	15	3	1	8
22	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0
23	तमिलनाडु	4	5	4	2	2	2	3
24	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0
25	उत्तर प्रदेश	34	37	246	243	58	26	62
26	पश्चिम बंगाल	3	1	2	5	0	2	0
27	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	0	0	0
28	चंडीगढ़	0	1	0	0	0	1	0
29	दादर एवं नागर हेवली	0	0	0	0	0	0	0
30	दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	0	0
31	दिल्ली	5	5	51	25	13	8	5
32	लक्षदीप	0	0	0	0	0	0	0
33	पांडिचेरी	0	0	0	0	1	0	0
34	छत्तीसगढ़	1	1	3	0	1	0	1
35	झारखंड	4	2	9	13	3	3	2
36	उत्तरा खंड	2	5	9	7	7	2	1
37	विदेश	0	0	0	0	1	1	0
	कुल	**100**	**82**	**420**	**448**	**125**	**70**	**120**

रिपोर्ट मामले प्रथम दृष्या खारिज या निदेशों के साथ निपटाए या राज्य मानव अधिकार आयोगों के स्थानांतरित मामलों के अतिरिक्त मामले हैं।

अनुलग्नक - 5 जारी

2008 – 2009 के दौरान रा.मा.अ. आयोग द्वारा निपटाए गए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार और श्रेणीवार के रिपोर्ट मामले

क्र. सं.	राज्य/संघराज्य क्षेत्र का नाम	बालश्रम	बाल विवाह	बंधुआ मजदूरी	कैदियों का उत्पीड़न	जेल में चिकित्सीय सुविधाओं की कमी	जेल परिस्थितियां	अनु. जाति/अनु. जन जातियों पर अत्याचार	साम्प्रदायिक हिंसा	अन्य घटनाएं	कुल
20	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
1	भारत	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2	आंध्र प्रदेश	3	2	2	0	0	5	23	0	112	**301**
3	अरूणाचल प्रदेश	0	0	1	0	0	0	0	0	6	**13**
4	असम	1	0	0	2	0	1	1	0	48	**90**
5	बिहार	3	2	2	13	3	27	42	0	221	**967**
6	गोवा	0	0	0	1	0	0	0	0	2	**8**
7	गुजरात	0	0	2	0	1	6	18	2	62	**203**
8	हरियाणा	1	2	24	14	4	7	22	0	86	**573**
9	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	3	0	12	**26**
10	जम्मू तथा कश्मिर	0	0	1	0	0	2	0	0	84	**130**
11	कर्नाटक	1	1	4	1	0	4	7	0	54	**160**
12	केरला	0	0	0	0	0	2	3	0	36	**79**
13	मध्य प्रदेश	2	2	3	3	2	8	13	1	120	**349**
14	महराष्ट्र	1	0	2	3	2	40	9	0	134	**321**
15	मणिपुर	0	0	0	1	0	0	0	0	29	**46**
16	मेघालय	0	0	1	0	0	0	0	0	6	**12**
17	मिजोरम	0	0	0	0	0	1	1	0	7	**9**
18	नागालैंड	0	0	0	0	0	1	0	0	0	**3**
19	उड़ीसा	3	2	0	1	0	6	8	3	84	**205**
20	पंजाब	0	0	23	12	2	8	4	0	88	**277**
21	राजस्थान	0	2	10	5	0	14	121	0	143	**516**
22	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	2	**2**
23	तमिलनाडु	1	0	4	1	0	6	35	0	130	**453**
24	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	9	**16**
25	उत्तर प्रदेश	8	12	66	79	38	85	117	1	1006	**7903**
26	पश्चिम बंगाल	1	1	0	1	0	2	0	0	118	**214**
27	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	0	0	0	0	2	**4**
28	चंडीगढ़	0	0	0	1	0	0	0	0	3	**24**
29	दादर एवं नागर हेवली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
30	दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	1	**1**
31	दिल्ली	5	1	7	19	2	21	6	0	303	**1089**
32	लक्षदीप	0	0	0	0	0	0	0	0	1	**1**
33	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	2	**9**
34	छत्तीसगढ़	0	0	0	1	0	2	2	0	33	**72**
35	झारखंड	0	1	0	10	0	9	12	0	83	**266**
36	उत्तरा खंड	0	2	4	7	2	9	8	0	78	**476**
37	विदेश	0	0	0	0	0	4	0	0	19	**25**
	कुल	**30**	**30**	**156**	**175**	**56**	**270**	**455**	**7**	**3124**	**14844**

रिपोर्ट मामले प्रथम दृष्या खारिज या निदेशों के साथ निपटाए या राज्य मानव अधिकार आयोगों के स्थानांतरित मामलों के अतिरिक्त मामले हैं।

2008 – 2009 के दौरान जिन मामलों में आयोग ने आर्थिक राहत अनुशासनात्मक कार्रवाई/अभियोजन चलाने की सिफारिश की, उनकी संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य वाले का नाम	2007–2008 के दौरान जिन मामलों में संस्तुतियाँ की गई उनकी संख्या	संस्तुत राशि	उन मामलों की संख्या जिनमें संस्तुतियों का अनुपालन किया गया	पीड़ित या मृत पीड़ित के नजदीकी रिश्तेदार को प्रदत्त राशि	अनुपालन हेतु लंबित मामलों की संख्या	अनुपालन हेतु लंबित मामलों में संस्तुत राशि
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	आंध्र प्रदेश	21 मामलों में आर्थिक राहत	3610000	11	1900000	10	1710000
	अरूणाचल प्रदेश	1 मामलों में आर्थिक राहत	25000	—-	—-	1	25000
2	बिहार	28 मामलों में आर्थिक राहत जिसमें 1मामले में अनुशासनात्मक कार्यवाई भी शामिल है	3040000	2	150000	26 जिसमे 1 मामले में अनुशासनात्मक कार्यवाई भी शामिल है	2890000
3.	छत्तीसगढ़	5 मामलों में आर्थिक राहत	650000	3	250000	2	400000
4	दमन एवं दीव	1 मामलों में आर्थिक राहत	6000000	—-	—-	1	6000000
5	दिल्ली	33 मामलों में आर्थिक राहत	4010000	26	2585000	7	1425000
6	गुजरात	5 मामलों में आर्थिक राहत जिसमें 1मामले में अनुशासनात्मक कार्यवाई भी शामिल है	650000	एक आर्थिक राहत के साथ–साथ अनुशासनात्मक कार्रवाई	300000	4	350000
7	हरियाणा	5 मामलों में आर्थिक राहत	395000	2	125000	3	270000
8	हिमाचल प्रदेश	2 मामलों में आर्थिक राहत	800000	——	——	2	800000
9	जम्मू तथा कश्मिर	6 मामलों में आर्थिक राहत	1735000	1	300000	5	1435000
10	झारखंड	10 मामलों में आर्थिक राहत जिसमें 1मामले में अनुशासनात्मक कार्यवाई भी शामिल है	835000	——-	———-	10 जिसमे 1 मामले में अनुशासनात्मक कार्यवाई भी शामिल है	835000
11	कर्नाटक	4 मामलों में आर्थिक राहत	450000	4	450000	———	———
12	केरल	5 मामलों में आर्थिक राहत जिसमें 1मामले में अनुशासनात्मक कार्यवाई भी शामिल है	475000	2	75000	3 जिसमे 1 मामले में अनुशासनात्मक कार्यवाई भी शामिल है	400000
13	मध्य प्रदेश	8 मामलों में आर्थिक राहत	1055000	4	455000	4	600000
14	महराष्ट्र	8 मामलों में आर्थिक राहत	1000000	1	100000	8	900000
15	मेघालय	1 मामलों में आर्थिक राहत	100000			1	100000
16	मिजोरम	1 मामलों में आर्थिक राहत	25000	1	25000		
17	उड़ीसा	5 मामलों में आर्थिक राहत	2050000	1	50000	4	2000000

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य वाले का नाम	2007–2008 के दौरान जिन मामलों में संस्तुतियाँ की गई उनकी संख्या	संस्तुत राशि	उन मामलों की संख्या जिनमें संस्तुतियों का अनुपालन किया गया	पीड़ित या मृत पीड़ित के नज़दीकी रिश्तेदार को प्रदत्त राशि	अनुपालन हेतु लंबित मामलों की संख्या	अनुपालन हेतु लंबित मामलों में संस्तुत राशि
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18	पुडुचेरी	1 मामलों में आर्थिक राहत	300000			1	300000
19	पंजाब	8 मामलों में आर्थिक राहत जिसमें 1मामले में अनुशासनात्मक कार्यवाई भी शामिल है	1000000	3	250000	5 जिसमे 1 मामले में अनुशासनात्मक कार्यवाई भी शामिल है	750000
20	राजस्थान	6 मामलों में आर्थिक राहत	390000	2	150000	4	240000
21	तमिलनाडु	6 मामलों में आर्थिक राहत	952000	–––	–––	7	952000
22	त्रिपुरा	6 मामलों में आर्थिक राहत	200000	––––-	––––-	1	200000
23	उत्तर प्रदेश	180 मामलों में आर्थिक राहत जिसमें 6 मामले में अनुशासनात्मक कार्यवाई और मामले में अभियोजन भी शामिल है	18317000	42	2475000	138 जिसमे 6 मामले में अनुशासनात्मक कार्यवाई और 1 मामले में अभियोजन शामिल है	15842000
24	उत्तराखण्ड	10 मामलों में आर्थिक राहत	1210000	3	500000	7	710000
25	पश्चिम बंगाल	9 मामलों में आर्थिक राहत	775000	2	50000	7	625000
26	रेल मंत्रालय तथा भारत सरकार	1 मामलों में आर्थिक राहत	200000	—-	—-	1	200000
	कुल	373 मामलों में आर्थिक राहत की संस्तुतिकी पाई जिसमें 11 मामलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई और 1 मामले में अभियोजन शामिल है	**50249000**.	111 जिसमे 1 मामले में अनुशासनात्मक कार्यवाई और 1 मामले में अभियोजन शामिल है	10290000	262 जिसमे 10 मामले में अनुशासनात्मक कार्यवाई और 1 मामले में अभियोजन शामिल है	**39959000**

2008 – 2009 के दौरान आर्थिक राहत की अदायगी / अनुशासनात्मक कार्रवाई/अभियोजन के संबंध में रा.मा.अ. आयोग द्वारा की गई संस्तुतियों के लंबित अनुपालन संबंधी मामलों का विवरण

क्र. सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मामला सं.	शिकायत की प्रकृति	संस्तुतियाँ	संस्तुति की तिथि	स्थिति
1	आंध्र प्रदेश	175/1/2005-2006-CD	प्रतीक्षा हिरासत में मौत (सूचना)	100000	23.6.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
2	आंध्र प्रदेश	580/1/2004-2005-CD	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	100000	30.6.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
3	आंध्र प्रदेश	284/1/2004-2005	पुलिस उपनिरीक्षक द्वारा महिला का अभिकथित यौन उत्पीड़न तथा बलात्कार जिसके कारण उसने आत्महत्या की (शिकायत)	500000	27.10.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
4	आंध्र प्रदेश	821/1/2004-2005-CD	प्रतीक्षा हिरासत में मौत (सूचना)	100000	04.3.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
5	आंध्र प्रदेश	179/1/2003-2004	पुलिस द्वारा झूठी मुठभेड़ में अभिकथित मौत (शिकायत)	280000	01.10.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
6	आंध्र प्रदेश	332/1/2004-2005	पुलिस द्वारा नाबालिक बच्चें की अवैध निरोध (शिकायत)	10000	27.01.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
7	आंध्र प्रदेश	397/1/2005-2006	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	200000	18.3.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
8	आंध्र प्रदेश	457/1/2004-2005	जेल विभाग के अंतर्गत स्कूल प्राधिकारियों स्कूल के निवासियों की उत्पीड़न (शिकायत)	20000	24.02.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
9	आंध्र प्रदेश	124/1/2005-2006-CD	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	300000	09.02.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
10	आंध्र प्रदेश	246/1/2005-2006-CD	प्रतीक्षा हिरासत में मौत (सूचना)	100000	01.8.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
11	अरूणाचल प्रदेश	17/2/2006-2007-CD	प्रतीक्षा हिरासत में मौत (सूचना)	25000	31.7.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
12	बिहार	2588/4/2000-2001	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	100000	04.8.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
13	बिहार	2452/4/1999-2000	पुलिस द्वारा अवैध निरोध (शिकायत)	25000	06.10.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
14	बिहार	1631/4/2002-2003-AD	प्रतीक्षा हिरासत में मौत (सूचना)	300000	13.10.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
15	बिहार	849/4/2002-2003-CD	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	100000	15.10.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
16	बिहार	1216/4/6/07-08	बिजली करेंट लगने से मौत (शिकायत)	50000	12.11.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
17	बिहार	180/4/2002-2003-AD L/F 188/4/2000-2001-CD	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचनाा एवं शिकायत)	200000	31.12.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
18	बिहार	332/4/2003-2004-CD	प्रतीक्षा हिरासत में मौत (सूचना)	200000	25.02.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
19	बिहार	1504/4/2003-2004-CD	प्रतीक्षा हिरासत में मौत (सूचना)	100000	02.9.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
20	बिहार	2289/4/2002-2003	अपहरण के मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट का न लिखा जाना जिसके कारण पीड़ित का कत्ल हो गया (शिकायत)	25000	12.9.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है

क्र. सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मामला सं.	शिकायत की प्रकृति	संस्तुतियाँ	संस्तुति की तिथि	स्थिति
21	बिहार	429/4/37/07-08	जेल में कैदी को यातना (शिकायत)	10000	15.9.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
22	बिहार	1863/4/2003-2004-CD	प्रतीक्षा हिरासत में मौत (सूचना)	250000	21.11.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
23	बिहार	2170/4/2002-2003-WC	लोहे की छड़ सं जली महिला के मामले में प्राधिकारियों की निष्क्रियता	200000	24.9.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
24	बिहार	2131/4/2002-2003	अपहरण के मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट का दर्ज न होना (शिकायत)	25000	24.9.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
25	बिहार	1820/4/2002-2003-DH	किशोर न्यायलय में मौत (सूचना)	100000	03.10.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
26	बिहार	974/4/2003-2004-CD	प्रतीक्षा हिरासत में मौत (सूचना)	100000	05.11.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
27	बिहार	1764/4/2002-2003	पुलिस हिरासत में यातना	25000	10.02.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
28	बिहार	1353/4/2002-2003-AD	प्रतीक्षा हिरासत में मौत (सूचना)	100000	10.02.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
29	बिहार	2236/4/2004-2005	पुलिस का परितोषन करने के कारण पुलिस द्वारा व्यक्ति को उठाना और उसे पीटना (शिकायत)	25000	16.3.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
30	बिहार	621/4/2002-2003	मानसिक रूप सं विक्षिप्त व्यक्ति को उठाना और उसे पीटना (शिकायत)	200000	19.3.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
31	बिहार	422/4/2003-2004-CD	प्रतीक्षा हिरासत में मौत (सूचना)	100000	24.3.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
32	बिहार	4317/4/2000-2001	परिवार नियोजन स्वास्थ्य केन्द्र में डॉक्टर की लापरवाही (शिकायत)	100000	21.5.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
33	बिहार	3023/4/2001-2002-CD	प्रतीक्षा हिरासत में मौत (सूचना)	300000	19.8.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
34	बिहार	4378/4/2005-2006-CD	प्रतीक्षा हिरासत में मौत (सूचना)	50000	17.07.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
35	बिहार	335/4/2003-2004-CD	प्रतीक्षा हिरासत में मौत (सूचना)	100000	16.9.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
36	बिहार	3527/4/2001-2002	आरपीएफ पुलिस स्टेशन के आरपीएफ एक कर्मियों द्वारा अभिकथित गैर कानूनी निरोध एवं परितोषण की मांग (शिकायत)	5000	16.7.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
37	बिहार	563/4/2004-2005-CD	प्रतीक्षा हिरासत में मौत (सूचना)	100000	05.3.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
38	छत्तीसगढ़	416/33/2005-2006-CD	प्रतीक्षा हिरासत में मौत (सूचना)	100000	17.11.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
39	छत्तीसगढ़	250/33/2001-2002-CD	प्रतीक्षा हिरासत में मौत (सूचना)	300000	30.6.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
40	दमन एवं दीव	4/29/2003-2004	दमनगंगा के गिरने से 28 बच्चों एवं 2 व्यस्कों की मौत (शिकायत)	6000000 (20,000 to 30 persons)	04.02.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
41	दिल्ली	3249/30/2003-2004	गटर में दम घुटने से 3 मजदूरों की मौत (स्वतः संज्ञान)	600000(200000 to 3 persons)	21.5.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
42	दिल्ली	956/30/2000-2001	प्रतीक्षा हिरासत में मौत (सूचना)	100000	07.7.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
43	दिल्ली	408/30/2003-2004-CD	प्रतीक्षा हिरासत में मौत (सूचना)	300000	05.01.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
44	दिल्ली	1508/30/2003-2004	पुलिस द्वारा अपनी शक्तियों का दुरूपयोग (शिकायत)	100000	05.01.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है

क्र. सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मामला सं.	शिकायत की प्रकृति	संस्तुतियाँ	संस्तुति की तिथि	स्थिति
45	दिल्ली	846/30/2005-2006	दिल्ली जल बोर्ड में टैंकर की लापरवाही से बच्चे की मौत (स्वतः संज्ञान)	100000	12.02.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
46	दिल्ली	4192/30/2/07-08	शारीरिक दंड देनेसे विद्यार्थी की मौत (स्वतः संज्ञान)	200000	27.02.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
47	दिल्ली	1075/30/3/07-08	पुलिस द्वारा शक्तियों का दुरूपयोग (शिकायत)	25000	16.02.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
48	गुजरात	36/6/98-99-ACD	पुलिस हिरासत में मौत (शिकायत)	100000	21.4.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
49	गुजरात	372/6/2002-2003-CD	न्यायिक हिरासत में मौत (शिकायत)	100000	23.7.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
50	गुजरात	604/6/2006-2007	विधिसम्मत कार्रवाई करने में विफलता (शिकायत)	50000	12.01.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
51	गुजरात	442/6/2002-2003-CD	पुलिस हिरासत में मौत (शिकायत)	100000	18.3.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
52	हरियाणा	1127/7/2001-2002	सरकारी समयोचित चिकित्सा देखभाल न मिलने के कारण व्यक्ति की मौत (शिकायत)	50000	15.10.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
53	हरियाणा	1691/7/2001-2002	मेडिकल कर्मचारियों की लापरवाही से सरकारी अस्पताल में नवजात शिशु की मौत (शिकायत)	20000	22.12.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
54	हरियाणा	1576/7/2000-2001 LW 1637/7/2000-2001 &1638/7/2000-2001	पुलिस हिरासत में मौत (शिकायत)	200000	26.02.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
55	हिमाचल प्रदेश	31/8/2001-2002	एक गूंगी लड़की पर उसके सहपाठी द्वारा यौन आक्रमण जिससे वह गर्ववती हो गई ऐसा स्कूल प्राधिकारियों के प्रशिक्षण के कमी के कारण (शिकायत)	500000	20.8.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
56	हिमाचल प्रदेश	91/8/2004-2005-WC	अस्पताल के डॉ. के लापरवाही के कारण गर्ववती महिला की मौत (शिकायत)	300000	04.02.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
57	जम्मू तथा कश्मीर	22/9/2003-2004-AD	पुलिस हिरासत में मौत (स्वतः संज्ञान)	300000	28.01.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
58	जम्मू तथा कश्मीर	179/9/2002-2003-AD	सुरक्षाबलों की हिरासत में 3 नागरिकों की मौत (शिकायत)	600000	03.08.2007	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
59	जम्मू तथा कश्मीर	49/9/2005-2006-AF	सुरक्षाबलों की हिरासत में मौत (सूचना)	300000	17.09.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
60	जम्मू तथा कश्मीर	23/9/2005-2006-AF	सशस्त्र बलों द्वारा तीन व्यक्तियों का कत्ल (शिकायत)	200000	11.11.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
61	जम्मू तथा कश्मीर	171/9/2002-2003	पुलिस की गोली से चोट (शिकायत)	35000	09.02.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
62	झारखण्ड	324/34/11/07-08	पुलिस की गोली से मौत (शिकायत)	100000	11.12.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
63	झारखण्ड	852/34/2006-2007-CD	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	50000	23.02.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
64	झारखण्ड	624/34/2003-2004-CD LF 907/34/2003-2004	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	100000	17.12.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
65	झारखण्ड	714/34/2004-2005	अवैध निरोध (शिकायत)	200000	10.02.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
66	झारखण्ड	479/34/2003-2004	झूठा आरोप (शिकायत)	25000	15.10.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
67	झारखण्ड	1522/34/ 2005-2006	पुलिस द्वारा शक्तियों का दुरूपयोग	10000	17.11.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है

क्र. सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मामला सं.	शिकायत की प्रकृति	संस्तुतियाँ	संस्तुति की तिथि	स्थिति
68	झारखण्ड	1175/34/ 2002-2003-CD	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	100000	24.11.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
69	झारखण्ड	25388/24/2004-2005-CD	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	100000 + सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई	30.01.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
70	झारखण्ड	1182/34/2002-2003-CD	पुलिस हिरासत में मौत (शिकायत)	100000	15.9.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
71	झारखण्ड	642/34/2005-2006-WC	पुलिस द्वारा नशे की हालत में अवैध रूप में रात को घर में घुसना और महिला से दुरव्यवहार करना (शिकायत)	50000	24.12.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
72	केरल	295/11/2000-2001-CD	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	200000	12.12.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
73	केरल	43/11/2002-2003-CD	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	150000	12.9.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
74	केरल	159/11/2006-2007 LW 169/11/2006-2007	पुलिस द्वारा अवैध निरोध एवं उत्पीड़न	50000	02.4.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
75	मध्य प्रदेश	181/12/98-99-ACD	पुलिस हिरासत में मौत (शिकायत)	300000	12.5.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
76	मध्य प्रदेश	743/12/2001-2002	चिकित्सीय वृत्तिकों द्वारा ठीक काम न करना (शिकायत)	100000	10.12.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
77	मध्य प्रदेश	71/12/2003-2004	न्यायिक हिरासत में मौत (स्वतः संज्ञान)	100000	06.11.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
78	मध्य प्रदेश	1310/12/2004-2005	पुलिस हिरासत में मौत (स्वतः संज्ञान)	100000	16.03.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
79	महराष्ट्र	1562/13/1999-2000-CD	पुलिस हिरासत में मौत (शिकायत)	100000	17.9.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
80	महराष्ट्र	1167/13/2005-2006-CD	पुलिस हिरासत में मौत (सूचना)	100000	10.11.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
81	महराष्ट्र	661/13/2001-2002	पुलिस हिरासत में मौत (सूचना)	100000	08.12.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
82	महराष्ट्र	415/13/2002-2003-CD	पुलिस हिरासत में मौत (सूचना)	100000	30.01.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
83	महराष्ट्र	2021/13/2000-2001	पुलिस हिरासत में मौत (सूचना)	200000	14.01.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
84	महराष्ट्र	2790/13/2003-2004	पुलिस हिरासत में मौत (सूचना)	100000	16.02.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
85	महराष्ट्र	550/13/2002-2003-CD	पुलिस हिरासत में मौत (सूचना)	100000	18.02.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
86	महराष्ट्र	1860/13/2001-2002-CD	पुलिस हिरासत में मौत (सूचना)	100000	10.6.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
87	मेघालय	6/15/2/07-08-PCD	पुलिस हिरासत में मौत (सूचना)	100000	09.02.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
88	उड़ीसा	334/18/0/07-08	डॉक्टरों की लापरवाही के कारण 13 व्यक्तियों की आंखे वली गई (शिकायत)	1300000	19.11.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
89	उड़ीसा	202/18/3/07-08	चिकित्सीय वृतियों द्वारा ठीक से कार्य न करना (शिकायत)	500000	18.12.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
90	उड़ीसा	343/18/2002-2003	चिकित्सीय वृतियों द्वारा ठीक से कार्य न करना (शिकायत)	100000	10.9.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
91	उड़ीसा	494/18/1/07-08	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	100000	12.10.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
92	पुडुचेरी	8/32//2005-2006-CD	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	300000	16.4.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
93	पंजाब	952/19/2002-2003-CD	पुलिस हिरासत में मौत (सूचना)	350000	02.02.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है

क्र. सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मामला सं.	शिकायत की प्रकृति	संस्तुतियाँ	संस्तुति की तिथि	स्थिति
94	पंजाब	3/19/2002-2003-CD	पुलिस हिरासत में मौत (सूचना)	100000	18.02.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
95	पंजाब	997/19/2003-2004-CD	पुलिस हिरासत में मौत (सूचना)	100000	25.02.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
96	पंजाब	382/19/2003-2004-CD	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	100000	11.12.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
97	पंजाब	492/19/2001-2002-CD	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	100000	05.3.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
98	राजस्थान	78/20/2002-2003-CD	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	100000	24.11.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
99	राजस्थान	20/599/96-LD	असावधानी से दो मजदूर मरे और दो घायल हुए (शिकायत)	30000	18.08.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
100	राजस्थान	820/20/2000-2001-CD	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	100000	23.01.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
101	राजस्थान	1534/20/2000-2001	हिरासतीय यातना (शिकायत)	10000	10.6.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
102	तमिलनाडु	552/22/2002-2003-CD	पुलिस हिरासत में मौत (सूचना)	300000	27.8.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
103	तमिलनाडु	777/22/2002-2003-CD	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	100000	08.9.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
104	तमिलनाडु	124/22/2004-2005-CD	पुलिस हिरासत में मौत (सूचना)	100000	13.10.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
105	तमिलनाडु	41/22/2003-2004-CD	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	50000	03.11.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
106	तमिलनाडु	329/22/2003-2004-CD	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	100000	25.8.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
107	तमिलनाडु	60/22/2003-2004-CD	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	300000	28.01.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
108	तमिलनाडु	1420/22/2003-2004	पुलिस द्वारा पीड़ित मो उठाना और उसे थप्पड़ मारा जिसमें उसके कान का पर्दा क्षतिग्रस्त हो गया (शिकायत)	2000	24.9.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
109	त्रिपुरा	24/23/3/07-08	पुलिस द्वारा शक्तियों का दुरूपयोग (शिकायत)	200000	08.12.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
110	उत्तर प्रदेश	24/48/96-LD	पुलिस हिरासत में मौत (शिकायत)	50000	14.5.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
111	उत्तर प्रदेश	12864/24/2000-2001-CD	पुलिस हिरासत में मौत (शिकायत)	100000	09.6.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
112	उत्तर प्रदेश	1692/24/2000-2001-ACD	पुलिस हिरासत में मौत (शिकायत)	300000	11.6.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
113	उत्तर प्रदेश	904/24/2000-2001	पुलिस हिरासत में मौत (शिकायत)	300000	14.7.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
114	उत्तर प्रदेश	6527/24/2000-2001-CD	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	100000	16.7.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
115	उत्तर प्रदेश	25510/24/2000-2001-ACD	पुलिस हिरासत में मौत (शिकायत)	100000	21.7.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
116	उत्तर प्रदेश	37050/24/2001-2002-AD	पुलिस हिरासत में मौत (शिकायत)	100000	23.7.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
117	उत्तर प्रदेश	3889/24/2000-2001-CD	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	100000	23.7.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
118	उत्तर प्रदेश	35033/24/2003-2004	पुलिस द्वारा शक्तियों का दुरूपयोग (शिकायत)	10000	04.8.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
119	उत्तर प्रदेश	6741/24/2001-2002 L/F 12215/24/2001-2002-ACD	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	100000	11.8.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
120	उत्तर प्रदेश	32260/24/2001-2002-CD	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	300000	13.8.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
121	उत्तर प्रदेश	10561/24/98-99-CD	पुलिस हिरासत में मौत (सूचना)	300000	18.8.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है

क्र. सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मामला सं.	शिकायत की प्रकृति	संस्तुतियाँ	संस्तुति की तिथि	स्थिति
122	उत्तर प्रदेश	11208/24/2001-2002	राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई न करना (शिकायत)	100000	01.9.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
123	उत्तर प्रदेश	5080/24/2002-2003-CD	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	100000	08.9.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
124	उत्तर प्रदेश	30342/24/2000-2001	बिजली का करेंट लगने से मौत (शिकायत)	200000	06.10.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
125	उत्तर प्रदेश	9801/24/2003-2004-CD L/F 15203/24/2003-2004-AD	पुलिस हिरासत में मौत (सूचना)	100000	06.10.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
126	उत्तर प्रदेश	9425/24/2000-2001-ACD	पुलिस हिरासत में मौत (शिकायत)	200000	13.10.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
127	उत्तर प्रदेश	34204/24/2000-2001	पुलिस द्वारा शक्तियों का दुरूपयोग (शिकायत)	40000	15.10.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
128	उत्तर प्रदेश	36644/24/2004-2005	पुलिस हिरासत में मौत (शिकायत)	50000	22.10.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
129	उत्तर प्रदेश	33308/24/2003-2004-AD	पुलिस कर्मी द्वारा बलत्कार (शिकायत)	50000	13.10.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
130	उत्तर प्रदेश	871/24/2006-2007	पुलिस कर्मी द्वारा सामूहिक बलत्कार (शिकायत)	300000	27.12.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
131	उत्तर प्रदेश	1323/24/2005-2006-CD	पुलिस हिरासत में मौत (सूचना)	100000	24.11.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
132	उत्तर प्रदेश	39996/24/2005-2006-WC	पुलिस कर्मी द्वारा बलत्कार (शिकायत)	25000	24.11.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
133	उत्तर प्रदेश	30811/24/2002-2003-CD	पुलिस हिरासत में मौत (शिकायत)	300000	17.12.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
134	उत्तर प्रदेश	3296/24/2005-2006	बिजली करें लगने से मौत (शिकायत)	50000	29.12.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
135	उत्तर प्रदेश	35068/24/2001-2002	सरकारी अस्पताल में अनियमिताएँ (शिकायत)	25000	07.01.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
136	उत्तर प्रदेश	11257/24/2003-2004	सरकारी स्कूल में दुर्घटना से बच्चे की मौत (शिकायत	50000	14.01.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
137	उत्तर प्रदेश	38565/24/2000-2001	पुलिस द्वारा शक्तियों का दुरूपयोग (शिकायत)	300000	26.02.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
138	उत्तर प्रदेश	19671/24/98-99	पुलिस द्वारा किए गए आक्रमण से मौत (शिकायत)	300000	04.02.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
139	उत्तर प्रदेश	5081/24/2002-2003-AD	पुलिस हिरासत में मौत (शिकायत)	300000	11.02.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
140	उत्तर प्रदेश	31703/24/2000-2001-ACD	पुलिस हिरासत में मौत (शिकायत)	300000	11.02.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
141	उत्तर प्रदेश	25962/24/2001-2002	उचित उपचार न देने के कारण मौत (शिकायत)	100000	18.02.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
142	उत्तर प्रदेश	33348/24/2003-2004-CD	पुलिस हिरासत में मौत (सूचना)	100000	02.3.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
143	उत्तर प्रदेश	2174/24/18/07-08-CD	पुलिस हिरासत में मौत (सूचना)	100000	02.3.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
144	उत्तर प्रदेश	32492/24/2006-2007	पुलिस हिरासत में मौत (शिकायत)	300000(150000 has been paid)	09.3.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
145	उत्तर प्रदेश	14652/24/2002-2003	बिजली करेंट लगने से मौत (शिकायत)	200000	18.3.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
146	उत्तर प्रदेश	9821/24/2002-2003-CD L/F 9802/24/2002-2003-AD	पुलिस हिरासत में मौत (सूचना)	100000	25.3.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
147	उत्तर प्रदेश	1895/24/2003-2004	पुलिस हिरासत में मौत (शिकायत)	100000	25.3.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
148	उत्तर प्रदेश	17012/24/2001-2002-CD	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	50000	14.02.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है

क्र. सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मामला सं.	शिकायत की प्रकृति	संस्तुतियाँ	संस्तुति की तिथि	स्थिति
149	उत्तर प्रदेश	27493/24/2003-2004-CD	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	100000	12.8.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
150	उत्तर प्रदेश	21229/24/2005-2006-CD	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	25000	25.11.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
151	उत्तर प्रदेश	30157/24/2003-2004-CD	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	300000	21.8.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
152	उत्तर प्रदेश	8496/24/2002-2003-CD	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	100000	02.9.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
153	उत्तर प्रदेश	20141/24/2002-2003-CD	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	100000	12.9.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
154	उत्तर प्रदेश	28667/24/2004-2005	जंगली जानवर से बच्चों की मौत (शिकायत)	50000	12.9.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
155	उत्तर प्रदेश	26827/24/2005-2006-CD LF 29477/24/2005-2006	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	100000	07.7.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
156	उत्तर प्रदेश	149/24/2002-2003-CD	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	50000	16.6.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
157	उत्तर प्रदेश	19847/24/2004-2005	पुलिस द्वारा अवैध निरोध (शिकायत)	100000	07.7.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
158	उत्तर प्रदेश	22492/24/2003-2004-CD	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	100000	22.7.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
159	उत्तर प्रदेश	36729/24/2002-2003-CD	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	100000	22.7.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
160	उत्तर प्रदेश	27952/24/2002-2003-AD	पुलिस द्वारा अवैध निरोध (शिकायत)	300000	24.9.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
161	उत्तर प्रदेश	23655/24/2004-2005	पुलिस द्वारा अवैध निरोध (शिकायत)	15000	07.10.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
162	उत्तर प्रदेश	38748/24/2005-2006	पुलिस द्वारा अवैध निरोध (शिकायत)	15000	07.10.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
163	उत्तर प्रदेश	4082/24/57/07-08	बिजली विभाग की लापरवाही से मौत (शिकायत)	200000	26.10.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
164	उत्तर प्रदेश	20975/24/2003-2004-CD	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	100000	12.8.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
165	उत्तर प्रदेश	21358/24/2005-2006-CD	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	300000	07.11.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
166	उत्तर प्रदेश	38027/24/2006-2007	पुलिस द्वारा विधिसम्मत कार्रवाई करने में विफलता	100000	06.11.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
167	उत्तर प्रदेश	703/24/2003-2004-CD	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	50000	19.11.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
168	उत्तर प्रदेश	580/24/2002-2003-CD LF. 4717/24/2002-2003-CD	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	100000	26.11.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
169	उत्तर प्रदेश	28567/24/2002-2003-CD	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	100000	25.11.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
170	उत्तर प्रदेश	8496/24/2002-2003-CD	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	100000	02.9.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
171	उत्तर प्रदेश	25223/24/2004-2005	पुलिस द्वारा अवैध निरोध (शिकायत)	100000	11.11.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
172	उत्तर प्रदेश	3504/24/2004-2005	पुलिस द्वारा शक्तियों का दुरूपयोग (शिकायत)	10000	06.11.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
173	उत्तर प्रदेश	4433/24/2004-2005-WC	पुलिस द्वारा शक्तियों का दुरूपयोग (शिकायत)	25000	17.12.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
174	उत्तर प्रदेश	4484/24/2004-2005	पुलिस द्वारा अवैध निरोध (शिकायत)	100000	09.02.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
175	उत्तर प्रदेश	18685/24/2005-2006-CD	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	100000	10.02.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
176	उत्तर प्रदेश	10647/24/2003-2004	पुलिस द्वारा अवैध निरोध एवं झूठे अपराधिक मामले में फंसाना (शिकायत)	25000	10.02.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है

क्र. सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मामला सं.	शिकायत की प्रकृति	संस्तुतियाँ	संस्तुति की तिथि	स्थिति
177	उत्तर प्रदेश	26405/24/40/07-08	पुलिस द्वारा शक्तियों का दुरूपयोग (शिकायत)	10000	12.02.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
178	उत्तर प्रदेश	20365/24/2004-2005	पुलिस द्वारा अवैध निरोध (शिकायत)	50000	24.02.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
179	उत्तर प्रदेश	10548/24/2003-2004-CD	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	100000	27.02.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
180	उत्तर प्रदेश	30149/24/2005-2006	पुलिस द्वारा शक्तियों की दुरूपयोग (शिकायत)	50000	27.02.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
181	उत्तर प्रदेश	24669/24/2004-2005	पुलिस द्वारा अवैध निरोध (शिकायत)	10000	16.3.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
182	उत्तर प्रदेश	36483/24/2004-2005	पुलिस द्वारा शक्तियों की दुरूपयोग (शिकायत)	100000	16.3.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
183	उत्तर प्रदेश	19801/24/25/07-08	अध्यापक द्वारा शारीरिक दण्ड मिल जाने से विद्यार्थी की मौत (स्वतः संज्ञान)	200000	24.3.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
184	उत्तर प्रदेश	21647/24/2005-2006-CD	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	100000	24.3.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
185	उत्तर प्रदेश	16909/24/2003-2004	पुलिस द्वारा अवैध निरोध (शिकायत)	60000	24.3.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
186	उत्तर प्रदेश	37027/24/ 2002-2003-CD	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	50000	16.10.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
187	उत्तर प्रदेश	10548/24/ 2003-2004-CD	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	100000	27.02.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
188	उत्तर प्रदेश	5286/24/2005-2006-CD	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	100000	19.12.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
189	उत्तर प्रदेश	42104/24/2006-2007	पुलिस द्वारा अवैध निरोध (शिकायत)	10000	05.3. 2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
190	उत्तर प्रदेश	40759/24/2004-2005	पुलिस द्वारा शक्तियों की दुरूपयोग (शिकायत)	50000	18.3. 2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
191	उत्तर प्रदेश	38876/24/2006-2007	पुलिस द्वारा दुष्प्रेरणके करन अवैध गिरफ्तारी (शिकायत)	50000	25.3. 2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
192	उत्तर प्रदेश	19681/24/3/07-08	पुलिस द्वारा अवैध गिरफ्तारी (शिकायत)	50000	25.3. 2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
193	उत्तर प्रदेश	21630/24/1999-2000	पुलिस द्वारा शक्तियों की दुरूपयोग (शिकायत)	50000	20.8. 2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
194	उत्तर प्रदेश	34571/24/2004-2005-CD LW 50143/24/2006-2007	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	100000	24.11.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
195	उत्तर प्रदेश	13241/24/2003-2004	कर्ज की राशि की अदायगी न करने के कारन तेहसील जेल में और बाद में जिला जेल में अवैध निरोध (शिकायत)	5000	12.12.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
196	उत्तर प्रदेश	31586/24/2004-2005	अवैध निरोध एवं झूठे अपराधिक मामले में फसाने की आशंका (शिकायत)	10000 +action taken against the erring police officials.	18.12.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
197	उत्तर प्रदेश	682/24/2003-2004-CD	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	100000 + action taken against the erring police officials.	13.01.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
198	उत्तर प्रदेश	28248/24/2006-2007-CD	पुलिस हिरासत में मौत (सूचना)	100000	27.01.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
199	उत्तर प्रदेश	27235/24/2006-2007	अवैध निरोध यातना और झूठे मामले में फसाने की आशंका (शिकायत)	50000	29.01.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
200	उत्तर प्रदेश	27693/24/2006-2007	पुलिस द्वारा अवैध गिरफ्तारी एवं यातना (शिकायत)	50000	30.01.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
201	उत्तर प्रदेश	28977/24/54/07-08	पुलिस द्वारा अवैध निरोध एवं यातना (शिकायत)	20000	03.02.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है

क्र. सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मामला सं.	शिकायत की प्रकृति	संस्तुतियाँ	संस्तुति की तिथि	स्थिति
202	उत्तर प्रदेश	17038/24/2004-2005	पुलिस द्वारा कोई भी विधिसम्मत कार्रवाई करने में विफलता (शिकायत)	150000 + पांच पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाई	04.02.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
203	उत्तर प्रदेश	40606/24/2006-2007	पुलिस द्वारा शक्तियों का दुरूपयोग (शिकायत)	10000	11.02.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
204	उत्तर प्रदेश	28360/24/2006-2007	पुलिस द्वारा अवैध गिरफ्तारी और यातना (शिकायत)	25000	16.02.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
205	उत्तर प्रदेश	24507/24/2004-2005-CD	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	100000	16.02.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
206	उत्तर प्रदेश	25412/24/2001-2002	चिकित्सक कर्मियों द्वारा ठीक से कार्य न करना (शिकायत)	50000	18.02.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
207	उत्तर प्रदेश	32405/24/2005-2006	पुलिस द्वारा अवैध गिरफ्तारी और यातना (शिकायत)	25000	23.02.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
208	उत्तर प्रदेश	20073/24/2006-2007	पुलिस द्वारा अवैध गिरफ्तारी और यातना (शिकायत)	25000	23.02.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
209	उत्तर प्रदेश	27657/24/2006-2007	पुलिस द्वारा अवैध गिरफ्तारी और यातना (शिकायत)	25000.	23.02.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
210	उत्तर प्रदेश	15037/24/2005-2006-CD	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	100000	25.02.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
211	उत्तर प्रदेश	8331/24/2005-2006-CD	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	25000	26.02.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
212	उत्तर प्रदेश	8332/24/2005-2006-CD	पुलिस द्वारा अवैध निरोध (शिकायत)	100000	31.7.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
213	उत्तर प्रदेश	482/24/2000-2001-CD	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	100000	08.8.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
214	उत्तर प्रदेश	7233/24/23/07-08	पुलिस के लापरवाही से मौत (शिकायत)	300000	11.11.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
215	उत्तर प्रदेश	28366/24/1999-2000	पुलिस द्वारा की गई झूठी मुठभेड़ में मौत (शिकायत)	300000	30.3.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
216	उत्तर प्रदेश	9551/24/2004-2005-CD	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	100000	06.01.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
217	उत्तर प्रदेश	22199/24/2004-2005-CD	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	100000	22.5.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
218	उत्तर प्रदेश	38776/24/2003-2004-CD	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	300000	04.9.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
219	उत्तर प्रदेश	23039/24/2006-2007	पुलिस द्वारा अवैध निरोध (शिकायत)	15,000	23.02.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
220	उत्तर प्रदेश	21294/24/2003-2004-CD	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	300000	26.3.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
221	उत्तर प्रदेश	1271/24/2002-2003-CD	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	100000	01.02.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
222	उत्तर प्रदेश	8184/24/2000-2001	पुलिस द्वारा अवैध निरोध (शिकायत)	2000	18.8.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
223	उत्तर प्रदेश	25932/24/2002-2003-CD	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	100000	05.5.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
224	उत्तर प्रदेश	28291/24/2000-2001	पुलिस द्वारा अवैध निरोध (शिकायत)	100000	20.6.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
225	उत्तर प्रदेश	24720/24/2006-2007-CD	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	200000	17.3.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
226	उत्तर प्रदेश	19895/24/2005-2006-CD	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	100000	02.3.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
227	उत्तर प्रदेश	18473/24/2005-2006	पुलिस द्वारा शक्तियों का दुरूपयोग (शिकायत)	10000	10.9.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
228	उत्तर प्रदेश	5979/24/2005-2006-CD	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	300000	28.01.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
229	उत्तर प्रदेश	13915/24/2000-2001	पुलिस द्वारा अवैध निरोध (शिकायत)	25000	23.02.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है

क्र. सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मामला सं.	शिकायत की प्रकृति	संस्तुतियाँ	संस्तुति की तिथि	स्थिति
230	उत्तर प्रदेश	33308/24/2003-2004-AD	पुलिस हिरासत में मौत (शिकायत)	50000	13.10.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
231	उत्तर प्रदेश	24111/24/2002-2003-CD	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	100000	09.9.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
232	उत्तर प्रदेश	23424/24/2003-2004-CD	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	100000	17.3.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
233	उत्तर प्रदेश	4235/24/2003-2004-CD	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	200000	17.3.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
234	उत्तर प्रदेश	7234/24/13/07-08	पुलिस के उत्पीड़न के कारण विचाराधीन कैदी द्वारा आत्महत्या (शिकायत)	200000	17.3.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
235	उत्तर प्रदेश	22469/24/2003-2004-CD	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	300000	06.01.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
236	उत्तर प्रदेश	21774/24/2001-2002-CD	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	100000	06.11.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
237	उत्तर प्रदेश	6755/24/2004-2005	पुलिस द्वारा अवैध निरोध (शिकायत)	30000 (10000/- each to three person)	04.6.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
238	उत्तर प्रदेश	33078/24/2004-2005-CD	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	300000	09.9.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
239	उत्तर प्रदेश	26759/24/2000-2001	पुलिस द्वारा अपराधिक मामले में झूठा फसाना (शिकायत)	10000	10.6.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
240	उत्तर प्रदेश	36089/24/2001-2002	पुलिस द्वारा शक्तियों का दुरूपयोग (शिकायत)	15000	04.11.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
241	उत्तर प्रदेश	24350/24/2003-2004-CD	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	100000	06.11.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
242	उत्तर प्रदेश	13272/24/2003-2004-CD	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	300000	19.8.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
243	उत्तर प्रदेश	17885/24/2004-2005	पुलिस द्वारा अवैध निरोध (शिकायत)	50000	16.3.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
244	उत्तर प्रदेश	24/1733/96-LD	पुलिस द्वारा अवैध निरोध (शिकायत)	10000	09.4.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
245	उत्तर प्रदेश	30658/24/2002-2003-CD	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	300000	02.02.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
246	उत्तर प्रदेश	32753/24/2002-2003-AD	पुलिस हिरासत में अभिकथित मौत (शिकायत)	300000	04.3.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
247	उत्तर प्रदेश	44204/24/2005-2006	बिजली का करेंट लगने से जलने एवं जिसके करण पिड़ित के सीधे हाथ पैर के अँगूठे को काटना पड़ा (शिकायत)	50000	16.9.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
248	उत्तर प्रदेश	884/35/2001-2002	बिजल के करेंट लगने से आपाहिज (शिकायत)	50000	18.8.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
249	उत्तर प्रदेश	1617/35/2001-2002	तेहसीलदार द्वारा अवैध निरोध (शिकायत)	20000	18.8.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
250	उत्तर प्रदेश	921/35/2003-2004	करेंट लगने से मौत (शिकायत)	200000	08.9.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
251	उत्तर प्रदेश	43/35/12/07-08-CD	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	100000	22.9.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
252	उत्तर प्रदेश	1540/35/2002-2003-CD	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	100000	05.11. 2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
253	उत्तर प्रदेश	980/35/2001-2002-CD	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	200000	13.3.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
254	उत्तर प्रदेश	1547/35/2004-2005	राजस्व अधिकारी द्वारा शिकायतकर्ता के पति को उठाना और उसको पीटना जिससे उसकी मौत हो गई (शिकायत)	40000	24.11.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
255	पश्चिम बंगाल	656/25/2002-2003-CD	पुलिस हिरासत में मौत (शिकायत)	100000	18.02.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है

क्र. सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मामला सं.	शिकायत की प्रकृति	संस्तुतियाँ	संस्तुति की तिथि	स्थिति
256	पश्चिम बंगाल	321/25/2002-2003-AD	बीएसएफ की हिरासत में मौत (शिकायत)	100000	02.9.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
257	पश्चिम बंगाल	401/25/2003-2004	अस्पताल में डाक्टर की लापवाही से मौत (शिकायत)	100000	27.6.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
258	पश्चिम बंगाल	502/25/2002-2003	अस्पताल में डाक्टर की लापवाही से मौत (शिकायत)	100000	10.10.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
259	पश्चिम बंगाल	213/25/2004-2005-CD	पुलिस हिरास में मौत (शिकायत)	100000	17.10.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
260	पश्चिम बंगाल	301/25/2003-2004-WC	पुलिस स्टेशन प्रभारी द्वारा 16 वर्ष की अनाथ कबिलाई लड़की से बलात्कार करने का प्रयास एवं उसका यौन उत्पीड़न (शिकायत)	25000	25.8.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
261	पश्चिम बंगाल	556/25/2003-2004	अस्पताल में डाक्टर की लापवाही से मौत (शिकायत)	100000	09.3.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
262	भारत सरकार रेलवे के मंत्री	6352/24/97-98	आरपीएफ के निरीक्षक एवं अन्य कर्मचारियों द्वारा पीड़ित को यातना जिससे उसकी मौत हो गई (शिकायत)	200000	21.5.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है

दोषी लोक सेवकों के विरुद्ध अनुशासनात्म कार्रवाई हेतु वर्ष 2008–2009 के दौरान रा.मा.अ.आ. की संस्तुतियों के अनुपालन के लिए लंबित मामलों का विवरण

क्रम सं.	राज्य का नाम	मामला सं.	शिकायत की प्रकृति	संस्तुतियाँ	संस्तुति की तिथि	स्थिति
1.	बिहार	1863/4/2003-2004-सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (शिकायत)	तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी और मंडल जेल आरा बिहार के अधीक्षक के विरुद्ध विभागीय जांच।	07.7.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
2.	झारखण्ड	25388/24/2004-2005-सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	दोषी कम्पाउन्डर एवं डाक्टर के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई	30.01.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
3.	केरल	159/11/2006-2007 एल डबल्यू 169/11/2006-2007	पुलिस द्वारा अवैध नजरबंदी एवं यातना (शिकायत)	दोषी पुलिस कार्मियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई	02.4.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
4.	पंजाब	952/19/2002-2003-सीडी	पुलिस हिरासत मौत (सूचना)	दोषी पुलिस कार्मियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई	02.02.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
5.	उत्तर प्रदेश	149/24/2002-2003-सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	दोषी जेल अधीक्षक एवं डाक्टर के विरुद्ध अनुशानात्मक कार्रवाई	16.6.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
6.	उत्तर प्रदेश	19847/24/2004-2005	पुलिस द्वारा अवैध नजरबंदी (शिकायत)	दोषी पुलिस कार्मियों के प्रति अनुशासनात्मक कार्रवाइ	07.7.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
7.	उत्तर प्रदेश	23655/24/2004-2005	पुलिस द्वारा अवैध नजरबंदी (शिकायत)	दोषी पुलिस कार्मियों के प्रति अनुशासनात्मक कार्रवाइ	07.10.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
8.	उत्तर प्रदेश	682/24/2003-2004-सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	दोषी पुलिस कार्मियों के प्रति अनुशासनात्मक कार्रवाइ	13.01.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
9.	उत्तर प्रदेश	23039/24/2006-2007	पुलिस द्वारा अवैध नजरबंदी (शिकायत)	दोषी पुलिस कार्मियों के प्रति अनुशासनात्मक कार्रवाइ	23.02.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
10.	उत्तर प्रदेश	20073/24/2006-2007	पुलिस द्वारा अवैध गिरफतारी एवं उत्पीड़न	दोषी पुलिस कार्मियों के प्रति अनुशासनात्मक कार्रवाइ	23.02.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है

अनुलग्नक – 9 पैरा 4.240

दोषी लोक सेवक के अभियोजन हेतु वर्ष 2008–2009 के दौरान आयोग की संस्तुतियों के अनुपालन हेतु लंबित मामले का विवरण

क्रम सं.	राज्य का नाम	मामला सं.	शिकायत की प्रकृति	संस्तुतियाँ	संस्तुति की तिथि	स्थिति
1.	उत्तर प्रदेश	20073/24/2006-2007	पुलिस द्वारा अवैध गिरफ्तारी और उत्पीड़न	दोषी पुलिस कार्मियों का अभियोजन	23.2.2009	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

अनुलग्नक – 10 पैरा 4.241

वर्ष 1999–2000 से 2007–2008 के लिए वित्तीय राहत के भुगातन/अनुशासनात्मक कार्रवाई/अभियोजन हेतु आयोग की संस्तुतियों के अनुपालन हेतु लंबित मामलों का विवरण

क्रम सं.	राज्य/सं.रा.क्षे. का नाम	मामला सं.	शिकायत की प्रकृति	संस्तुतियां	संस्तुति की तिथि	स्थिति
1.	आन्ध्र प्रदेश	393/1/2002-2003-सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	वित्तीय राहत के रुप मं 50,000/- रुपये की संस्तुति	26.12.2007	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
2.	आन्ध्र प्रदेश	819/1/2004-2005-सीडी	पुलिस हिरासत में मौत (सूचना)	दोषी डाक्टर के प्रति विभागीय जांच	15.02.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
3.	अरुणाचल प्रदेश	14/2/2003-2004-सीडी	पुलिस हिरासत में मौत (सूचना)	वित्तीय राहत के रुप में 1,00,000/- रुपये की संस्तुति	12.12.2007	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
4.	अरुणाचल प्रदेश	25/3/2002-2003-सीडी	पुलिस हिरासत में मौत (सूचना)	वित्तीय राहत के रुप में 2,00,000/- रुपये की संस्तुति	27.8.2007	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
5.	अरुणाचल प्रदेश	106/3/2001-2002-एएफ	विद्रोही कार्रवाई के जबावी हमले के दौरान कर्नल की मौत	वित्तीय राहत के रुप में 3,00,000/- रुपये की संस्तुति	19.3.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
6.	बिहार	2214/4/2003-2004	पुलिस गोलीबारी में आई चोटें (शिकायत)	वित्तीय राहत के रुप में 2,00,000/- रुपये की संस्तुति	07.02.2007	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
7.	बिहार	3731/4/2002-2003	फर्जी मुठभेड़ में मौत (सूचना)	वित्तीय राहत के रुप में 3,00,000/- रुपये की संस्तुति	17.5.2007	अनुपालन रिपोर्ट एवं भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
8.	बिहार	2812/4/97-98	फर्जी मुठभेड़ में मौत (सूचना)	वित्तीय राहत के रुप में 2,00,000/- रुपये की संस्तुति	01.8.2007	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
9.	बिहार	1633/4/2005-2006	शिक्षक द्वारा बुरी तरह से पीटे जाने के कारण छात्र की मौत (स्वतुःसंज्ञान)	वित्तीय राहत के रुप में 3,00,000/- रुपये की संस्तुति	08.8.2007	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
10.	बिहार	689/4/2002-2003-सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	वित्तीय राहत के रुप में 1,00,000/- रुपये की संस्तुति	09.12.2007	अनुपालन रिपोर्ट एवं भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
11.	बिहार	2887/4/2005-2006-सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	वित्तीय राहत के रुप में 3,00,000/- रुपये की संस्तुति	03.12.2007	अनुपालन रिपोर्ट एवं भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
12.	बिहार	1015/4/2002-2003-सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	वित्तीय राहत के रुप में 1,00,000/- रुपये की संस्तुति	17.12.2007	अनुपालन रिपोर्ट एवं भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
13.	बिहार	2252/4/2003-2004-सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	वित्तीय राहत के रुप में 1,50,000/- रुपये की संस्तुति	28.12.2007	अनुपालन रिपोर्ट एवं भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
14.	बिहार	2848/4/2002-2003-सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	वित्तीय राहत के रुप में 1,50,000/- रुपये की संस्तुति	02.01. 2008	अनुपालन रिपोर्ट एवं भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
15.	बिहार	1676/4/2003-2004-सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	वित्तीय राहत के रुप में 1,00,000/- रुपये की संस्तुति	12.3. 2008	अनुपालन रिपोर्ट एवं भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
16.	बिहार	838/4/2006-2007-सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	वित्तीय राहत के रुप में 1,00,000/- रुपये की संस्तुति	29.02.2008	अनुपालन रिपोर्ट एवं भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है

क्रम सं.	राज्य/सं.रा.क्षे. का नाम	मामला सं.	शिकायत की प्रकृति	संस्तुतियां	संस्तुति की तिथि	स्थिति
17.	बिहार	656/4/2000-2001-सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	वित्तीय राहत के रुप में 1,00,000/- रुपये की संस्तुति	18.02.2008	अनुपालन रिपोर्ट एवं भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
18.	छत्तीसगढ़	99/33/2004-2005-डब्ल्यू सी	अनु. जनजाति की महिला से सामूहिक बलात्कार (शिकायत)	वित्तीय राहत के रुप में 5,00,000/- रुपये की संस्तुति	17.3. 2008	अनुपालन रिपोर्ट एवं भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
19.	दिल्ली	2678/30/2004-2005	रिश्वत की मांग पूरी नहीं करने पर पुलिस द्वारा कथित उत्पीड़न एवं गलत तरीके से मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान काटना (शिकायत)	वित्तीय राहत के रुप में 10,000/- रुपये एवं दोषी पुलिसकर्मी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की संस्तुति	विभागीय कार्यवाही में पुलिसकर्मी को सजा दी गई	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
20.	दिल्ली	102/30/2005-2006	के.कर्म.स्वा.यो. डिस्पेंसरी द्वारा गलत दवा की आपूर्ति के कारण एक लड़की को गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं	निदेशक, सीजीएचएस द्वारा 1,00,000/- रु. की वित्तीय राहत देने की संस्तुति	30.7.2007	शिकायतकर्ता द्वारा दवा नहीं लिए जाने के आधार पर दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दिए जाने अपना पक्ष रखने के लिए याचिकाकर्ता को अवसर नहीं दिए जाने; तथा गलत दवा दिए जाने से मरीज की हालत अधिक बिगड़ जाने के कारण अनुपालन रिपोर्ट नहीं हुई। रिट याचिका सं. 9776/07 की दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है।
21.	गुजरात	608/6/2002-2003	पुलिस द्वारा उत्पीड़न एवं यातना (शिकायत)	वित्तीय राहत के रुप में 2,00,000/- रुपय (दोनों पीड़ितां में से प्रत्येक को 10,000 रु.) तथा दोषी पुलिस अधिकारियों के प्रति अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति	23.01.2006	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
22.	गुजरात	653/6/2002-2003-सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	वित्तीय राहत के रुप में 1,00,000/- रुपये की संस्तुति	03.9.2007	उच्च न्यायालय में लंबित मामले के निष्कर्ष की प्रतीक्षा है
23	गुजरात	310/6/2003-2004-सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	वित्तीय राहत के रुप में 1,00,000/- रुपये की संस्तुति	05.9.2007	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
24	हरियाणा	1906/7/2006-2007-डब्ल्यू सी	पुलिस द्वारा एक लड़की के साथ दुव्यवहार (स्वतः संज्ञान)	वित्तीय राहत के रुप में 1,00,000/- रुपये + दोषी पुलिसकर्मी के प्रति विभागीय कार्रवाई की संस्तुति	29.02.2008	अनुपालन के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
25	जम्मू एवं कश्मीर	162/9/1999-2000	स्थानीय पुलिस द्वारा अवैध नजरबंदी तथा यातना (शिकायत)	वित्तीय राहत के रुप में 1,00,000/- रुपये की संस्तुति	12.3.2008	अनुपालन रिपोर्ट की तथा भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
26	जम्मू एवं कश्मीर	97/9/2005-2006	पुलिस द्वारा गोलीबारी में मौत (सूचना)	2,50,000/- रुपये की संस्तुति (अर्थात 2,00,000/- रु. निशु शर्मा तथा 50,000/- रु. राकेश शर्मा को)	22.8.2007	अनुपालन रिपोर्ट की तथा भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
27	जम्मू एवं कश्मीर	179/9/2002- 2003-एडी	सैन्य कर्मियों द्वारा 3 व्यक्तियों को मारे जाने का आरोप (शिकायत)	भारत सरकार को मृतक के निकटतम रिश्तेदार से प्रत्येक को 2 लाख रुपये (6,00,000/- रुपये) के भुगतान की संस्तुति	03.08.2007	अनुपालन रिपोर्ट की तथा भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है

क्रम सं.	राज्य/सं.रा.क्षे. का नाम	मामला सं.	शिकायत की प्रकृति	संस्तुतियां	संस्तुति की तिथि	स्थिति
28	झारखण्ड	4/743/95-एलडी	पुलिस हिरासत में मौत आरोप (शिकायत)	4,00,000/- रुपये की वित्तीय राहत तथा दो दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन एवं विभागीय कार्रवाई की संस्तुति	20.01.2000	यह मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है
29	झारखण्ड	1253/34/2002-2003-सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	वित्तीय राहत के रूप में 2,00,000/- रु. की संस्तुति	09.5.2007	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
30	झारखण्ड	1431/34/2001-2002	पुलिस द्वारा हिरासतीय यातना आरोप (शिकायत)	वित्तीय राहत के रूप में 10,000/- रु. + दोषी पुलिसकर्मी के प्रति विभागीय कार्रवाई की संस्तुति	11.02.2008	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
31	झारखण्ड	312/4/2000-2001-सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	वित्तीय राहत के रूप में 1,00,000/- रु. की संस्तुति	20.02.2008	अनुपालन रिपोर्ट तथा भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
32	कर्नाटक	180/10/2004-2005-सीडी	पुलिस हिरासत में मौत (सूचना)	वित्तीय राहत के रूप में 3,00,000/- रु. की संस्तुति	17.9.2007	अनुपालन रिपोर्ट तथा भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
33	केरल	235/11/98-99	झूठे फंसाए जाने का आरोप (शिकायत)	वित्तीय राहत के रूप में 10,00,000/- रु. की संस्तुति	14.3.2001	राज्य सरकार ने आयोग की संस्तुतियों के विरुद्ध रिट अपील को वरीयता दी जो विचारार्थ लंबित है।
34	केरल	95/11/1999-2000	समय से चिकित्सा देख–रेख न मिलने के कारण हेड कांस्टेबल की ड्यूटी पर मृत्यु (शिकायत)	वित्तीय राहत के रूप में 50,000/- रु. की संस्तुति	29.8.2007	मानव अधिकार सरक्षण अधि –नियम 1993 के उपबंधों के अनुपालन न होने के आधार पर केरल उच्च न्यायालय से चुनौती दिए जाने के कारण अनुपालन रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई रिट याचिका सं. 36890/07 के आदेश केरल उच्च न्यायालय से प्रतीक्षा में है
35	महाराष्ट्र	2788/13/2003-2004-सीडी	पुलिस हिरासत में मौत (सूचना)	वित्तीय राहत के रूप में 2,00,000/- रु. की संस्तुति	30.5.2007	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
36	महाराष्ट्र	548/13/2003-2004-सीडी	पुलिस हिरासत में मौत (सूचना)	वित्तीय राहत के रूप में 1,00,000/- रु. की संस्तुति	11.6.2007	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
37	महाराष्ट्र	1287/13/2002-2003-सीडी	पुलिस हिरासत में मौत (सूचना)	वित्तीय राहत के रूप में 2,00,000/- रु. की संस्तुति	18.6.2007	अनुपालन रिपोर्ट तथा भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
38	महाराष्ट्र	2021/13/2000-2001-एडी	पुलिस हिरासत में मौत (सूचना)	वित्तीय राहत के रूप में 2,00,000/- रु. की संस्तुति	14.01.2008	अनुपालन रिपोर्ट तथा भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
39	महाराष्ट्र	415/13/02-03-सीडी	पुलिस हिरासत में मौत (सूचना)	वित्तीय राहत के रूप में 1,00,000/- रु. की संस्तुति	30.01.2008	अनुपालन रिपोर्ट तथा भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
40	महाराष्ट्र	1299/13/2000-2001-सीडी	पुलिस हिरासत में मौत (सूचना)	वित्तीय राहत के रूप में 1,00,000/- रु. की संस्तुति	04.3.2008	अनुपालन रिपोर्ट तथा भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
41	उड़ीसा	123/18/1999-2000	पुलिस द्वारा शारीरिक यातना तथा अवैध हिरासत (शिकायत)	वित्तीय राहत के रूप में 50,000/- रु. तथा दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी संस्तुति	31.7.2000	राज्य सरकार ने आयोग की संस्तुतियां के विरुद्ध उड़ीसा उच्च न्यायालय में रिट याचिका सं. ओ.जे.सी.सं. 8776/2000 को वरीयता दी, जो कि विचारार्थ लंबित है।

क्रम सं.	राज्य/सं.रा.क्षे. का नाम	मामला सं.	शिकायत की प्रकृति	संस्तुतियां	संस्तुति की तिथि	स्थिति
42	उड़ीसा	42/18/2003-2004-सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	वित्तीय राहत के रूप में 1 लाख रु. की संस्तुति	12.12.2007	भुगतान के सबूत की प्रतीक्षा है
43	उड़ीसा	323/18/2004-2005	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	वित्तीय राहत के रूप में 1 लाख रु. की संस्तुति	23.01. 2008	अनुपालन रिपोर्ट एवं भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
44	राजस्थान	1042/20/2003-2004	पुलिस द्वारा झूठे फंसाए जाने को आरोप (शिकायत)	10,000/- रु. की वित्तीय राहत की संस्तुति	21.6.2005	अनुपालन की प्रतीक्षा है
45	राजस्थान	20/599/96-एलडी	खांचा गिरने के कारण काम करने के स्थान पर मजदूरों को चोटें आना।	80,000/- रु. की वित्तीय राहत (दो मृतकों के निकटतम रिश्तेदारों में से प्रत्येक को 25,000/- रु. तथा दो घायल पीड़ितों में से प्रत्येक को 15000/- रु.) की संस्तुति	25.10.2000	65,000/- रु. का भुगतान किया गया था, जख्मी पीड़ितों में से एक को 15,000/- रु. के भुगतान अनुपालन की प्रतीक्षा है।
46	राजस्थान	1635/20/2002-2003	गैरकानूनी पुलिस द्वारा कैद (शिकायत)	वित्तीय राहत के रूप में 30,000/- रु. की संस्तुति	08.10.2007	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
47	तमिलनाडु	795/22/97-98-FC Linked Cases-222/10/97-98,534/22/97-98, 249/10/98-99, 79/10/98-99, 248/10/97-98, 250/10/97-98, 318/10/97-98 & 329/10/98-99	चन्दन तस्कर वीरप्पन को पकड़ने के लिए गठित संयुक्त विशेष कार्य बल द्वारा गांववालों तथा आदिवासियों का उत्पीड़न/यातना के आरोप (शिकायत)	वित्तीय राहत के रूप में 2,80,00,000/- रु. 90 व्यक्तियों को संस्तुति, 2,69,00,000/- रु. 86 व्यक्तियों को भुगतान किया गया। 3 व्यक्तियों को 11,00,000/- रु. का भुगतान शेष है	15.01.2007	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
48	तमिलनाडु	1213/22/2002-2003	रिश्वत की मांग पूरी नहीं करने पर पुलिस द्वारा चोरी के मामले में झूठा फसाया जाना (शिकायत)	वित्तीय राहत के रूप में 25,000/- रु. की संस्तुति	14.3.2008	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
49	तमिलनाडु	728/22/04-05-सीडी	पुलिस हिरासत में मौत (सूचना)	वित्तीय राहत के रूप में 2,00,000/- रु. की संस्तुति	31.3.2008	1 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है जबकि 1 लाख का भुगतान अभी किया जाना है
50	तमिलनाडु	333/22/2004-2005	पुलिस द्वारा शारिरीक यातना (शिकायत)	वित्तीय राहत के रूप में 1,00,000/- रु. + दोषी पुलिसकर्मियों के प्रति विभागीय कार्रवाई + अभियोन की संस्तुति	07.3.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
51	तमिलनाडु	18427/24/2001-2002	पुलिस द्वारा अवैध कैद (शिकायत)	वित्तीय राहत के रूप में 25,000/- रु. की संस्तुति	12.11.2007	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
52	उत्तर प्रदेश	4122/24/2000-2001	बंधुआ मजदूरी (शिकायत)	वित्तीय राहत के रूप में 30,00,000/- रु. (300 बंधुआ मजदूरों में प्रत्येक को 1000/- रु. की संस्तुति	28.02.2005	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
53	उत्तर प्रदेश	18413/24/2001-2002	पुलिस हिरासत में मौत (सूचना)	वित्तीय राहत के रूप में 1,00,000/- रु. की संस्तुति	02.11.2005	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
54	उत्तर प्रदेश	36867/24/2002-2003	एक बंधुआ मजदूर की मौत तथा स्थानीय पुलिस की निष्कर्मनीयता (शिकायत)	वित्तीय राहत के रूप में 50,000/- रु. + दोषी पुलिसकर्मी के प्रति विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की संस्तुति	08.11.2007	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
55	उत्तर प्रदेश	26685/24/1999-2000	पुलिस द्वारा गैरकानूनी कैद (शिकायत)	वित्तीय राहत के रूप में 25,000/- रु. की संस्तुति	12.11.2007	अनुपालन रिपोर्ट तथा भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है

क्रम सं.	राज्य/सं.रा.क्षे. का नाम	मामला सं.	शिकायत की प्रकृति	संस्तुतियां	संस्तुति की तिथि	स्थिति
56	उत्तर प्रदेश	7049/24/2000-2001-सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	आयोग ने अंतरिम राहत के रूप में 3,00,000/- रु. की संस्तुति की	10.3. 2008	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
57	उत्तर प्रदेश	26626/24/2000-2001	न्यायिक हिरासत में कथित मौत (शिकायत)	10,50,000/- रु. की संस्तुति (5 मृतकों के निकटतम रिश्तेदारों को 1,50000/- तथा विश्वास त्यागी को 3,00,000/- रु0)	17.3. 2008	अनुपालन रिपोर्ट तथा भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
58	उत्तर प्रदेश	43727/24/2005-2006	पुलिस द्वारा गैरकानूनी कैद (शिकायत)	वित्तीय राहत के रूप में 10,000/- रुपये की संस्तुति	04.3.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
59	उत्तर प्रदेश	6310/24/2003-2004-सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (शिकायत)	वित्तीय राहत के रूप में 1,00,000/- रुपये की संस्तुति	15.11.2007	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
60	उत्तर प्रदेश	17012/24/2001-2002-सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (शिकायत)	वित्तीय राहत के रूप में 50,000/- रुपये की संस्तुति	14.02.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
61	उत्तर प्रदेश	30093/24/2004-2005-डब्ल्यूसी	कथित यौन उत्पीड़न (शिकायत)	वित्तीय राहत के रूप में 20,000/- रुपये की संस्तुति	26.12.2007	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
62	उत्तर प्रदेश	19721/24/2005-2006	पुलिस द्वारा अवैध गिरफ्तारी (शिकायत)	वित्तीय राहत के रूप में 10,000/- रुपये की संस्तुति	12.3.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
63	उत्तर प्रदेश	30217/24/2002-2003-सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	वित्तीय राहत के रूप में 10,000/- रुपये की संस्तुति	20.02.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
64	उत्तर प्रदेश	24/2374/95-एलडी	कथित फर्जी मुठभेड़ (शिकायत)	वित्तीय राहत के रूप में 6,00,000/- रुपये की संस्तुति	04.7.2007	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
65	उत्तर प्रदेश	43972/24/2006-2007	ईंट भट्ठे से बंधुआ मजदूर (शकायत)	वित्तीय राहत के रूप में 5,60,000/- रुपये की संस्तुति	13.12.2007	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
66	उत्तर प्रदेश	974/24/2006-2007-सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	वित्तीय राहत के रूप में 1,00,000/- रुपये की संस्तुति	29.01.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
67	उत्तर प्रदेश	3519/24/2003-2004	पुलिस द्वारा कथित फर्जी मुठभेड़ (शिकायत)	वित्तीय राहत के रूप में 2,00,000/- रुपये की संस्तुति	04.3.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
68	उत्तराखण्ड	682/35/2002-2003-सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	वित्तीय राहत के रूप में 1,00,000/- रुपये की संस्तुति	26.02.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
69	पश्चिम बंगाल	147/25/2001-2002-सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	वित्तीय राहत के रूप में 1,00,000/- रुपये की संस्तुति	07.3.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
70	पश्चिम बंगाल	589/25/2002-2003	कोयला खान के गार्ड द्वारा अनजाने में गोली चलने के कारण एक लड़के का कथित रूप से घायल होना (शिकायत)	वित्तीय राहत के रूप में 1,00,000/- रुपये की संस्तुति	28.12.2007	अनुपालन रिपोर्ट तथा भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
71	पश्चिम बंगाल	222/25/19/07-08	पुलिस द्वारा गैरकानूनी नजरबंदी तथा शारीरिक यातना (शिकायत)	वित्तीय राहत के रूप में 50,000/- रुपये की संस्तुति	13.3.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है

अनुलग्नक – 11 पैरा 5.7

आयोग द्वारा वर्ष 1993–1994 से 2008–2009 तक पंजीकृत पुलिस हिरासत में मौत तथा न्यायिक हिरासत में मौत के मामलों (प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार तथा वर्ष–वार विवरण

राज्य एवं सं.रा.क्षे. का नाम	वर्ष															कुल		
	*1993-94 पु.हि.+न्या.हि.	1994-95		1995-96		1996-97		1997-98		1998-99		1999-00		2000-01		पु.हि.+ न्या.हि (1993-94)*	पुलिस हिरासत (3+5+7+9+ 11+13+15)	न्यायिक हिरासत (4+6+8+10+ 12+14+16)
		पु.हि.	न्या.हि.	पु.हि.	न्या.हि.	पु.हि.	न्या.हि.	पु.हि.	न्या.हि.	पु.हि.	न्या.हि.	पु.हि.	न्या.हि.	पु.हि.	न्या.हि.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
अंडमान एवं निकोबार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	0	2	***0***	**1**	**6**
आंध्र प्रदेश	0	6	0	10	45	27	70	21	53	25	96	11	73	2	76	***0***	**102**	**413**
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	2	0	2	2	2	1	4	0	1	1	***0***	**11**	**4**
असम	1	14	4	7	15	13	12	18	15	15	22	11	22	11	11	***1***	**89**	**101**
बिहार	4	17	0	8	67	14	79	10	107	10	182	7	155	2	137	***4***	**68**	**727**
चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	***0***	**1**	**2**
छत्तीस गढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	29	***0***	**1**	**29**
दादर एवं नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***	**0**	**0**
दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	***0***	**0**	**1**
दिल्ली	7	5	33	7	33	5	19	11	26	0	17	6	19	9	28	***7***	**43**	**175**
विदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***	**0**	**0**
गोवा	0	1	1	0	0	2	0	0	2	0	1	2	2	2	3	***0***	**7**	**9**
गुजरात	0	0	0	15	4	18	32	10	27	8	37	13	19	11	27	***0***	**75**	**146**
हरियाणा	1	2	0	4	5	2	7	3	7	4	18	5	24	4	20	***1***	**24**	**81**
हिमाचल प्रदेश	0	2	0	0	1	1	0	0	0	2	0	1	0	1	2	***0***	**7**	**3**
जम्मू एवं कश्मीर	1	0	0	15	0	4	0	2	0	0	0	0	0	0	1	***1***	**21**	**1**
झारखण्ड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	33	***0***	**1**	**33**
कर्नाटक	0	1	0	3	10	8	28	7	33	10	40	6	35	5	41	***0***	**40**	**187**
केरल	1	3	0	2	2	6	9	6	30	4	25	6	14	1	26	***1***	**28**	**106**
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***	**0**	**0**
मध्य प्रदेश	1	2	8	2	7	8	7	17	43	19	99	13	58	11	37	***1***	**72**	**259**
महाराष्ट्र	0	2	0	9	25	21	180	17	116	20	98	30	126	19	104	***0***	**118**	**649**
मणिपुर	1	2	1	4	0	1	0	1	0	3	0	0	1	0	0	***1***	**11**	**2**
मेघालय	1	3	0	0	3	0	10	2	0	1	6	0	2	1	0	***1***	**7**	**21**
मिजोरम	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	***0***	**1**	**3**
नागालैण्ड	0	1	0	2	0	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	***0***	**7**	**1**
उड़ीसा	0	3	1	2	8	3	10	4	19	0	68	1	45	2	55	***0***	**15**	**206**
पुदुचेरि	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	***1***	**2**	**0**
पंजाब	0	10	2	8	8	5	12	8	27	12	43	11	42	13	48	***0***	**67**	**182**
राजस्थान	1	10	0	6	11	5	25	11	30	3	47	3	45	3	38	***1***	**41**	**196**
सिक्किम	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***	**1**	**0**
तमिलनाडु	6	7	0	4	1	3	18	13	54	14	41	9	48	4	24	***6***	**54**	**186**
त्रिपुरा	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	***0***	**5**	**0**
उत्तर प्रदेश	8	5	0	13	24	32	139	14	172	20	222	18	141	10	121	***8***	**112**	**819**
उत्तरांचल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	***0***	**0**	**6**
पश्चिम बंगाल	0	14	1	14	37	6	42	10	43	6	40	19	43	9	38	***0***	**78**	**244**
कुल	34	111	51	136	308	188	700	191	807	180	1106	177	916	127	910	***34***	***1110***	***4798***
कुल *(वर्ष–वार)*	***34***	**162**		**444**		**888**		**998**		**1,286**		**1,093**		**1,037**				

पु.हि. पुलिस हिरासत में मौतें, न्या.हि. न्यायिक हिरासत में मौतें

* पुलिस हिरासत में मौतों एवं न्यायिक हिरासत (जेल) में मौतों केलिए अलग के आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

आयोग द्वारा वर्ष 1993–1994 से 2008–2009 तक पंजीकृत पुलिस हिरासत में मौत तथा न्यायिक हिरासत में मौत के मामलों (प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार तथा वर्ष–वार विवरण

राज्य एवं सं.रा.क्षे.	वर्ष																कुल			कुल योग (37+38+39)
	2001-02		2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07		2007-08		2008-09		पु.हि.+ न्या.हि (1993-94)	पुलिस हिरासत (18+21+23 +25+27+29 +31+33+35)	न्यायिक हिरासत (19+22+24+ 26+28+30+ 32+34+36)	
	PC	JC	PC	JC	PC	JC	PC	JC	PC	JC	PC	JC	PC	JC	PC	JC				
20	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*	*31*	*32*	*33*	*34*	*35*	*36*	*37*	*38*	*39*	*40*
अंडमान एवं निकोबार	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	*0*	**1**	**9**	**10**
आंध्र प्रदेश	16	81	10	112	10	114	13	116	11	134	5	118	9	132	12	130	*0*	**188**	**1,350**	**1,538**
अरुणाचल प्रदेश	2	0	2	2	2	1	0	2	1	0	1	1	0	1	2	1	*0*	**21**	**12**	**33**
असम	10	20	15	13	6	18	4	11	7	27	8	17	12	19	7	27	*1*	**158**	**253**	**412**
बिहार	2	144	4	153	9	139	3	150	1	246	2	193	8	222	5	135	*4*	**102**	**2,109**	**2,215**
चंडीगढ़	0	1	0	3	0	4	1	3	0	3	0	2	1	1	1	3	*0*	**4**	**22**	**26**
छत्तीस गढ़	4	28	3	29	2	42	5	26	2	52	3	50	2	45	1	40	*0*	**23**	**341**	**364**
दादर एवं नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	*0*	**1**	**1**	**2**
दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*	**0**	**1**	**1**
दिल्ली	5	27	2	30	3	22	5	27	3	29	3	25	6	33	0	19	*7*	**70**	**387**	**464**
विदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	*0*	**1**	**0**	**1**
गोवा	0	5	0	1	0	0	0	4	1	4	0	1	0	0	0	2	*0*	**8**	**26**	**34**
गुजरात	8	44	17	34	20	37	15	54	20	52	7	54	16	55	12	73	*0*	**190**	**549**	**739**
हरियाणा	5	34	6	41	2	49	2	49	4	58	2	51	9	59	6	52	*1*	**60**	**474**	**535**
हिमाचल प्रदेश	1	1	0	2	0	2	0	5	0	5	0	3	1	3	0	5	*0*	**9**	**29**	**38**
जम्मू एवं कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	2	0	1	*1*	**25**	**4**	**30**
झारखण्ड	4	55	6	41	3	53	5	66	4	62	3	59	3	77	2	61	*0*	**31**	**507**	**538**
कर्नाटक	9	41	16	49	4	52	9	51	5	67	8	56	5	76	2	71	*0*	**98**	**650**	**748**
केरल	4	33	4	50	4	51	6	51	5	44	3	37	6	56	2	40	*1*	**62**	**468**	**531**
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*	**0**	**0**	**0**
मध्य प्रदेश	7	38	1	36	3	30	2	49	4	44	10	59	10	97	5	86	*1*	**114**	**698**	**813**
महाराष्ट्र	27	125	26	117	32	148	23	138	20	115	21	130	25	174	24	126	*0*	**316**	**1,722**	**2,038**
मणिपुर	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*1*	**11**	**3**	**15**
मेघालय	3	2	3	3	3	3	2	6	0	4	1	1	3	0	1	3	*1*	**23**	**43**	**67**
मिजोरम	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*	**1**	**7**	**8**
नागालैण्ड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	*0*	**7**	**6**	**13**
उड़ीसा	7	49	1	41	1	52	3	39	2	42	2	53	6	50	2	47	*0*	**39**	**579**	**618**
पुदुचेरि	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	2	0	2	*1*	**5**	**6**	**12**
पंजाब	7	70	9	65	7	81	6	65	6	100	1	87	7	100	4	70	*0*	**114**	**820**	**934**
राजस्थान	5	49	6	55	5	45	0	50	7	50	3	54	2	58	4	56	*1*	**73**	**613**	**687**
सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	*0*	**2**	**1**	**3**
तमिलनाडु	7	48	17	51	12	106	9	98	7	101	16	103	6	104	5	67	*6*	**133**	**864**	**1,003**
त्रिपुरा	1	0	1	1	0	0	1	4	1	4	1	5	1	4	1	5	*0*	**12**	**23**	**35**
उत्तर प्रदेश	11	183	16	169	18	199	7	219	18	259	11	241	32	312	24	288	*8*	**249**	**2,689**	**2,946**
उत्तरांचल	3	8	1	7	2	7	3	9	1	10	1	7	5	14	0	13	*0*	**16**	**81**	**97**
पश्चिम बंगाल	17	54	16	49	13	43	11	64	8	76	7	69	8	89	4	97	*0*	**162**	**785**	**947**
कुल	165	1140	183	1157	162	1300	136	1357	139	1591	119	1477	188	1789	127	1523	**34**	**2329**	**16132**	**18495**
कुल (वर्ष–वार)	**1,305**		**1,340**		**1,462**		**1,493**		**1,730**		**1,596**		**1,977**		**1,650**					

पु.हि. पुलिस हिरासत में मौतें, न्या.हि. न्यायिक हिरासत में मौतें

* पुलिस हिरासत में मौतों एवं न्यायिक हिरासत (जेल) में मौतों केलिए अलग के आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

निरोध पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की कार्यशाला की सिफारिशें

निरोध पर आयोजित की गई दो दिवसीय कार्यशाला में पुलिस हिरासत तथा जेलों आदि में निरूद्ध व्यक्तियों के मूलभूत मानव अधिकारों को सुनिश्चित करने में राज्य सरकारों की जिम्मेवारियों सहित कई मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया।

जेलों तथा पुलिस हिरासत में निरोध :

1. यह समझना महत्वपूर्ण है कि हिरासत में रखा गया व्यक्ति राज्य की देखरेख में होता है तथा उसके मूलभूत मानव अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करना राज्य का दायित्व है। इसे अपराधियों एवं आतंकवादियों के अधिकारों के लिए वकालत के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।

2. उत्पीड़न के विरूद्ध अभिसमय में अन्य बातों के साथ–साथ हिरासत में उत्पीड़न पर रोक लगाने का प्रयास है। यद्यपि भारत ने उत्पीड़न के विरूद्ध अभिसमय पर हस्ताक्षर किए हैं, किन्तु इसने इसका अनुसमर्थन नहीं किया है। केंद्र सरकार को इस संबंध में तत्काल कदम उठाने चाहिए।

3. भारत में प्रति 1,00,000 की आबादी पर जेलों में सिर्फ 32 लोगों का निम्न दर है किन्तु उनमें से सबसे अधिक आबादी जेलों में पड़े विचाराधीन कैदियों की है। इस स्थिति से उबरने के लिए निम्नलिखित उपायों के माध्यम से मुकदमे का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

   (अ) और अधिक अदालतों की स्थापना तथा न्यायपालिका में रिक्त पदों को भरना।

   (ब) पुलिस अधिकारियों तथा चिकित्सा पेशे से जुड़े लोगों, जो कुछ मामलों में गवाह हैं, की गवाही तथा उनकी पूछताछ को रिकार्ड करने की प्रक्रिया में तेजी लाना क्योंकि उनकी नौकरी में तबादले की प्रवृत्ति के कारण इस संबंध में किसी प्रकार की देरी हो सकती है।

   (स) इसके अतिरिक्त विचाराधीन कैदियों तथा दोषसिद्ध कैदियों को अलग–अलग रखने के लिए किए गए प्रबन्ध को कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए।

4. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436–ए में हिरासत में रखे किसी गए व्यक्ति की व्यक्तिगत बांड पर रिहाई के लिए प्रावधान है यदि दोषी पाए जाने की स्थिति में उसको होने वाली सजा की आधी से अधिक अवधि तक वह हिरासत में रह चुका है। हालांकि इसके बावजूद, विचाराधीन कैदियों की संख्या अभी भी बहुत अधिक है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि विचाराधीन कैदी इस प्रावधान के तहत् शीघ्र राहत पा सकें रणनीति तथा माडेलिटीज बनाया जाना चाहिए।

5. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 62 (5) के अनुसार, निवारक निरोध में रखे व्यक्ति को छोड़कर किसी जेल में कैद व्यक्ति अथवा पुलिस की हिरासत में रखे गए व्यक्ति को वोट देने की अनुमति नहीं है हालांकि दोषसिद्ध

व्यक्तियों को छोड़कर वे चुनाव लड़ने के पात्र हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में वोट देने के अधिकार से संबंधित उपबन्धों में उपयुक्त संशोधन किया जाना चाहिए ताकि विचाराधीन कैदियों के लिए यह अधिकार सुनिश्चित हो सके।

6. माडेल जेल संहिता सहित जेल सुधारों को लागू करने की जरूरत है। इसमें अन्य बातों के साथ–साथ कैदियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण को शामिल किया जाना चाहिए तथा उन्हें काम करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए जो उन्हें व्यस्त रखने के अलावा उनकी पूरक कमाई का स्रोत भी बनेगा साथ ही जेल प्रशासन के लिए राजस्व का स्रोत भी होगा।

7. जेल कर्मचारियों के अभिमुखीकरण तथा प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है ताकि उनकी सोच कैदियों को हिरासत में रखने की बजाए उनका सुधार करने की हो सके। ऐसे कर्मचारियों के लिए और अधिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जानी चाहिए। केवल पुलिस अथवा जेल कर्मचारियों को संवेदनशील बनाना ही काफी नहीं है। कैदी भी तनाव में रहते हैं तथा संवेदीकृत कार्यक्रमों में कैदियों पर भी लक्ष्य समूह के रूप में ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

8. 0 से 6 वर्ष के आयु समूह के बच्चों के अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए जेलों में कैद माताओं तथा आर. डी. उपाध्याय बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को लागू करने के लिए उपयुक्त रणनीति तथा मोडालिटीज तैयार की जानी चाहिए।

9. मौजूदा प्रचलन के अनुसार, हिरासत में हुई मौतों के मामलों में, पुलिस प्रशासन को इसकी रिपोर्ट घटना के 24 घंटों के भीतर राष्ट्रीय मानव अधिकार को करना अपेक्षित है। दंड प्रक्रिया संहिता (धारा 176 (1)) में किए गए संशोधन के अनुसार, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जाती है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 176 (1) के तहत् स्थापित प्रक्रिया को सावधानी से लागू करने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त, न्यायिक विशेषज्ञों तथा प्रयोगशाला विज्ञान से जुड़े, लोगों को शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि उनकी अच्छी जानकारी तथा वैज्ञानिक तरीके से की गई जांच से सही–सही तथा विश्वसनीय साक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिल सकती है।

10. यह भी सुझाव दिया गया था कि उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार किसी दोषी पुलिस अधिकारी पर लगाया गया जुर्माना ऐसे अधिकारी द्वारा दी गई यातना के अनुपात में होना चाहिए न कि केवल फटकार या तबादले के रूप में।

11. सरकार को जांच स्कन्ध को कानून एवं व्यवस्था स्कन्ध से अलग रखने के लिए कदम उठाना चाहिए जैसा कि प्रकाश सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2006 (8) एस.सी.सी.आई) के मामले में निर्णय लिया गया था।

12. कैदियों के साथ बर्ताव के लिए संयुक्त राष्ट्र न्यूनतम मानक नियमों को लागू किया जाना चाहिए तथा मानव अधिकार के दर्षष्टिकोण से उसकी निगरानी की जानी चाहिए।

13. जेलों को और अधिक पारदर्शी तथा सभ्य समाज के लिए खुला रखने की जरूरत है।

14. सभी प्रकार के गैर–कानूनी निरोधों से कड़ाई से निपटना चाहिए।

निवारात्मक निरोध

15. निवारात्मक तथा दंडात्मक निरोध के बीच के अंतर को स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए। निवारात्मक निरोध का उद्देश्य किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी गतिविधि की संभावना को रोकना है जो सार्वजनिक व्यवस्था

अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए घातक हो सकता है। निवारात्मक निरोध का सहारा कानून द्वारा स्थापित सामान्य प्रक्रिया के विकल्प के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। संबंधित प्राधिकारियों को इस बात के लिए संवेदीकष्त करने की आवश्यकता है कि इसका प्रयोग केवल असाधारण मामलों में अपवाद के रूप में किया जाना चाहिए।

16. निवारात्मक निरोध के तहत रखे गए निरोधियों को कानून के तहत कुछ सुरक्षोपाय प्रदान किए गए हैं। इनमें प्राधिकारी को संतुष्ट करते हुए तथ्यों को विस्तृत रूप से रिकॉर्ड करना, राज्य अथवा केंद्र सरकार या सलाहकार बोर्ड आदि को आवेदन करने का अधिकार शामिल है। निरोध के लिए इन मानदण्डों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए तथा सभी प्राधिकारियों को इन सुरक्षोपायों के पालन के बारे में संवेदीकष्त करना चाहिए। लोगों को भी विभिन्न व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं के विषय में संवेदनशील बनाया जाना चाहिए।

17. निवारात्मक निरोध के कानूनों में स्वतंत्रता के मानव अधिकार तथा राष्ट्र की सुरक्षा अथवा सार्वजनिक व्यवस्था कायम रखने के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है।

18. यदि यह पाया जाता है कि निरूद्ध व्यक्ति को गैर–कानूनी तरीके से निरूद्ध रखा गया है तो तत्काल राहत/मुआवजे के लिए प्रावधान करने की आवश्यकता है।

किशोर न्याय गृहों में निरोध

19. किशोरों के साथ बर्ताव हेतु संयुक्त राष्ट्र न्यूनतम मानक (बीजिंग नियम) का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

20 सभी राज्यों को किशोर न्याय अधिनियम, 2006 के तहत् नियम बनाना चाहिए तथा कानून के तहत् अपेक्षित आवश्यक संस्थानों का गठन करना चाहिए। इन प्रावधानों को लागू करने में यदि कोई बाधा हो तो उसे कानून में संशोधन द्वारा अथवा उपयुक्त रणनीति अपनाकर दूर किया जाना चाहिए।

21. निर्णयादेश तथा शब्दावली में किशोर न्याय प्रणाली को आपराधिक न्याय प्रणाली से अलग होना चाहिए।

22. किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख तथा संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2006 के कारगर क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारों के दृष्टिकोण को सरल बनाने हेतु उनकी ओर से आवश्यकता आधारित आकलन करना अपेक्षित है।

23. किशोर न्याय राज्य सरकारों की प्राथमिकता की सूची में होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बच्चों के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखते हुए वित्तीय, प्रशासनिक तथा ढांचागत जरूरतों की पूर्ति हो।

24. प्राधिकारियों को कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों तथा वैसे बच्चों के बीच अंतर समझना चाहिए जिन्हें देखभाल तथा संरक्षण की जरूरत है। दोनों श्रेणियों के बच्चों के कल्याण की विशिष्ट जरूरतों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

25. निर्णायक निकायों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जांच 4 महीनों की निर्धारित अवधि में पूरी की जाए जैसा कि अधिनियम में निर्धारित किया गया है।

26. जे. जे. प्रणाली के अंतर्गत पर्याप्त संख्या में योग्य तथा प्रशिक्षित कर्मचारियों की भर्ती की जानी चाहिए। तथाकथित शोषण के मामलों में जिम्मेवार अधिकारियों तथा कर्मचारियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए तथा ऐसी कार्रवाई के लंबित रहने पर उनका तत्काल तबादला किया जाना चाहिए।

27. बच्चों का पुनर्वास तथा उनका प्रत्यावर्तन मूल उद्देश्य होना चाहिए। संस्थागत देखभाल में उचित शैक्षणिक सुविधाएं तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण शामिल किया जाना चाहिए ताकि जब बच्चे को वापस भेजा जाए तो उसके लिए निर्वाह के विकल्प को सुनिश्चित किया जा सके।

28. सभी बच्चों के स्वास्थ्य देखभाल की जरूरतों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। एच.आई.वी, खारिश, मानसिक अशक्तता जैसी बीमारियों से पीड़ित बच्चों की विशिष्ट जरूरतों का ध्यान रखा जाना चाहिए।

29. किशोर न्याय/प्रेक्षण गृहों में सफाई एवं पोषण के बुनियादी मानकों का पालन किया जाना चाहिए।

30. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अधिनियम के तहत् गठित निरीक्षण समितियों द्वारा इन गृहों का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाए।

निरूद्ध व्यक्तियों के मानसिक स्वास्थ्य के मामले

31. पूरी दुनिया में औसतन 32 प्रतिशत कैदियों को मनोवैज्ञानिक मदद की जरूरत होती है। यदि इसमें योग्यता के दुरुपयोग को शामिल किया जाए तो यह आंकड़ा 60 प्रतिशत के ऊपर पहुंच जाता है। अतः मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। कैदियों के बीच मानसिक बीमारी की समय पर पहचान करने तथा संगत कदम उठाने की जरूरत है।

32. मानसिक रूप से बीमार कैदियों की समस्याओं, उन्हें दूसरी जगह भेजने/छुट्टी देने, हिरासत के दौरान अपर्याप्त देखभाल, हिरासत से रिहा होने के पश्चात् कोई मनोवैज्ञानिक उपचार नहीं करने की समस्याओं का बहुत कम प्रलेखन होता है। मनोचिकित्सक के आवधिक दौरे के लिए प्रबंध किया जाना चाहिए।

33. जेल कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य में बहुत कम औपचारिक प्रशिक्षण को ध्यान में रखते हुए सुधारात्मक उपाय किए जाने की जरूरत है।

34. जेल अस्पतालों में एक मनोचिकित्सक तैनात किया जाए। यदि मनोचिकित्सकों की कमी के कारण ऐसा करना संभव नहीं है तो हफ्ते में कम–से–कम एक बार मनोचिकित्सक के दौरे के लिए प्रबंध किया जाना चाहिए।

35. मानसिक समस्या से ग्रस्त कैदी को सामान्यतः अलग रखा जाना चाहिए, बेहतर है कि उन्हें मानसिक अस्पतालों में भेजा जाए। हालांकि जिला अस्पतालों अथवा मानसिक अस्पतालों में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल में प्रशिक्षित मानव शक्ति की कमी के कारण यह संभव नहीं हो सकता है। इसीलिए मानव शक्ति तथा अवसंरचना दोनों ही मामलों में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को सशक्त बनाने की जरूरत है। इस संबंध में की गई कुछ सामान्य सिफारिशें इस प्रकार हैं :–

(अ) हिरासतीय देखभाल के स्थान पर सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य देखभाल दर्षष्टिकोण अपनाने तथा मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के जरिए सामान्य स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के साथ जोड़ने की जरूरत है।

(ब) मानसिक अस्पतालों में रह रहे व्यक्तियों के आहार की मात्रा को न्यूनतम कैलोरी के आधार पर तय किए जाने की जरूरत है न कि मुद्रास्फीति के आर्थिक आधार पर।

(स) बाल देखभाल के सभी संस्थानों के मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की लेखा परीक्षा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा की जाए।

अनुलग्नक – 13

पैरा 8.8

रा.मा.अ.आ. द्वारा वर्ष 2008–2009 के दौरान आयोजित मानव अधिकार प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र. सं.	संस्थान का नाम	प्रशिक्षण का विषय एवं कार्यक्रमों की संख्या	स्थान	कार्यक्रम की तिथि एवं प्रतिभागियों की संख्या
1.	उत्तर प्रदेश राज्य मानव अधिकार उपयोग 4/4, विशाल खण्ड गोमती नगर लखनऊ, उ. प्र.	मानव अधिकार संवेदनशीलन विष्ज्ञयक प्रशिक्षण एक कार्यक्रम	राज्य मानक अधिकार आयोग	4–5 अप्रैल 2008 65 प्रतिभागी
2.	लोक प्रशासन एवे ग्रामीन विकास राज्य संस्थान ए.डी. नगर, अगरतला, त्रिपुरा–799003	मानव अधिकार विषयों पर एक कायशाला (दो दिवसी) मानव अधिकारों के विषय में 1शिक्षनों का प्रशिक्षण (दो दिवसी) मानव अधिकारों के विषय में चार जिला स्तरीय प्रशिक्षण छः कार्यक्रम	(i) सिपार्ड (ii) सिपार्ड (iii) पश्चिम जिला (iv) दक्षिणी जिला (v) उत्तरी जिला (vi) ढलाई जिला	4 - 5 अप्रैल 08 **70** प्रतिभागी 29 - 31 May 08 **31 participants** 5 - 6 सितम्बर 08 **59** प्रतिभागी 11 - 12 सितम्बर 08 **52** प्रतिभागी 19 - 20 सितम्बर 08 **27** प्रतिभागी 24 - 25 सितम्बर 08 **30** प्रतिभागी
3.	डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ (उ. प्र.)	ग्रीष्म कालीन मानव अधिकार प्रशिक्षण (एक मासिक अतः शिक्षु कार्यक्रम) एक कार्यक्रम	विश्वविद्यालय प्रांगन	16 जून - 15 जुलाई 08**62** प्रतिभागी
4.	प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान अइज्वाल, मिजोरम	प्रशिक्षकों का एक प्रशिक्षण मानव अधिकार विषयक सात जिला स्तरीय प्रशिक्षण आठ कार्यक्रम	(i) कोलासिब (ii) सेरछिप (iii) चंफई (iv) आई एण्ड पी आर कांफ्रेस हाल आइज्वाल (v) मामित जिला (vi) सहिया जिला (vii) लांगतलाई जिला (viii) लुंगलेई जिला	9 - 11जुलाई 08 **25** प्रतिभागी 23 - 25 जुलाई 08 **25** प्रतिभागी 12 - 14 अगस्त 08 **25** प्रतिभागी 24 - 25 सितम्बर 08 **24** प्रतिभागी 17 - 19 दिसम्बर 08 **25** प्रतिभागी 2 - 4 मार्च 09 **20** प्रतिभागी 5 - 7 मार्च 09 **30** प्रतिभागी 18 - 20 मार्च 09 **30** प्रतिभागी
5.	मेघालय प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, शिलांग मेघालय	चार (दो दिवसीय) उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम चार कार्यक्रम	ए टी आई प्रांगन	10 - 11 जुलाई 08 **20** प्रतिभागी 11 - 12 सितम्बर 08 **20** प्रतिभागी 3 - 4 अम्टूबर 08 **20** प्रतिभागी 29 - 30 अक्टूबर 08 **20** प्रतिभागी
6.	तनवीर महिला प्रशिक्षण एवं शिक्षण संस्थान, बेबर रोड, भोलेपुर, फतेहगढ़, जि.–फर्रूखबाद (उ. प्र.)	मानव अधिकारों पर एक दिवसीय प्रशिक्षण एक कार्यक्रम	फतेहगढ़ जिला	10 अगस्त 08 **490** प्रतिभागी
7.	क्रिएटिव एजूकेशन एण्ड डेवेलपमेंट, 155, पटियाली गेट, एटा (उ. प्र.)	महिलाओं के अधिकारों के सर्वद्धन एवं संरक्षण तथा महिला जागरूकता कैंपो को निःशुल्क विधिक सहायता एक कार्यक्रम	एटा, उ. प्र.	17 अगस्त 08 **250** प्रतिभागी
8.	अक्षय पुनर्वास न्यास सं. 1, अटिंसापुरम, मेन रोड, नजदिक थर्ड स्ट्रीट मदुरै – 625002 (तमिलनाडु)	अशक्तों के मानव अधिकारों पर सेमिनार छः कार्यक्रम	(i) मदुरै जिला	17 अगस्त 08 **55** प्रतिभागी

क्र. सं.	संस्थान का नाम	प्रशिक्षण का विषय एवं कार्यक्रमों की संख्या	स्थान	कार्यक्रम की तिथि एवं प्रतिभागियों की संख्या
			(ii) शिवनांगई जिला (iii) विरूद्धनगर जिला (iv) कन्याकुमारी जिला (v) थिरूनलपेल्ली जिला (vi) टूटीकोरिन जिला	24 अगस्त 08 **48** प्रतिभागी 31 अगस्त 08 **58** प्रतिभागी 7 सितम्बर 08 **55** प्रतिभागी 14 सितम्बर 08 **50** प्रतिभागी 21 सितम्बर 08 **55** प्रतिभागी
9.	मिजोरम विश्वविद्यालय पो. बॉ. सं. 1990 आइज्वाल – 796009, मिजोरम	मानव अधिकारी पर उन्नत प्रशिक्षण एक कार्यक्रम	टूरिस्ट लॉज चलतलांग, आइज्वाल	9 - 10 सितम्बर 08 **70** प्रतिभागी
10.	इंदिरा महिला मंडली, प्रकाश जिला आंध्र प्रदेश	एक दिवसीय आधारभूत मानव अधिकार प्रशिक्षण एक कार्यक्रम	प्रकाशन जिला	13 -14 सितम्बर 08 **120** प्रतिभागी
11.	पुलिस प्रशिक्षण महविद्यालय, कांगड़ जिला हिमाचल प्रदेश	मानव अधिकारी पर प्रशिक्षक (एक दिवसीय) मानव अधिकारो पर एक–दिवसीय सेमिनार तीन कार्यक्रम	सभी पीटीसी, दरोह कांगड़ा जिला, हि. प्र. मे	15 सितम्बर 08 **36** अधिकारी 23 सितम्बर 08 **30** अधिकारी 23 अक्टूबर 08 **67** प्रतिभागी
12.	लोक प्रशासन एवं ग्रामीन विकास बिहार संस्थान (बिपार्ड) बालमी काम्पलेक्स फुलवारी शरीफ, पटना–8010505, बिहार	मानव अधिकारों संबंधी प्रशीक्षण तीन कार्यक्रम	सभी बिपार्ड मे	15 - 16 सितम्बर 08 **30** प्रतिभागी 29 - 30 सितम्बर 08 **30** प्रतिभागी 23 - 24 अक्टूबर 08 **30** प्रतिभागी
13.	स्पंदन एजुकेशन सोसायटी, नैल्लोर जिला आंध्र प्रदेश	एक दिवसीय आधारभूत मानव अधिकार प्रशिक्षण कार्यक्रम एक कार्यक्रम	टीटीडीसी संघमित्रा हल्ला, बुविरेड्डयापलेम	18 - 20 सितम्बर 08 **100** प्रतिभागी
14.	राजीव गांधी विधि संस्थान काकीनाडा, आंध्र प्रदेश	एक दिवसीय आधारभूत कार्यक्रम एक कार्यक्रम	रंगा राया मेडिकल कालेज ऑडिटोरियम, काकीनडा	27 सितम्बर 08 **700** प्रतिभागी
15.	वर्दवान विश्वविद्यालय (विबध विभाग) पश्चिम बंगाल	मानव अधिकार एवं पर्यावरन पर एक दिवसीय सेमिनार एक कार्यक्रम	साइंस सेंटर आडिटोरियम गोलपबग, विभाग के नजदीक	27 सितम्बर 2008 **154** प्रतिभागी
16.	हरियाना पुलिस अकादमी, करनाल, हरियाना	प्रशिक्षकों का (दो दिवसीय) प्रशिक्षण कार्यक्रम एक कार्यक्रम	मधुबन	27 - 28 सितम्बर 08 **30** प्रतिभागी
17.	समाज कल्याण संघ, धनबाद, झारखण्ड	एक दिवसीय आधारभूत मानव अधिकार, प्रशिक्षन कार्यक्रम एक कार्यक्रम	जिला धनवाद का मुख्यालय (झारखण्ड)	28 सितम्बर 08 **80** प्रतिभागी
18.	छत्तीसगढ़ प्रशासनिक अकादमी इंद्रावती खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर, छत्तीसगढ़	महिलाओं के विषयों पर उन्नत प्रशीक्षण कार्यक्रम दो कार्यक्रम	(i) बिलासपुर (ii) एटी आई प्रांगण	29 सितम्बर - 1 अक्टूबर 08 **35** प्रतिभागी 27 - 29 जनवरी 09 **35** प्रतिभागी
19.	एस.के. सेवा समिति श्रीगंगानगर, राजस्थान	मानव अधिकार जागरूकता संबधी दो (एक दिवसीय) दो कार्यक्रम	(i) गौड ब्राह्मन सभा, पुरानी आबादि श्रीनगर (ii) पंचायती धर्मशाला श्रीगंगानगर	14 अक्टूबर 08 **65** प्रतिभागी 18 अक्टूबर 08 **70** प्रतिभागी
20.	उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी नैनीताल, उत्तराखण्ड	एक प्र. का प्र. कार्यक्रम तीन जिला स्तरीय शिक्षण कार्यक्रम	(i) यूएओए, नैनीताल (ii) देहरादून (iii) हरिद्वार (iv) अल्मोड़ा	15 - 17 अक्टूबर 08 **26** प्रतिभागी 10 नवम्बर 08 **38** प्रतिभागी 12 नवम्बर 08 **50** प्रतिभागी 02 दिसम्बर 08 **54** प्रतिभागी
21.	बीना मेमोरियल सेवा सोसायटी, करौली, राजस्थान	आधार भूत मानव अधिकार प्रशिक्षण कार्यक्रम की पांच कार्यशाला/सेमिनार (एक जीओ ने सात कार्यक्रम आयोजित किए) पांच कार्यक्रम	(i) राजकीय करसई सेकेन्डरी स्कूल (ग्राम सम्मेलन) (ii) करौली (रैली) (iii) राजकीय व. से. स्कूल मसलपुर	21 अक्टूबर 08 **226** प्रतिभागी 3 जनवरी 09 **300** प्रतिभागी 7 जनवरी 09 **70** प्रतिभागी

क्र. सं.	संस्थान का नाम	प्रशिक्षण का विषय एवं कार्यक्रमों की संख्या	स्थान	कार्यक्रम की तिथि एवं प्रतिभागियों की संख्या
			(iv) वीना मेमोरियल कालेज ऑफ एजूकेशन (v) ब्राइट स्टार सी.से. स्कूल, मंदरैल (vi) राजकीय सी.से. स्कूल, चैनपुर (vii) राजकीय यूपीएस, गांव खीकरन	10 जनवरी 09 **103** प्रतिभागी 28 जनवरी 09 **89** प्रतिभागी 31 जनवरी 09 **75** प्रतिभागी 7 फरवरी 09 **70** प्रतिभागी
22.	उत्तर प्रदेश राज्य मानव अधिकार उपयोग विशाल खण्ड, गोमती नगर लखनऊ, उ. प्र.	एक (दो दिवसीय) मानव अधिकारों पर संवेदनशील एक कार्यक्रम	एस एच आरसी	21 - 22 अक्टूबर **35** प्रतिभागी
23.	जे. एण्ड के. प्रबंधन, लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान विकास भवन, रेलहेड काम्पलेक्स, जम्मू – 180 004	मानव अधिकार विषयों पर कार्यशाला दो (पांच दिवसीय) कार्यक्रम	आईएमपीए, जॅम्मू	21 - 25 अक्टूबर 08 **30** प्रतिभागी 10 - 14 फरवरी 09 **30** प्रतिभागी
24.	एचसीएम राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान जयपुर, राजस्थान	एक प्र. का प्र. कार्यक्रम एक कार्यक्रम	एचसीएम आर आई पी ए जयपुर	23 - 25 अक्टूबर 08 **30** प्रतिभागी
25.	डिबरूगढ़ विश्वविद्यालय, असम	एक (दो दिवसीय) उन्नत मानव अधिकार प्रशिक्षण एक कार्यक्रम	डिबरूगढ़ विश्वविद्यालय	24 - 25 अक्टूबर 08 **100** प्रतिभागी
26.	गोवा यूनिवर्सिटी तालेइगाओ प्लेटीयू, गोवा 403 206	कानव अधिकारों पर कार्यशाला एक कार्यक्रम	सभा कक्ष गोवा यूनिवर्सिटी	24 - 25 अक्टूबर 08 **90** प्रतिभागी
27.	प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान कोहिमा, नागालैण्ड	मानव अधिकार विषयों पर प्रशिक्षण (एक प्र. का प्र. तथा एक उन्नत प्रशिक्षण) दो कार्यक्रम	एटीआई, कोहिमा	3 - 4 नवम्बर 08 **25** प्रतिभागी 10 - 11 नवम्बर 08 **25** प्रतिभागी
28.	डिपार्टमेंट आफ वुमेन स्टडीज, अलगप्पा यूनिवर्सिटी, करइकुडीं, तमिलनाडु	एक दिवसीय आधारभूत कार्यक्रम एक कार्यक्रम	कंवेंशन हाल का कांफ्रेंस रूम, अलगप्पा यूनिवर्सिटी कराइकुडी	5 नवम्बर 08 **125** प्रतिभागी
29.	शक्ति मानव सेवा संस्थान, कुशिनगर, उ. प्र.	एक दिवसीय बुनियादी मानव अधिकार प्रशिक्षण कार्यक्रम एक कार्यक्रम	गोरखपुर, उ. प्र.	9 नवम्बर 08 **95** प्रतिभागी
30.	पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी (एनईपीए) भारत सरकार, गृह मंत्रालय, पां. उमसो, मेघालय	एक (दिवसीय) मानव अधिकारों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम एक कार्यक्रम	एनईपीए	10 - 11 नवम्बर 08 **136** प्रतिभागी
31.	एसईवीएसी, कोलकाता	पूर्वोत्तर के पुलिसकर्मियों के लिए तथा कारनिकाबार में स्थानीय कार्यकर्त्ताओं के लिए भी कानसिक स्वास्थ्य दो कार्यक्रम	(i) कार निकोबार (ii) असम प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज	13 - 14 नवम्बर 08 **52** प्रतिभागी 11 - 12 दिसम्बर 08 **43** प्रतिभागी
32.	तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर, असम	एक (दो–दिवसीय) मानव अधिकारों विषयक उन्नत प्रशिक्षण एक कार्यक्रम	तेजपुर विश्वविद्यालय तेजपुर	14 - 15 नवम्बर 08 **120** प्रतिभागी
33.	डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन राइटस एण्ड सोशल डेवलपमेंट, एसयूवी कालेज ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश	एक (एक दिवसीय) बुनियादी मानक अधिकार जागरूकता निर्माण कार्यक्रम एक कार्यक्रम	श्री वेंकटेश्वर, यूनिवर्सिटी सीनेट हाल	16 नवम्बर 08 **200** प्रतिभागी
34.	नेहरू युवा केन्द्र संगठन, गृह मंत्रालय, भारत सरकार पोर्ट ब्लेयर	एक (दो दिवसीय) मानव अधिकार जागरूकता निर्माण संबधी कार्यशाला एक कार्यक्रम	जे एन आर महाविद्यालय, पोर्ट ब्लयेर	17 November 08 **100** प्रतिभागी
35.	डिपार्टमेंट ऑफ पॉलीटिकल साइंस त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, त्रिपुरा	एक दिवसीय मानव अधिकार विषय एवं चुनौतियां संबंधी बुनियादी एक कार्यक्रम	डिपार्टमेंट ऑफ पालीटिकल साइंस	21 नवम्बर 08 **25** प्रतिभागी
36.	बार काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रस्ट असम, नागालैण्ड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरूनाचल प्रदेश एक सिक्किम बार काउंसिल के सहयोग ले।	राष्ट्रीय सेमिनार–2008 में निम्नांकित विषय शामिल थे:– (i) पर्यावरण के संरक्षण में सामूहिक सामाजिक दायित्व (ii) वैश्विकरण एवं इसके विधिक व्यवसाय के प्रभाव (iii) आतंकवाद और मानव अधिकार एक कार्यक्रम	उच्चन्यायलय भवन द्वितीय तल गुवाहाटी, असम	21 - 23 नवम्बर 08 **45 participants**
37.	बोरोक पीपुल्स ह्यूमन राइट्स आर्गनाजेशन अगरतला, त्रिपुरा	एक दिवसीय बुनियादी मानव अधिकार प्रशिक्षण कार्यक्रम एक कार्यक्रम	रायल गेस्ट हाउस (हॉस्टल) कर्नल चाउमुहानी, कृष्णानगर, अगरतला	24 नवम्बर 08 **56** प्रतिभागी

क्र. सं.	संस्थान का नाम	प्रशिक्षण का विषय एवं कार्यक्रमों की संख्या	स्थान	कार्यक्रम की तिथि एवं प्रतिभागियों की संख्या
38.	होली क्रास बुमेन कालेज अंबिकापुर, छत्तीसगढ़	बुनियादी मानव अधिकार जागरूकता निर्माण कार्यक्रम एक कार्यक्रम	कॉलेज प्रांगण	25 नवम्बर 08 **150** प्रतिभागी
39.	कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन झारखंड, रांची	एक प्र. का प्र. कार्यक्रम एक जिला स्तरीय दो कार्यक्रम	(i) चतरा जिला (ii) एसकेआइपीए	4 - 6 दिसम्बर **27** प्रतिभागी 16 - 18 दिसम्बर 08 **17** प्रतिभागी
40.	बाबा कहाउरा बैद्यनाथ कालेज मनत्री, मयूरभज, उड़ीसा	मानव अधिकार जागरूकता कार्यक्रम एक कार्यक्रम	काफलेज प्रांगन	10 दिसम्बर 08 **70** प्रतिभागी
41.	डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, असम यूनिर्वसिटी, सिलचर, असम	बुनियादी मानव अधिकार जागरूकता निर्माण कार्यक्रम एक कार्यक्रम	विपिन चंद्र पॉल सेमिनार हॉल असम यूनिवर्सिटी, सिलचर	10 दिसम्बर 08 **130** प्रतिभागी
42.	डिपार्टमेंट ऑफ पॉलीटिकल साइंस, गुवाहटी विश्वविद्यालय, असम	एक (दो दिवसीय) मानव अधिकारों विषयक उन्नत प्रशिक्षण एक कार्यक्रम	विश्वविद्यालय प्रांगन	10 - 11 दिसम्बर 08 **135** प्रतिभागी
43.	नोबल लौरेट मदर टेरेसा चेरिटेबल ट्रस्ट, चेन्नई, तमिलनाडु	एक दिवसीय बुनियादी मानव अधिकार प्रशिक्षण कार्यक्रम एक कार्यक्रम	कृष्णागिरी	13 दिसम्बर 08 **150** प्रतिभागी
44.	मुख्य वन संरक्षक का कार्यालय गुवाहटी–14, असम	(तीन दिवसीय) वन अधिकारियों के लिए मानव अधिकारों के विषय में प्रशिक्षण कार्यक्रम, लाइन स्टाफ के लिए मानव अधिकरा विषय पर प्रशिक्षक कार्यक्रम तीन दिवसीय	(i) नेरीवालम, सोनितपुर पश्चिमी मण्डल तेजपुर, मण्डलीय वन अधिकारी के लिए (ii) असम फारेस्ट गार्ड स्कूल, माकुम (iii) असम फारेस्ट गार्ड स्कूल, माकुम (iv) असम फारेस्ट गार्ड स्कूल, माकुम	15 - 16 दिसम्बर 08 **78** प्रतिभागी 27 - 29 दिसम्बर 08 **40** प्रतिभागी 23 - 25 मार्च 09 **25** प्रतिभागी 28 - 30 मार्च 09 **25** प्रतिभागी
45.	इंस्टीट्यूट ऑफ मेनेजमेंट इन गर्वनमेंट विकास भवन पो ऑ तिरूअनंतपुरम –695 033 केरला	'मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु क्षमता निर्माण' तीन कार्यक्रम	(i) आईएम जी, मेन कैम्पस तिरूअनंतपुरम (ii) आईएम जी, मेन कैम्पस तिरूअनंतपुरम (iii) आईएम जी, रीजनल सेंटर, को झीकोड, केरल	15 - 19 दिसम्बर 08 **16** प्रतिभागी 12 - 16 जनवरी 09 **29** प्रतिभागी 2 - 6 फरवरी 09 **24** प्रतिभागी
46.	अपर पु. महानिदेशक (मानव अधिकार) उत्तर प्रदेश पुलिस, लखनऊ, उ. प्र.	प्र. का प्र. कार्यक्रम दो कार्यक्रम	(i) लखनऊ, उ. प्र. (ii) नोयडा	18 दिसम्बर 08 **75** प्रतिभागी 29 जनवरी 09 **250** प्रतिभागी
47.	एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ललिता महल रोड, मैसूर, कर्नाटक	एक (प्र. का प्र.) प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा एक मानवअधिकार विषय उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम	एटी आई मैसूर	20 - 22 दिसम्बर 08 **17** प्रतिभागी 15 - 17 जनवरी 09 **25** प्रतिभागी
48.	असम एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज खनापारा, गुवाहाटी, असम	Two (three-days)Workshop/Training on Human Rights for the Staff/Officers of ATI, Assam **Two Programme**	दोनो एटीआई, असम में	22 - 24 दिसम्बर 08 **15** प्रतिभागी 23 - 25 फरवरी 09 **35** प्रतिभागी
49.	सोसाइटी फॉर सोसल जसटिस एण्ड ह्यूमन रिसॉरसेस डेवलपमेंट (एसओजेएएचयूआर), पुडुचेरी	One day Basic Programme focusing on Women **One Programme**	Koonichampet, Pudcherry	30 दिसम्बर 08 **100** प्रतिभागी
50.	इंडियन स्काउट एण्ड गाइड फेलोशिप, लक्ष्मी मजूदार भवन इंद्रप्रस्थ इस्टेट, 16 महात्मा गांधी मार्ग नई दिल्ली–2	मानव अधिकार जागरूकता विषय पर एक राज्य स्तरीय एवं एक क्षेत्र स्तरीय कार्यक्रम दो कार्यक्रम	(i) अमरावती, महराष्ट्र (ii) एसडीएस, सेंटर पुरूलिया रोड, रांची	18 or 19 जनवरी 09 1 फरवरी 09
51.	वालेन्टरी एक्शन फार डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमेनिटी के कार्यकर्त्ता, लखनऊ, उ.प्र.	मानव अधिकार जागरूकता विषयक बुनियादी कार्यक्रम एक कार्यक्रम	सीतापुर, उ. प्र.	24 जनवरी 09 **150** प्रतिभागी

क्र. सं.	संस्थान का नाम	प्रशिक्षण का विषय एवं कार्यक्रमों की संख्या	स्थान	कार्यक्रम की तिथि एवं प्रतिभागियों की संख्या
52.	उड़िसा एस एच आर सी प्लाट सं. ए–19 नीकंठ नगर, नयापल्ली, भुवनेश्वर	मानव अधिकार विषय पर चार दिवसीय कार्यक्रम एक कार्यक्रम	कोरापुत जिला	28-29 जनवरी 09 **156** प्रतिभागी
53.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंद्रप्रसी इस्टेट, रिंग रोड, नई दिल्ली – 2	नेशनल लेवल मूट कोर्ट चैम्पियनशिप इन ह्यूमन	आर आई पी ए राजस्थान	28 - 30 जनवरी 09 **24** प्रतिभागी
54.	कर्नाटक लॉ सोसायटी राजा लखमगौडा लॉ कालेज, बेलगाम, कर्नाटक	नेशनल लेवल मूट कोर्ट चैम्पियनशिप इन ह्यूमन राइटस एक कार्यक्रम	कालेज प्रांगन	14 - 16 फरवरी 09 **100** प्रतिभागी
55.	केरल राज्य मानव अधिकार आयोग तिरूअनंतपुरम, केरल	मानव अधिकार विषयक कार्यक्रम दो कार्यक्रम	(i) कोट्टायम (ii) इडुक्की	28 फरवरी 09 **400** प्रतिभागी 8 मार्च 09 **300** प्रतिभागी
56.	स्कूल ऑफ स्टडीज इन् पॉलीटिकल साइंस एण्ड पब्लिक एंडमिनिस्ट्रेशन, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियार (मध्य प्रदेश)	मध्य प्रदेश मे जनजातीय लोगों के लिए मानव अधिकारों के विषय में कार्यशाला/प्रशिक्षण कार्यक्रम सात कार्यक्रम	(i) राजकीय कालेज अशोक नगर (ii) युवा व्यावसायी कॉलेज, गुना (iii) पातरा गांव जि. –शिवपुरी (iv) ऑक्सफोर्ड कंवेंट जोरा, मुरैना जिला (v) गुरूकुल कॉलेज ऑफ लाफ दतिया (vi) जीवाडी यूनिवर्सिटी प्रांगण ग्वालियर (दो–दिवसीय कार्यशाला) (vii) कराहल एवं सेसाईपुरा गांव, शियोपुर जिला	1 मार्च 09 **145** प्रतिभागी 1 मार्च 09 **140** प्रतिभागी 2 मार्च 09 **150** प्रतिभागी 4 मार्च 09 **135** प्रतिभागी 5 मार्च 09 **80** प्रतिभागी 7 - 8 मार्च 09 **175** प्रतिभागी 15 मार्च 09 **125** प्रतिभागी
57.	हैदराबाद कर्नाटक डिसेवल्ड सोसायटी, गुलवर्ग, कर्नाटक	विशेषरूप से अशक्त व्यक्तियों को रेखांकित करते हुए दो दिवसीय कार्यक्रम	गुलबर्ग	2 - 3 मार्च 09 **85** प्रतिभागी
58.	मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग, पर्यावास भवन, जेल रोड, भोपाल–462011	मानव अधिकार प्रत्येक प्रशिक्षण पर तीन कार्यक्रम (एक–दिवसीय)	(i) सोनाटा जिला (ii) जबलपुर (iii) कांफ्रंस हाल, होटल अप्सरा आर एन टी रोड़ विश्वविद्यालय के सामने, इंदौर	13 मार्च 09 at **34** प्रतिभागी 26 March 09 **111** प्रतिभागी 8 अप्रैल 09 **114** प्रतिभागी

वर्ष 2008–2009 के दौरान आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सार

क्रम सं.	नाम/संस्थानों की संख्या	आयोजित किए गए कार्यक्रमों की संख्या
1	14 - एटी आई	41
2	04 - एस एच आर सी	05
3	15 - गैर सरकारी संगठन	26
4	04 - पी टी आई	06
5	04 – एनई यूनिवर्सिटी	06
6	11 – एन ई यूनिवर्सिटी के अतिरिक्त	16
7	1 – ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम	01
8	2 – राष्ट्र स्तरीय संस्थान	02
9	4 - मानव अधिकारों का विषयों का प्रशिक्षण	07
10	अंतः शिक्षुता (2) /आईएफएस (1)/इन–हाउस (1)	04
	योग	**114**

चार्ट एवं ग्राफ

गत तीन वर्षों के दौरान रा.मा.अ. आयोग में पंजीकृत मामलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार सूची

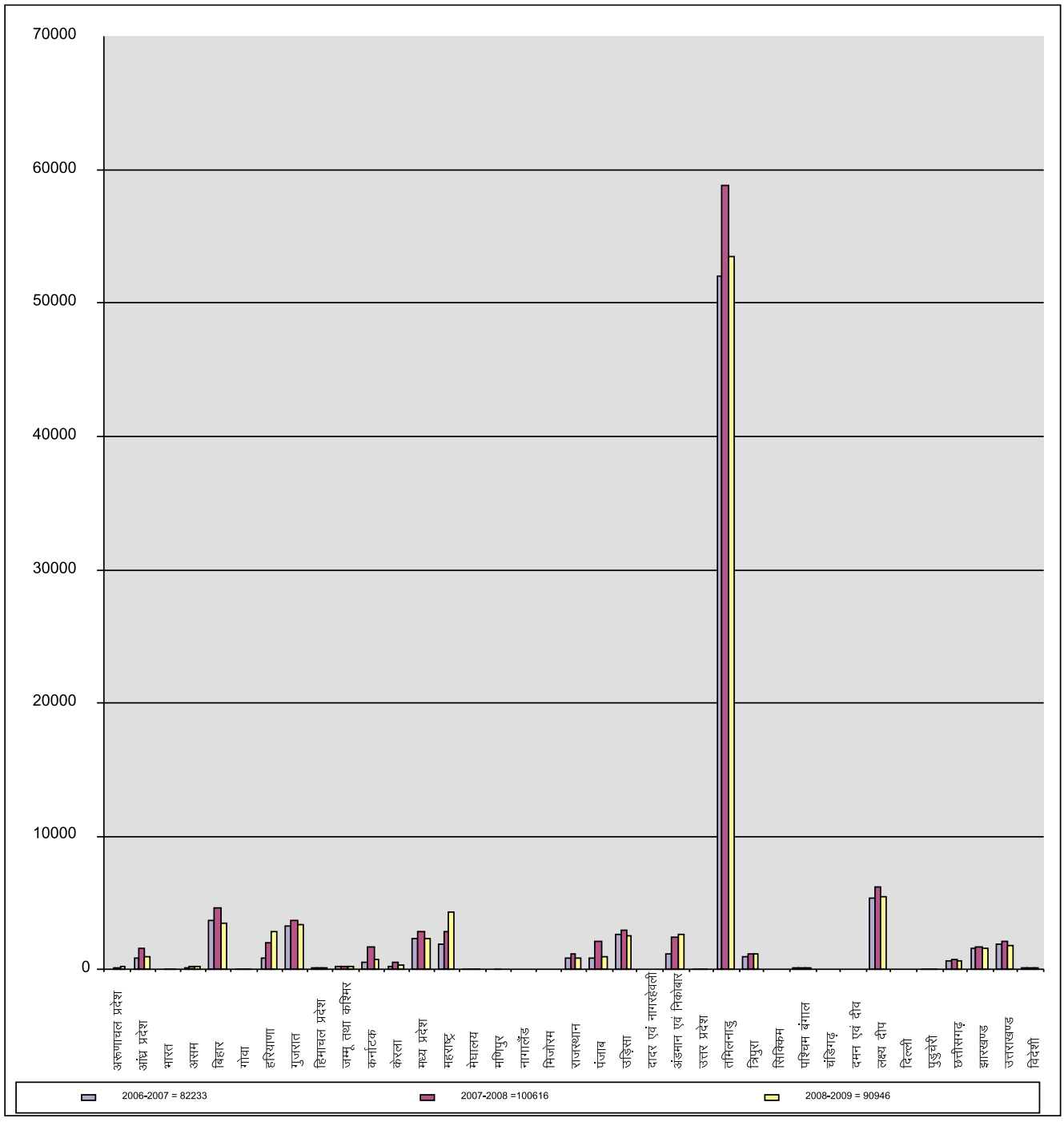

वर्ष 2008–2009 के दौरान रा.मा.अ. आयोग में पंजीकृत मामलों की राज्य / संघ क्षेत्रवार संख्या

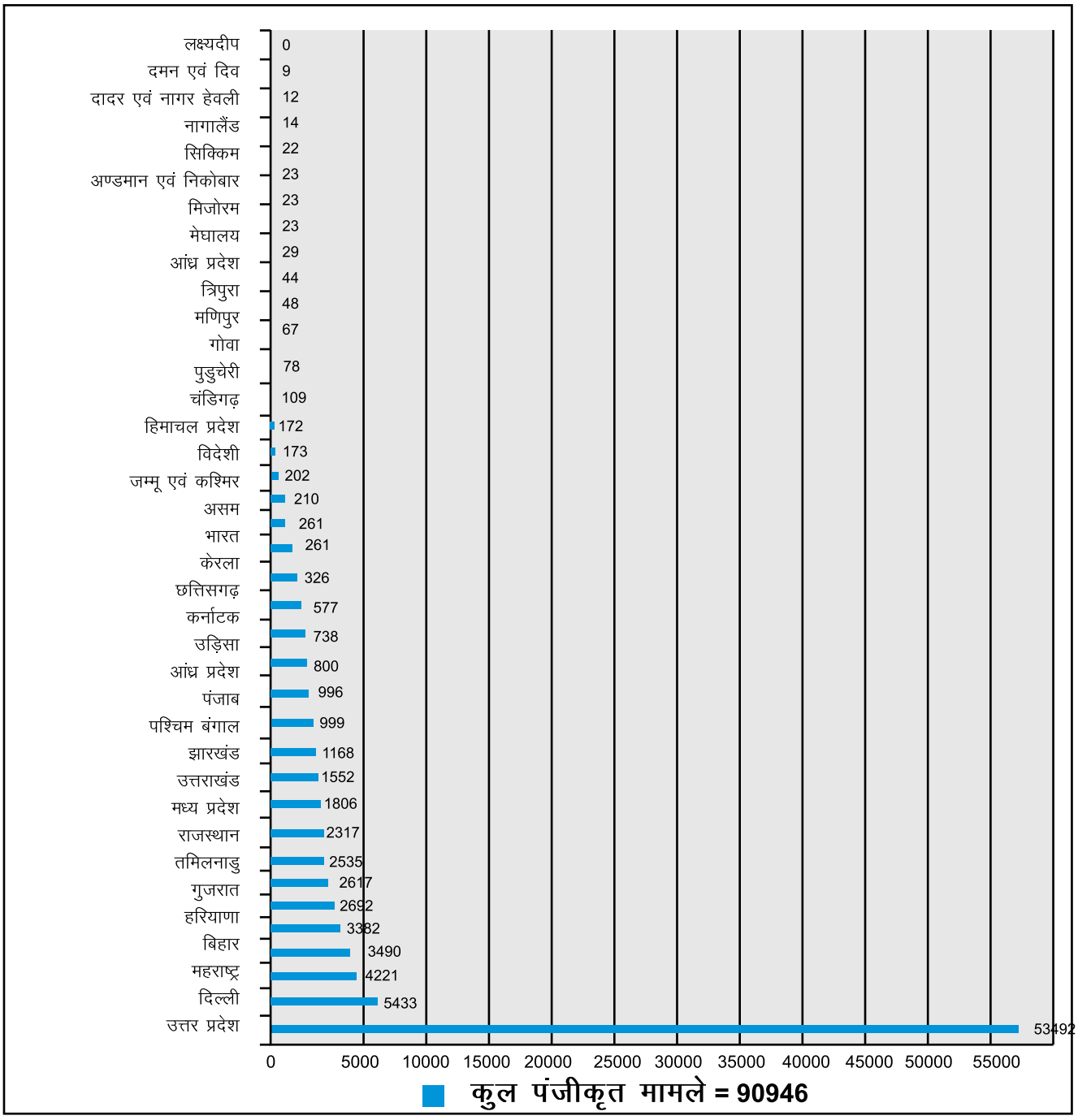

वर्ष 2008–2009 के दौरान हिरासतीय मौतों के संबंध में रा.मा.अ. आयोग में दर्ज राज्य/संघ क्षेत्रवार सूची

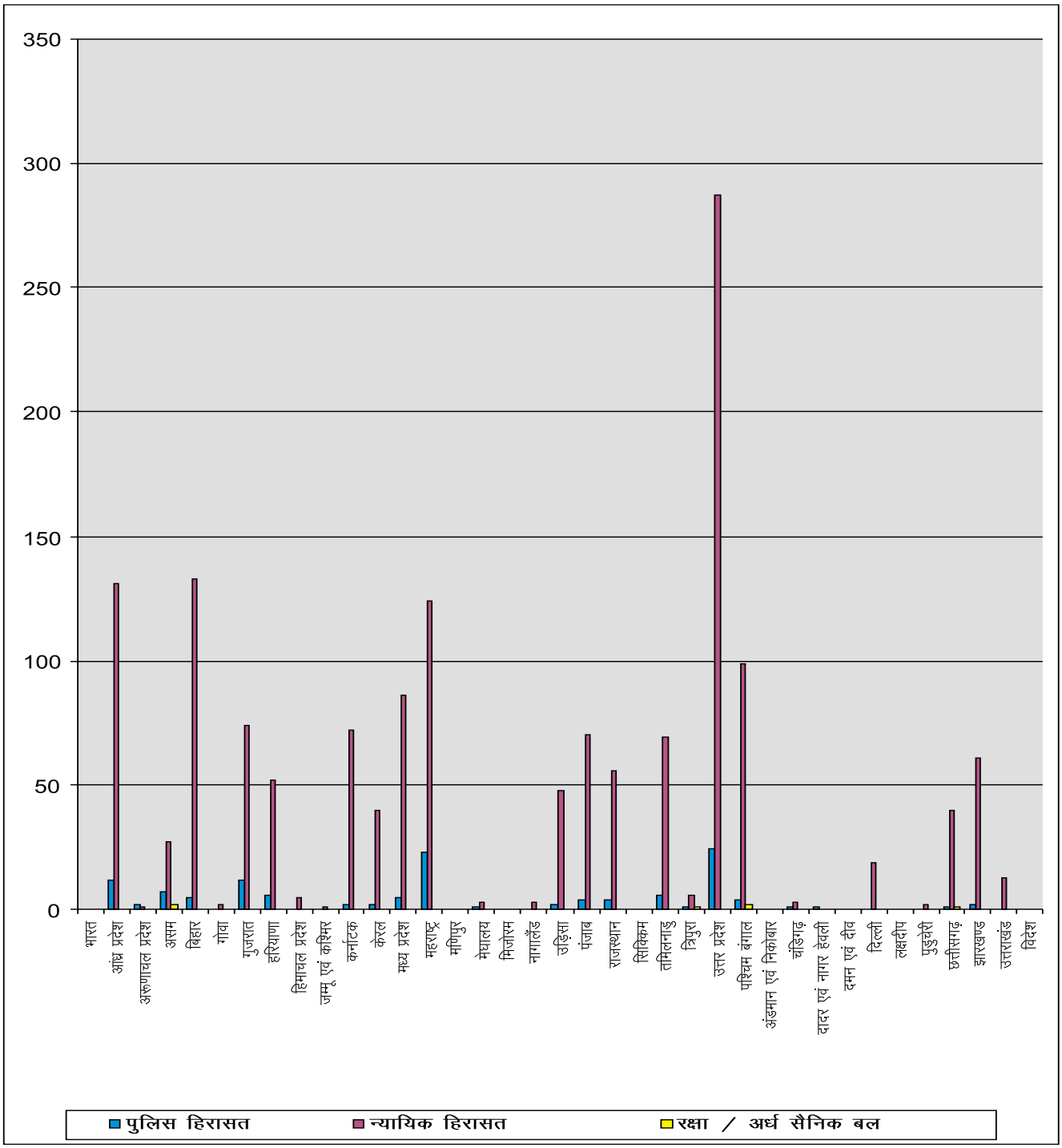

वर्ष 2008–2009 के दौरान रा.मा.अ. आयोग द्वारा निपटाए गए मामलों की प्रकृति एवं श्रेणी

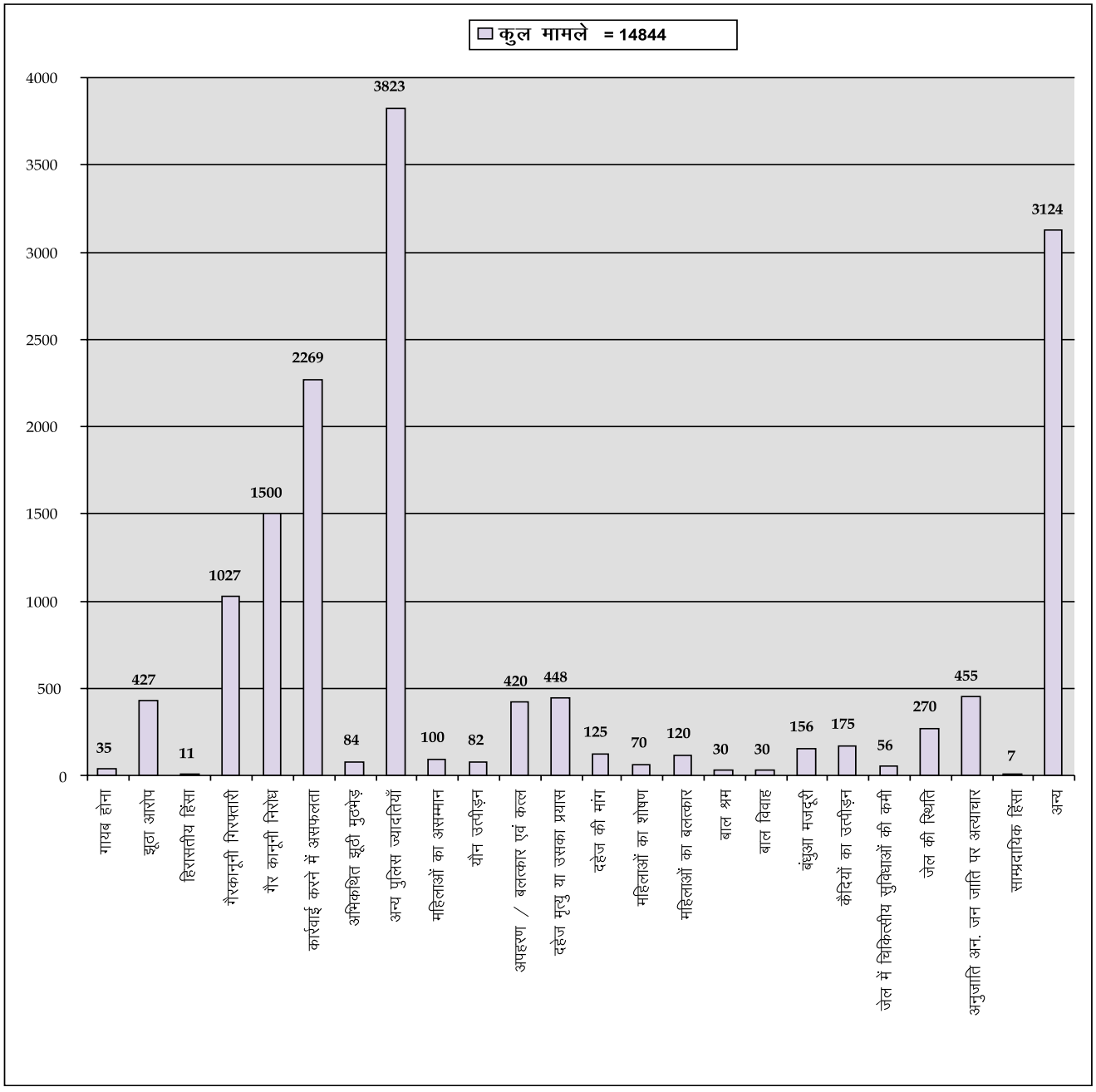

वर्ष 2008–2009 के दौरान रा.मा.अ. आयोग द्वारा राज्य मानव अधिकार आयोगों को स्थानांतरित मामले

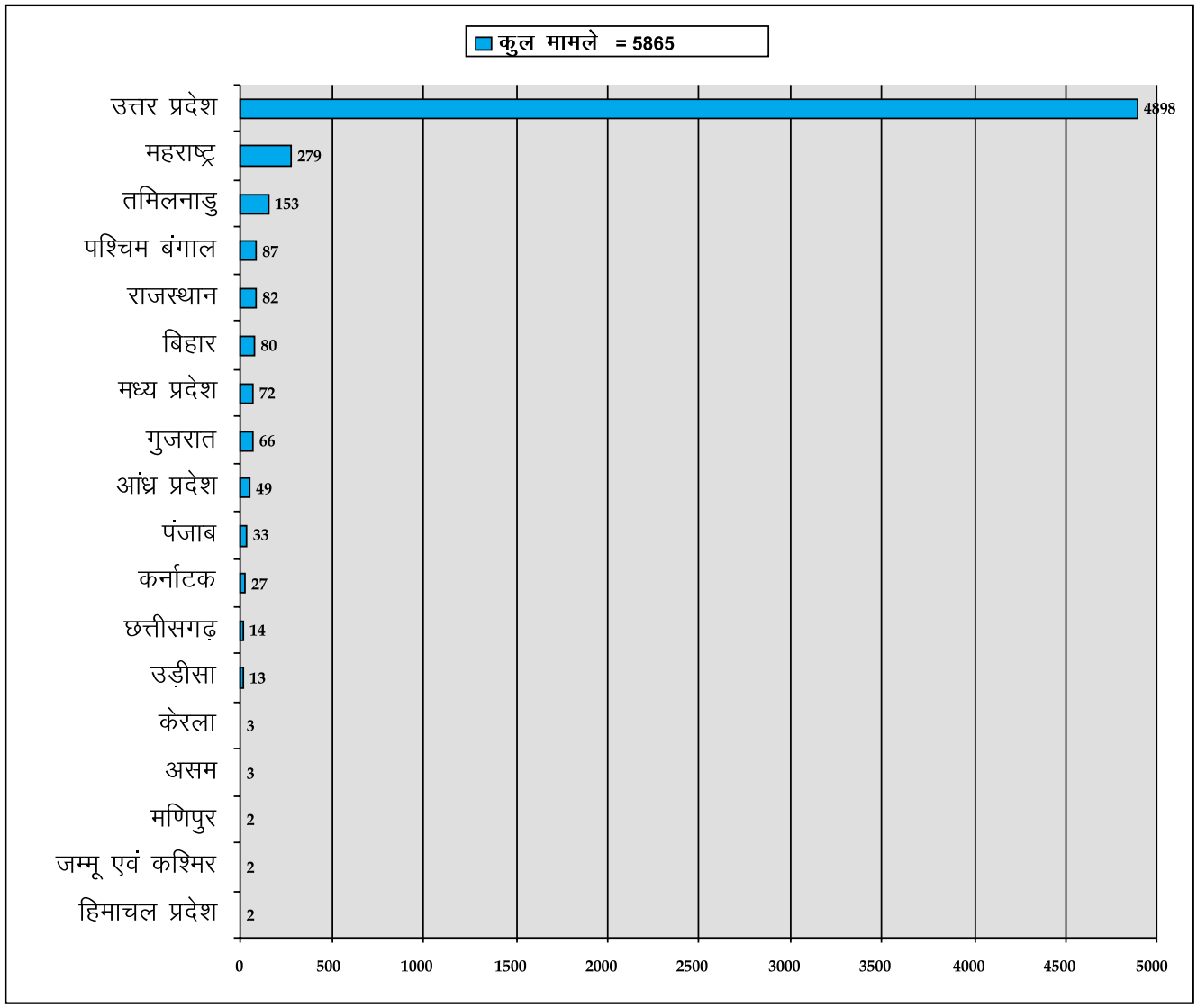

वर्ष 2008–2009 के दौरान रा.मा.अ. आयोग द्वारा निपटाए गए / आयोग के पास लंबित मामले

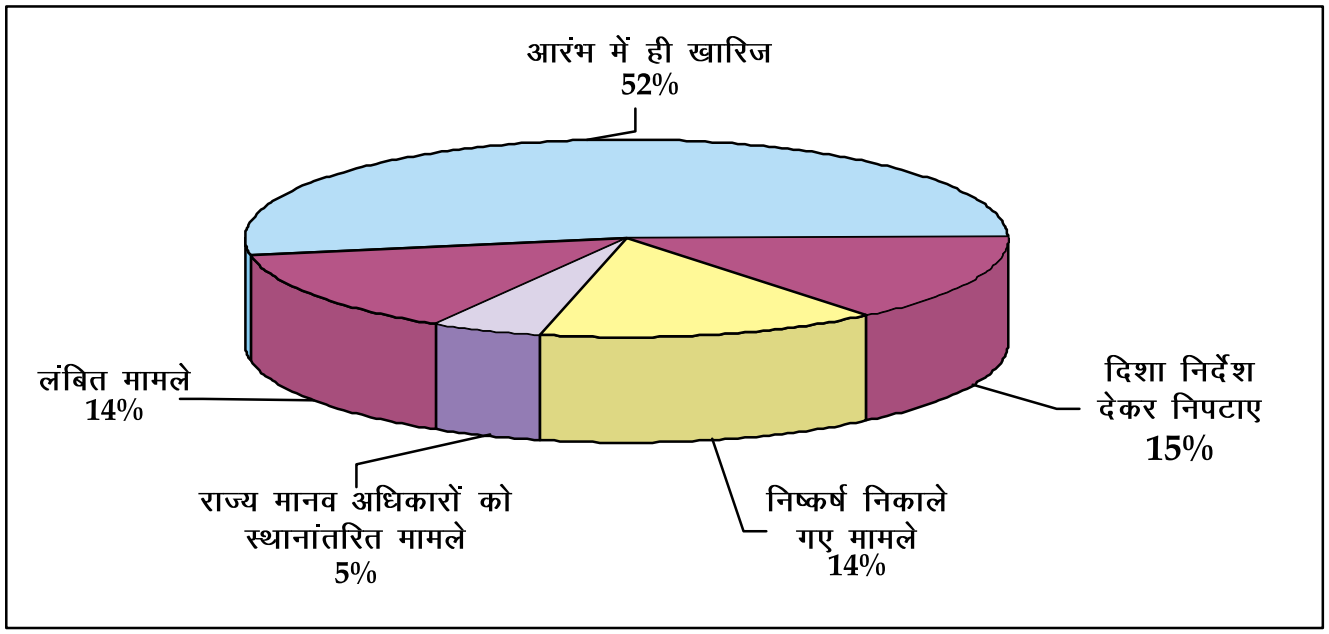

वर्ष 2008–2009 के दौरान रा.मा.अ. आयोग द्वारा आरंभ में ही खारिज किए गए मामले, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इनके खारिज किए जाने की दर 3% से अधिक रही

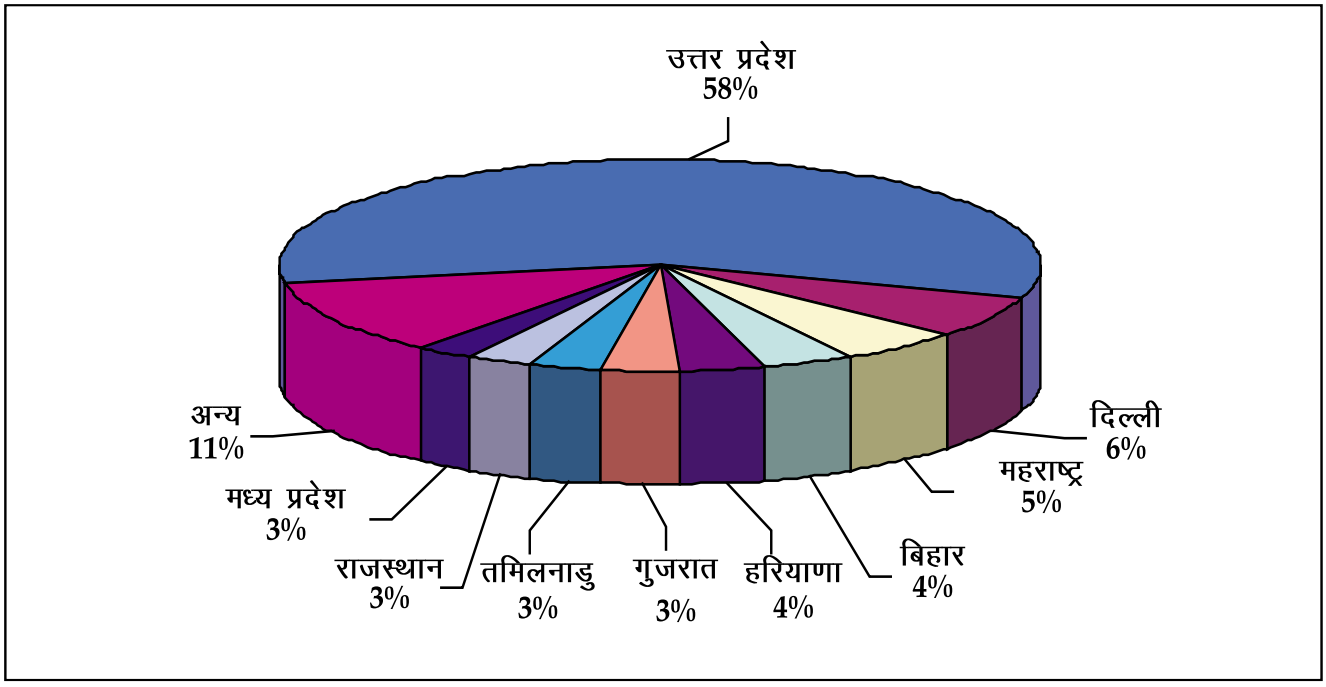

वर्ष 2008–2009 के दौरान आयोग द्वारा निर्देशों के साथ निपटाए गए मामले, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में खारिज किए जाने की दर 3% से अधिक रही

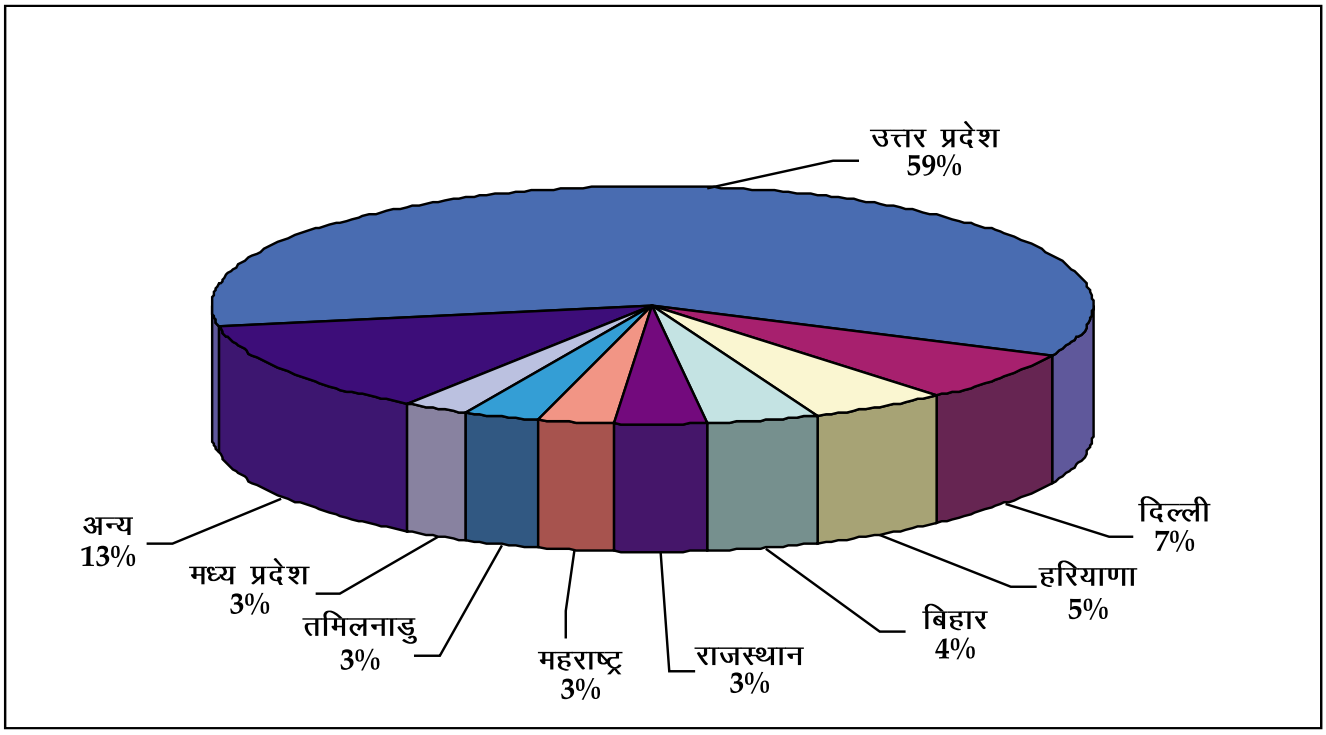

संक्षिप्ति

ए. पी. एफ	एशिया पेसिफिक मंच
ए. टी. आई	प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान
बी. एल. एस. ए	बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976
सी. बी. – सी. आई. डी.	अपराध शाखा–अपराध अन्वेषण ब्यूरो
सी. बी. आई.	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
सी. डी.	हिरासतीय मौत
सी. जी. एच. एस.	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना
सी. आई. सी.	केन्द्रीय सूचना आयोग
सी. एम. एस.	शिकायत प्रबंधन प्रणाली
सी. पी. ओ.	केन्द्रीय पुलिस संगठन
सी. आर. पी. सी.	दाण्डिक प्रक्रिया संहिता
सी. आर. एल.	आपराधिक
सी. आर. पी. एफ.	केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल
सी. डब्ल्यू. सी.	बाल कल्याण समिति
डी. आई. बी.	जिला आसूचना ब्यूरो
डी. पी. एम.	डिप्लोमा ऑफ साइक्लोजिकल मेडिसिन
जी. ओ. आई.	भारत सरकार
जी. एम. ए.	ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला
एफ. आई. आर.	प्रथम सूचना रिपोर्ट
एच. क्यू.	मुख्यालय
एच. आर.	मानव अधिकार
एच. आर. ई.	मानव अधिकार शिक्षा

आई. सी. सी.	मानव अधिकारों के संवर्द्धन एवं संरक्षण हेतु राष्ट्रीय संस्थानों की अंतरराष्ट्रीय समन्वय समिति
आई. सी. सी. पी. आर.	नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय कनवेनेन्ट
आई. सी. ई. एस. सी. आर.	आर्थिक, सामाजिक और सांस्कषतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय कनवेनेन्ट
आई. एम. एच. एच.	मानसिक स्वास्थ्य संस्थान एवं अस्पताल
आई. एन. पी. ओ. ए.	बच्चों और महिलाओं को विशेष रूप से केन्द्रित करते हुए मानव देह व्यापार के निवारण एवं रोकथाम हेतु समेकित कार्रवाई योजना
आई. पी. सी.	भारतीय दंड संहिता
आई. पी. डी.	आंतरिक रोगी विभाग
एल. डी.	विधि प्रभाग
एम. सी. आई.	भारतीय चिकित्सा परिषद्
एम. डी.	डाक्टरेट ऑफ मेडिसिन
एम. डब्ल्यू. सी. डी.	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
एन. सी. पी. आर.	राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम
एन. सी. डब्ल्यू.	राष्ट्रीय महिला आयोग
एन. सी. एल. पी.	राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना
एन. ई. यूनीवर्सिटी	उत्तर–पूर्वी विश्वविद्यालय
एन. जी. ओ.	गैर–सरकारी संगठन
एन. जी. ओ.(स)	गैर–सरकारी संगठन
एन. एच. आर. सी.	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
निह्मन्स	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और न्यूरो–विज्ञान संस्थान
एन. ओ. के.	नजदीकी रिश्तेदार
नरेगा	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
एन. एस. एस.	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण
ओ. एस. सी. एच. आर.	संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त का कार्यालय
ओ. पी. डी.	बाह्य रोगी विभाग

पी. सी. पी. एन. डी. टी एक्ट	गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व नैदानिक तकनीक (लिंग जाँच निषेध) अधिनियम, 1994
पी. एच. आर. ए.	मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम
पी. एम. आर.	शव परीक्षा रिपोर्ट
पी. आर. पी. एंड पी.	नीति, अनुसंधान, परियोजनाएँ और कार्यक्रम
प्रोग.	कार्यक्रम
पी. एस.	पुलिस स्टेशन
पी. टी. आई.	पुलिस प्रशिक्षण संस्थान
आर./ओ.	के संबंध में
आर. पी. एफ.	रेलवे सुरक्षा बल
एस. सी.	उच्चतम न्यायालय
एससल.	क्रम
एस. सी. (एस)	अनुसूचित जाति (याँ)
एस. एच. आर. सी.	राज्य मानव अधिकार आयोग
एस. आर. ई.	सुरक्षा संबंधी व्यय
एस. एस. ए.	सर्व शिक्षा अभियान
एस. टी (एस)	अनुसूचित जनजाति (याँ)
टी. ई. सी.	परिवर्तन शिक्षा केन्द्र
टीआरजी.	प्रशिक्षण
यू. डी. एच. आर.	मानव अधिकार सार्वभौमिक उद्घोषणा
यू. एन.	संयुक्त राष्ट्र
यू. पी. आर.	सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा
यू./एस.	धारा के अंतर्गत
यू. टी.	संघ राज्य क्षेत्र
यू. टी. पी.	विचाराधीन कैदी
यू. टी. (एस)	संघ राज्य क्षेत्र
डब्ल्यू. सी.	महिला प्रकोष्ठ

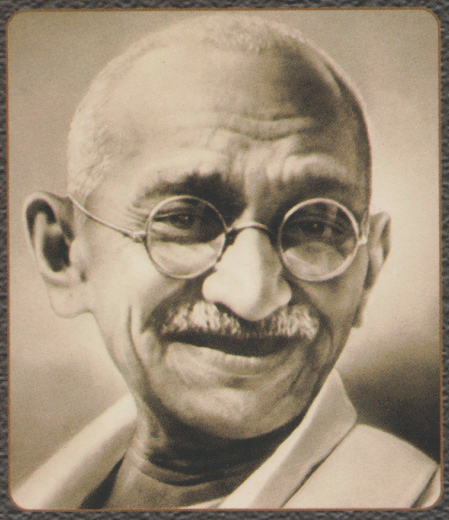

"मानवता से विश्वास न खोएं।
मानवता एक महासागर है, यदि महासागर की कुछ
बूंदें मैली हों, तो महासागर मैला नहीं होता।"

महात्मा गांधी

सर्वे
भवन्तु सुखिनः

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत

फरीदकोट हाउस, कॉपरनिकस मार्ग
नई दिल्ली –110001, भारत

Image Print : 9810161228